

आंतरराष्ट्रीय बहुभाषिक शोध पत्रिका

प्रिंटिंग एरिया

Printing Area International Interdisciplinary Research
Journal in Marathi, Hindi & English Languages
February-2020, Issue-62, Vol-03

Editor**Dr. Babu g. Gholap**

(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

Co-Editor**Dr. Ravindranath Kewat**

(M.A. Ph.D.)



“Printed by: **Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.** Published by **Ghodke Archana Rajendra** & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor **Dr. Gholap Babu Ganpat.**

**Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.**

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205

At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com

Printing Area



Vidyawarta is peer reviewed research journal. The review committee & editorial board formed/appointed by Harshwardhan Publication scrutinizes the received research papers and articles. Then the recommended papers and articles are published. The editor or publisher doesn't claim that this is UGC CARE approved journal or recommended by any university. We publish this journal for creating awareness and aptitude regarding educational research and literary criticism.

The Views expressed in the published articles, Research Papers etc. are their writers own. This Journal dose not take any libility regarding appoval/disapproval by any university, institute, academic body and others. The agreement of the Editor, Editorial Board or Publicaton is not necessary.

If any judicial matter occurs, the jurisdiction is limited up to Beed (Maharashtra) court only.



Govt. of India,
Trade Marks Registry
Regd. No. 3418002

<http://www.printingarea.blogspot.com>

☞ **Printing Area** : Interdisciplinary Multilingual Refereed Journal ☜

Editorial Board & review Committee

- **Chief Editor**
Dr Gholap Babu Ganpat
Parli_Vajinath, Dist. Beed Pin-431515 (Maharashtra)
9850203295, 7588057695
vidyawarta@gmail.com
- **M.Saleem**
saieen Ghulam street
Fatehgarh Sialkot city
Pakistan. Phone Nr. 0092 3007134022
saleem.1938@hotmail.com
- **Dr. Momin Mujtaba**
Faculty Member, Dept. of Business Admin.
Prince Salman Bin AbdulAziz University
Ministry of Higher Education, Kingdom of Saudi
Arabia, Tel No.: +966-17862370 Extn: 1122
- **N.Nagendrakumar**
115/478, Campus road,
Konesapuri, Nilaveli (Postal code-31010),
Trincomalee, Sri Lanka
nagendrakumarn@esn.ac.lk
- **Dr. Vikas Sudam Padalkar**
vikaspadalkar@gmail.com
Cell. +91 98908 13228 (India),
+ 81 90969 83228 (Japan)
- **Dr. Wankhede Umakant**
Navgan College, Parli –v Dist. Beed
Pin 431126 Maharashtra
Mobi.9421336952
umakantwankhede@rediffmail.com
- **Dr. Basantani Vinita**
B-2/8, Sukhwani Paradise,
Behind Hotel Ganesh, Pimpri,
Pune-17 Cell: 09405429484,
- **Dr. Bharat Upadhya**
Post.Warnanagar, Tq.Panhala,
Dist.Kolhapur-4316113
Mobi.7588266926
- **Jubraj Khamari**
AT/PO - Sarkanda, P.S./Block - Sohela
Via/Dist. - Bargarh, Pin - 768028 (Orissa)
Mob. No. – 09827983437
jubrajkhamari@gmail.com
- **Krupa Sophia Livingston**
289/55, Vasanthapuram,
ICMC, Chinna Thirupathy Post,
Salem- 636008 +919655554464
davidswbts@gmail.com
- **Dr. Wagh Anand**
Dept. Of Lifelong Learning and Extension
Dr B A M U Aurangabad pin 431004
Mobi. 9545778985
wagh.anand915@gmail.com
- **Dr. Ambhore Shankar**
Jalna, Maharashtra
shankar296@gmail.com
Mobi.9422215556
- **Dr. Ashish Kumar**
A-2/157, Sector-3, Rohini, Delhi -110085
Ph.no: 09811055359
- **Prof. Surwade Yogesh**
Dept. Of Library, Dr B A M U Aurangabad , Pin 431004
Cell No: +919860768499
yogeshps85@gmail.com
- **Dr. Deepak Vishwasrao Patil,**
At.Post.Saundhane, Near
Kalavishwa Computer, Tq.Dist.Dhule-424002.
Mobi. 9923811609
patildipak22583@gmail.com
- **Dr. Vidhya.M.Patwari**
Vanshree Nagar, Behind Hotel
Dawat, Mantha Road, Jalna-431203
Mobi.9422479302
patwarivm@rediffmail.com
- **Dr. Varma Anju**
Assistant Professor, Dept. of Education,
Sikkim University 6th Mile, Samdur Tadong-737102
GANGTOK - Sikkim, (M.8001605914)
anjuverma2009@rediffmail.com
- **Dr. Pramod Bhagwan Padwal**
Associate Professor, Department of Marathi
Banaras Hindu University,
Varanasi-221005.(Uttar Pradesh)
Mobi. 9450533466
pbspadwal@gmail.com

- **Dr. Nilendra Lokhande**
Head-Department of Commerce,
S.N.D.T. College of Arts & S.C.B.College of Comm. &
Sci., S. N. D. T. Women's University,
Mumbai-20. Mobile: 98 21 230 230
Email: lokhandend@gmail.com
- **Dr. Bhairulal Yadav**
Assistant Professor,
Department of Geography
Visva-Bharati University,Santiniketan,
West Bengal 731 235,Mob. +91 8670027217
blal.yadav@gmail.com
- **Dr. Madan Mohan Joshi**
Asst.Professor of History, School of Social Sciences
Uttarakhand Open University, Haldwani (Uk)
Cell nos. 09690676632,09412924858
mmjoshi@uou.ac.in
- **Dr.Seema Sharma (Tiwari)**
Assistant Professor-Political Science,
Govt. M.L.B. Girls P.G. College, KilaBhavan, Indore-66
Mob: 9425904160
seemasharmam4@gmail.com
- **Dr. N.D. Choudhari**
Dept. of Marathi
Anandrao Dhonde Alias Babaji College,
Kada, Tal-Ashti, Dist- Beed (India) Mobi. 7350474989
ndbchoudhari@gmail.com
- **Dr. Yallawad Rajkumar**
Lt. Laxmibai Deshmukh Mahila College,
Parli v. Dist. Beed,Pin. 431515,
Mobi. 9881294195
- **Dr. Awasthi Sudarshan**
Navgan college, Parli Vaijnath
Dist. Beed Pin.431515, Mobi.9960127866
sudarshanawasthi@gmail.com
- **Dr. Ravindranath Kewat**
Teacher Colony, Bamni- Bllarpur, TQ. Ballarpur
Dist. Chandrapur Pin 442701, Mobi- 9421715172
kwmballarpur@rediffmail.com
- **DR.PIYUSH PANDDEY**
371 H POCKET II, MAYUR VIHAR PHASE I
NEW DELHI 110091,Mobi:9871415353
opiyushpandey@gmail.com
- **Dr. M.SURESH BABU,**
Librarian,
C.M.R. College of Engineering & Technology
(Autonomous). Kandlakoya, Medchal Road,
Hyderabad - 501 401
Mobile : 9492759646
drsureshsvu@gmail.com
- **Dr. DEEPAK NEMA**
S/O Dr. B.D. Nema, Near Prem Nagar Power House,
Satna-485001,Contact No.8989469156,
Email: dnema14@gmail.com
- **Dr. Neeraj Kumar Shukla**
HEAD, Department of B.Ed. Government
Post Graduate College Kashipur, Udham
Singh Nagar, Uttarakhand, India 244713
9450223977
nshuklan@gmail.com
- **Sunil S Trivedi**
Rameshwar Park,B/h Navarang Society,
Mogri-388345 Ta & Di: Anand
Mob: 9727290344, 8866465904
trivediss@ymail.com
- **Dr. Anil Kumar Singh**
H.O.D. Library & Information Science
Nandini Nagar P.G. College
Nawabganj, Gonda
Email-singh.anil224001@gmail.com
Mob-09793054919
- **Dr. Preeti Sarada,**
Flat No.505Amrapali Arcade, Street
No.10, Himayat Nagar, Hyderabad.-500029,
Telangana . Mob.08374378080
pribhala@gmail.com
- **Ramakant Ambadas Choudhari**
Plot No. 43 B / Vidyavihar Colony Part -01,
SHIRPUR , DIST- DHULE (MH) 425405
Mobi – 7588736283
rac2722@gmail.com
- **Dr. Dinesh Kumar Charan**
Associate Professor and HOD-History Dept.,
Govt.Lohia College Churu (Rajasthan) India
Pin- 331001
Mob. No.-9414305804



Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.

At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed Pin-431126 (Maharashtra)
vidyawarta@gmail.com

All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors

Undertaking/ Copyright Form

The Submitted manuscript/paper is original, exclusive and unpublished material. It is not under consideration for publication elsewhere. Further, it will not be submitted for publication elsewhere, until a decision is conveyed regarding its acceptability for publication in Harshwardhan Publication Pvt. Ltd. Published research journal. I/we also grant permission to organizer for making necessary changes in the title and content of the paper, if required, while being considered for publication. The undersigned hereby represents and warrants that the paper is original and that he/she is the author of the paper, except for material that is clearly identified as to its original source, with permission notices from the copyright owners where required.

I am sending the present research paper by verifying all the permissions regarding the publication. I have seen all related online details and I have kept the copy of those details with me.



Details of Authors & Paper

- Title of the research paper _____
- Language for the presentation: Marathi Hindi English
- Author Name 1 : Dr./Prof. _____
- Author Name 2 : Dr./Prof. _____
- Institution/Organization: _____
- Correspondence Address: _____
- _____ State _____ Pin:
- Contact No.1. Contact No.2.
- Mail id: 1 _____
- Date _____ Signature of the participant _____

Note : This undertaking/agreement is to be signed by at least one of the authors who have obtained the assent of the co-author(s) where applicable.

Send Copyright Declaration form scan copy after sign on it to :
vidyawarta@gmail.com, printingareahp@gmail.com

Any help plz call on :  **09850203295, 07588057695**


Membership Form

TO,

Publisher,**Harshwardhan Publication Pvt. Ltd.**

At.Post.Limbaganesh Tq.Dist.Beed

Pin: 431126 (Maharashtra)



I desire to be a member of your interdisciplinary journal . Please post me regularly issues of the journal.

Details of Member

Name of Institution/Organization/ Member _____

Designation: _____ Subject : _____

Correspondence Address: _____

_____ State _____ Pin: _____

Contact No.1. _____ Contact No.2. _____

Mail id: 1 _____ Mail id: 2 _____

Fees Details _____

Required Journal Name: _____

Date _____ Signature of the participant _____

Note : Send Membership Form scanned copy & Deposited bank slip : vidyawarta@gmail.com,
printingareahp@gmail.com, Any help plz call on :09850203295, 07588057695

<https://sites.google.com/site/vidyawartajournal>

द गॅज़ेट ऑफ इंडिया, १८ जुलाई २०१८ को प्रकाशित किये गये राजपत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोगने शिक्षकों और अन्य शिक्षक कर्मचारियों को न्यूनतम अर्हता के बारे में विनियम जारी किया है, जिसमें पृष्ठ संख्या १०५ पर peer reviewed जर्नल्स API स्कोअर या प्रमोशन के लिए मान्य किये जाएंगे ऐसा लिखा है । ये राजपत्र निम्न लिंक पर अक्लेबल है कृपया डाउनलोड करके देखिये।

https://www.ugc.ac.in/pdfnews/4033931_UGC-Regulation_min_Qualification_Jul2018.pdf

More Details

https://www.youtube.com/watch?v=g_fzq2Mi7yM&t=4s

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940

No. 271]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018

Table 2**Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score**

(Assessment must be based on evidence produced by the teacher such as: copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledgements for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc.,)

S.N.	Academic/Research Activity	Faculty of Sciences /Engineering / Agriculture / Medical /Veterinary Sciences	Faculty of Languages / Humanities / Arts / Social Sciences / Library /Education / Physical Education / Commerce / Management & other related disciplines
1.	Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals	08 per paper	10 per paper
2.	Publications (other than Research papers)		
	(a) Books authored which are published by ;		
	International publishers	12	12
	National Publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	08	08
	(b) Translation works in Indian and Foreign Languages by qualified faculties		
	Chapter or Research paper	03	03
	Book	08	08
3.	Creation of ICT mediated Teaching Learning pedagogy and content and development of new and innovative courses and curricula		
	(a) Development of Innovative pedagogy	05	05
	(b) Design of new curricula and courses	02 per curricula/course	02 per curricula/course
	(c) MOOCs		
	Development of complete MOOCs in 4 quadrants (4 credit course)(In case of MOOCs of lesser credits 05 marks/credit)	20	20
	MOOCs (developed in 4 quadrant) per module/lecture	05	05
	Content writer/subject matter expert for each module of MOOCs (at least one quadrant)	02	02
	Course Coordinator for MOOCs (4 credit course)(In case of MOOCs of lesser credits 02 marks/credit)	08	08
	(d) E-Content		
	Development of e-Content in 4 quadrants for a complete course/e-book	12	12
	e-Content (developed in 4 quadrants) per module	05	05
	Contribution to development of e-content module in complete course/paper/c-book (at least one quadrant)	02	02
	Editor of e-content for complete course/ paper /e-book	10	10
4	(a) Research guidance		

Editors Message

“The Higher Education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence”- **Rabindranath Tagore.**

Education is the best thing that can happen in one’s life. It not only inculcates social, economic and cultural awareness but is also an important medium for enhancing values among the human beings. It is true that education has a greater role in contributing to our nation’s future in terms of growth, prosperity, social equity and the true realisation of our large talent pool.

The higher education system plays a vital role in the social and economic development of a nation. Higher education has formed a continuum and a basis for the progress of human society. It shapes the individual lives, the economy and the society.

Institutes of higher education have always been created and shaped by the interests of the ruling classes and elites in the societies in which they existed. This means they serve to reinforce the economic, political, ideological and cultural interests of those who create them, fund them, and populate them.

Education is recognized as one of the life of the critical elements of the national development effort and higher education in particular is of vital importance for the nation. Indian higher education landscape is changing rapidly. Demographic bulge, expanding school education and rising aspirations has put considerable pressure for expansion of higher education due to the country’s rapid economic growth, rising incomes outward orientation and growing optimism.

The role of higher education in promoting and facilitating the flow of knowledge and learning to society is universally recognized. Higher education institution through their contact with student volunteers, external organizations acts as valuable repositories of talent, creativity and enthusiasm. It helps in building trust and mutual understanding by engaging public with its activities.

-- Dr. Bapug Gholap

INDEX

01) Certainties of Inorganic Luminescence A. M. Bhake, Nagpur, India	14
02) Foreign Direct Investment Dr. Fulsing Navalsing Mahajan	19
03) Constraints of Schedule Tribes in perusing Higher Education: A study of ... Dr. Bilash Chandra Montry	23
04) The Prophet Dr. Md. Nurul Amin Sheikh, Dhubri, Assam	27
05) Blended Learning: Role of digitalized Approach with special Reference to ICT Ms. Pronita Rajkhowa, Kamalabari	29
06) Role of TRAI in Indian Telecom Sector - An Overview Dr. H. S. Bhatiya & Prof. Shaikh Tasleem Ahmad, Plai Korba (C.G.)	32
07) Case study approach towards Cyber bullying Dr. Pratima Singh, Mumbai	35
08) THIRD ORDER BOUNDARY VALUE PROBLEM P. R. Shinde, Dist. Nanded (M.S.) INDIA	37
09) Marketing Strategies of Reliance Industries Limited In Making It A World- ... Shubham Parsoya, Bhilwara (Rajasthan)	42
10) Socio-Political Empowerment of Marginalised and Constitutional Rights Ms. Sharmishtha Solanki, Anand, Gujarat	45
11) A Correlation study between ICT competency and Job satisfaction among ... Miss Jyoti Suresh Suryawanshi & Dr. Shashank S. Sonwane, Aurangabad	49
12) PRESENT MARKETING - KHADI CLOTHES TREND ANALYSIS Dr. A. SUJATHA & G. GUNASRI, MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY	51
13) A Case Study On Utilization of Video Clips in a Virtual Learning ... DR. NITIN C. POPAT, RAJKOT	57

14) Linguistic diversity in South East Asia with especial reference to Arabic... Dr. Md. Shamsuddin Mallick, Kolkata	60
15) CROP DIVERSIFICATION IS NEED IN SEVEN DISTRICT OF HARYANA: A ... SANTOSH KUMAR & NISHA, Rohtak	64
16) Impact of GST on Small & Medium Enterprises Dr. K. N. Shewale, Dist- Amrvati	66
17) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राजकीय विचार डॉ. एस. जे. इंगळे, नांदेड	68
18) महाराष्ट्रातील स्त्री चळवळीची भूमिका प्रा.डॉ. महादेव मुंडे, जि. बीड	71
19) महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास पाटील सुलक्षणा भारत, नांदेड	75
20) जलव्यवस्थापनातील उत्कृष्ट साधन जागजी येथील “लक्ष्मीतीर्थ बारव” डॉ. मंजुषा मुकुंदराव बाबजे, उस्मानाबाद	79
21) मराठी कादंबऱ्यांतून व्यक्त झालेला शेतकरी संघटना व कृषी जीवन यांचा संबंध डॉ. रविंद्र बाबासाहेब ढास, बीड	82
22) ग्रामीण लोक जीवनातील शब्द, म्हणी, वाक्प्रचार व त्यामागील मानसिकता डॉ. मिलिंद नामदेवराव भिलपवार, जि. अमरावती	85
23) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची सामाजिक लोकशाहीची संकल्पना डॉ. सय्यद आर. जे., उस्मानाबाद	87
24) नविकरणीय संसाधन - अक्षय ऊर्जा डॉ. करकरे सी. पी., नांदेड	91
25) एक नजर ‘बहू की विदा’ पर डॉ. नागराज उत्तमराव मुळे, जि. लातूर	93
26) समकालीन हिन्दी महिला कहानीकारों की कहानियों में स्त्री चेतना एवं संवेदना ... दुर्गेश, झांसी	95

27) अनुच्छेद— ३७० और ३५ए का अंत : एक मूल्यांकन डॉ० अनिल कुमार सिंह, अयोध्या	99
28) समकालीन कविता में अभिव्यक्त स्त्री विमर्श (हबीब इकराम के काव्य संदर्भ में) डॉ. पंडित गायकवाड, जिला—उस्मानाबाद	101
29) ईस्ट—इण्डिया कंपनी शासन काल में दरभंगा महाराजा का खण्डवाल वंश के ... डॉ० गोपाल कुमार (ROSERA), गोपालगंज, बिहार	104
30) देव भूमि उत्तराखण्ड राज्य में नाग जाति के राजाओं का शासन का एक अध्ययन डॉ. जगमोहन सिंह & डॉ. विनीता नेगी, चमोली	109
31) माखनलाल चतुर्वेदी के शिक्षा संबंधी विचारों का अध्ययन प्रियंकर लारिया, सागर (म.प्र.)	115
32) भौगोलिक एवं सामुद्रिक दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया का स्रातेजिक महत्त्व एवं ... डा० वेद किशोर रतूड़ी, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड	122
33) पारिवारिक एवं छात्रावासीय परिवेश में रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की ... श्रीमती मधुलिका शर्मा & डॉ. श्रीमती अरुणा भदौरिया, ग्वालियर (म.प्र.)	126
34) भारत के आर्थिक विकास को रोकती सामाजिक चुनौतियां Sita Ram & Sukhdev, Jind	129
35) भारतीय समाज में आधुनिकीकरण का प्रभाव Subhash Chander, Panchkula	133
36) हिन्दी में समाजवाद की प्रेरक परिस्थितियाँ डॉ. सरिता तिवारी, चंद्रपुर	137
37) माध्यमिक स्तर पर सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों की छात्राओं के ... डा० प्रतिमा, मेरठ	143
38) अमृतलाल नागर के उपन्यासों में वर्णित स्त्री—जीवन 'भूख' तथा 'बूँद और समुद्र' ... रश्मि राय, गोरखपुर	147
39) पौड़ी जिले के माध्यमिक स्तर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के छात्रों की शैक्षिक रुचि... Dr. Anup Baluni & Dr. Pawan Kumar, Roorkee, Uttrakhand	149

- 40) श्री कृपालु जी महाराज
Dr. Sunita Sharma, Delhi ||154
- 41) मुग़ल सम्राट अक़बर कालीन गोपामऊ की ज़ामा मस्जिद : एक ऐतिहासिक एवं ...
डॉ० श्याम प्रकाश, छपरा ||157
- 42) स्वतंत्र भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति : एक विवेचन
विकाश कुमार त्रिपाठी, जिला—सतना, म.प्र. ||160
- 43) संयुक्त प्रान्तों में अकाल : आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन
वरूण वशिष्ठ, जयपुर ||166
- 44) वैश्विक परिप्रेक्ष्य में गुरु नानक देव जी की वाणी की प्रासंगिकता एवं महत्व
डॉ. पवन कुमार शर्मा, धारीवाल ||174
- 45) संत सोहिरोबानाथांच्या साहित्यातील सामाजिक संदर्भ
भक्ती गोविंद महाजन, गोवा विद्यापीठ ||182
- 46) महाराष्ट्रातील महिला नेतृत्वाचा विकास
डॉ. निता सोमनाथे (गभने), जि. भंडारा ||186
- 47) Literature and Culture
Miss Patil Vidya Dattatraya ||189
- 48) DIRECT TAX CODE: TIME TO GIVE SALARY EARNERS A NEW DEAL
Dr. Rajeev Shukla & Mr. Raju Kashyap, Lucknow ||191

शिवेयुत वपारत®

You Tube Channel  SUBSCRIBE

<https://goo.gl/dk5tXx>

01

Certainties of Inorganic Luminescence

A. M. Bhake

Applied Physics Department,
P.I.E.T. Nagpur, India

Abstract

Various miracles in nature involving light occur such as colors of plants, trees and animals, shades of sunrise and sunset, rainbow, blues of ocean and sky, etc. Out of these wonders in nature, luminescence is one of the wonders in optics. Luminescence is observed in inorganic materials. Recent research is characterized by strong interaction among other branches of solid state and between different areas of luminescence using inorganic materials. Luminescence in inorganic materials activators plays an important role in imparting luminescent properties. The activators used are commonly rare earth ions or 3d elements. Luminescence phenomena in this materials can be classified depending on the excitation source used and the time for which emission persists. The coupling of inorganic and organic semiconductors allows the most encouraging properties of the inorganic component, e.g. the high electrical conductivity, with the most favorable properties of the organic component, e.g. the high photoluminescence yield across the visible spectrum. In this paper, best outcomes of inorganic luminescence such as LEDs are discussed.

Keywords— Phosphors, Inorganic Luminescence, LEDs, activators

Introduction

Luminescence is an interdisciplinary subject as it can be studied and is applicable in

various fields like physics, chemistry, biological science, medical science, forensic science, geology, material science, engineering technology, etc. Recent research is categorized by strong interaction among other branches of solid state physics and between different areas of luminescence using inorganic and organic materials [1]. Luminescence is the generation of light without heat. The term 'luminescence' was introduced by a German Physicist, Eilhard Wiedemann in 1888. The hands, dials, scales and signs of navigational and aviation instruments and markings are often coated with luminescent materials in a process known as 'luminescing'. Both experimental as well as theoretical approaches have been made for it. Luminescence means emission of light by appropriate materials when they are relatively cool. Luminescence is well-defined as the emission of radiation of the light by bodies, which is in excess of that attributable to the black body radiation and persist for longer duration than the period of electromagnetic radiation after the excitation stops. Traditionally, luminescence is classified as fluorescence and phosphorescence. The word 'Luminescence' which includes both fluorescence and phosphorescence in material science, engineering technology, etc. If the emission from the material persists for a shorter duration i. e. ($<10^{-8}$ sec) then it is called as fluorescence while phosphorescence persist for quite longer duration (upto a number of seconds). The situation is far more complicated in the case of inorganic phosphors. The term phosphorescence was first used to describe the persistent luminescence (afterglow) of phosphors. The mechanism described above for the phosphorescence of excited organic molecules fits this picture in that it is also responsible for light persistence up to several seconds. Fluorescence, on the other hand, is an almost instantaneous effect, ending within about 10^{-8} sec after excitation. The term fluorescence was

invented in 1852, when it was experimentally demonstrated that certain substances absorb light of a narrow spectral region (e.g. blue light) and instantaneously emit light in another spectral region not present in the incident light (e.g. yellow light) and that this emission ceases at once when the irradiation of the material comes to an end. The name fluorescence was derived from the mineral fluorspar, which exhibits a violet, short-duration luminescence on irradiation by ultra-violet light.

Luminescence in Inorganic materials

Material science is a vital technology, to make it possible to design ecofriendly materials for a scientific need. Therefore, ample luminescent materials were investigated till date as per the requirement. There are basically two types of luminescent materials viz. inorganic and organic. Luminescence in inorganic molecules originates from the excitation of activator atoms. The inorganic materials are held together by strong covalent bonds between atoms and then molecules and are therefore molecular solids. In inorganic materials activators play an important role in imparting luminescent properties. The activators used are mostly rare earth ions or 3d elements. There is a great amount of experimental evidence showing that the ability of a material to luminescence is associated with presence of so called-'activators'. These activators may be special impurity atoms occurring in relatively small concentrations in the host material, or a small stoichiometric excess of one of the self-activation. Several inorganic phosphors have been developed and are routinely used in day to day life[2].

Luminescence Phenomenon

Luminescence of phosphors is carried out by two methods such as Excitation and Emission. Luminescence emission occurs after certain material has absorbed energy from a source such as electron beams, ultraviolet or X-ray radiation, chemical reactions, etc. The energy

lifts the atoms of the material into an excited state, and then, because excited states are unstable, the material undergoes another transition, back to its unexcited ground state, and the absorbed energy is liberated in the form of either light or heat or both (all discrete energy states, including the ground state, of an atom are defined as quantum states). The excitation involves only the outermost electrons orbiting around the nuclei of the atoms. Luminescence phenomena in materials can be categorized depending on the excitation source used and the time for which emission persists. In short, it includes; absorption of excitation energy and stimulating the system into an excited state, transformation and transfer of the excitation energy and emission of light and attenuation of the system into an unexcited condition.

Several types of luminescence centre consists of transition metal ions (Mn^{2+} , Cr^{3+} , Fe^{3+}), rare earth elements ($RE^{2+/3+}$), more extended defects (dislocations, clusters). Evidently it is a two-step process; the excitation of the electronic system of the substance and the subsequent emission of the photons; these steps may not be detached by intermediate processes. However it is a broad term; several kinds of luminescence are possible in crystals, depending upon the resources employed to excite the electrons. The area of the application of materials is huge and wide-ranging [1].

Classification of luminescence

The following are varieties of luminescence[1] which are very interesting to know.

Bioluminescence, emission by a living organism

Chemiluminescence, a result of a chemical reaction

Electrochemiluminescence, a result of an electrochemical reaction

Crystalloluminescence, produced during crystallization

Electroluminescence, a result of an

electric current passed through a substance

Cathodoluminescence, a result of being struck by an electron

Mechanoluminescence, a result of a mechanical action on a solid

Triboluminescence, generated when bonds in a material are broken when that material is scratched, crushed, or rubbed

Fractoluminescence, generated when bonds in certain crystals are broken by fractures

Piezoluminescence, produced by the action of pressure on certain solids

Photoluminescence, a result of absorption of photons

Fluorescence, photoluminescence in which the emitted photons are of lower energy than those absorbed

Phosphorescence, fluorescence slightly delayed after initial absorption of radiation (on a scale of seconds to hours)

Radioluminescence, a result of bombardment by ionizing radiation

Sonoluminescence, a result of imploding bubbles in a liquid when excited by sound

Thermoluminescence, the re-emission of absorbed light when a substance is heated

However, inorganic phosphors have certain disadvantages. They are not cost effective. Large displays cannot be made easily as it is very difficult to make large size films. The electroluminescent display requires more power. With the miniaturization of electronic devices it is desired to have displays which are cost effective, requires less power to operate, efficient and colorful. For such applications, phosphors based on organic materials are more suitable.

Important Advancements in Inorganic Luminescence

1. Charge Transfer Transitions

An electron may jump from a principally ligand orbital to a principally metal orbital, giving rise to a ligand-to-metal charge transfer (LMCT) transition. These can occur easily when

the metal is in a high oxidation state. For example, due to LMCT transitions the color of chromate, dichromate and permanganate ions, mercuric iodide, HgI_2 , is red. This example shows that charge transfer transitions are not restricted to transition metals[3]. A metal-to-ligand charge transfer (MLCT) transition will most likely occur when the metal is in a low oxidation state and the ligand is easily reduced.

2. d- d transitions

In compounds, the transition metals the d-orbitals do not all have the same energy. The splitting pattern of the d orbitals can be designed using crystal field theory. The scope of the splitting depends on the particular metal, its oxidation state and the nature of the ligands. In this case, an electron jumps from one d-orbital to another. The ions that are inert to luminescent emission are of yttrium, lanthanum, gadolinium and lutetium. It is well-known that rare earth metal ions are characterized by highly competent to intra-energy conversion from the ligand singlet (S_1) into the triplet (T_1), and hence to the excited state of the central rare earth metal ion [4, 5]. The metal ions exhibit sharp spectral bands corresponding to $5D_x'17F_x$ transitions. This mechanism is characterized by the molecules suspended in the dilute solution or by high photoluminescence efficiency of about 20-95% [6, 7]. Unlike common fluorescent and phosphorescent compounds, rare earth atoms exhibit high luminescence efficiency with sharp spectral bands relating electrons associated with inner 4f orbitals of the central rare earth metal ions.

3. Decay Characteristics

An investigation of the decay properties of the luminescent materials indicates that they fall into two broad categories. In first type, the decay equation is given by:

$$I(t) = I_0 \exp(-\acute{a} t)$$

where I_0 is the initial intensity at time t and \acute{a} is a constant.

This closely resembles to the process

governing the growth of monomolecular reaction[8]. This performance suggests that in these cases the luminescence takes place by simple excitation with subsequent optical emission in the active centre, the excitation energy remaining closely localized in the centre between excitation and emission. The decay constant is small and is independent of temperature.

Most of the luminescent materials which are valued for their long decay characteristics, obey a decay equation of second type:

$$I(t) = I_0 / (\hat{a}t + 1)^n$$

Where I_0 is the initial intensity, $I(t)$ is the intensity at time t , \hat{a} and n are constants.

This equation is similar to the rate equation for their bimolecular reaction. The constant \hat{a} is dependent on temperature. The atoms or clusters of atoms become ionized during the excitation and luminescent radiation is emitted during recombination of the free electrons and the ionized centres. Johnson[9] has suggested that essentially all centres become ionized during excitation and that a majority of free electrons are recaptured into a state, which has a very long lifetime (of the order of milliseconds) because the optical transition to the ground state is forbidden. These electrons contribute an exponential components to the decay curve. The remaining electrons are captured at the trapping centres and are released over a period of a time that is long compared to the life times of the excited state of the fluorescing centre. The second class electrons is responsible for the bimolecular component of the decay curve.

4. Concentration quenching

Luminescence efficiency depends on the degree of transformation of excitation energy into light, and there are relatively few materials that have sufficient luminescence efficiency to be of practical value. In order to enhance the luminescence efficiency of a phosphor it seems that the activator concentration in the host

should be as high as possible. However, it is found that the luminescence efficiency decreases if the activator concentration exceeds the specific value known as critical concentration. This outcome is called as concentration quenching. If the concentration of the activator becomes so high that the probability of energy transfer exceeds that for emission then the excitation energy repeatedly goes from the one activator to the other and eventually lost at the surface, dislocations or impurities. Thus, it makes no contribution to the luminescence. The efficiency then decreases in spite of the increase of the activator concentration. **Fig. 1** gives the idea about the concentration quenching.




Fig. 1. Concentration Quenching

5. Thermal Quenching

Since the interaction with lattice will be temperature dependent, it is quite understandable that the positions, splitting and the life times of various energy levels of an activator can be temperature dependent. It is quite common to find that at lower temperatures the host lattice offers conditions conducive for luminescence while at high temperatures, the non-radiative processes become dominant. This has been termed as thermal quenching. For many applications it is of prime importance. It governs the operating temperature of the device based on the luminescent material. In some cases (e.g. Y₂O₃:Eu) increase in luminescence efficiency at high temperatures has been observed. This occurs due to the thermal quenching of the processes, which compete with

the desired emission.

6. Stokes Shift

Absorption and emission in gaseous state consist of sharp line while in solids they occur as bands. Transitions that are forbidden in free State become allowed in crystals with smaller probability. In solids the emission in condensed media occurs on longer wavelength than the absorption due to the influence of host lattice. This is termed as Stokes shift. Greater the interaction of impurity ion with the host media, greater is the Stokes shift and the width of the emission line. Stokes shift occurs due to the difference in the interionic separation in the ground state and excited state. The luminescence centre expands on excitation of cation electrons and contracts on anion electron excitation in charge transfer transitions. Phosphors that show an emission with a large Stokes shift usually exhibit a low quenching temperature. It is as shown by following graph in Fig.2;




Fig. 2 Stokes Shift by Excitation and Emission Spectra

7. Scintillation

This phenomenon is identical to radio-luminescence. It is named scintillation because it is used as a technique to detect individual light pulses generated by the incidence of each X-ray or gamma ray photon or a nuclear particle. Such light pulses are called scintillations, since like a spark they are very short lived. Thallium activated sodium iodide is a well-known scintillation detector used for gamma ray spectrometry. The intensity of the scintillation (light pulse) is directly proportional to the energy of the incident gamma ray photon (when it is

totally absorbed). The measurement of this pulse intensity, therefore, provided the means for knowing the gamma ray energy [10].

i) Stokes Shift for Scintillators

An important, broad concept to remember for all scintillators is that:

1) Emitted photons are at longer wavelengths (smaller energies) than the energy gap of the excitation called the 'Stokes shift'

2) The processes that produce the Stokes shift are different in different scintillating materials

3) This allows the scintillation light to propagate through the material and

4) Emitted photons can't be self-absorbed by exciting the material again.

ii) Self-Activated Scintillating Crystals

Chemically pure crystal has luminescence centres (probably interstitial) due to stoichiometric excess of one of the constituents. Example: PbWO₄ and CdWO₄. Extra tungstate ions are the activator centres in PbWO₄ crystals.

It is noted that for spectroscopy, e.g. NaI has high density, high Z, good photopeak, inorganic (or better still semiconductor) scintillator is suitable.

iii) Doped and Exciton Luminescence in Crystals

a) For doped crystals: the decay time primarily depends on the lifetime of the activator excited state. Examples of doped crystals: NaI(Tl), CsI(Tl), CaF₂(Eu).

b) For crystals with exciton luminescence: electron-hole pairs stay somewhat bound to each other forming an exciton. The exciton moves together in the crystal impurities or defects (activator). It is a site for recombination. Example of exciton luminescence: BGO (bismuth germanate Bi₄Ge₃O₁₂).

LED

Light emitting diodes (LEDs) are inorganic solid-state lighting source increasingly being used in display backlighting, communications, medical services, signage and general illumination. LEDs are based on the effect of electroluminescence, that certain materials emit light when electricity is applied. LEDs have no filament that heats up, instead, they are illuminated by the movement of

electrons in a semiconductor material, usually aluminum-gallium-arsenide (AlGaAs). The light emits from the p-n junction of the diode. LED television sets were much thinner and brighter than their predecessors: plasmas, LCD HDTVs, and obviously the now humongous and outdated CRT or cathode-ray displays. In this way, LED is the best outcome of inorganic luminescence.

Conclusion

Luminescence is observed in inorganic materials. In inorganic materials, activators shows an important role in imparting luminescent properties. The activators used are mostly 3d elements or rare earth ions. Important processes in inorganic Luminescence with LEDs are also studied. Semiconductor diodes can also be reformed to generate light, as in light-emitting diodes and laser diodes. In this way, LED is the best outcome of inorganic luminescence.

References

- [1] Cees Ronda "Luminescence: From Theory to Applications" WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, ISBN: 978-3-527-31402-7, 2008.
- [2] The paper titled 'Basics of organic and inorganic Luminescence' published in IJTEMR, ISSN No.2455-7773 Volume IV, Issue 1 on June 2018.
- [3] I. Fujii, N. J. Hirayama, K. Kodama Ohtani, Anal. Sci. vol. 12, 153, 1996.
- [4] R. E. Whan, G. A. Crosby, J. Mol Spectrosc; vol. 8, 315, 1962.
- [5] M. L. Bhaumik, M. A. El-Sayed, J Chem Phys; vol. 42, 787, 1965.
- [6] H. G. Huang, K. Hiraki,; Y. Nishikawa; Nippon Kagaku Kaishi (Internal Report); vol. 1, 66, 1981.
- [7] G. L. Rikken, J. A. Phys Rev A; vol. 51, 4906, 1995.
- [8] F. Seitz, "Luminescent crystals", Preparation and characteristics of solid Luminescent materials, Symp. Cornell Univ., John Wiley & Sons, INC, NY, vol. 9, 1948.
- [9] (a) R.P. Johnson, J. Opt. Soc. Amer., vol. 29, 387, 1939. (b) R.P. Johnson, Phys. Rev., vol. 55, 881, 1939.
- [10] M. Kobayashi (KEK), Introduction to scintillators, 17 November, 2003.

02

Foreign Direct Investment

Dr. Fulsing Navalsing Mahajan

Abstract:-

After the post reform period, the development of India is started with rapid speed. In 1991, India accepted globalization, privatization, and liberalization and because of this Indian market is open for everyone. India's current prime minister, Mr. Narendra Modi, is inviting foreign investors to invest their capital in India. Without complete utilization of our resources, we cannot make a developed India. For this utilization we require a lot of investment in our projects. This requirement is fulfilled by foreign capital every time.

As in the most of the developing countries, the perceived benefits of foreign direct – investment (FDI) have led to a heavy emphasis being placed on attracting large sums of FDI to India in the post liberalization period. FDI refers to the net inflows of investments to acquire a lasting management interact in an enterprise operating in an economy other than that of the investor. Foreign Direct Investment is defined as a long term investment by foreign investors in an enterprise resident in an economy other than that of the investor. FDI flows have increased dramatically in last few decades. As a result of removal of restrictions and implementations of policies to attract FDI inflows in developing countries, particularly in Asia, trade and investment have become increasingly intertwined. As such, there have been growing calls for a multiple framework of foreign investment rules to be negotiated under the auspices of the World Trade Organization

(WTO).

Objectives:-

- 1) To define Foreign Direct Investment.
- 2) To know the importance of foreign capital in development of country.
- 3) To know how does foreign investment help to make India.

Hypothesis:-

- a) Foreign investment helps for industrial growth.
- b) Foreign capital helps to make India.
- c) After post reform period, India is developing rapidly.

Research methodology:-

Data is collected from various company magazines different newspapers, various books and websites. Sample is selected as per randomly.

Introduction:-

FDI plays a multidimensional role in the overall development of host economies. It is widely discussed in literature that besides capital flow FDI generates considerable benefits such like employment generation, acquisition of new technologies and new knowledge and human capital development. There also have some other benefits like contribution to international trade integration, creating more competitive business environment and enhanced local enterprise development, flows of ideas and global best practice standards and increased tax revenues from corporate profits generated by FDI. FDI plays an important role in raising productivity growth in sectors in which investment has been taken place. In fact, sectors with higher percentage of foreign firms have lower dispersion of productivity among firms. This indicates that the spill-over effects helped local firms to attain higher levels of productivity growth. Besides being an important source for diffusion of technology and new ideas, FDI plays more of a complementary role than substitution for domestic investment. FDI tends to expand the local market alternating large domestic private investment.

Further, FDI has a strong relation with increased export from host countries. It also

tends to improve the productive efficiency of resource allocation by facilitating the transfer of resources across different sectors of the economy. In general, a very little empirical evidence is available on the impact of FDI on rural economy and on poverty in particular. However, in recent times there has been increasing interest in studying the linkage between growth and poverty. FDI inflows are associated with higher economic growth, which is critically important for poverty reduction. It has been found that FDI had a positive impact on poverty reduction in areas where the concentrations of labor-intensive industries were relatively high. The impact of FDI has been found to be stronger in the countries with higher education levels. However, FDI may indirectly benefit poor by creating better employment and earning opportunities for the unskilled workforce in developing countries.

Importance of FDI

The host country aspires to receive FDI inflows because of the potential benefits, the most established benefit being that FDI supplements the domestic savings of a nation. Other payoffs include access to superior international technologies, exposure to better management and accounting practices, and improved corporate governance. FDI is likely to expand and/or diversify the production capacity of the recipient country which, in turn, is expected to enhance trade. On the other side, foreign investors are motivated by profits and access to natural resources. Therefore, large and growing domestic markets are likely to receive more FDI. Countries with abundant natural resources such as mines, oil reserves and manpower appear prominently on the investment maps of foreign investors.

While the objectives of FDI can be different from the home and the host country's perspectives, one of the major aims of attracting FDI is overall development of the recipient country keeping some specific strategy in view. This can be done by achieving higher FDI inflows, maximizing technology spill-over into the domestic economy, or imposing local content

requirements.

FDI in India

Starting from a baseline of less than \$1 billion in 1990, a recent UNCTAD survey projected India as the second most important FDI destination (after China) for translational corporations during 2010-2012. As per the data, the sectors which attracted higher inflows were services, telecommunication, construction activities and computer software and hardware. Mauritius, Singapore, the US and the UK were among the leading sources of FDI.

In India, as a part of economic reform, many of the states are simplifying the rules and procedures for setting up and operation of the industrial units. Most of the states, in addition to Single Window System, provide various kind of incentive for attracting investment in the new industrial units as well as the existing ones. The incentives may sector-specific or region-specific. While it is common among the Indian states to offer incentives to IT/TeS, Biotechnology, tourism and the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sectors, at time special incentives are also offered in industries such as textile, food, fisheries, film, healthcare, electricity generation etc. Most of the sector-specific incentives in India take the form of exemption from stamp duty, registration fees, electricity duty and various types of taxes. SEZ also enjoys various incentives mainly in the form of various duty exemptions. The direct tax benefits include exemption from commercial tax, sales tax, value added tax(VAT), entry tax, special entry tax, luxury tax, entertainment tax, property tax, purchase tax etc., depending upon the industry in concern. Exemption of entertainment taxes in the tourism sector.

Empirical evidence in the context of European union revealed that multinationals, while making their location choices, focus their attention to the overall tax burden rather than on single corporate tax rate, that provides only partial information. In view of this, in this study, the states own tax revenue as per cent of NSDP has been used to assess the impact of tax structure on FDI flows.

The local policy environment is mainly characterized by policies towards FDI, tax

structure and investment incentives provided by the local government to attract FDI. Over the past few decades, many local governments all over the world have been actively involved in improving the policy environment for promoting their countries as attractive destination for foreign investors. Those governments have adopted a host of measures viz. liberalization of laws and regulations for admission and establishment of foreign investment projects, provision of guarantees for repatriation of investment and profits, establishing mechanism for the settlement of investment disputes and extending tax incentives to facilitate and attract foreign investment flows to their countries

India is the fifth largest economy in the world (ranking above France, Italy, the United Kingdom and Russia) and has the third largest GDP in the entire continent of Asia. It is also the second largest among emerging nations. India is also one of the few markets in the world which offers high prospects for growth and earning potential in practically all areas of business. Yet, despite the practically unlimited possibilities in India for overseas business, the world's most populous democracy has, until fairly recently, failed to get the kind of enthusiastic attention generated by other emerging economies such as China.

Trends in FDI Inflows to India

Year	FDI(US\$ million)	FDI(SDR million)
2000	2347.0	1778.2
2001	3520.2	2762.6
2002	3358.7	2615.6
2003	2078.4	1481.7
2004	3212.6	2171.1
2005	4353.7	2963.7
2006	11117.2	7525.9
2007(up to June2007)	8128.6	5389.0
Total	38116.4	26687.8

Source: DIPP, Ministry of Commerce and Industry Of the total approved FDI flow in India, Maharashtra accounted for largest proportion with 46% followed by Gujarat with 15% and Delhi with 7.7%. The other states with significant and large investments were Andhra Pradesh

Karnataka and Tamilnadu. The presence of export processing zones was found to be a relevant pull factor in attracting export-oriented FDI. Infrastructure and regional are found to be key factors in attracting higher FDI, both in the export and domestic market seeking sectors. Examining industry-specific spill-over effects, Bergman (2006) has shown that pharmaceutical MNCs in India made positive contribution to the growth and development of the industry. FDI benefits the host country in a number of ways. In the Indian context, there is a perception that the flow of FDI either through Greenfield investment or mergers and acquisitions and their associated benefits are concentrated only in urban/metropolitan areas.

State wise distribution of Approved Foreign Capital Investment (From August 1991 to August 2004)

State	No. of financial Collaborations	Approvals amount (Rs in million)	Share in Total amount %
Maharashtra	3655	366020	14.78
Delhi	2457	303040	12.24
Tamil Nadu	2041	225830	9.12
Karnataka	2085	188180	7.60
Andhra Pradesh	1010	116090	4.69
Gujarat	658	111770	4.51
Madhya Pradesh	187	99080	4.00
Orissa	91	82290	3.32
West Bengal	481	77900	3.15
Uttar Pradesh	562	49520	2.00
Haryana	552	38750	1.56
Rajasthan	240	29110	1.18
Punjab	139	21240	0.86
Kerala	262	17810	0.72
Himachal Pradesh	42	11740	0.47
Goa	210	9980	0.40
Bihar	54	8860	0.36
Assam	4	10	
Jammu and Kashmir	2	80	
Others	235	17970	0.73
Total of the Above	14967	1775280	71.68
State Not Indicated	3515	701360	28.32

References:-

1. Goyal S. K. et. al.(1994), Foreign Investment Approvals: An analysis (August 1991-July 1993), New Delhi: Institute for studies in Industrial Development.

2. Goyal S. K. et. al.(1995), Foreign Investment Approvals and Implementation Status : A Review, August 1991-December 1994, New Delhi ; Institute for Studies in Industrial Development

3. Mahendra Dev S. (2004), 'Post-reform Regional Variations', Seminar, Issue Number 537, May.

4. Padhi Satya Prasad.(2002), 'Attracting Foreign Direct Investment: A Regional Perspective', Foreign Trade Review, Vol. 37, No. 3-4, pp.32-47.

5. Bajpai Nirupam and Sachs Jeffery D(2001) ; 'Foreign Direct Investment in India : Issues and Problems', HIID, Development Discussion Paper No. 759, March

6. Chandra Nirmal (1991); 'Growth of Foreign Capital and importance in Indian Manufacturing', Economic and Political Weekly, Vol. 26, Nos.11-12.

7. Working Papers

i) Emerging Structure of Indian Economy: Implication of growing intersectoral imbalances, T. S. Papola.

ii) Foreign Trade Policy: Content and coverage, T. P. Bhat.

iii) National Trade Policy: What it implies? T. P. Bhat.

iv) Foreign Portfolio Investments and the Indian Stock Market Boom of 2003-04: A note, K. S. Chalapati Rao.

v) Foreign Institutional Investments and the Indian Stock market, K. S. Chalapati Rao, K. V. K. Rangnathan and M. R. Murthy.

vi) Foreign Direct Investment, K. S. Chalapati Rao and M. R. Murthy.

vii) Foreign Direct Investment in India since Liberalization: An Overview, K. S. Chalapati Rao, Biswajit Dhar and M. R. Murthy.

viii) Foreign Private Capital: Penetration through Collaborations, M. R. Murthy, K. V. K. Rangnathan.

ix) Place of Foreign Controlled enterprises in Indian Manufacturing: Overall and Sectoral Shares, Nagesh Kumar.

x) Foreign Controlled Companies in the Indian economy: An Attempt at Identification, Biswajit Dhar

Constraints of Schedule Tribes in perusing Higher Education: A study of Padmapur block of Rayagada district, Odisha

Dr. Bilash Chandra Montry

Abstract

This paper attempts to highlights different constraint of Schedule Tribes which is affecting to pursue higher education. Majority population of the Rayagada District is constitutes Schedule Tribes. Almost all belong to poor family and in remote area so they are unable to reach to the mainstream of the society. They are still lying below poverty level. As compared to other community Schedule Tribes are far behind in education as well as social activities and development. The tribes have been confined to low status and are often physically and socially isolated instead of being absorbed in the mainstream the society. They are products of different historical and social conditions. They belong to different racial stocks and religious backgrounds and speak different dialects. Discrimination against women, occupational differentiation, and emphasis on status and hierarchical social ordering that characterize the predominant mainstream culture are generally absent among the tribal groups. However, the mainstream population of the society considers the general tribal population as primitive, technologically backward, and illiterate. All the constraints are the root cause of tribals in perusing higher education.

Key words: Higher education, Schedule Tribes,

Constraints

1. Introduction & Review of literature

Education plays the vital role through aims and habits and culture sustains from generation to generation. It is the process through which the society deliberately transmits its collected knowledge, skill and value from generation to generation. With the knowledge and skill level of education extended and contributes to increase in national productivity. One who is having good education he can accumulate skill, knowledge which will be beneûcial to their society. The problems arises from some need or obstacle or accumulation of frustrations or maladjustments and sometimes all of these to gather, which threatens or has already attacks the adequacy of the person's living situations or the effectiveness of his efforts to deal with it. All these constraints creating more problems for schedule tribes educated youth in perusing higher education.

Prasad (1991) who found that the tribe's men desire an education which may enables them to fit in to the modern world. Most of the students are dropping their education because of lack of suitability of present education with the tribal culture. The author suggested that the tribe's men should concentrate more on skilled occupations.

Tapse (1995) Enumerating the difficulties likely to be experienced in the field of higher education among the tribal students recommended the remedial measures by which these difficulties should be overcome. He pleaded that tribal education must conserve and develop the aboriginal culture and religion.

2. Sources of data collection

Data collection is done by direct interview method where respondents directly response questionnaire; the interview schedule is composed with open- ended questions. A qualitative study is done for the same.

3. Strategy of Investigation

This study was conducted in Padmapur

block of Rayagada district of Odisha. Purposive sampling technique was adopted for selecting the sample of 80 ST educated youth. The tool used for obtaining information was an interview schedule. Case study and in-depth interview was also done to validate the quantitative data with qualitative. The secondary data was collected through review of different documents.

4. Data analysis and Result

4.1. Low economic status: - Figure 1 depicted that low economic status is the major problems among the tribal educated youth, due to this reasons they are facing difficulties in pursuing higher education. Tribals enjoy low socio-economic status. Miller (1988) has identified four major classes of variables such as cognitive variables, physical variables and motivational variables where disadvantaged learners show poor performance as compared with the advantaged groups.

4.2. Linguistic problems

Problem of learning English: - Tribals need for English is great, they face problems in learning than their non-tribal counterparts. For tribals their typical use of regional languages interferes with English. (Figure 1)

Problems in learning to read: Tribals have long oral tradition. Their culture is oral. Their history, myths and traditions are orally handed down from generation to generation. Most of the language does not have scripts of their own; their oral tradition still continues to exist. (Figure 1)

4.3. Psychological problems: - Financial problems of the tribals always make the tribals in a very depressed condition. They have lots of wants and but the means to satisfying them is very less. It leads to many psychological issues (Figure 1)

4.4. Academic and administrative problems: - Even though the number of programmes for the upliftment of tribal education is many, the percentage of people receiving these benefits is very less. Administrative authorities are

always showing very neutral attitude towards the education of the tribals. (Figure 1)

4.5. Indifferent attitude of tribal teachers:

Teachers do not take much effort to improve the educational level of the tribal students. Lack of communication, high level of absenteeism in the class, bad result in study, lack of attention in classroom by the tribals are some of the factors that has increased the indifferent attitude of the teachers towards the tribal students.

Tribal education has many problems to face as hindrance for development. (Figure 1)

4.6. Social Problems

As Figure 1 revealed that 20% of tribal educated youth are believed social problems as an obstacle in perusing higher education. Following are the major indicators of the social problems identified in the study.

Tribal concepts of pleasure: Tribals are giving more importance for their pleasure such as dance, music and other types of entertainments prevalent in the society.

Existence of ethnic stereotypes: Stereo typing is a natural and inevitable. It helps us to organize life. But such typing turns in to prejudice or stereotypes when based on little facts and it is used as a mechanism to establish the myth of racial or cultural superiority.

Tribal concept of learning: In most of the tribal cultures learning is an active pleasurable event mostly carried on among peers. But the existing system of education does not take in to account their learning style.

Indifferent attitude of tribal parents: Tribal parents are mostly illiterate. They always show a very indifferent attitude towards the education of their children. They are interested in providing household responsibilities to their children a very early stage of their education.




Figure 1 represents no. of respondents facing various obstacles in perusing higher education

4.7. Economic Problems

The economic problems are the main obstacle of the ST educated youth in pursuing higher education. From the economic point of view their position has been very miserable because of lower occupation. Some time their landless labourer; they had to utilize the land of their landlord without any payment. As it is found in this study the most respondent's family occupation is agriculture and daily labourer for which the respondents are facing financial problems for pursuing higher education. (Figure 2)




Figure 2 represents no. of respondents facing financial problems in perusing higher education

4.8. Source of Income:

Family source of income of respondents was first analyzed to find out if they have to face economic problems for pursuing higher education. It was observed that 55% of respondents are doing farming and 44% of total percentages are daily laborer. As it is seen the monthly income of the parents are very low. When I visited the parents of a few respondents in their villages, their poor economic status was clearly visible from the thatched roofs and mud walls of their houses. The parents are admitted that it was very difficult for the villagers earning livelihood from daily labour to afford education for their children. Thus, a financial problem is a major bar for higher education of ST educated youth.




Figure 3 represents sources of Income of the respondents

4.9. Opinion about Scholarships

It is an economic package of Government to reduced economic hardship of the students in their study. It is awarded to every ST student's studying in a school and colleges. The scholarships awarded at different trades for different courses as per the Government of India's scheme. Scholarships to ST students are a thrust area of ST development departments, activities in the state. Hence in the present study it is imperative to know the scholarship is sufficient for them or not for their higher study. The following figure explains the opinion of the respondents regarding this scholarship.




Figure 4 Represents distribution of respondents on the basis of their views related to the scholarship.

Students were asked question regarding Post-Matric Scholarship. They replied that 65% of respondents said not sufficient whereas 35% of respondents say sufficient. Hence it is found that the scholarship is not sufficient for their study but they expressed that scholarship reduced their economic hardship.

5. Conclusion and Recommendations

This study reûect the reality of the socio-

economic and cultural factors among tribals can be outlined as poverty and poor economic conditions, social customs, lack of awareness and understanding of the value of formal education, conflict and gap between the home and educational institution, etc. Studies on educational deprivation of tribals have inevitably linked it to their poor economic condition and poverty. Education of tribals cannot be left to short-term plan strategies. It is important that planners take a long-term view which is embedded in a meaningful policy framework. The most important need to improve the educational status of STs is to improve the strength of the students from lower level to higher level of educational system. Following are some important recommendation to improve the tribal education.

- Focused should be on quality and equity rather than quantity in educational system. The prime focus should be on provision of quality education that makes tribal communities economically effective and independent.

- In order to make education effective and sustainable, building 'Rural Community Engagement' between the educational institution and community is important

- Skill development, competency building, and teacher's motivation also need to be strengthened for sustaining educational development. The teacher should be made the centre of educational transformation, and therefore, must remain the primary facilitator.

- In a broader level the first step to improve and to increase tribal's participation in Higher education is to improve their interest in study even from the primary level. Motivation classes, awareness programmes, special incentives, more number of educational institution in tribal areas. That will produce more opportunity in higher education.

tribal cultures", 'Indian science Congress, New Delhi, 199, pp.34-45

- Alaxander K.C, Prasad R.R and Jahagirdar, M.P. Tribal Education and Tribal Development", Tribal culture in India. Rawat publications, New Delhi. (1984), pp.23-29'

- Bapat N.V, "A few thoughts on Tribal Education", Vanyajathi Journal,(1994), pp.54-49'

- Budhadeb chauthari., Contemporary Society in Tribal Studies, Tribals in Meghalaya, Concept publishing company, (1987).

- Chauthari. (1992). "Socio-Economic and Educational development", India Publications, New Delhi, pp.22- 34.

- Christoph Von Haimendorf, The problems of Tribal education, Tribes of India, the struggle for survival, Oxford University Press, Walton street, Oxford OX26DP, pp.67-74.

- Haimendorf, The problems of Tribal education, Tribes of India, the struggle for survival, Oxford University Press, Walton street, Oxford OX26DP, (1990).

- Nayar P.K.B,(1995). Evaluation of the educational facilities of Scheduled caste and Scheduled tribe students in Kerala State. Tribal empowerment conference, Trivandrum, Kerala

- Roy Burman, B.K, "problems of tribal language in education-A supplement to the special problems of tribes", vanyajathi, (1996)

□□□

References

- N.K Ambasht, " Impact of education on

The Prophet

Dr. Md. Nurul Amin Sheikh

Assistant Professor,

Halakura College Halakura, Dhubri, Assam

Affiliated to Gauhati University

'The Prophet' is a book of twenty six prose poetry fables was written by Lebanese-American philosopher and writer Gibran Khalil Gibran. The most popular masterpiece 'The Prophet' was published in Arabic for the first time in 1923 which has been translated into more than twenty languages around the world. The book is consisted in twenty six poetic essays on spiritual and philosophical thoughts. 'The Prophet' is describing on eating and drinking, marriage, joy, sorrow, working, housing, buying, selling, law, love, nature, beauty, pleasure, crime, punishment, freedom, good deeds, evilness, religion, death, and prayer which inspires of human heart and soul.

I have read this book twice which has imagined me; the book is beautiful and really exceptional piece of Gibran's contribution. In this book Al-Mustafa seems to voice Gibran's own spiritual teaching which are known prophetic tone against the evils. 'The Prophet' is an important book and the greatest achievement of Gibran which he kept the manuscript copy with him before it published desire to obtain further instant inventiveness. Gibran in 'The Prophet' represents the unacceptable social practices in his writing of the greatest masterpiece. Each of twenty six prose poetry fables in the sense he represents on the aspects of life, universal problems and image of a world. The Prophet is considered as the most popular book is composed in the form of prose poetry which his

views on the aspect of life, nature and problems regarding human behavior more precisely emphasizes on the life lessons through the character of Al-Mustafa. He views on al-Mustafa who acts as a Prophet from all religious when the Prophet's dramatic performance teachings. All the characters of 'The Prophet' except Al-Mustafa further sample of the warped society. Al-Mustafa the beloved around whom the story treat as the most important element has exhausted twelve years of his youth in Phalse perform duties as the peoples talk persistently, flame, seeker of tranquility and guardian of the night. He was asked by the people of the island to share his wisdom on the substantial questions of life like love, family work and death. There are twenty six questions regarding heterogeneous aspect of life, each question separately, Al-Mustafa shows a general inclination to show through on expression to nature and everyday activities, the reciprocal relation of life, who inadequate many of the conventionalities and diminution peculiarities like human institutions as law and religion. Al-Mustafa inspires the people, middle aged, young, rich and poor, both male and female to respect the whole life beneath God and in accordance with the acceptable norms of a society accordingly.

Khalil Gibran in his book 'The Prophet' traces his pure philosophical thoughts and views which I read out carefully and courteously is important is suggested something would be good and suitable for particular job. Through reading this it can be found lot of important words and thoughts that is noticed, who will read he would get the meaning of the spiritual love. Gibran's philosophy is presented in 'The Prophet' as a poetic on the Mount by the Prophet Al-Mustafa who returns to imaginary the birth place of the Prophet. Gibran evidences to the people of work buying and selling, death, love, marriage, children etc, in everyday life. His speaks on marriage can be found and strained moving piece. His speaks on children is heart

touching where he emphasized that your children are not your children instead of they are the son and daughters of life's longing for itself because they comes through us not from us. The feelings written in this book on spiritual feelings, not as a religious book he comprehended the best of Christianity, Judaism and Muslim teaching. The Prophet signifies on love, life and families on important life and all kinds of issues which are reflects in their life where the prophet Al-Mustafa gives the advice. Gibran indicates the universal love and unity are healing powers as his views a fear of God as spiritual in every segment of the universe.

'The Prophet' is quiet acceptance, majestic rhythm of philosophy draws the beautiful accomplishment made an incredible gift to everyone, mind provoking and truly amazing and its every line has deep meanings. Gibran's exceptional masterpiece which gives a special place in everybody's mind because it always takes everyone away from the inconsequential worries of human life. The book grasps the meaning of some of the episodes which are pretty nice and strong urge to learn from every episode; having poetic discourse, concise, rich and metaphoric into the relationship among the peoples. Gibran as a mystic writes on the Prophet described the unity of existence describing a coming to gather of essentially different kind of views, organized religion but he focused his inner spiritual self and culture into the mystic, the clear and sharply defined very nicely on seeing and to identifying by means of senses, awaking and the relief on individual opinion based on how things seem. The language of this book promotes all the ideas of unity in the diversity, love and unity. In the negative views of Gibran on Western and Eastern society he presented both the philosophical and religious approaches. He endeavour to up skill people in the way of life that should be in the world as it reality in all ingredient, teaching on ethics based on

indubitable religious doctrine. Khalil Gibran's teaching to distinct people of society of the then existing time morality but he did not teach for any crier for political and other power in society. In the prophet he depicts four vital cultural institutions, the fictional approach how a thing in real life of a man in different ways oppresses. The poetic prose is beautiful and graceful that emphasized on every soul and leaves us wishing us too overwhelming and lovely way. I am individually very happy to read this book, so I recommended to it to be on every reader because I know it will joy captivate and reality.

Book Review

The Prophet by Khalil Gibran, Rajpal & Sons, New Delhi, India, 2015, pp. 112, ISBN-9788170287636. Rs. 95



Blended Learning: Role of digitalized Approach with special Reference to ICT

Ms. Pronita Rajkhowa

Dept. Education, Assistant Professor,
Majuli College Kamalabari

Objectives:

1. To define blended learning.
2. To focus on the digitally delivered learning and to combine modes of best technologist to accomplished an educational goal.
3. To access and aware about the pre requisites and assumption of digital literacy.
4. To combine information and communication technology with learning strategies in blended mode.

INTRODUCTION:

The first generation of E- learning are web based learning programme focused on presenting physical classroom based instructional contract over the internet. Furthermore first generation e- learning (digitally delivered learning) programmes tented to be a classroom based courses. In the second wave of the learning increasing numbers of learning designers are experimenting with blended learning models that combine various delivery modes. Anecdotal evidence indicates that blended learning only offers more choices but also is more effective.

Meaning of Blended Learning: Garrison and Vaughan (2008) defined blended learning as the “Organic integration of thoughtfully selected and complementary face to face and online approaches and technologies”. John Watson of

North America council for online learning said that “it is likely to emerge as predominated that either one alone”.

As such the term blended learning refers to four different concepts. They are,

- i. To combine or mixed modes of web based technologies.
- ii. To combine various pedagogical approaches to produce an optimal learning outcomes without instructional technology
- iii. To combine any form of instructional technology with face to face instructional led training and
- iv. To mix or combine instructional technology with actual job tasks in order to create a harmonious effect of learning and working.

Blended learning refers to a mixing of different learning environments. Blended is also known as Hybrid or Mixed mode. It combines traditional face to face methods with more modern technology computer mediated activities. A blended approach could include meeting face to faceless and incorporating online learning activities or structuring activities around online resource and interaction with distance learner.

Why blend ?

Using blended learning benefits the learner, the training staff organization’s bottom line. Blended learning allows them to supplements or complements existing courseware rather than replace it.

There are many reasons why an instructor, trainer, or learner might pick blended learning over other learning options. Osguthope and Graham (2003) identify six reasons why one might choose to design or use a blended learning system. They are pedagogical richness, access to knowledge, social interaction personal agency, ease of revision.

In the blended learning combines “the best of both words”. While there is some truths to this, it is rarely knowledge that a blended

learning environment can also mix the list effective elements of the both words if it is not designed well. Beyond this general statement, Graham et. Al. (2003) found that overwhelmingly people choose blended learning for three reasons which include: (1) improved pedagogy, (2) increased access/flexibility and (3) increased cost effectiveness.

How to Blend ?

(1) By ranking of course design, (2) New approaches to teaching, (3) Dual learning environment. (4) Preparing students.

Benefits of blended Digital Approach in Teaching : The digital age has completely changed the scenario of teaching learning, basically in higher education. It shows the following beneficial features:

- Improve access to up-to-date institution and course information.
- Faster response to initial enquiries and streamlined application processes.
- More opportunities to interact with course materials and resources, leading to greater engagement and enhanced opportunities for success ;
- Greater flexibility in course scheduling;
- Increased technical skills in self directed learning leading to greater learner autonomy.
- Improve in delivering lecture in face to face mode or other.
- Enhanced support for transition into higher education.
- Responsive programmes that meet learners' and employers' needs.
- Increased opportunities for learners to demonstrate range of achievements and prior attainments.
- Flexible way of delivering the curriculum and assessment and providing learner support.
- Learners can choose in the timing and location of study.
- Rapid and timely feedback that

promotes reflection.

- Improve data collection and transfer across processes.
- Providing quality education in flexible and innovative way.
- Meeting the expectation and needs of students through an enhanced learning experience.
- Maximizing the value investment in learning technologies, content and services, etc.

CHALLENGES AND ISSUES:

There are many challenges and issues also pertaining in digital approaches:

ICT Illiteracy: It is an age of information and communication technology, but a large number of teachers at all levels are ICT illiterate. The students being latest generation are excelling the teachers in ICT being, better exposed to ICT.

Digital Learning system in slow pace: Most of the libraries countrywide are house of hard books and journal. There is a need to enrich the libraries through e-book, e-journals, CDs, DVDs, and digital networking. Information explosion and constant geographical space demands storage of the learning resources to be in the digital form, the e-form. There is a need to modernize school, college, university and public libraries. The educational survey by the various agencies and apex institution, such as, NCERT, ICSSR should obtain digital forms for easy storage and retrieval. Teachers & scholars should orient themselves in producing learning resources and research resource in digital form.

3Rs to ICT literacy: The days are gone merely reading writing and arithmetic. Modern society needs ICT literacy. Creation and communication of any message far and wide should find technology base.

Teacher and Educational Technology: Every teacher in this information age ought to be educational technologist. Education has not been in a position to keep pace with the technological evolution. We still have the luxury of chalk and talk. There is technological

evolution in teacher education. There is a shift from bachelor of teaching to learning, that too, and bachelor of e-learning.

Finally, challenges exist beyond the system. A national policy on the adoption and implementation of blended learning in higher education would facilitate innovation across jurisdictions, and generate savings or other positive outcomes that would strengthen the system.

Limitations: Following limitations of blended learning and digitalized approach

1. Before a blended learning a blended learning scenario can be considered ready for use, the lecturer or teacher has to do long, detailed and extensive work. Preparation for startup is very time consuming.

2. There can be limited contact between teacher and student.

3. Based on what students are used to, they often prefer the paper version of the material.

4. The materials developed by the teacher cannot simply be the same that they had developed for handouts. The additional task requirement of the teacher is yet to be appropriate for.

5. Students sometimes feel that they are given more work to do when distance modalities are used.

Conclusion:

A large number of teachers feel alienated and lonely in this digital age of networking and globalization. It is because we do not have technology integrated education. We travel through the media crowd without being sensitive to it. We need to modernize temporally, spatially, logically, epistemologically and technologically. Technology can facilitate our transition from dots to glob and point to morphology. Technology can multiply the speed and life span. It can facilitate fast, full, meaningful life and living.

Higher education institutions are increasingly taking steps to adapt courses and

curricula to support blended learning in their strategic plans, technology development practices. They are increasingly realizing the value of blended learning better competitive position.

Recently, our honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has introduced the concept of e-governance and mobile governance on the 67th anniversary of our Independence Day. The central cabinet also has taken a decision for Digital India and e-governance and decided to launch broadband facilities to each other gram in India. The concept of Digital India will bring revolutionary changes in governance, banking, business, manufacturing and retailers as well as in the educational sector to promote the benefits of common man. In the future, our teacher education programs are updated with the concept of e-learning and e-governance which will be effective and economic growth.

REFERENCES:

1. Glazer E., Hannafin M. J. & Songs L. (2005), "Promoting Technology Integration through Collaborative Apprenticeship" Educational Technology Research and Development. Vol.53No.4
2. Malik Sadaket (2009) : e-learning in India "the electronic way of learning."
3. Mohikar Dr. P. M. (2012) E-learning meaning: Meaning and scope in quest of Bharatiya Shikshan, Bharatiya Shikshan Mandal Prakashan vol. 21, no. 2, 2012.
4. NCTE(2004): Some special issues and concerns of teacher education.
5. University News: A weekly journal of Higher Education, vol. 52 No. 34 August 2014, Vol.53 no. 9 & 10 March 2015.




Role of TRAI in Indian Telecom Sector - An Overview

Dr. H. S. Bhatiya

HOD Commerce,
Government Digvijay College
Rajnandgaon (C.G.)

Prof. Shaikh Tasleem Ahmad

Asst. Professor Commerce,
Govt. Naveen college Plai Korba (C.G.)



Introduction:

The Telecom regulatory Authority of India (TRAI) is founded approx 22 years ago on 20th February 1997, through an Act named telecom Regulatory of India Act 1997 passed by parliament of India. It is a statutory body which functions as a regulator of telecommunication sector in India. Before the establishment of TRAI, telecom services and tariffs were regulated by Central government of India. This agency consists of one Chairperson not more than two full-time members and not more than two part-time members. The present Chairman of TRAI is Ram Sewak Sharma. TRAI's aim is to create and maintain environment for development of telecommunications in India to enable the country to have a vibrant role in the emerging worldwide information society. One of main objectives of TRAI is to provide a competitive and transparent environment that availed a level

playing field and facilitates fair competition in the market.

Objective of the study:

Through this study we will try to understand the functions, administration, of Telecom Regulatory Authority of India and its impact on Indian telecommunication sector.

Methodology:

This research is descriptive in nature. Data are collected mainly from secondary sources especially from websites, journals, and research papers.

Administration of TRAI:

Administration of TRAI took place through a Secretariat, and a secretary is the head of it. The secretary processes all the proposals, and organizes the agenda for Authority meetings (after consulting with the Chairman), prepares the minutes and issues regulations in accordance to the meetings. An advisor is there for assist him. The matters on which the TRAI work are Mobile Network, Fixed and Interconnection Network, Policy Analysis and Broad Band and, Service Quality, Cable & Broadcasting Services, Economic Regulation, Financial Analysis, Legal, International Relation & Consumer Affairs and Personnel & Administration. Officers who work under TRAI secretariat are selected from the Indian Telecommunications Service and the Indian Administrative Service. TRAI continuously issues directions and orders on various matters such as, interconnections, service quality, call and data tariffs, Mobile Number Portability (MNP) and Direct To Home (DTH) services.

Functions & Achievements of TRAI:

As stated above that TRAI is agency, made by central government and working as a regulatory body and a policy making institution. The main works of TRAI are Allotment of Spectrum: Spectrum allotment to the telecom service provider is another main function of this institution. Spectrum is allotted through auction, and it is the source of revenue for central

government.

Operate the Licensing Procedure: Issuing license to the applicant company is also done by TRAI. License is issued circle wise or all India basis according to the requirements of companies.

Maintain quality of service: This is one of the important works towards consumers of telecom services. The agency always take care to ensure efficient service quality.

To Avail Affordable Tariff: Majority of the consumers in India belonging to middle income group and cellular services are like basic needs of them. TRAI always ensures affordable tariff to Indian consumers. Therefore tariffs in India is claimed cheapest of the world.

Disposal of Conflicts: As a regulating agency TRAI authorized to dispose the conflicts either related to service providers or subscribers of communication sector.

Interconnection Regulation: Regulation of interconnections among the service provider is also an important work of this agency.

Consumer Protection: TRAI always get alert for the interest of consumers and other stakeholders also.

Beside this TRAI facilitates the consumers and service provider companies as well. It launches many applications such as TRAI CMS, DO Not Disturb (DND 2.0), TRAI My Speed, TRAI My Call and the latest TRAIAPPS. These all applications can be used for solving telecom subscriber's issues and redress of complaints as well.

TRAI has also introduced some Portals for the stakeholders such as :

B & CS Integrated Portal (BIPS) facilitates Broadcasters and Distributors to submit information related to Interconnection and other agreements. Complaint Management System TRAI CMS Portal is made available for solving complaints related to Value Added Services, it enables users to fetch details of VAS services activated on their phones. Mobile Number Revocation List (MNRL) Portal- It facilitates telecom service provider to furnish list of mobile numbers permanently disconnected from their network on monthly basis. Tariff Portal through this portal TRAI seeks feedback from consumers


/stakeholders about various Tariffs offered by Telecom Service Providers. MIS Portal It is a web portal used to upload 2G, 3G, CDMA, GPRS, etc. data by TSPs for MIS reports. TSPs upload data on this portal and after the verification of that data by concerned division of TRAI, data is transferred to the database to generate MIS reports. NCCP Portal The main objective of the National Do Not Call Registry is to control Unsolicited Commercial Communication (UCC). It is the list of all telephone numbers of the subscribers who do not want to receive UCC. The Telemarketer compulsory verify their calling telephone numbers list with the NDNC registry before making a call. TCCMS Portal This portal has been made to help the customer in lodging their complaints. It facilitates subscribers by providing details of the complaint center for doing a complaint with their telecom service provider, and details of the appellate authority to escalate the issue, if their complaint has not been addressed properly by the telecom service provider.

To maintain transparency in the industry and provide a data based information of Indian Telecom sector at regular time lag, various reports and Publications is being published by TRAI.

Challenges of TRAI:

To regulate a huge subscriber based and competitive telecom market is one of the challenging tasks for this institution. Indian telecom market is most competitive market of the world, after the entry Reliance Jio competitiveness is touching new heights continuously.

Table 1- Company wise Market Share Table-2 Sector wise Market Share



At present 4 companies are operating telecom services in the market named Airtel with 28.35%, BSNL & MTNL with 10.48%, Vodaphone-Idea with 29.12%, and Reliance Jio 32.04% market Share (Table-1). The rest of the

companies came out from the all India operative market, due to cut-throat competition. If we talk about Private sector and Public sector composition it is 89.51% and 10.49% respectively (Table- 2).

Table-3 Area wise Subscribers Table - 4 Cellular and Fixed Line subscribers



As the press note released by TRAI on 16 Jan 2020, total number of telephone users (Cellular+ Fixed line) in India is 1175.88 million, in which 509.89 million are from Rural India, and 647.33 millions are from Urban India (Table-3). The tele-density in India is reported 88.90%. India is the second largest telecom market of the world after China on the basis of subscribers. Insuring Adherence of rules and regulations among cellular companies with maintaining service quality and resolving their conflicts, as well as protecting the consumer rights, taking initiatives for them are some challenging tasks which are being efficiently done by TRAI.

Conclusion:

TRAI has significantly contributed in the development of telecom services, resulting in increase in number of consumers and availability of efficient network of the telecom services by the service providers all over the country. As a result of these measures improvement shown in overall benefits to the consumer in terms of choice of services, affordable tariff of telecom services, and TRAI continuously monitor quality of service provided by Service Providers against the benchmarks laid down for the various quality of service parameters through Quality of Service Regulations issued from time to time, through quarterly Performance Monitoring Reports (PMRs) submitted by service providers. TRAI also assess the Quality of Service of Cellular, Basic and Broadband Services through independent agencies. TRAI also conduct a customer

satisfaction survey by every quarter. The results of these audit and surveys are published for public/Stakeholders knowledge. TRAI has been following up with the Service Providers for addressing deficiencies to achieve the Service quality benchmarks.

References:

Books:

The Telecom Revolution in India-
Vardharajan Shridhar.
Mobile and Personal Communication in
India-Raj Pandya.

Websites:

www.traai.gov.in
www.wikipedia.com
www.slideshare.com
www.lbp.world

Newspaper:

Nav baharat chronicle,
DNA Bhaskar,
The Hindu.



Case study approach towards Cyber bullying

Dr. Pratima Singh

Principal,

Chandrabhan Sharma College of Commerce

Powai, Mumbai

Introduction

Cyber bullying is the harassment or bullying executed through digital devices like computers, laptops, smartphones, and tablets. The platforms where cyber bullying can occur include social media, chat rooms, and gaming platforms where people can view and participate in the sharing of content. The different types of cyber bullying involve causing humiliation through hateful comments on online platforms/apps, or through SMS or messaging. It comprises posting, sending or sharing negative, nasty or false information about another individual for causing humiliation and character assassination.

Objectives:

1. To understand the pros and cons of cyber bullying.
2. To analysis the case the method.

Review of Literature:

About one third (32%) of all teenagers who use the internet say they have been targets of a range of annoying and potentially menacing online activities – such as receiving threatening messages; having their private emails or text messages forwarded without consent; having an embarrassing picture posted without permission; or having rumors about them spread online. Depending on the circumstances, these harassing or “cyberbullying” behaviors may be truly threatening, merely annoying or relatively

benign. But several patterns are clear: girls are more likely than boys to be targets; and teens who share their identities and thoughts online are more likely to be targets than are those who lead less active online lives. Of all the online harassment asked about, the greatest number of teens told us that they had had a private communication forwarded or publicly posted without their permission. One in 6 teens (15%) told us someone had forwarded or posted communication they assumed was private. About 13% of teens told us that someone had spread a rumor about them online, and another 13% said that someone had sent them a threatening or aggressive email, IM or text message. Some 6% of online teens told us that someone had posted an embarrassing picture of them without their permission.

Incidents of Cyber Bullying in India

In November 2017, an MBBS student in Kerala jumped to her death from the highest floor of her college building. An examination of her Facebook profile showed her displeasure over the nasty comments made one of her peers. Police suspect that cyber bullying provoked her to take this extreme step.

In February 2017, the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) attacked students at a literary event in Delhi’s Ramjas College.

At that time, little did a 20-year-old student from Lady Shri Ram College, Delhi, imagine that her online campaign against the violence would change her life forever? The student, Gurmehar Kaur, has ever since been trolled and abused extensively on social media platforms. Worse still, she has even been receiving death and rape threats!

This is just another example of the ugly state of cyber bullying in India. Sadly, each day yet another innocent life is subject to online torments and cyber bullying in India.

Analysis of Case Study:

1. About 37% of young people between the ages of 12 and 17 have been bullied online. 30% have had it happen more than once.

2. 75% of teens in India. are online, and the vast majority access the internet on their mobile device, making it the most common medium for cyber bullying.

3. 23% of students reported that they've said or done something mean or cruel to another person online. 27% reported that they've experienced the same from someone else.

4. Girls are more likely than boys to be both victims and perpetrators of cyber bullying. 15% of teen girls have been the target of at least four different kinds of abusive online behaviors, compared with 6% of boys.

5. About half of LGBTQ+ students experience online harassment — a rate higher than average.

6. Instagram is the social media site where most young people report experiencing cyberbullying, with 42% of those surveyed experiencing harassment on the platform.

7. Young people who experience cyberbullying are at a greater risk than those who don't for both self-harm and suicidal behaviors.

8. 83% of young people believe social media companies should be doing more to tackle cyberbullying on their platforms.

9. 60% of young people have witnessed online bullying. Most do not intervene.

Impact of Cyber bullying on students

- Those who are cyberbullied are also likely to be bullied offline later.

- Cyberbullying can result in serious emotional problems for targets, including anxiety, low self-esteem, depression, stress, and suicide ideation,

- Those who are cyberbullied can feel more uncontrollability than those facing traditional bullying, because they have less control over who views the bullying and less ability to make the bullying stop. There can also be more permanence with cyberbullying compared to traditional bullying: nearly everything on the Internet is available to everyone, everywhere. It can be challenging to erase information once it goes on the Internet

- Those who cyberbully are more likely to have anxiety, depression, less life satisfaction, less

self-esteem, and face drug and alcohol abuse

- Both cyberbullies and targets of cyberbullying report less school satisfaction and achievement

- Motivations behind cyberbullying include a lack of confidence or desire to feel better about themselves, a desire for control, finding it entertaining, and retaliation.

- Targets of cyberbullying have a greater chance of becoming bullies themselves, as being cyberbullied can lead to revenge bullying as a way to cope. And, cyberbullies have a greater risk at being bullied in return, resulting in a vicious cycle. Being a cyberbully contributes to a twenty-fold increase of also being a target of cyberbullying.

Conclusion

There are several challenges for addressing cyberbullying. Parents suggest they lack the technical skills to keep up with their children's' online behaviors. Schools are educating about cyberbullying with policies, training, and assemblies, yet don't always know when and how to intervene in cyberbullying when it happens off campus. Law enforcement often can't get involved unless there is clear evidence of a crime of threat to someone's safety. The most common strategies reported by youth to cope with cyberbullying were passive, such as blocking the sender, ignoring or avoiding messages, and protecting personal information. Those who are cyberbullied are most likely to tell a friend about the incident. When asked what coping strategies those who were previously cyberbullied would encourage to someone being cyberbullied include blocking the sender, ignoring the messages, and telling someone, such as a friend.

References:

- <https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-cyber-bullying>
- <https://www.pacer.org/bullying/resources/cyberbullying/>
- <https://ifflab.org/how-to-prevent-cyber-bullying-anti-cyber-bullying-laws-in-india/>
- <https://www.pewresearch.org/internet/2007/06/27/cyberbullying/>

08

THIRD ORDER BOUNDARY VALUE PROBLEM

P. R. Shinde

Department of Mathematics,
Gramin Mahavidhyalaya
Vasat Nagar, Mukhed, Dist. Nanded
(M.S.) INDIA

Abstract

In this paper, an existence of solution of a third order random differential equation is proved under mixed generalized Lipschitz and Caratheodory condition.

Keywords: Green's function, fixed point theorem, Carathodory condition.

2000MathematicsSubjectClassification
s: 34B14, 34B15, 47H10. .

1. Description of the Problem

In this paper, consider a third order boundary value problem of ordinary random differential equation(BVP)

$$x'''(t, \omega) + f(x, t, \omega) = 0, \quad 0 < t < 1 \quad (1.1)$$

$$x''(0, \omega) = 0, \quad x'(1, \omega) = x''(\eta, \omega) = \alpha$$

for all $\omega \in \Omega$, where $f: J \times R \times \Omega \rightarrow R$.

By a random solution of the random PBVP (1.1), I mean a measurable function $x: \Omega \rightarrow AC^1(J, R)$ that satisfies the equations in (1.1), where $AC^1(J, R)$ is the space of continuous real-valued functions whose first derivative exists and is absolutely continuous on J .

The random PBVP (1.1) is new to the theory of periodic boundary value problems of ordinary differential equations. When the random parameter ω is absent, the random PBVP (1.1) reduces to the classical PBVP of second order ordinary differential equation and has been discussed in

several papers by many authors for different aspects of the solutions. See for example, Lakshmikantham and Leela[5], Nieto [6], Yao [8], and the references therein. In this paper, I discuss the random PBVP (1.1) for existence of random solution under suitable conditions of the nonlinearity f which thereby generalize several existence results of the Classical PBVP proved in the above mentioned paper.

2. Auxiliary Results

Let $Q: \Omega \times E \rightarrow E$ be a mapping. Then Q is called a random operator if $Q(\omega, x)$ is measurable in ω for all $x \in E$ and it is expressed as $Q(\omega)x = Q(\omega, x)$. In this case, also say that $Q(\omega)$ is a random operator on E . The study of random equations and their solutions have been discussed in Bharucha-Reid [1] which is further applied to different types of random equations such as random differential and random integral equations etc. See Itoh [4], Bharucha-Reid [2] and the references therein.

I use the following random non-linear alternative in proving the main result.

Theorem 2.1.(Dhage[3,4]) Let U be a non-empty, open and bounded subset of the separable Banach space E such that $0 \in U$ and let $Q: \Omega \times \bar{U} \rightarrow E$ be a compact and continuous random operator. Further suppose that there does not exist an $u \in \partial U$ such that $Q(\omega)u = \alpha u$ for all $\omega \in \Omega$, where $\alpha > 1$ and ∂U is the boundary of U in E . Then the random equation $Q(\omega)x = x$ has a random solution, i.e., there is a measurable function $\xi: \Omega \rightarrow E$ such that $Q(\omega)\xi(\omega) = \xi(\omega)$ for all $\omega \in \Omega$.

A corollary to above theorem in applicable form is

Corollary 2.1. Let $B_r(0)$ and $\overline{B_r}(0)$ be the open and closed balls centered at origin of radius r in the separable Banach space E and let $Q: \Omega \times \overline{B_r}(0) \rightarrow E$ be a compact and continuous random operator. Further suppose that there does not exist an $u \in E$ with $\|u\| = r$ such that $Q(\omega)u = \alpha u$ for all $\omega \in \Omega$, where $\alpha > 1$. Then the random equation $Q(\omega)x = x$ has a random solution, i.e., there is a measurable function $\xi: \Omega \rightarrow \overline{B_r}(0)$ such that $Q(\omega)\xi(\omega) = \xi(\omega)$ for all $\omega \in \Omega$.

The following theorem is used in the study of nonlinear discontinuous random differential equations. I also need this result in the subsequent part of this paper.

Theorem 2.2. (Carathéodory) Let $Q: \Omega \times E \rightarrow E$ be a mapping such that $Q(x, \cdot)$ is measurable for all $x \in E$ and $Q(\omega, \cdot)$ is continuous for all $\omega \in \Omega$. Then the map $(\omega, x) \rightarrow Q(\omega, x)$ is jointly measurable.

The following lemma appears in Nieto [6] and is useful in the study of second order periodic boundary value problems of ordinary differential equations.

Lemma 2.1. For any real number $m > 0$ and $\sigma \in L^1(J, R)$, x is a solution to the differential equation

$$\begin{aligned} x''(t) + m^2 x(t) &= \sigma(t) \quad a.e. t \in J \\ x(0) &= x(2\pi), x'(0) = x'(2\pi) \end{aligned} \tag{2.1}$$

if and only if it is a solution of the integral equation

$$x(t) = \int_0^{2\pi} G_m(t,s)\sigma(s)ds \tag{2.2}$$

where

$$\begin{aligned} G_m(t,s) &= \frac{1}{2m(e^{2m\pi} - 1)} [e^{m(t-s)} + e^{m(2\pi-t+s)}], \text{ if } 0 \leq s \leq t \leq 2\pi, \\ &= \frac{1}{2m(e^{2m\pi} - 1)} [e^{m(s-t)} + e^{m(2\pi-s+t)}], \text{ if } 0 \leq t < s \leq 2\pi \end{aligned} \tag{2.3}$$

Notice that the Green's function G_m is continuous and nonnegative on $J \times J$ and the numbers

$$\alpha = \min \{ |G_m(t,s)| : t,s \in [0, 2\pi] \} = \frac{e^{m\pi}}{m(e^{2m\pi} - 1)}$$

and

$$\beta = \max \{ |G_m(t,s)| : t,s \in [0, 2\pi] \} = \frac{e^{2m\pi} + 1}{2m(e^{2m\pi} - 1)}$$

exist for all

positive real number m .

I need the following definitions.

Definition 2.1.A function $f: J \times R \times \Omega \rightarrow R$ is called random Carathéodory if (i) the map $(t, \omega) \rightarrow f(t, x, \omega)$ is jointly measurable for all $x \in R$, and

(ii) the map $x \rightarrow f(t, x, \omega)$ is continuous for all $t \in J$ and $\omega \in \Omega$.

Definition 2.2.A function $f: J \times R \times \Omega \rightarrow R$ is called random L^1 -Carathéodory if (iii) for each real number $r > 0$ there is a measurable and bounded function $q_r: \Omega \rightarrow L^1(J, R)$ such that

$$|f(t, x, \omega)| \leq q_r(t, \omega) \quad a.e. t \in J$$

for all $\omega \in \Omega$ and $x \in R$ with $|x| \leq r$.

3. Existence Result

For a given real number $m > 0$, consider the random PBVP,

$$\begin{aligned} x''(t, \omega) + m^2 x(t, \omega) &= f_m(t, x(t, \omega), \omega) \quad a.e. t \in J \\ x(0, \omega) &= x(2\pi, \omega), x'(0, \omega) = x'(2\pi, \omega) \end{aligned}$$

(3.1)

for all $\omega \in \Omega$, where the function $f_m : J \times R \times \Omega \rightarrow R$ is defined by

$$f_m(t, x, \omega) = f(t, x, \omega) + m^2 x$$

Note: The random PBVP (1.1) is equivalent to the random PBVP (3.1) and therefore, a random solution to the PBVP (3.1) is the random solution to the PBVP (1.1) and vice versa.

The random PBVP (3.1) is equivalent to the random integral equation,

$$x(t, \omega) = \int_0^{2\pi} G_m(t, s) f_m(s, x(s, \omega), \omega) ds$$

(3.2)

for all $t \in J$ and $\omega \in \Omega$, where the function $G_m(t, s)$ is defined by (2.3). I consider the following set of assumptions as

(A₁) The function f_m is random Carath'eodory on $J \times R \times \Omega$.

(A₂) There exists a measurable and bounded function $\gamma : \Omega \rightarrow L^2(J, R)$ and a continuous and non-decreasing function $\psi : R_+ \rightarrow (0, \infty)$ such that

$$|f_m(t, x, \omega)| \leq \gamma(t, \omega) \psi(|x|) \quad a.e. t \in J$$

for all $\omega \in \Omega$ and $x \in R$.

4. Main Existence Result

Theorem 4.1. Assume that the hypotheses (A₁)-(A₂) hold. Suppose that there exists a real number $r > 0$ such that

$$r > \frac{e^{2m\pi} + 1}{2m(e^{2m\pi} - 1)} \|\gamma(\omega)\|_{L^1} \psi(r)$$

(4.1)

for all $\omega \in \Omega$. Then the random PBVP (1.1) has a random solution defined on J .

Proof: Set $E = C(J, R)$ and define a mapping $Q : \Omega \times E \rightarrow E$ by

$$Q(\omega)x(t) = \int_0^{2\pi} G_m(t, s) f_m(s, x(s, \omega), \omega) ds$$

for all $t \in J$ and $\omega \in \Omega$. Since the map $t \rightarrow G_m(t, s)$ is continuous on J , $Q(\omega)$ defines a mapping $Q : \Omega \times E \rightarrow E$. Define a closed ball $\bar{B}_r(0)$ in E centered at origin 0 of radius r , where the real number r satisfies the inequality (3.3). I show that Q satisfies all the conditions of Corollary 2.1 on $\bar{B}_r(0)$.

First, I show that Q is a random operator on $\bar{B}_r(0)$. Since $f_m(t, x, \omega)$ is random Carath'eodory, the map $\omega \rightarrow f_m(t, x, \omega)$ is measurable in view of Theorem 2.2. Similarly, the product $G_m(t, s) f_m(s, x(s, \omega), \omega)$ of a continuous and a measurable function is again measurable. Further, the integral is a limit of a finite sum of measurable functions, therefore, the map

$$\omega \rightarrow \int_0^{2\pi} G_m(t, s) f_m(s, x(s, \omega), \omega) ds = Q(\omega)x(t)$$

is measurable. As a result, Q is a random operator on $\Omega \times \bar{B}_r(0)$ into E .

Next, I show that the random operator $Q(\omega)$ is continuous on $\bar{B}_r(0)$. Let $\{x_n\}$ be a sequence of points in $\bar{B}_r(0)$ converging to the point x in $\bar{B}_r(0)$. Then, it is enough to prove that $\lim_{n \rightarrow \infty} Q(\omega)x_n(t) = Q(\omega)x(t)$ for all $t \in J$ and $\omega \in \Omega$. By dominated convergence theorem, we obtain,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Q(\omega)x_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} G_m(t, s) f_m(s, x_n(s, \omega), \omega) ds$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} G_m(t, s) \lim_{n \rightarrow \infty} [f_m(s, x_n(s, \omega), \omega)] ds \\
 &= \int_0^{2\pi} G_m(t, s) [f_m(s, x(s, \omega), \omega)] ds \\
 &= Q(\omega)x(t)
 \end{aligned}$$

for all $t \in J$ and $\omega \in \Omega$. This shows that $Q(\omega)$ is a continuous random operator on $\bar{B}_r(0)$.

Now, I show that $Q(\omega)$ is a compact random operator on $\bar{B}_r(0)$. To finish, it is enough to prove that $Q(\omega)(\bar{B}_r(0))$ is uniformly bounded and equi-continuous set in E for each $\omega \in \Omega$. Since the map $\omega \rightarrow \gamma(t, \omega)$ is bounded and $L^2(J, \mathcal{R}) \subset L^1(J, \mathcal{R})$, by hypothesis (A_2) , there is constant c such that $\|\gamma(\omega)\|_{L^1} \leq c$ for all $\omega \in \Omega$. Let $\omega \in \Omega$ be fixed. Then for any $x : \Omega \rightarrow \bar{B}_r(0)$, one has

$$\begin{aligned}
 |Q(\omega)x(t)| &\leq \int_0^{2\pi} G_m(t, s) |f_m(s, x(s, \omega), \omega)| ds \\
 &\leq \int_0^{2\pi} G_m(t, s) \gamma(s, \omega) \psi(|x(s, \omega)|) ds \\
 &\leq \frac{e^{2m\pi} + 1}{2m(e^{2m\pi} - 1)} \left(\int_0^{2\pi} \gamma(s, \omega) ds \right) \psi(r) \\
 &\leq K_1
 \end{aligned}$$

for all $t \in J$, where $K_1 = \frac{e^{2m\pi} + 1}{2m(e^{2m\pi} - 1)} c\psi(r)$. This shows that $Q(\omega)(\bar{B}_r(0))$ is a uniformly bounded subset of E for each $\omega \in \Omega$.

Next, I show that $Q(\omega)(\bar{B}_r(0))$ is an equi-continuous set in E . Let $x \in \bar{B}_r(0)$ be arbitrary. Then for any $t_1, t_2 \in J$, one has

$$|Q(\omega)x(t_1) - Q(\omega)x(t_2)| \leq$$

$$\begin{aligned}
 &\int_0^{2\pi} |G_m(t_1, s) - G_m(t_2, s)| |f_m(s, x(s, \omega), \omega)| ds \\
 &\leq \int_0^{2\pi} |G_m(t_1, s) - G_m(t_2, s)| \gamma(s, \omega) \psi(r) ds
 \end{aligned}$$

$$\leq \int_0^{2\pi} (|G_m(t_1, s) - G_m(t_2, s)|^2 ds)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^{2\pi} |\gamma(s, \omega)|^2 ds \right)^{\frac{1}{2}} \psi(r)$$

Hence for all $t_1, t_2 \in J$, $|Q(\omega)x(t_1) - Q(\omega)x(t_2)| \rightarrow 0$ as $t_1 \rightarrow t_2$, uniformly for all $x \in \bar{B}_r(0)$. Therefore, $Q(\omega)(\bar{B}_r(0))$ is an equi-continuous set in E . As $Q(\omega)(\bar{B}_r(0))$ is uniformly bounded and equi-continuous, it is compact by Arzel-Ascoli theorem for each $\omega \in \Omega$. Consequently, $Q(\omega)$ is a completely continuous random operator on $\bar{B}_r(0)$.

Finally, I prove that there does not exist an $u \in E$ with $\|u\| = r$ such that $Q(\omega)u(t) = \alpha u(t, \omega)$ for all $t \in J$ and $\omega \in \Omega$, where $\alpha > 1$. Suppose not. Then there exists an element $u \in E$ satisfying $Q(\omega)u(t) = \alpha u(t, \omega)$ for some $\omega \in \Omega$. Let $\lambda = \frac{1}{\alpha}$. Then $\lambda < 1$ and

$\lambda Q(\omega)u(t) = u(t, \omega)$ for some $\omega \in \Omega$. Now for this $\omega \in \Omega$, one has

$$\|u(t, \omega)\| \leq \lambda \|Q(\omega)u(t)\|$$

$$\leq \int_0^{2\pi} G_m(t, s) |f_m(s, u(s, \omega), \omega)| ds$$

$$\leq \frac{e^{2m\pi} + 1}{2m(e^{2m\pi} - 1)} \int_0^{2\pi} \gamma(s, \omega) \psi(\|u(\omega)\|) ds$$

$$\leq \frac{e^{2m\pi} + 1}{2m(e^{2m\pi} - 1)} \|\gamma(\omega)\|_{L^1} \psi(\|u(\omega)\|)$$

for all $t \in J$. Taking supremum over t in the above inequality yields,

$$\|u(\omega)\| \leq \frac{e^{2m\pi} + 1}{2m(e^{2m\pi} - 1)} \|\gamma(\omega)\|_{L^1} \psi(\|u(\omega)\|)$$

or

$$r \leq \frac{e^{2m\pi} + 1}{2m(e^{2m\pi} - 1)} \|\gamma(\omega)\|_{L^1} \psi(r)$$

for some $\omega \in \Omega$. This contradicts to the condition (3.3).

Thus, all the conditions of Corollary 2.1 are satisfied. Hence the random equation $Q(\omega)x(t) = x(t, \omega)$ has a random solution in $\bar{B}_{r, (0)}$, i.e., there is a measurable function $\xi : \Omega \rightarrow \bar{B}_{r, (0)}$ such that $Q(\omega)\xi(t) = \xi(t, \omega)$ for all $t \in J$ and $\omega \in \Omega$. As a result, the random PBVP (1.1) has a random solution defined on J . This completes the proof.

Carath'eodory functions, Appl. Anal.34(1989),111–128.

[6]. D. S. Palimkar, Existence theory of random differential equation, Inter. Journ. of Sci. and Res. Pub., Vol.2, 7,2012,1-6.

[7]. Q. Yao, Positive solutions of nonlinear second-order periodic boundary value problems, Appl. Math. Lett. 20 (2007), 583-590.

□□□

References

- [1]. B. C. Dhage, J. Henderson, Existence theory for Nonlinear Functional Boundary value Problems, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 1(2004), 1-15.
- [2]. B. C. Dhage, A random version of a Schaefer type fixed point theorem with applications to functional random integral equations, Nonlinear Funct. Anal. Appl. 9 (2004), 389-403.
- [3]. S. Itoh, Random fixed point theorems with applications to random differential equations in Banach spaces, J. Math. Anal. Appl. 67 (1979), 261-273
- [4]. V. Lakshmikantham and S. Leela, Remarks on first and second order periodic boundary value problem, Nonlinear Anal. 8 (1984), 281-287.
- [5]. J. J. Nieto, Nonlinear second order periodic value problems with

09

Marketing Strategies of Reliance Industries Limited In Making It A World-Class Petroleum Company

Shubham Parsoya

Research Scholar,

Sangam University Bhilwara (Rajasthan)

Abstract:

In 2018, Reliance Petroleum was the primary Indian company to outperform Rupees eight hundred thousand crores (US\$ 122.85 billion) in market capitalization and crosses three hundred million client mark. Reliance Petroleum focus is on driving the country towards development with its progressed items and administrations comprising of High-Speed Diesel, Petrol, Auto LPG, Greases, Aviation Fuel, Pressed LPG catering to diverse sections extending from two-wheelers to aircraft fuelling & farm gear to overwhelming building vehicles. With a deliberately extended network of 1380+ retail outlets spread over the nation, Reliance Petroleum fuel retail trade gives esteem to its clients through a 100% automated network, backed by prevalent innovation.

Reliance Petroleum, when put next with alternative corporations, spends lesser in promotions and advertisements, however, Reliance Petroleum believes in reducing costs to draw in its customers. It sticks to majorly of Below-the-line advertising as compared to Above-the-Line advertising as its prices less to the corporate or its retail sector's new launch product to form an initial buzz among the purchasers.

Reliance petroleum follows best processes and automation systems, uniformly and systematically, whereas delivering High-

Speed Diesel, Petrol, motor vehicle LPG and Lubricants from its fuel stations across the country. Reliance Industries has emerged the most important wealth creator over 2014-19, consistent with Motilal Oswal's twenty-fourth Annual Wealth Creation Study 2019. The Rs 5.6 hundred thousand crore wealth created by Reliance is that the highest ever far by an enormous margin.

Keywords: Market capitalization, petroleum, diesel, fuel, retail outlets, promotions.

Introduction

The main threat of the corporation is that its existing competitors within the current market. The economic depression that the globe two-faced throughout the past few years has affected greatly within the business. Tata is one of Reliance Industries Limited (RIL)'s prime competitors. Tata was founded in 1868 in Bombay, Maharashtra. Tata operates within the Business Support Services business. Tata generates \$29.4B above revenue than Reliance Industries Limited (RIL).

Adani may be a high challenger of Reliance Industries Limited (RIL). Adani was founded in 1988 and is headquartered in Ahmedabad, Gujarat. Adani is within the Business Support Services business. Adani generates \$68.3B less revenue vs. Reliance Industries Limited (RIL). Their business is principally targeted in the Asian nations by concerning eightieth.

Along with all these corporates, the retail promoting of crude oil product in India is mostly by the public Sector Oil marketing companies (OMCs) i.e. Indian Oil Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited, Mangalore Refinery & Petrochemicals Limited, Bharat Oman Refineries Limited. It appears like Reliance Industries Limited didn't establish its business worldwide, because for each business international market may be an excellent chance to extend their plus.

Literature Review

As in line with the current researches of Motilal Oswal Securities, Reliance Industries Limited's stock prices have nearly tripled over the past five years, outperforming the Nifty through 122% on a cumulative basis. This has been driven by the strengthening of the refining and petrochemical companies of Reliance Industries Limited and there may be additionally some giant build-up in its retail and telecom segments. Moreover, we assume the core business to face headwinds in 2019. While telecom and retail continue to be in a widespread build-up mode.

The reviews additionally stated that because of the addition in the refining potential of 2.6mbopd in 2019, much ahead of demand increase of 1.1mbopd. While the sales have been developing at an impressive pace (~2x in 9MFY19), the contribution from petrochemical maintains margins for the retail low at 4.6%. While this combined with excessive product inventories, is likely to result in subdued GRMs in FY20. And the expansions in the US/China are possible to bring about the whole incremental petrochemical capacity of 7mmtpa in 2019 itself, more than the 6mmtpa delivered in 2017/18. Global refining and petrochemical are buying and selling at ~6x FY20 EV/EBITDA. Motilal Oswal Securities value Reliance Industries Limited's refining and petrochemical segments at 7.5x – the top class here displays the company's superior capability to control the crude basket, refinery yields, hedging and a couple of feedstocks for its petrochemical segment.

Discussion

Reliance Industries Limited as compared with different major six corporations in India: Reliance Industries Limited, Indian Oil Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited, Essar Oil Limited (NAYARA Energy Limited) Mangalore Refinery, Chennai

Petro & Petrochemicals Limited, Bharat Oman Refineries Limited.

It is clear that in all the areas like market capital, sales turnover, earnings, etc., reliance features an extremely high position with an interesting distinction in their various values. Whereas we tend to analyse the competition, we can determine that Reliance industries possess a dominance over the market, and it is very tough for the competitors to return over the Reliance industries' position. The fact, corporate profit is vital for Reliance industries to keep up its standing with additional promoting strategies.

Limitations of the Study

Each character may deliver you individual outcomes; however, it does not imply that the equal consequences belong to the complete population. As a researcher, I will not always be able to undergo all of the resources. I can't acquire all the statistics I wanted for my research in view that it will take a number of times. Because of it, my work won't cover every aspect.

Often time limits are the motive why my studies and researches may not be complete. When I get a task, I have a limited amount of time to do it. Sometimes we, as a researcher want a few gadgets or additional software to conduct the researches.

This is probably trouble considering the fact that we don't always have the sum we need. Along with it, there are unique ways to collect information: interviews, surveys, questionnaires, etc. The way we collect records might be a real limitation since the solutions and the outcomes vary. When researchers find some new information, we use a particular research technique. Different techniques supply us with various opportunities. Quality of the datum we get frequently relies upon on the technique we choose.

Conclusions

Reliance Industries Limited is India's

biggest non-public sector enterprise on all major financial parameters. Reliance Industries Limited's activities include hydrocarbon exploration and production, petroleum refining and promoting, petrochemicals and retailing. The petrochemicals segment consists of the production and advertising processes of petrochemical products. The oil and gasoline segment consist of exploration, development, and production of crude oil, rock oil, and natural fuel.

Saudi Aramco, the world's biggest oil exporter, is in talks with Reliance Industries limited and different Indian organizations for making a huge investment in petrochemicals and refinery projects occurring in the country, India. Saudi Aramco CEO Amin Al-Nasser stated that Reliance Industries limited remains to be a high-standard corporation for funding in India and Aramco is intended to work as a partner with Reliance Industries Limited.

India is a funding priority for Saudi Aramco, as there is lots of growth potential. Saudi Aramco is interested in additional investments in India's Reliance Industries Limited. Reliance operates refineries at Jamnagar with a total potential of 68.2 million tonnes consistent with annum. Reliance Industries Limited is planning to extend its 'only-for-exports' special economic zone refining capacity to simply over 41 million tons from present-day 35.2 million tonnes.

Reliance Industries Limited is presently focusing on increasing its petrochemicals by knowing the fact that crude oil is the fundamental raw material and component for producing petrochemicals. Saudi Arabia, on the alternative hand, is eager to get a foothold within the world's fastest-growing fuel market, India to get a captive consumer base for the crude oil consumption which Aramco produces. Saudi Aramco, the world's largest oil corporates, and its companion Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) have taken up a 50 percent stake in a

planned 44-billion-dollars refinery in Maharashtra. Aramco and ADNOC will together maintain 50 percentage stake-holdings in the 60 million tons per annum refinery and adjacent 18 MTPA petrochemical differentiated planned to be constructed at Ratnagiri district of Maharashtra with the aid of 2025.

Like other major producers, Saudi Aramco and Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) are seeking to lock in clients inside the world's third-largest oil purchaser via their investment plans. That why a very bright and promising future opportunity is waiting in line for Reliance Industries limited and will have collectively encouraging Reliance Industries limited for becoming a proven world-class petroleum-based company.

References

Press Information Bureau (2013), Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, Crude oil price on Indian Basket

<https://www.motilaloswal.com>

Pride, W. M. and Ferrel, O. C. (1993). Marketing: Study Guide. Houghton- Mifflin School <http://petroleum.nic.in>

Dr. T. Srinivasan, (2015), A Study on Consumer Preferences of Petroleum Retail Outlets. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 17, Issue 2. Ver. II (Feb. 2015), PP 35-40

<https://www.firstpost.com>

Ministry of Petroleum and Natural Gas Government of Economics and Statistics Division New Delhi

Dr. K. Soundarapandiyam, Dr. M. Ganesh, (2017), An Analytical View of Crude Oil Prices and Its Impact on Indian Economy, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668 PP 23-28

Ferrell O., Hartline M., Lucas G., Luck D. (1998). "Marketing Strategy". Orlando, FL: Dryden Press.

Socio-Political Empowerment of Marginalised and Constitutional Rights

Ms. Sharmishtha Solanki

Assistant Professor, Department of Social Work,
Sardar Patel University Vallabh Vidyanagar,
Anand, Gujarat

Abstract:

In social terms Marginality is generally used to describe and analyses socio-cultural, political and economic spheres, where disadvantaged people are kept aside from the mainstream of development and they have to struggle to gain access to resources, and full participation in social life. Marginality is a living condition that affects millions of people throughout the world. Yes, this is not limited to a particular country but it's a global phenomenon. People who are marginalized have relatively little control over their lives and the resources available to them. This results in making them handicapped in earning their share in the society. A vicious circle is set up whereby they are prevented from participating in local mainstream life, which in turn leads to further isolation. This has a tremendous impact on development of human beings, as well as on society at large. As the objective of development is to create an enabling environment for people to enjoy a productive, healthy, and creative life.

Concept of Marginalization:

The term marginalization refers to individual or groups who live at the margin of society. It is also called Social Exclusion. Their situations may be historical or cultural as they suspend between social classes or cultural

groups, without being fully integrated to it. The term may have various forms like class, caste, gender, community and so on at one level and at the other level groups who are subjected to economic and social hardships. These groups may still be marginalized at multiple levels in a country like India which has witnessed tremendous socio-political changes in both pre-independence and post-independence period. Marginalization is a multidimensional process that denies opportunities and outcomes to those 'living on the margins', while enhancing the opportunities and outcomes for those who are 'at the centre'. The EFA Global Monitoring Report 2010: Reaching the marginalized, defines marginalization as "a form of acute and persistent disadvantage rooted in underlying social inequalities".

Who is marginalised? Women, Children, Person with special ability, aged, minorities and SC ST OBC are the marginalised groups.

1. Women:

Under different economic conditions, and under the influence of specific historical, cultural, legal and religious factors, marginalization is one of the manifestations of gender inequality.

Although women constitute half of the population, they are always marginalized relative to men, in every country and culture. Women belonging to lower classes, lower castes, illiterate, and the poorest region have different levels of marginalization than their better-off counterparts. Eg. Dalit Women and Women from minority.

2. Schedule Castes:

The caste system is a strictly hierarchical social system based on underlying notions of purity and pollution. In which, Brahmins are on the top of the hierarchy and Shudras constitute the bottom of the hierarchy. It is believed that Shudras are born from the feet of the God. So, they are impure.

The marginalization of Dalits influences

all spheres of their life, violating basic human rights such as civil, political, social, economic and cultural rights.

A major proportion of the lower castes are still dependent on others for their livelihood. Eg as labor to landlords or farmers. Dalits do not refer to caste but suggest a group who are in a state of oppression, social backward and who are helpless and poor. Literacy rates among Dalits are very low. They have meager purchasing power and have poor housing conditions as well as have low access to resources and entitlements.

Structural discrimination against these groups takes place in the form of physical, psychological, emotional and cultural abuse which receives legitimacy from the social structure and the social system. Physical segregation of their settlements is common in the villages forcing them to live in the most unhygienic and inhabitable conditions. All these factors affect their health status, access to healthcare and quality of life. There are high rates of malnutrition reported among the marginalized groups resulting in mortality, morbidity, and anemia. Access to and utilization of healthcare and education among the marginalized groups is influenced by their socio-economic status within society.

Caste-based marginalization is one of the most serious human rights issues in the world today, adversely affecting more than 260 million people mostly reside in India. Caste-based discrimination entails social and economic exclusion, segregation in housing, denial, and restrictions of access to public and private services and employment, and enforcement of certain types of jobs on Dalits, resulting in a system of modern-day slavery or bonded labor.

3. Scheduled Tribes:

The Scheduled Tribes like the Scheduled Castes face structural discrimination within Indian society and they are a product of

marginalization based on ethnicity. In India, the Scheduled Tribes population is around 84.3 million and is considered to be socially and economically disadvantaged. Their percentages in the population and numbers, however, vary from State to State. They are mainly landless with little control over resources such as land, forest, and water.

4. People with disabilities:

21.9 million people in India are having disabilities. People with disabilities battle against centuries of biased assumptions, harmful stereotypes, and irrational fears.

There is a myth associated with disability is that people get disability due sins committed in the previous births.

The stigmatization of disability resulted in the social and economic marginalization of generations with disabilities, and, like many other oppressed minorities, this has left people with disabilities in a severe state of impoverishment for centuries. The proportion of the disabled population in India is about 21.9 million.

The disabled face various types of barriers while seeking access to health and education services. Among those who are disabled women, children and aged are more vulnerable and need attention.

5. Elderly or Aged People:

Aging is an inevitable and inexorable process in life. The vulnerability among the elderly is not only due to an increased incidence of illness and disability but also due to their economic dependency upon their spouses, children, and other younger family members. Lack of economic dependence has an impact on their access to food, clothing, and healthcare.

6. Children:

Children Mortality and morbidity among children are caused and compounded by poverty, their sex and caste position in society.

All these have consequences on their nutrition intake, access to healthcare,

environment, and education. Poverty has a direct impact on the mortality and morbidity among children. In India, a girl child faces discrimination and differential access to nutritious food and gender-based violence is evident from the falling sex ratio and the use of technologies to eliminate the girl child. The manifestations of these violations are various, ranging from child labor, child trafficking, to commercial sexual exploitation and many other forms of violence and abuse.

All these problems need to be answered holistically and with a visionary leadership. During freedom struggle we had many leaders who contributed for the cause but Dr. Baba Saheb by gifting the constitution if India, got rights for the marginalised to live with dignity.

Babasaheb was the mastermind for progressive state, he has developed nationalistic, secular attitude with his sacred soul. His views about caste system, class, practice of untouchability and well known. He always fought discrimination on the basis of race, religion, colour, gender, and geographical location. As a result of his thought India adopted secularism in constitution. He proposed many policies to the planning commission for the empowerment of marginalised sections; reservation for SC ST OBC and Women is the prime step taken for welfare of these categories is the synchronized thought of Ambedkar for empowerment of landless communities and women. His social concerns came in to act by developing various social policies. Implementation of policies is the important responsibility of the govt, along with the govt social work profession and social worker have greater responsibility in the process of need assessment of local communities and encouraging the marginalised sections to take optimum use of them. National policy on Women, Education, Health, Schedule Caste, Schedule Tribe and prevention of Atrocities Act and reservation policy etc are the greater contribution of Dr.Babasaheb for the

welfare of the marginalised sections.

Dr. B R Ambedkar was the Chief Architect of Indian Constitution has given special space and provisions for Socio-political empowerment of Marginalised section in Indian Constitution, some of them are:

Article-14: declares that the equality before law and the equal protection of laws shall be available to all.

Article.15: No discrimination against any citizen on the grounds of sex, religion, race, casteplace of birth or any of them

Article.15 (3): State can make any special provisions for women & children

Article-15(4): Compensatory discrimination for the SC/ST

Article15 (5): This clause was added in 93rd amendment in 2005 and allows the state to make special provisions for backward classes or SCs or STs for admissions in private educational institutions, aided or unaided.

Article-16 Equality of opportunity in public employment.

Article-16(4): This clause allows the state to reserve vacancies in public service for any backward classes of the state that are not adequately represented in the public services.

Article-16(4A):This allows the state to implement reservation in the matter of promotion for SCs and STs.

Article-16(4B): This allows the state to consider unfilled vacancies reserved for backward classes as a separate class of vacancies not subject to a limit of 50% reservation. Constitutional protection to the Marginalized/Vulnerable groups

Article- 17: This abolishes untouchability and its practice in any form (The protection of Civil Rights Act, 1955, The SC/STs (Prevention of atrocities Act, 1989).

Article-29 & 30: guarantees cultural and educational rights Directive Principles of State.Policies Directive Principles of State Policies aims at; (Article36-51) a. Social and

Economic Charter b. Social Security Charter c. Community Welfare Charter

Article-39(a): Right to adequate means of livelihood

Article-39(b): Equal pay for equal work both men & women

Protection of health & strength of workers- men, women & children

Article-40: Provides reservation in 1/3 seats in Panchayats

Article-46: Enjoins the states to promote with care the educational and economic interests of the weaker sections, especially SC and ST.

Dr Baba Saheb Ambedkar wanted to give power to marginalised by adopting decentralisation for their political empowerment- a process whereby administrative authority, public resources and responsibilities are devolved and delegated from central or state government agencies to lower level institutions such as village panchayats, municipalities and non-government organizations. Such process develops a people-centred system of governance that enables powerless individuals and groups to play significant roles in the implementation of programmes and policies and mobilisation, allocation and distribution of public resources so that they become basic engine of development and not merely its beneficiaries. Its main purpose was to bring accountability in governance ensuring economic and social justice.

Decentralisation can lead to empowerment at local level because:

Firstly, decentralisation overcomes the problems of centralised planning by adopting a paradigm of development that reflects on the real needs and preferences of the concerned community particularly its vulnerable and marginalised sections.

Secondly, it facilitates greater participation in the local politico-economic affairs that improves the quality and effectiveness of government sponsored schemes and services particularly those ones which are aimed at empowering poor and marginalised groups.

Thirdly, it develops communicative understanding and cooperation between public officials and citizens that help in creating an

atmosphere conducive for sustainable development including the management and proper utilisation of common property resources.

Fourthly, it formalises and enhances the authority of citizens over public officials so that the latter ones do not find enough opportunities and power to indulge into 'rent seeking' activities.

Fifthly, it can lead to the formation of a new forward-looking self-identity among different sections of society that help in breaking down the iniquitous and hierarchical social order and its ramifications.

Sixthly, it generates conditions for the realisation of specific demands and needs of different regions and groups with minimal chances of public complain and religious, ethnic and minority upsurges.

Lastly, it facilitates democratic values for resolving fundamental and specific social and economic problems faced by diverse groups and communities in a complex, tradition bound and culturally and economically diversified society like India.

These are some of the provisions in constitution which are enjoyed by marginalised section of Indian Society.

Challenges:

Below are some of the challenges faced during implementation.

1. Social consciousness among both the community. Oppressor by not leaving the privileges they are enjoying and at another endoppressed who are not aware about the way to avail their rights or not conscious about their rights.

2. Being a person from marginalised community, I genuinely believe there is need to evaluate reservation policy and make it more appropriate as per need of an hour. I do believe, there is poorest of the poor in the society who are still left out.

3. There is need to create awareness on Baba Saheb Ambedkar's Philosophy of secularism, equality and justice at Global level which is very much appropriate in this generation where people are getting separated by each other on the basis of different ideologies.

A Correlation study between ICT competency and Job satisfaction among College Librarians in Khandesh Region

Miss Jyoti Suresh Suryawanshi

Dr. Shashank S. Sonwane

Associate Professor,
BAMU Aurangabad

Abstract: The present research deals with A Correlation study between ICT competency and Job satisfaction among College Librarian in Khandesh Region. The samples comprise 80 College Librarian in Khandesh Region by using Purposive sampling technique. The tools used for present research are ICT competency in librarian scale and Job satisfaction Questionnaire prepared by Amar Singh and T.R. Sharma (1999). The data was analyzed using r.

Findings

There is significant correlation between ICT competency and Job satisfaction among College Librarian Professionals

Keywords: ICT competency and Job satisfaction,

1. Introduction:

With the invention of Information and Communication Technology, libraries now use various types of technologies to aid the services they render. Everyday new technological advances affect the way information is handled in libraries and information centers. The impacts of new technologies are felt by libraries in every aspect. Computing technology, communication technology and mass storage technology are some of the areas of continuous development that reshape the way that libraries access,

retrieve, store, manipulate and disseminate information to users. The academic librarian has been from its inception an integral part of institutions of higher learning, rather than an appendix or adjunct.

Computers have revolutionized all fields of knowledge. It has been gradually weaving electronic webs in various parts of the globe for quite a few years now. Now it is being used extensively in libraries by developed countries and in a limited scale in the third world countries. Today, information technology coupled with computer technology has conquered even space and time with regard to dissemination of information. The word automated library is used to denote in which the collections of library materials are primarily on paper but in which the librarian's procedures have been computerized.

Job satisfaction is the result of various attitudes possessed by an employee in a narrow sense, these attitudes are related to the job and are concerned with such specific factors as salary, supervision, condition of work, of opportunities, for promotion recognition of ability, fair evaluation of work, social relations on the job, prompt settlement of grievances, fair treatment by employer and other similar items. (Blum & Naylor, 1968)

However a more comprehensive approach requires that many additional factors be included before a complete understanding of job satisfaction can be obtained. Such factors at the employee's age, health, temperament, level of aspiration should be considered. Further his family relationships, social status, recreational outlets, and activity in organizations political or purely social-contribute ultimately to job satisfaction.

Hence the investigators selected the topic A Correlation study between ICT competency and Job satisfaction among College Librarians in Khandesh Region

2. Statement of the Problem

“A Correlation study between ICT competency and Job satisfaction among College Librarians in Khandesh Region”

Objective

1. To identify the correlation between ICT competency and Job satisfaction among College Librarians in Khandesh Region

2. To identify the correlation between ICT competency and Job satisfaction among male College Librarians in Khandesh Region

3. To identify the correlation between ICT competency and Job satisfaction among female College Librarians in Khandesh Region

3 Hypotheses:

1. There is no significant correlation between ICT competency and Job satisfaction among College Librarians in Khandesh Region

2. There is no significant correlation between ICT competency and Job satisfaction among male College Librarians in Khandesh Region

3. There is no significant correlation between ICT competency and Job satisfaction among female College Librarians in Khandesh Region

4. Methodology of the study:

Descriptive survey method has been used for the study of the ICT competency and Job satisfaction among College Librarians. The sample comprise for the present study is 80 College Librarians.. Purposive sampling technique was used to collect the data. The following tools were used to collect the data from College Librarians. ICT competency scale prepared by investigator and Job satisfaction Questionnaire prepared by Amar Singh and T.R. Sharma (1999). The obtained data was analyzed by using the Statistical techniques viz. correlation.

5. Analysis and Interpretation: The collected data is subjected to statistical analysis and the results obtained are as given below.

Hypotheses:

1. There is no significant correlation between

ICT competency and Job satisfaction among College Librarians in Khandesh Region

College Librarian	Variables	N	df	Obtained 'r'	Table 'r'
	ICT competency	80	68	.75	.250
	Job satisfaction				

The table 'r' value at .05 level is .250 and the obtain 'r' value is .75 So the obtain 'r' value is greater than table 'r' value. So the null hypothesis is rejected. On the basis of obtain 'r' value; we can say that, There is significant correlation between ICT competency and Job satisfaction among College Librarians in Khandesh Region

Hypotheses:

2. There is no significant correlation between ICT competency and Job satisfaction among male College Librarians in Khandesh Region

Male College Librarian	Work motivation	N	df	Obtained 'r'	Table 'r'
	ICT competency	50	48	0.65	.361
	Job satisfaction				

The table 'r' value at .05 level is 0.361 and the obtain 'r' value is 0.65. So the obtain 'r' value is greater than table 'r' value. So the null hypothesis is rejected. On the basis of obtain 'r' value; we can say that, There is no significant correlation between ICT competency and Job satisfaction among male College Librarians in Khandesh Region

Hypotheses:

3. There is no significant correlation between ICT competency and Job satisfaction among female College Librarian in Khandesh Region

Female College Librarian	Variables	N	df	Obtained 'r'	Table 'r'
	ICT competency	30	28	0.69	.361
	Job satisfaction				

The table 'r' value at .05 level is 0.361 and the obtain 'r' value is 0.69. So the obtain 'r' value is greater than table 'r' value. So the null hypothesis is rejected. On the basis of obtain 'r' value; we can say that, There is no significant correlation between ICT competency

and Job satisfaction among female College Librarians in Khandesh Region

12

6. Findings

1. There is no significant correlation between ICT competency and Job satisfaction among College Librarians in Khandesh Region

2. There is no significant correlation between ICT competency and Job satisfaction among male College Librarians in Khandesh Region

3. There is no significant correlation between ICT competency and Job satisfaction among female College Librarians in Khandesh Region

7. Conclusion - The findings of present study shows that the significant correlation between ICT competency in librarian and Job satisfaction among College Librarian Is observed in case male, female College Librarians in Khandesh Region

References

Best J.W. & Kahn J.V. (2006). Research in Education (10th Ed.). New Delhi: Prentice Hall of India Pvt. Ltd.

Blum M. L. and Naylor J. C (1968), Industrial psychology: its theoretical and social foundation. New York: Harper and Row.

Kerlinger F.N. (1979). Foundations of Behavioral Research (3rd Ed). New York: Holt, Rinehart & Winston.

Kothari C.R. (1990) Research Methodology, Methods and Techniques. New Delhi: Wiley Eastern Limited.

Mangal S. K. (2002). Advanced Psychology (1st Ed.). New Delhi: Prentice Hall of India, Private Limited.



PRESENT MARKETING - KHADI CLOTHES TREND ANALYSIS

Dr. A. SUJATHA

ASSISTANT PROFESSOR,
CPA COLLEGE BODI

G. GUNASRI

RESEARCH SCHOLAR,
MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY

ABSTRACT

Khadi is very closely associated with India's freedom movement in today's world and it's a matter of pride for every Indians. khadi represented a powerful symbolic challenge to British imperialism, but Indians never realized it even after independence. During the freedom struggle many had worn khadi more for its political effectiveness than for love of the cloth, just as many had spun their own yarn more out of self-sacrifice and national duty than out of belief in the economic and moral benefits of hand spinning. But after the post-independence, Khadi products are not well attracted for major consuming customers. Though its products are diversified, their penetration levels of products among customers are very low. The study would highlight the marketing of khadi products in present generation and its efficiency and inefficiency of the study unit which in turn would help the study unit to improve further in its operations and set correct measures to increase its sales by improving customer's needs and wants. This study also examines the level of satisfaction of usage of products among customers. The present study will also help us to identify the ways how to promote khadi products in present market. This will help us to

specifically trace out the customer's opinion about the khadi products and what drives them to purchase the khadi products.

KEY WORDS: Post independence of khadi, present marketing, manufacturer's problem, customer's satisfaction.

INTRODUCTION

The Indian textile industry is in the process of responding to the changes in the global economy and has started utilising its strengths to build up an international status. Today, India is the second largest producer of textiles in the world, next to China. The Indian textile industry is one of the largest and oldest and considering the availability of inexpensive skilled workers and technician along with the availability of cotton in the country, it has been doing well in the recent past in terms of production and exports. In order to contribute substantially to the growth of the Indian textile industry, it is necessary to know the place of khadi in Indian textile industry. Marketing is one of the very crucial elements when it comes to products like Khadi. Further it is observed that Khadi has a limited market catering to few consumers who either believes in Khadi ideology or in the good qualities of wearing cotton clothes. Khadi, which symbolized self reliance and emancipation during the freedom struggle in India but it has lost its sheen over the years. And there are several reasons for the same. Post 1947, India opted for state led large scale industrialization. With many Indian industrialists setting up huge textile mills, the mass production of fine clothes led to the availability of clothes at lower prices. People began to buy machine- made textiles and thus Khadi began losing out to the mill fabric. In January 1953, the All India Khadi and Village Industries Board was set up to provide employment to thousands of spinners all over India. In 1957, the Khadi and Village Industry Commission (KVIC) were established to take over the work of the board. KVIC was formed as a nodal agency to

promote Khadi all over India through its exclusive outlets known as Khadi Bhandars. The Government of India (GoI) has ever since continued its support to Khadi. Khadi has been considered that it is root in the freedom struggle of India. Gandhi wanted Indians to spin their own cotton thread and to weave Khadi, thereby, providing employment to many Indians and contributing to the country's self-sufficiency.

POST INDEPENDENCE -DECLINE OF KHADI TEXTILE INDUSTRY

During the post-independence era, Indian industrialists set up capital intensive textile mills. Due to mass production, these mills could offer fine cloth at lower prices. Synthetic material like polyester was available at a very low price compared to Khadi. Thus despite all policy incentives to popularize Khadi, people bought machine made textiles.

In order to popularize khadi among the masses, in 1957, the government set up the KVIC. It had the following broad objectives:

- **The social objective of providing employment**
- **The economic objective of producing saleable articles, and**
- **The wider objective of creating self-reliance amongst the poor and developing a strong rural community spirit.**

Besides Khadi, KVIC also dealt with other products such as toilet soaps, detergents, honey, pickles, spices, incense sticks, handmade paper, leather, ceramics, and many other agro-based products. To keep the spirit of Khadi alive and promote it as a national fabric, KVIC has set up many outlets across India. As a result thousands of spinners, who wove the fabric could sell their output through the vast network of KVIC retail outlets. However, the situation did not improve much. The poor quality of garments sold through the KVIC outlets, resulted in customers' dissatisfaction. People even complained that the quality of Khadi had deteriorated and hence it faded easily. In the 1990s, very few people

bought Khadi. Khadi was bought only during the annual discount sale.

However, there were a few problems. According to designers, the production of Khadi was inconsistent and the cloth was prone to shrinkage and fabric stretch. Besides, fabric colours in khadi were also limited. Red tapism and bureaucracy prevalent in the Indian system further hampered the growth of the Khadi sector. In spite of having a wide distribution network, there were problems, especially middlemen. Corruption was rampant. With modernization and globalization, khadi is already suffering a loss of recognition. More and more people are turning to big, flashy fashion brands with non-Indian roots and less and less people are using traditional khadi clothes today.

STATEMENT OF THE PROBLEM

Khadi is the most ancient fabric product in the world. It is not just a cloth, but a whole movement started by Gandhiji. The khadi movement aimed to boycotting the foreign goods and promoting our Indian goods, thereby improving our country's economy. Mahatma Gandhi began to promoting the spinning of khadi for rural self employment and self-reliance. Khadi products usage will protect the welfare of the rural workers. The cloth is usually woven from cotton, and may include silk or wool. It is a versatile fabric, cool in summer and warm in winter. Though we have many benefits are behind in the khadi products now a days people prefer to buy mill made products rather than hand made products because they could enjoy high degree of sophistication in product design so, now a days using of khadi products declining day by day though the boards and commission for khadi, many of the people now a days don't know about khadi and why this movement was started, who initiated it and its impact. It is not well well promoted so, Khadi is still in the introduction stage and, is now becoming a brand.

Moreover most of the khadi societies are in moribund condition due to the shortage of

working capital. Khadi commission is dilly-dallying to provide working capital. Contrary to the directive of union government, Nationalized banks reluctant to provide working capital to the khadi agencies, resulting in serious financial problem for the khadi producing units and also the manufacturers have been facing problem due to liquidity crunch as the government is not paying the rebate regularly so the manufacturers couldnot promote their products and services widely. The major reason for the low demand of Khadi product is the low awareness.

Sale of khadi products are faced with substantial degree of competition from mill made and other products, which use superior technology and produce goods based upon consumer's taste. Besides khadi products are mainly labour intensive. It means that most of the production involves handwork and hence less amount of capital(i,e machines etc) is used. The production capacity of labour is mostly less than that of capital especially in case of bulk production. Hence, the capital intensive approach costs lesser than the labour intensive approach. Therefore, the cost of production of khadi products is more than the other products which are capital intensive. Since the cost of production is more therefore the selling price of khadi product also increased. Another important problem while marketing of khadi is high transport cost. As in the case of mill made product all the process of khadi clothes production would be done within the composite unit but when compare to khadi since it is handmade, it is needed to carry from one place to another place to finish the product completely so as it leads to high transportation cost. Moreover, as we are in the modern world many rural people are reluctant to work in the khadi industry so it has become inabundant of labour for production of khadi clothes hence the manufacturers could not produce the products as their expected target level thus it reduced

the sales and margin. So, the khadi industry has been facing a great challenge in the recent years. Hence this present study has been undertaken by the researcher.

OBJECTIVES OF THE STUDY

- To study the customer's preference towards the khadi products.
- To analyse the problems associated with present marketing of khadi clothes.
- To identify the satisfaction level of respondents towards khadi products.

RESEARCH METHODOLOGY

This study was conducted in Theni district in India. As of 2011 the Theni district has a total population of 1,245,899 with a sex ratio of 980 females for every 1,000 males. The total area of Theni district is 3242.3sq km and five taluks and 22 town panchayat and 130 village panchayat in Theni district. This present study is descriptive in nature and the structured questionnaire method was as a main tool for collecting the primary data. The data pertaining to demographic profile of the consumers, level of satisfaction, problems in marketing of khadi are collected through structured questionnaire and the secondary data have been collected from various articles and further details have been collected from the various data sources on the internet. The study covers both opinion of consumers and manufacturers. For the present study stratified random sampling technique was used to select a sample of 50 respondents from different taluks in Theni district. Simple average method and weighted average method are used as a tool for analysis of the data.

SCOPE OF THE STUDY

The government of India has not been concerned on some specific area of khadi marketing and it has not taken adequate steps to promote the khadi products. However, though the boards and commission for khadi in central and state level the khadi products could not be promoted as well due to some factors. Hence,

the study has been undertaken with a view to analyse the real problems existing in the present marketing of khadi products in the district of Theni and also to identify the reasons behind the low promotion of khadi products in present period of marketing.

DATA AND INTERPRETATION

SOCIO DEMOGRAPHIC PROFILE OF THE RESPONDENTS

S.NO	AGE	NO.OF.RESPONDENTS	PERCENTAGE
1	Upto 20 years	4	8
2	21- 30 years	9	18
3	31-40 years	23	46
4	Above 40 years	14	28
	Total	50	100

S.NO	AGE	NO.OF.RESPONDENTS	PERCENTAGE
1	MALE	24	48
2	FEMALE	36	52
	Total	50	100

S.NO	AGE	NO.OF.RESPONDENTS	PERCENTAGE
1	MARRIED	28	56
2	UNMARRIED	22	44
	Total	50	100


S.NO	AGE	NO.OF.RESPONDENTS	PERCENTAGE
1	SCHOOL LEVEL	8	16
2	UNDER GRADUATE	11	22
3	POST GRADUATE	9	18
4	PROFESSIONAL	22	44
	Total	50	100

S.NO	INCOME	NO.OF.RESPONDENTS	PERCENTAGE
1	5000-10000	9	18
2	10,000-15,000	14	28
3	15,000-20,000	7	14
4	Above 20,000	20	40
	Total	50	100

From the above table it is inferred that the majority of the respondents are falling under the age group of 31-40 years, 52% of the respondents belong to female, most(56%) of the respondents are married, majority (44%) of the respondents belong to professional and only 40% of the respondents earning above 20,000 per month.

TABLE NO: 6 PREFERENCES TOWARDS KHADI PRODUCTS

S.no	Factors	NO.OF.RESPONDENTS	% OF THE RESPONDENTS
1	Fashion	4	8
2	Uniqueness	6	12
3	Brand	5	10
4	Colour	2	4
5	Comfort	8	16
6	Climate suitability	11	22
7	Durability	3	6
8	Price	0	0
9	Quality	9	18
10	Innovative design	2	4
	Total	50	100%




It is revealed from the above table that the majority(22%) of the respondents prefer the khadi clothes for climate suitability but no respondents prefer for price factor.

TABLE NO:7

LEVEL OF CUSTOMER SATISFACTION IN USING OF KHADI CLOTHES

S.NO	DESCRIPTION	NO.OF.RESPONDENTS	PERCENTAGE
1	Highly satisfied	15	30
2	satisfied	22	44
3	neutral	8	16
4	dissatisfied	3	6
5	Highly dissatisfied	2	4
	Total	50	100

CHART NO: 7



It is observed from the above table that most(44%) of respondents satisfied for using of khadi clothes but only 4% of the respondents are highly dissatisfied in using of khadi clothes.

TABLE NO:8 REASONS FOR DECLINING OF KHADI PRODUCTIVITY

S.NO	FACTORS	Mean score	RANK
1	Production of khadi not according to market demands	3.20	VI
2	No new technical inputs	4.00	V
3	No new design inputs	13.06	I
4	No attracting the school and college going younger generation of boys and girls for wearing khadi	1.00	IX
5	Old generation who were firm on khadi wearing is decreasing	7.00	IV
6	Marketing of khadi on professional basis rather than sentimental basis	6.40	III
7	Many khadi institutions are closing down	2.00	VIII
8	KVIC has stopped issuing certificates for new khadi institutions	2.30	VII
9	Decrease in productivity means decrease in employability	9.18	II

It is inferred from the above table that most of the respondents feel no new design inputs in khadi it is major factor for declining of khadi productivity it scored a mean value is 13.06 and hold rank I and very few respondents feel no attracting the school and college going younger generation of boys and girls for wearing khadi it scored a mean value is 1.00 and hold rank IX.

SUGGESTIONS

1. It is suggested that the local government, state and central should come forward to conduct more awareness programmes to differentiate the khadi products from power loom and other mill made products and also to increase the level of satisfaction.

2. Quality is the major factor that influences the purchase decision of khadi customers. Hence it is suggested the weavers to maintain good quality and differentiate the handloom products from power loom and other mill made products.

3. Many people are not really aware of the khadi products and the benefits associated

with them. Hence, proper advertising campaigns is required to promote khadi product and to create awareness about khadi product among the people

5. In order to develop new designs which will suit the preferences of the younger generation and this can help attract them. Attracting the younger generation or youth would be beneficial to the weavers as they form a huge consumer base.

6. According to the consumer mind the marketing strategy has to be changed and make the sales effective.

7. Conducting more number of exhibitions and sales offers can be provided to the people for the purpose of awareness and this kind of exhibitions and sales offers may induce the people to purchase the khadi product, it can also more compete with other products.

8. Online presence needs to be enhanced by online marketing now a days the market is based on E- sales so the government must take effort to boost E- sales. This sales outlet which reaches millions at one given time.

CONCLUSION

In this present study on present marketing of khadi products in Theni district, an effort is made to understand the real problems existing in present marketing of khadi products also, to identify the factors influencing the buying of khadi customers and the overall customer satisfaction towards khadi products. From the study it has been found that the khadi industry has been adequately facing huge competition from power loom and miller made sector. Khadi industries rely extremely on subsidies and budgetary supports apart from that there was a shortfall in availing funds from banks and budgetary resources. Due to this problem khadi could not make huge production potentially.

As far as young generation is concerned, most of them they are not aware of about khadi product. If they are aware they are not ready to

accept it as major wardrobe. This is mainly due to limitations like less availability of colours, prints, textures etc. Apart from that inadequate infrastructure, poor marketing support and weakening distribution network has depleted an already fragile supply chain system. It was becoming extremely difficult for Khadi to compete with the high-tech, colour-fast, wrinkle-free, mill-made cotton and blends available today. However, Khadi, like any other craft of India, would need to face the challenge of quality, price and produce contemporary designs, which suit the tastes of the present generation.

REFERENCES

WEBSITES

- <https://www.businesswire.com>
- <https://www.researchgate.net/publication>
- <https://www.thekhadishop.com/pages/about-us>
- <https://indiankanoon.org>
- <http://www.khadiculture.com>
- <https://www.1kadum.com/khadi-awareness-bharat-bharaman>
- <https://www.researchgate.net>
- <https://issue.com/babasabpatil>
- www.innovativejournal.in
- http://shodhganga.inflibnet.inflibnet.ac.in/bitsream/10603/29002/7/07_chapter%202.pdf

ARTICLES

Khadi- Awareness and Promotion among youth, Volume: 04 issue:07, July- 2017.

Buying Behaviour of Khadi among the youth(21-29) of Jaipur and developing Innovative Khadi Products, Research Reinforcement, Year 2, Vol. II Nov. 2014 - April 2015

Rural consumers' attitude towards khadi products, **Mrs. Padmasani1, S. Muruganandan2 and M. Yazhini3** Assistant Professor & 2/3 Research Scholar, Department of commerce, Bharathiar University, Coimbatore.

A Case Study On Utilization of Video Clips in a Virtual Learning Environment of Accounting

DR. NITIN C. POPAT

PRINCIPAL,

SHREE H.N.SHUKLA COLLEGE RAJKOT

Abstract

It is all the more trying for bookkeeping understudies to learn and connect with the innovation, utilized in the bookkeeping field on account of an expansion in understudy numbers and a decrease in educators. We give a viable information on how video clasps can be made and used to show bookkeeping data frameworks. Video clasps of how to utilize Sage 50 Accounting are made by Camtasia Studio and appropriated to study in bookkeeping Information Systems.

Keywords: Accounting Education; Technology in the Classroom; Accounting Information Systems

1.Introduction

It is significant for bookkeeping understudies to have a superb handle of changing bookkeeping programming not with standing bookkeeping hypothesis behind it. Notwithstanding, it is all the more trying for bookkeeping understudies to learn and draw in with the innovation utilized in the bookkeeping field as a result of an expansion in understudy numbers and a decrease in instructors. For instance, there is little open door for bookkeeping instructors to have coordinated direct educational cost in the utilization of bookkeeping programming. A few understudies might be less certain to request that book

keeping instructors clarify the system again and it is particularly valid for universal understudies. In this paper, we give a down to earth information on how video clasps can be made and used to show bookkeeping data frameworks. Video clasps of how to utilize Sage 50 Accounting are made by Camtasia Studio and disseminated to understudies. The understudies' learning encounters show that video cuts help a great deal when they study in bookkeeping data frameworks class.

2.Literature Review

Video cuts are characterized as succession of sight and sound messages that present pictures, portrayal and content simultaneously

[1]. The writing has reported a few preferences of use of video cuts in instruction. In particular, video cuts are significant visual guides for language students by giving settings, activity, feelings and signals [2]. Video cuts are helpful in dental instruction [3]. Online video cuts help understudies to get the hang of showcasing [4]. Contrasted and clarifying something orally, there are a few preferences to utilize video clasps to show bookkeeping data frameworks. For instance, we can clarify how significant the physical security is obstructing coordinated supervision. Yet, it is greatly improved to show a video about various kinds of locks to defend resources. In spite of the fact that there are a few favorable circumstances of using video cuts, there still are a few burdens, for example, the nonappearance of individual collaboration between the understudies and the instructors. The use of video cuts in bookkeeping zones is outlined in the current writing [5]. In 2010 AICPA yearly national undergrad case rivalry, understudies are required to utilize video clasps to show their case arrangement. In 2011 AICPA understudy case rivalry, understudies are required to make and present a video on the point of Fraud and Forensic Accounting. Furthermore, increasingly bookkeeping teachers are starting

to utilize understudy video activities or assignments. For instance, bookkeeping teachers in the University of Illinois doled out an understudy gathering to make three recordings on “the significance of being free,” Professors of the Accounting Department at the University of Nevada, Las Vegas, administer understudies to do a video venture on the different work openings accessible to bookkeeping majors.

It is important to bring video cuts into bookkeeping data frameworks class in light of the fact that there are the operational troubles to show bookkeeping data frameworks. The expansion in understudy numbers and a decrease in instructors exacerbate things. For instance, when the understudies attempt to learn and utilize bookkeeping data frameworks, they need to recollect a few stages effectively to accomplish a goal. In the event that they can not complete one stage in the correct manner, they can’t proceed to complete different advances. Be that as it may, the constrained time in the class can’t let the instructors to fulfill the need of the understudies to recall everything. The video clasps can take care of this issue in light of the fact that the understudies can watch it over and over after the class. In our paper, we attempt to give a functional information on how video clasps can be made and used to show bookkeeping data frameworks.

3.The Class Project

In our bookkeeping data frameworks class, we need to give hands-on bookkeeping programming experience for understudies. So they can be increasingly aggressive in the activity advertise after they graduate. To accomplish this objective, we expect understudies to complete a bookkeeping venture utilizing the product Sage 50 Accounting, which is once called the Peachtree programming. The explanation behind us to choose Sage 50 Accounting is that it incorporates every single regular component and understudies can rapidly

become familiar with another bookkeeping programming dependent on their insight in Sage 50 Accounting. In particular, Sage 50 Accounting can “oversee income, client installments, and assortments; gain understanding with custom announcing for planning, income the executives, and benchmarking; get an elevated level perspective on your key measurements; track stock, plan buys, or extend administration contributions; and decrease blunders and deflect misrepresentation with screen-level security and an unmistakable review trail”.¹ Another significant explanation is that we can get instruction release of Sage 50 Accounting for nothing.

To additionally lessen understudies’ cost, we utilize a free practice set gave by Per disco. In this undertaking, “Understudies total a one-month bookkeeping cycle for an anecdotal business with all posting; journalizing and money related detailing finished utilizing the real Sage 50 bookkeeping software”.² Specifically, there are seven areas, for example, “perusing the organization’s bookkeeping arrangements and methodology”; “making the organization information document”; “establishing up organization precedents”; “recording exchanges”; “setting up a bank compromise”; “recording altering passages” and “printing reports, making a last reinforcement and presenting your work”. After understudies finish this task, our goal is to make them acquainted with how to utilize a bookkeeping programming to execute their bookkeeping information.

4.Video Clips as Teaching Aids

One test for bookkeeping understudies to get familiar with the elements of Sage 50 Accounting will be bookkeeping educators need more time to communicate with every understudy since an ever increasing number of understudies took a crack at bookkeeping data frameworks class. Also, a few understudies might be less certain to request that bookkeeping educators clarify the strategy again

in a huge gathering setting and an ever increasing number of global understudies exacerbate things. To take care of this issue, we acquaint video cuts with our bookkeeping data frameworks class and use it to record how to complete each segment and circulate to understudies. So understudies can watch it after class. Furthermore, when we attempt to respond to understudies question, we additionally use video clasps to record the appropriate response. So as to make video cuts, we utilize the product Camtasia Studio. "This product can without much of a stretch record the screen, PowerPoint introductions, web camera video, and sound; alter for proficient clean, improve for accentuation; Share completely clear recordings at any screen size... on Web pages, websites, CDs, or convenient gadgets like the iPod."3 In our bookkeeping data frameworks class, we attempt to complete each segment ourselves. Simultaneously, we record our PC screen utilizing Camtasia Studio. So the understudies can perceive how the mouse will proceed onward the PC screen to finish each area. For some troublesome parts, we zoom in and put some accentuation on it. We additionally record our talk into the video slips. At that point we circulate these video clasps to every understudy by email or our class site.

5.The Students' Learning Experience

Our underlying discovers are extremely positive and understudies have increased a great deal of advantages from these instructing helpers. As per interviews with the understudies in our bookkeeping data framework class, 70% of understudies answer "Yes" to the inquiry "Did you incline toward the computerized video exhibits to the balanced supervision?" 60% of understudies answer "Yes" to the inquiry "Did video cuts help you best when you study bookkeeping data frameworks?" 40% of understudies answer "Yes" to the inquiry "Did you feel sure to utilize bookkeeping data frameworks after this class?" which is higher

contrasted and 30% of understudies answer "Yes" to a similar inquiry when video cuts are not received. We additionally get some valuable remarks from the understudies. Understudies demonstrate that they might want to utilize the video cuts once more. They additionally remark that video cuts with under brief span are progressively suitable and video cuts with too long term may make them confounded, which is predictable with the discoveries by the current writing . They likewise noticed that video cuts help them having the option to converse with bunch individuals and finish the venture after the class. Further significant remarks made by understudies incorporate that it is smarter to have an assortment of configurations for them to download video clasps and afterward they about watch video cuts on various gadgets, for example, a huge screen, an iPod, and an Ipad.

6. Conclusion

This underlying investigation into the utilization of video clasps to improve bookkeeping understudies' learning encounters in bookkeeping data frameworks class can be viewed as fruitful, despite the fact that there are a few operational challenges to be settled later on. The utilization of the video cuts has extended the scope of ways that bookkeeping educators disperse information to bookkeeping understudies. This has empowered bookkeeping understudies to get the hang of bookkeeping data frameworks by a multi-layered learning approach, which incorporates a blend of conventional talks and video cuts. We would like to proceed with this investigation with different associates of understudies later on.

REFERENCES

[1] R. E. Mayer, "Multimedia Learning," In: B. H. Ross, Ed., *The Psychology of Learning and Motivation*, Vol.41, Academic Press, San Diego, 2002,

[2]M. Mckinnon, "Teaching Technologies : Teaching English Using Video

[3] W. Smith, R. Rafeek, S. Marchan and A. Paryag, "The Use of Video-Clips as a Teaching Aide" European Journal of Dental Education, Vol. 16, No. 2, 2012,

[4] J. Lance and P. Kitchin, "Promoting the Individual Learning Styles of Masters Students Studying Marketing-related Modules through the Use of YouTube VideoClips," Investigations in University Teaching and Learning, Vol. 4, No. 2, 2007, .

[5] M. Holtzblatta and N. Tschakertb, "Expanding Your Accounting Classroom with Digital Video Technology" Journal of Accounting Education, Vol. 29, No. 2-3, 2011,

[6] A. Chan and M. J. W. Lee, "An MP3 a Day Keeps the Worries Away: Exploring the Use of Podcasting to Address Preconceptions and Alleviate Pre-class Anxiety amongst Undergraduate Information Technology -2005

[7] Use of Video Clips in a Virtual Learning Environment of Accounting Information Systems Class—A Case Study Baozhou Lu, Liang Song -2013



Linguistic diversity in South East Asia with especial reference to Arabic language

Dr. Md. Shamsuddin Mallick

Assistant Professor, Dept. of Arabic and Persian,
University of Calcutta (W.B, India) Kolkata
(A Principal Investigator of the Research
Project regarding South-East Asia, focus area
II: India Looking East, sponsored by the UGC/
UPE-II,India)

Introduction:

Southeast Asia is an area of great linguistic diversity: There are over three hundred languages in the Indonesian area alone. Of these languages, Malay was known throughout the region as a lingua franca as early as the sixteenth century .It had also been established as a vernacular of Islam and as a language of the court for areas as far afield and diverse as Malacca, Aceh, and Makassar. It is this very early diffusion of the language, with its religious, economic, cultural, and chancellery roles, that led to its adoption in the twentieth century, in slightly different forms, as the national language of both Malaysia and Indonesia, where it became known as Bahasa Malaysia and Bahasa Indonesia, respectively. Of course, other languages of the same family were to become vehicles of Muslim learning and culture, in particular Javanese, Sundanese ,Madurese, and some of the languages of southern Sulawesi. Brief Discussion Language patterns in Southeast Asia are highly complex and are rooted in four major language families: the Sino-Tibetan, Tai, Austro-Asiatic, and Austronesian (Malayo-Polynesian). Languages derived from the Sino-

Tibetan group are found largely in Myanmar, while forms of the Tai group are spoken in Thailand and Laos. Austro-Asiatic languages are spoken in Cambodia, Laos, and Vietnam. The languages of Malaysia, Indonesia, and the Philippines are rooted in an Austronesian and Polynesian stock. Despite this broad generalization, it must be noted that innumerable separate languages as well as dialects are used in the region. This linguistic diversity is especially conspicuous in fragmented areas such as the Philippines and Indonesia and in highland and remote areas on the mainland, and it has been a retarding factor in national integration and development. Notable in this regard is Myanmar.

Dominant languages do exist in most of the nations. Burmese and Thai are spoken by large groups of people in Myanmar and Thailand, respectively. Similarly, Khmer is the primary language in Cambodia, as is Vietnamese in Vietnam. Within the Philippines, Pilipino (Filipino) and English are the official languages, but Tagalog and Visayan also are important. Malay and Indonesian are, respectively, the official languages of Malaysia and Indonesia; these languages are quite similar and are mutually intelligible. Indonesian is a good example of a true national language and is spoken widely across the archipelago. Thus, unlike in Myanmar, language actually has been a unifying element in the country.

Although Javanese had a far richer literary tradition than did Malay, none had the latter's widespread social and geographical diffusion, and none could challenge its authority as the ideal medium for the vernacularization of Islam.

Its role as a language of Islam is also made evident by the well-nigh universal use of a form of the Arabic script for its written transmission up to modern times, supplanting a script of Indic derivation that had been used for inscriptions before the coming of Islam.

Other languages that accepted the Arabic script include Taosug and Maranouw from the southern Philippines, and it was also used alongside scripts derived from Indian syllabaries for writing Javanese and Sundanese.

There is only one example of the use of an Indic script for an already Islamized Malay. This is found on a tombstone from Minye Tujuh in Aceh marking the grave of a Queen Alalah, daughter of a Sultan Malik al-Zahir, who was a khan and a son of a khan (the title suggests a foreign origin). Dated in the equivalent of 1389 ce, it is written in an Indian script, and possibly in an Indian meter; if this is so, it shows a remarkable skill, even at this early period, in using Arabic loanwords within the requirements of Indic meters. The Malay inscription on the Trengganu stone, it will be recalled, was written in the Arabic script. The fact that there is a gap of almost two centuries between this tombstone and the earliest surviving manuscripts simply emphasizes how arbitrary are the constellations of chance that provide material for knowledge of the progress and forms of Islam in the region. By the seventeenth century Malay had absorbed a rich stratum of Arabic loanwords and the acceptance of Arabic structures, along with some elements of Arabic morphology, provides striking evidence of the permeation of the region by an Islamic ethos and its modulation to the expression of Islamic ideas. Many of these ideas relate to religious matters, for example, those relating to the ritual prayer, marriage, divorce, and inheritance. Some Arabic words have undergone a narrowing: that is to say, they have lost a general meaning and kept only a religious one. Others range from technical terms, relating to religious matters and the administration of religious law, or terms of medicine, architecture, and the sciences, to the most common everyday expressions. Sometimes the words are so thoroughly assimilated that they would pass unrecognized unless one were able to identify them as Arabic by following through the

patterns of sound change that Malay imposes on the loanwords it absorbs. Most remarkable is the adoption of an Arabic word to refer to local systems of culture, law, and traditional usage: *adat* (Arab., *ʿādah*). In fact, the concept identified by the word is so characteristically Malay that it would not be recognized as an Arabic word unless its origin were pointed out. The number of common Arabic words in Malay—whether borrowed directly from Arabic or indirectly from other languages such as Persian—is well over a thousand. With the growing intensity of Islamic awareness since the 1980s, the number continues to increase as individuals respond to an increasing need to demonstrate their Muslim identity.

It is not only Malay that has received a large corpus of Arabic loanwords; the same is true of many of the Malay-related languages in Sumatra, Java, and Borneo, notably Javanese, Sundanese, Madurese, Acehnese, and Minangkabau. The establishment of Muslim communities in the Philippines likewise brought numbers of loanwords to various Philippine languages. In Tagalog the number is relatively small, but in the southern Philippines, where Muslim communities are concentrated, they are more numerous.

A fragment of a stone pillar inscribed in Malay in Arabic script which may be dated between 1321 and 1380—a fragment of the inscription is missing—marks the presence of a Muslim community. By the fifteenth century there is sporadic but more substantial evidence of Muslims in the East Javanese empire of Majapahit, again from gravestones. Probably they belonged to communities of merchants, but this too is hardly more than surmise. Just as there were Muslims in Java, there is evidence that there were Muslims in the great Buddhist empire of Srivijaya based on South Sumatra, an empire that thrived on trade and maintained close relations with China and India.

This absorption of Arabic words in large

measure derived from the study of Arabic works on the fundamental Islamic disciplines of Qurʾānic exegesis, traditions, and jurisprudence, as well as *ḥukm* and practice and spirituality i.e., *tafsīr*, *ʿadāth*, *fiqh*, and *tacawwuf*. It is only from the late sixteenth century that manuscripts from these traditions survive, whether in Arabic or in Malay or other regional languages such as Javanese. The Arabic manuscripts, some doubtless copied on the instructions of, or at least the permission of, a teacher in the Muslim Holy Land are of various levels of difficulty. Of works of *tafsīr*, that known as *Al-Jallayn* is the most popular.

In fact it contains *mulum* in *parvo* and is an excellent work for early levels of study, ideally suited for students who, though trained in an Islamic school, are not native speakers of Arabic. After *Al-Jallayn*, *al-Bayhaqī's Anwar al-tanzīl* takes pride of place, followed by *al-Khazīnī's Lubb al-taʾwīl* and *al-tanzīl*. There are in addition fragments of *ḥukm* commentaries, including *al-Bayhaqī's Kitāb al-tahdhīb* and *al-tafsīr* copied in 1652.

An important figure of state, *Shams al-Dīn* was the author of a significant corpus of writings in both Arabic and Malay. He is in fact the first local author known to have written original works in Arabic, a tradition which was long to continue. The single most important work that he used as the basis for his teaching was a summary of the key ideas of *Ibn al-ʿArabī's* system set out in a framework of seven grades of being proceeding from the undifferentiated Absolute through six manifestations to the Perfect Man first formulated by the Indian *ʿAlī Muḥammad ibn Fādl Allāh* (d. 1590) and effectively displaced that of *al-Jānānī*, which had been used by *Ṣamzāh Fānckrī*.

By the second half of the seventeenth century, *ʿAbd al-Raḥmān* (1615–1690) had prepared a full rendering of the *Jallayn tafsīr* in Malay. It was extended by one of his students, *Dwkd al-Rkmī*, by selections from the *qirāʾat*

literature and citations from the tafs+r s of al-Khzinand al-Bay w+. It is still reprinted with the misattribution on the cover title Tafs+r al-Bay w+. This rendering into Malay of the Jallayn means in effect that there was a full vernacularization of the Qur%n in Malay, albeit embedded in an authoritative commentary before the end of the seventeenth century.

There are a number of similar court and dynasty based histories of the states of the Malay peninsula. Despite Arabic words in their titles, however, many of them have more in common with the Malay folk tradition than of Arabo-Persian historiography. In fact, up to the late nineteenth century only in a few cases did works of this kind develop with the concern for date and fact that characterizes Muslim historiography as a whole. One is the historical writing of Nkr al-D+n al-Rn+r+, an itinerant scholar of Gujarati origin (an illustration of the significant role expatriate  ulam ¼ played in the religious life of the region). ...

There are sophisticated programs in Islamic studies at university level, and in 1983 was founded the International Islamic University at Kuala Lumpur. It has established itself as a high quality institution with faculties across the disciplines alongside Islamic revealed knowledge and human sciences, Arabic, fiqh and uckl al-fiqh. It has a highly trained and internationally qualified staff, and over ten thousand students. Languages of instruction are Arabic and English.

Conclusion

Numerous languages also have been introduced into the region by immigrant populations. Perhaps most significant are the variety of dialects spoken by the Chinese communities in many Southeast Asian countries. The most commonly used are Cantonese, Hokkien, Hakka, and Teochew, reflecting the southern Chinese coastal origins of many of the immigrants. The largest concentration of Chinese speakers is in Singapore, where

they constitute the majority population. Concentrations of ethnic Chinese also live in most of the larger urban areas of the region. Indian immigrants also are numerous and are associated with the economic development of several Southeast Asian nations. Their role as labourers on the rubber plantations of Malaysia is well known, and Tamil and Hindi speakers form significant minorities in the country. Indian communities also are scattered throughout the region and are especially conspicuous inconspicuous in Singapore and Myanmar.

References:

- 1) Abu-Absi, Samir. "The Modernization of Arabic: Problems and Prospects," *Anthropological Linguistics*, Fall 1986, 337-348.
- 2) Hefner, Robert, W. *Hindu Javanese. Tengger Tradition and Islam*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1985.
- 3) Keeler, Ward. *Javanese Shadow Plays, Javanese Selves*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1987
- 4) Cowan, J. Milton, ed. *Arabic-English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic*, 4th ed. Ithaca, New York: Spoken Language Services, Inc., 1994, 951-52.
- 5) Alan S. Kaye, "Adaptations of Arabic Script," in Peter T. Daniels and William Bright, eds. *The World's Writing Systems*. New York and Oxford: Oxford University Press, 1996 743-62
- 6) Ibrahim, Ahmad; Siddique, Sharon; and Hussain, Yasmin, eds. *Readings on Islam in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985.
- 7) Cannon, Garland. *The Arabic Contributions to the English Language: An Historical Dictionary*. Alan S. Kaye, Collaborator. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1994.



CROP DIVERSIFICATION IS NEED IN SEVEN DISTRICT OF HARYANA: A GEOGRAPHICAL ANALYSIS

SANTOSH KUMAR
Assistant Professor,
Govt. College Barota

NISHA
M.Phil, Deptt. Of Geography,
Maharshi Dayanand University Rohtak

ABSTRACT

The Present study covered Haryana state. Haryana is a landlocked state of India lies in northern part. This study fulfils the following objectives. (1) To find out why Haryana farmers switch Paddy to maize. (2) To find out agricultural schemes in Haryana. The present study has been conducted on secondary data, collected from Economic survey of Haryana. Data is analyzed with the help of general statistical techniques and ARC GIS 9.3 software. The Haryana government has implemented a number of schemes which have led to the development of the farmer of Haryana.


KEYWORDS: Agricultural schemes, Jal Hi Jeevan Hai.

STUDY AREA

The Present study has been conducted on Haryana state. Haryana is a landlocked state of India lies in northern part. It is bounded on the north-west by the state of Punjab and the Union Territory of Chandigarh, on the north and north-east by the states of Himachal Pradesh and Uttarakhand, on the east by the state of Uttar Pradesh and the Union Territory of Delhi, and on the south and south-west by the state of Rajasthan. It is located between

27°37' to 30°53' N latitude and between 74°28' and 77°36' E longitude. The name of Haryana is derived from Hari (the Hindu god Vishnu) and ayana (home), means "The Abode of God". The total geographical area of Haryana is 44,212 square kilometre. Haryana is a small State with 2.53 Lakh (Census of India 2011) Population. For administrative purposes, the State has been divided into 22 Districts.

Map no.1 Haryana



OBJECTIVES

The present study has been carried out to fulfil following objectives:

- 1) To find out why Haryana farmers switch Paddy to maize.
- 2) To find out agricultural schemes in Haryana.

DATA SOURCE AND METHODOLOGY


An analytical study has been carried out to obtain the above mentioned objectives. The present study has been based on secondary data, collected from Economic survey of Haryana 2015-16 and Haryana Statistical abstract 2015-16. An attempt has been made to highlight the data by using appropriate tables and maps. Data is analyzed with the help of general statistical techniques and ARC GIS 9.3 software.

INTRODUCTION

The Haryana government has implemented a number of schemes which have led to the development of the farmer of Haryana. Jal hi Jeevan Hai scheme is for replacement of Paddy by Maize and other crops in 7 dark zone

blocks. The farmers of seven districts of Haryana including Ambala, Kurukshetra, Jind, Kaithal, Karnal, Sonapat and Yamunanagar have shown

Map: Seven Dark Zone District of Haryana



A keen interest in crop diversification scheme called 'Jal Hi Jeevan Hai' of the Haryana government which promotes to diversify paddy area into maize, arhar dal and soybean. Under this pilot scheme, the government initially kept the target of diversifying 50,000 hectares of paddy in particular selected blocks of seven districts. The farmers who are registering under this scheme want the government to fulfil its promise and procure the production of maize, soybean and arhar dal on the minimum support price (MSP). Due to continuous paddy growing in the State, about 1 meter of water table is depleting per year. By diversifying the area of non-basmati paddy into maize under this scheme, the total saving of water is expected to be 0.71 crore cm (1 cm = 1 lakh litres of water). Haryana over the years has led to 60 dark zones in the State, which include 21 critical ones in 10 districts.

REASONS FOR DEPLETION

Increased demand: for water for domestic, industrial and agricultural needs and limited surface water resources lead to the over-exploitation of groundwater resources.

Limited storage facilities: owing to the hard rock terrain, along with the added disadvantage of lack of rainfall, especially in north-central Indian states.

Green Revolution: enabled water-intensive crops to be grown in drought-prone/ water deficit regions, leading to over-extraction of groundwater.

Frequent pumping: of water from the ground without waiting for its replenishment leads to quick depletion.

Subsidies: on electricity and high MSP for water-intensive crops are also leading reasons for depletion.

OBJECTIVES OF THE SCHEME:

- To reduce the area of water guzzling crops in Haryana.
- Induction of technological innovation for establishing alternate crops for sustainable agriculture.
- To introduce Resource conservation.
- To restore ground water table.
- To control soil fatigue because of rice-wheat cycle and introduce soil conservative and micronutrients balanced crop for the soil.
- To shift the farmer from paddy wheat cycle and give more profitable crop options to the farmers.
- Ensure purchase of produce of this diversified area through MSP and also give farmer input support and cover his risk by insuring them completely under PMFBY by paying their insurance premium by the Government with an overall objective of increasing farmers' income which will step forward in achieving 'doubling of farmers' income goal.

AGRICULTURAL SCHEMES FOR FARMER IN HARYANA

For the development of agriculture in Haryana, the Haryana government has implemented a number of schemes which have led to the development of the farmer of Haryana. Which are as follows:-

- 1) Crop Diversification
- 2) Training camps (State Level Kisan Mela, District Level Kisan Mela and Block Level Ghosti)

- 3) Pardhan Mantri Fasal Bima Yojna
- 4) Soil health card
- 5) Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)
- 6) National Food Security Mission (NFSM)
- 7) Direct Seeding of Rice (DSR)
- 8) On-farm Water Management programme
- 9) Distribution of certified seeds through outlets of Institutional Agencies such as MINIBANKS, HAFED, HLRDC and HAIC etc.
- 10) Land reclamation scheme (water saving technology)
- 11) Sub mission of agricultural mechanization (swam)
- 12) National mission on sustainable agriculture.
- 13) Jal hi Jeevan Hai.

CONCLUSION

The Haryana government has implemented a number of schemes which have led to the development of the farmer of Haryana. Haryana government has decided to discourage paddy crop sowing as the State was staring at a water crisis due to depleting groundwater level. During the 1970s, maize and pulses were major crops in Haryana, but they have been replaced by water-guzzling crops such as paddy and wheat.

REFERENCES

- 1) Economic Survey of Haryana
- 2) Haryana Statistical abstract
- 3) Haryana vision 2030
- 4) State of Indian agriculture
- 5) <http://agriharyana.gov.in/assets/images/schemes/BriefWriteup2015-16.pdf>
- 6) <http://esaharyana.gov.in>
- 7) TOI



16

Impact of GST on Small & Medium Enterprises

Dr. K. N. Shewale

HOD Dept. of Comm.,
Y D V D Arts, Comm & Science College
Teosa, Dist- Amravati

Abstract

Tax system in India is Very old and prominent System Goods and Services Tax is meant to bring every indirect form of tax under one roof. Ease of doing business removes cascading effect reduces the tax burden on new businesses . Improved logistics and faster delivery of services are some of the positive point of the newly implemented of goods and services tax. Currently the total tax levied by the central and state government add upto 32% but with the implementation of GST the business owners have to pay a much lower tax of around 18-22 percent.

At present the total tax collection in India is around 14.5 lakh crore of which 34% is indirect tax. Indirect taxes include service tax ,stamp duty, customs duty, VAT etc. It refers to the collection of tax indirectly by the government of India. In most of the developing countries the share of indirect tax is higher than the direct tax. However in the developed countries the share of indirect tax is much lower. Therefore the new GST implementation will allow the Government to have a better grip on the tax payers. This should be capable of evolving the entire tax system.

How will GST help small to medium enterprises ?

GST is meant to bring every indirect form of tax under one roof. For small and medium

sized business, owners or manufacturers have to take care of different taxes and have to run to various departments to fulfill all the tax related documentation. Some file different taxes biannually, annually, half yearly etc. The more departments the more is the harassment. Currently the total tax levied by the central and the state government add upto 32%, but with the implementation of GST, the business owners have to pay much lower tax of around 18-22 percent. Moreover, they do not have to pay different taxes to various departments it make the job very much easier for every business owner.

Direct Impact of GST on Small and medium enterprises:-

GST will help and ease the process of starting a business in India. Earlier, every business in India was required to obtain VAT registration, which differ in every state and the rules and the regulation are different. Thus it was a very confusing procedure, However under GST the business have to only register for GST which will have a centralized process, similar to service tax.

Currently for any business it is mandatory to make a VAT payment if the annual turnover is more than 5 lakh in few states and 10 lakh in few other states. This difference in various states Greates confusion. Under GST a business does not have to register or collect GST if the annual turnover is 10 lakh. This is applicable to every state. This will allow many small business which have a turnover between 5-10 lakh to avoid applying for the GST return.

GST allows small and medium business to do business with ease in India due to the less complexity. The distinction between the services and goods will be gone, and this will make compliance easier.

Conclusion :- Goods and service tax with end to end it enabled tax mechanism is likely to bring buoyancy to government revenue. It is expected that the malicious activity of tax theft will go away under goods and service. Tax regime in order to benefit both government as well as the consumer.



डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राजकीय विचार

डॉ. एस. जे. इंगळे

के.आर.एम.महाविद्यालय नांदेड

प्रस्तावना :-

आधुनिक भारताच्या इतिहासात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सारखा कर्ता सुधारक सापडणे अशक्यच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रूपाने प्रकांड पंडीत, प्रज्ञावंत लेखक, प्रचंड क्षमतेच्या संघटक आणि अस्पृश्याचा कैवारी डॉ. आंबेडकरांच्या रूपात भारताने अनुभवला आहे. कारण भारतातील वंचित, शोषित आणि पिडीत समुदायाच्या मानवी हक्कासाठी विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संबंध आयुष्यभर लढा दिल्याचे दिसून येते. देशातील वंचित समुदायाला त्यांचे मानवी अधिकार प्राप्त करून देण्यात त्यांचे ऐतिहासिक योगदान आहे. डॉ.आंबेडकरांनी राजकीय शक्तीचे महत्त्व ओळखले होते. राजकीय शक्ती ही सर्व सामाजिक प्रगतीची किल्ली आहे. राजकीय शक्तीशिवाय या विश्वात आपण आपले अस्तित्व टिकवून ठेऊ शकत नाही असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. मानवी हक्कांसाठी त्यांनी अनेक सामाजिक आंदोलने केली, लढे उभारले, वंचित, अस्पृश्य, मजूर लोकांमध्ये राजकीय जागृती घडवून आणणे आणि त्यांची संघटीत राजकीय शक्ती निर्माण करण्यासाठी त्यांनी विशेष कार्य केले. तसेच त्यांच्यात लढण्याची प्रेरणा जाणीव जागृती निर्माण करण्याचे कार्य केले. स्वातंत्र्य, समता, बंधूता या तीन तत्वांना महत्त्व दिले. त्यांनी मानवतावादी दृष्टीकोन स्विकारला. लोकशाही मार्गांनी जे काही करता येईल ते त्यांनी करण्याचा प्रयत्न केला.

भारतीयांवर हजारो वर्षे लादण्यात आलेली राजेशाही, गुलामी वेढबिगारी संपवणारा व लोकशाही, मुलभूत मानवी अधिकार, सन्मानित जगण्याचा अधिकार देणारा मौलीक दस्तऐवज म्हणजे आपली भारतीय राज्यघटना आहे. ही राज्यघटना त्यांच्या संकल्पनेचा परिणाम होय. त्यांनी केलेले कार्यकर्तृत्व समग्र भारताच्या इतिहासातील कालखंडाला त्यांनी केलेल्या विचार चिंतनाने व विचार कार्याने व्यापून टाकल्याचे दिसून येते म्हणून त्यांचे हे विचार

कार्य आधुनिक भारताच्या इतिहासात अनन्य साधारण स्वरूपाचे मानले जाते.

लोकशाही आणि डॉ.आंबेडकर :-

डॉ.आंबेडकर हे लोकशाहीचे महान उपासक होते व भारतीय लोकशाही बलशाही झाल्याशिवाय भारतीय समाज व राष्ट्र बलशाली होणार नाही, हा विचार त्यांनी मांडलेला दिसून येतो. डॉ.आंबेडकरांनी लोकशाहीला जीवनाचा एक मार्ग म्हटले आहे. कारण लोकशाहीत माणसांच्या स्वातंत्र्याचा, त्यांच्या जगण्याचा आणि मानवी अधिकारांचा विचार महत्त्वपूर्ण मानला जातो. परंतु त्यासाठी आदर्श समाज असल्याशिवाय लोकशाही जीवनाची कल्पना करणे त्यांना शक्य नव्हते. "ज्या समाजात असमानता नाही, कायदा व शासन समान आहे, जेथे बहुसंख्येच्या बळावर अराजक नाही. सामाजिक नितिमत्तेला जेथे प्राधान्य आहे आणि जनमत जेथे जागृत आहे अशाच देशात लोकशाही नांदेल; लोकशाहीत एका व्यक्तीचा, एका पक्षाचा, किंवा एका गटाचे हित अभिप्रेत नाही व स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा कणा आहे. म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार मिळाले पाहिजेत तसेच सर्वांच्या हिताचे संरक्षण केले पाहिजेत."असे त्यांचे मत होते.

लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी पूढील उपाय सुचविले आहेत.

१) घटनात्मक बाबी - रक्तमय क्रांतीचे मार्ग त्यांनी त्याज्य मानले.

२) विभूतीपुजेचा त्याग करावा.

३) विरोधी पक्षाचे अस्तित्व असावे.

४) सामाजिक लोकशाहीचा पाया खंबीर केला तरच राजकीय लोकशाही टिकू शकते.

"डॉ. आंबेडकरांनी स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व ही तीन तत्वे जीवन तत्वे म्हणून मानली होती. त्यांच्या मते या तत्वापैकी एक जरी तत्व संपूष्ठात आले तरी लोकशाहीचा हेतू विफल होऊ शकतो. कारण त्यांना जाणीव होती की भारतीय समाज हा सामाजिक श्रेणीयुक्त विषमतेवर आधारित आहे म्हणून घटना समितीला त्यांनी ज्या वर्गांना अशा प्रकारच्या विषमतेची झळ पोहोचेल ते वर्ग राजकीय लोकशाहीच नष्ट करतील."असे म्हटले आहे.

भारतीय राज्यघटनेत आर्थिक लोकशाहीची कल्पना त्यांनी मांडली. ज्यांना प्राथमिक किंवा जीवनावश्यक गोष्टी मिळत नाहीत अशांचे समाधान करण्यावर व त्यांना माणुसकीचा दर्जा प्राप्त करून देण्यावरच भारतीय लोकशाहीचे यश अवलंबून आहे असे त्यांना वाटते. या संदर्भात डॉ.गंगाधर पानतावणे स्पष्ट करतात

की, सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीशिवाय राजकीय लोकशाही टिकूच शकत नाही. कारण त्याच उभ्या, आडव्या धाग्यांनी लोकशाहीचे वस्त्र विणले जात असते असे डॉ. आंबेडकरांना वाटते. म्हणजे लोकशाहीच्या विकासासाठी केवळ राजकीय लोकशाही पुरेशी नाही तर सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन ते करतात. म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांची लोकशाहीचे दोन भाग पाडले आहेत.

१) राजकीय लोकशाही २) सामाजिक लोकशाही

राजकीय लोकशाहीतून सामाजिक लोकशाही निर्माण करण्यासाठी राजकीय पक्षाने झटले पाहिजे. कारण सामाजिक व आर्थिक उद्देश सफल झाल्याशिवाय लोकशाहीचे अस्तित्व त्यांच्या मते अपूर्ण आहे. म्हणून खरी लोकशाही ही राजकीय, आर्थिक व सामाजिक असली पाहिजे असा त्यांचा आग्रह असल्याचे दिसून येते.

डॉ. आंबेडकर आणि राज्यघटना :-

"डॉ. आंबेडकरांना स्वतंत्र भारतीय राज्यघटनेचे मुख्य शिल्पकार व थोर कायदेपंडीत म्हणून ओळखले जाते. डॉ. आंबेडकर हे अत्यंत विद्वान व बुद्धिमान वकील म्हणून त्यांची किर्ती होती. म्हणूनच त्यांना स्वतंत्र भारताची राज्यघटना बनविण्यासाठीच्या मसूदा समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले होते. मसूदा समितीने तयार केलेला मसूदा डॉ. आंबेडकरांनी सादर केला त्यावेळी ते म्हणाले की, राज्यघटना म्हणजे राज्याच्या विविध यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी तयार केलेली ही व्यवस्था आहे. "घटनेच्या उद्देश पत्रिकाप्रमाणे भारतीय राज्य घटनेची उभारणी स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व व न्याय या चतुःसुत्रीवर आधारलेली आहे. तरीही या तत्वांच्या फायदा सामान्य माणसाला होणार नाही याची जाणीव डॉ. आंबेडकरांना होती. म्हणून "ही राज्यघटना जर सामान्य माणसाचे प्रश्न सोडवू शकली नाही तर या देशातील दलित, श्रमिक, कष्टकरी हातात टेंभा घेऊन ही राज्यघटना आणि संसद भवन जाळल्याशिवाय राहणार नाही." असे उद्गार ते काढतात. राज्यघटनेत मूलभूत हक्क, मार्गदर्शन तत्त्वे, केंद्र सरकार, संसद, एकसंधीय न्याय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, घटना दुरुस्ती इ. चा समावेश असला तरी केवळ 'लोकांचे कल्याण' साधणे हाच सर्वांचा उद्देश आहे. अर्थात पूढे ते म्हणतात, "कोणतीही राज्यघटना परिपूर्ण नसते, तसेच मसूदा समितीने तयार केलेली घटना एक चांगली म्हणण्यास योग्य आहे, ती लवचिक असून शांतता व युद्धाच्या काळात देशास बरोबर घेऊन चालण्यास पुरेशी बळकट आहे. परंतु या राज्यघटनेनुसार काही वार्डेट गोष्टी घडल्या तर घटनाच चूकीची

आहे असे म्हणता येणार नाही तर घटना राबविणारा शासक योग्य नव्हता असे याबाबत म्हणता येईल, म्हणजेच ज्यांच्या हाती सत्ता असेल त्यांच्या सत्ता राबविण्यावरच ती राज्यघटना चांगली की वार्डेट हे ठरेल असे त्यांचे मत ते व्यक्त करतात."

राष्ट्रीय एकात्मता व डॉ. आंबेडकर :-

डॉ. आंबेडकर हे प्रखर राष्ट्रवादी होते. आपल्या अस्पृश्य बांधवांचे हित साधतानाही त्यांनी राष्ट्रहिताला प्रथम प्राधान्य दिले होते. कारण अस्पृश्य समाजाला त्यांनी इतर समाजापासून वेगळे करण्याचा किंवा हिंसक बनण्याचा अतिरेकी विचार कधीच दिलेला नाही हे त्यांच्या विचारकर्तृत्वावरून आपल्या लक्षात येते. या संदर्भात डॉ. गंगाधर पाणतावणे लिहितात, 'ज्यावेळी माझ्या समोर राष्ट्रहीत कि स्वसमाज हीत असा प्रश्न उभा राहिल त्यावेळी माझ्या स्वसमाज हितापेक्षा राष्ट्रहितालाच मी अधिक महत्त्व देऊन आमचे काहीही अहीत झाले तरी ते मी आनंदाने पत्करिन. एक गोष्ट मात्र मी अभिमानाने सांगू शकतो, ती ही की अस्पृश्यांचे हित साधत असतांना मी राष्ट्राचे अनहित कधीही केले नाही' व यापुढेही कधी करणार नाही. ज्या ज्या मार्गाने मला राष्ट्राची सेवा करता येईल त्या त्या मार्गाने मी राष्ट्राची सेवा करिन. " असे भावोद्गार एके ठिकाणी डॉ. आंबेडकर काढतात. खरे तर डॉ. आंबेडकरांसारख्या व्यक्तीच्या वाट्याला ह्यातभर भारतीय समाजाकडून अवहेलना मिळूनही त्यांनी राष्ट्रावर इतके प्रेम केले ही गोष्ट निश्चितच विशेष व महत्त्वपूर्ण आहे.

डॉ. आंबेडकरांच्या मते "राष्ट्रीय एकात्मतेला जातीय भावनेपासून जास्त धोका आहे. जात, वर्ण व संप्रदाय यांच्याविना सामाजिक बंधूता प्रत्यक्षात आणणे आणि समाजात सुसंबंध निर्माण करणे म्हणजेच राष्ट्रवाद होय असे त्यांना वाटते म्हणून भारतातील जातीमुळे फुटीर प्रवृत्ती वाढली असून त्यामुळे राष्ट्रवाद साकार होऊ शकत नसल्याचे ते सुचित करतात."

संसदीय शासन प्रणाली :-

डॉ. आंबेडकरांची समाजवादी विचारांवर श्रद्धा होती ते स्वतःला समाजवादी म्हणवून घेत असत. त्यांच्या विचारातील समाजवाद यशस्वी करता यावा म्हणून ते संसदीय शासन पद्धती महत्त्व देतात. त्यासाठी 'एक माणूस एक मत, एक मूल्य, ' हे तत्त्व ते मान्य करतात. कारण या शासन पद्धतीतून समाजवाद आणता येईल. यावर ही त्यांच्या विश्वास होता.

संसदीय पद्धतीच्या शासन व्यवस्थेचे तीन विशेष ते सांगतात. १) अनुवंशीक सत्तेला विरोध २) संसदेत जनतेच्या प्रतिनिधींना कायदे तयार करावयाचे असतात. म्हणजेच

प्रतिनिधीमार्फत जनतेने राज्य करावे शासन प्रकार त्यांना उत्तम वाटत होता. ३) सर्व कायदे कानून करणाऱ्यांनी जनतेकडे परत गेले पाहिजे व जनतेचा विश्वास असल्याबद्दल खात्री करून घेतली पाहिजे.

हा शासन प्रकार मानवनिर्मित असून मानवाच्या क्रांतीसाठी आणि सुखासाठी योग्य असल्याची त्यांची धारणा होती. थोडक्यात संसदीय लोकशाहीवर डॉ.आंबेडकरांची निष्ठा असल्याचे दिसून येते.

डॉ.आंबेडकरांचे राज्याविषयी विचार :-

डॉ.आंबेडकरांना राज्य आवश्यक वाटत असे. परंतु राज्यापेक्षा समाजाला त्यांनी अधिक महत्त्व दिलेले दिसून येते. राज्यही एक मानवाने उभारलेली संघटना आहे हा विचार त्यांनी स्विकारला होता. राज्याचे ध्येय त्यांनी पुढीलप्रमाणे असावे असे म्हटले आहे.

१) जीवित, स्वातंत्र्य आणि सुखाचा शोध तसेच आपण स्वातंत्र्य व धर्मस्वातंत्र्य याविषयीच्या प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकाराचे रक्षण करणे.

२) पददलित वर्गांना अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध करून देऊन सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक विषमता दूर करणे.

३) मानवी गरजा भागविणे व भीतीपासून प्रत्येक व्यक्तीची मुक्तता करणे होय. म्हणून जनतेच्या व्यावहारीक गरजा जे राज्य भागवीत नसेल ते राज्य खरेखुरे नाही. शिवाय एखाद्या समाजाने दुसऱ्या समाजाविरुद्ध चालविलेल्या अत्याचारापासून रक्षण करून जीवितोपाची शाश्वती राज्याने निर्माण करावी. असे त्यांना वाटत असे लोकांच्या इच्छा आकांक्षाचा त्याने मान दिला पाहिजे. तसेच राज्यात असलेल्या निरनिराळ्या संस्थामध्ये सुसंवाद निर्माण करण्याचे कार्य राज्याने दृष्टीआड करता कामा नये. असे त्यांना वाटते म्हणून लोकांनी सुख व कल्याण साधण्याकरीता राज्यावर विश्वास ठेवावा व राज्याचे आज्ञापालन करावे हे फायदेशीर होईल असे प्रतिपादन ते करतात. थोडक्यात "राज्य हे सामाजिक परिवर्तनाचे आणि सामाजिक कल्याणाचे साधन असते म्हणून राज्य आवश्यक आहे नागरिकांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली परिस्थिती किंवा मुलभूत अधिकार राज्यच प्रदान करू शकते. राज्य नागरिकांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी हमी देणारी एक संस्था असल्यामुळे डॉ.आंबेडकरांना?'राज्य' हे आवश्यक आहे." मानव निर्मित कायदा :-

कायदे हे माणसाने माणसांकरिता तयार केलेले असतात.

कायद्याने माणसाला तयार केलेले नसून माणसांच्या सुखाकरिता माणसाने कायदा तयार केला आहे. कायद्यात दुरुस्तीची आवश्यकता असेल तर ती दुरुस्ती सुध्दा लोकांच्या संमतीने झाली पाहिजे. कायदा सर्वांना समान असावा व त्याने सर्वांचे हित साधावे शिवाय कायद्याचा पुरस्कार करताना तो शिक्षेच्या भितीपोटी किंवा सक्तीच्या स्वरूपात होऊ नये. तर व्यक्तीच्या मनाच्या धारणेवर व सामाजिक हेतूंच्या विशालतेवर तो अवलंबून असावा असे त्यांना वाटत असे स्टेट्स अँड मायनॉरिटी या १९४७ साली प्रकाशित झालेल्या ग्रंथात त्यांनी आपले विचार केले आहे. घटनात्मक कायद्याविषयी त्यांचे विचार माणसांची प्रतिष्ठा या तत्त्वावर अधिष्ठित होते. कायद्यापुढे सर्व नागरीक समान असतात आणि समान नागरी अधिकार असतात म्हणून नागरिकांचे हक्क कमी होतील असे कायदे राज्याने करू नयेत किंवा जनतेवर लादू नये त कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीशिवाय कोणत्याही नागरीकांचे जीवित स्वातंत्र्य आणि मालमत्ता यापासून नागरीकाला वंचित करता कामा नये शिवाय समान संरक्षण कोणीही व्यक्तीला नाकारता कामा नये असा त्यांचा आग्रह होता.

धर्मनिरपेक्ष राज्य :-

धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणजे ज्या राज्यात धर्म स्वातंत्र्याची वैयक्तिक आणि सामूदायिक हमी मिळालेली असते आणि त्या व्यक्तीचा धर्म कोणता याचा विचार न करता नागरीक म्हणून त्याला मान्यता मिळालेले असते. घटनात्मक दृष्टीने विचार करता ते राज्य कोणत्याही धर्माशी संबद्ध झालेले नसते किंवा धर्माविषयक गोष्टीमध्ये ते हस्तक्षेप करीत नसते तसेच पुरस्कार ही करीत नसते. धर्म स्वातंत्र्य, नागरीकत्व व राज्य यांची फारकत असणे होय. हिंदू कोड बीलावरील चर्चेत भाग घेतांना भारतीय संसदेत डॉ.आंबेडकरांनी धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणजे संसद कोणावरही कोणताही धर्म लादणार नाही. शासनाकडून धर्माबाबत कमीत कमी हस्तक्षेप व्हावा शासन कोणत्याही धर्माला शासनाचा धर्म म्हणून मान्यता देणार नाही. म्हणजेच शासन धर्मनिरपेक्ष असेल यावर त्यांचा भर होता.

निष्कर्ष :-

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राजकीय विचारांच्या अध्ययनातून असे दिसून येते की त्यांच्या विचारांवर स्वातंत्र्य, समता व बंधूत्व व न्याय या तत्त्वांचा प्रभाव दिसून येतो. त्यांचे विचार हे अन्यायी समाजव्यवस्था व अनियंत्रित शासन सत्ता यांच्यापासून मुक्ती देणारे तसेच सर्वांना सामाजिक न्याय प्राप्त करून देणारे त्यांचे विचार आहेत. समाजवादी समाजरचना निर्माण व्हावी असा

त्याचा आग्रह होता. तसेच संसदीय लोकशाहीवर त्यांची निष्ठा होती. त्यांच्या दृष्टीकोनातून लोकशाही म्हणजे शासनाचा असा एक प्रकार आहे की ज्यामध्ये रक्ताचा एक थेंबही न सांडता लोकांच्या आर्थिक व सामाजिक जीवनामध्ये क्रांतीकारी बदल घडवून आणला जातो. त्यांच्या मते लोकशाहीच्या विकासासाठी समतेची, मजबूत विरोधी पक्षाची, घटनात्मक नितिमत्तेची आवश्यकता असते. कायदा व प्रशासन सर्वांना समान असावे. बहुसंख्याकांचे अल्पसंख्याकांवर राज्य नसावे, लोकशाहीत व्यक्ती पुजा नसावी. लोकशाहीच्या विकासासाठी केवळ राजकीय लोकशाही पुरेशी नाही तर सामाजिक व आर्थिक दृष्टीकोनातून लोकशाही आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे तसे त्यांचे मत असल्याचे दिसून येते. डॉ. आंबेडकर घटनात्मक मार्गाचे प्रवक्ते होते. आपला सामाजिक व आर्थिक विकास साधण्यासाठी भारतीयांनी घटनात्मक मार्गाचा अवलंब करावा असे त्यांना वाटते. त्यांच्या मते राज्य हे परिवर्तनाचे व सामाजिक कल्याणाचे साधन असल्याने ते त्यांना आवश्यक वाटते. एकात्मिक समाज निर्माण करतो हे त्यांचे स्वप्न होते. जाती प्रथेने भारतीय लोकांच्या सामाजिक ऐक्यात अडथळे उभे केले आहे म्हणून जातीप्रथेविरुद्ध संबंध हयातभर त्यांनी संघर्ष केलेला दिसून येतो.

राष्ट्रीय एकात्मतेत धर्म, पंथ, जात, प्रांतवाद व भाषा अडथळा आणत असल्याचे त्यांचे प्रतिपादन असल्याचे दिसून येते.

थोडक्यात आंबेडकरांचे राजकीय विचार हे सर्वांना सामाजिक न्याय प्राप्त करून देण्याच्या प्रेरणेने भारावलेले होते. तसेच त्यांची राजकीय उद्दीष्टे कार्ये ही भारतीयांच्या कल्याणासाठी होती हे दिसून येते.

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- १) प्रा.टी.ए.गवळी, प्रा. सुखराम हिवराळे, प्रा.पी.ए.गवळी, प्रा.सुधीर गव्हाणे: "डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर गौरव ग्रंथ, प्रचार प्रकाशन, कोल्हापूर १४ एप्रिल १९९१.
- २) डॉ.गंगाधर पानतावणे: पत्रकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, अभिजित प्रकाशन, लक्ष्मीनगर, नागपूर.
- ३) डॉ.वा.ना.कुबेर: डॉ.आंबेडकर विचारमंथन, केसरी प्रकाशन, पूणे.
- ४) सु.चि.पेंडसे : राष्ट्राध्यक्ष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, चंद्रकांत प्रकाशन नागपूर, ऑगस्ट १९८०.

महाराष्ट्रातील स्त्री चळवळीची भूमिका

प्रा.डॉ. महादेव मुंडे

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख,

वसंतराव पाटील महाविद्यालय पाटोदा, जि. बीड

प्रस्तावना

प्राचिन कालखंडा पासून भारतीय स्त्री जीवनाची परिस्थिती वेगवेगळ्या कालखंडात विभिन्न होती. वैदिक कालखंडात स्त्रीला सन्मान व प्रतिष्ठा होती. उत्तर वैदिक कालखंडात स्त्रियांना समाजात व कुटुंबात सन्मान व प्रतिष्ठा राहिली नाही. अर्थवेदात मुर्लीच्या जन्मा बद्दल दुःख व्यक्त केले असे इतिहास सांगतो . मध्ययुगीन कालखंडात ही स्त्रीजीवनावर मोठया प्रमाणात निर्बंध लादण्यात आले. पण याच कालखंडात काही नामवंत स्त्रीया होऊन गेल्या आहेत. भारतातील स्त्रीजीवनाची स्थिती आधुनिक कालखंडात बदलत गेली. या बदलत्या स्त्री जिवनावर ब्रिटीशांच्या सत्तेचा प्रभाव दिसून येतो याचा अभ्यास या शोध निबंधातून करण्यात आलेला आहे. हा शोध निबंध लिहिण्यासाठी खालील उद्देश समोर ठेवून पूर्ण केलेला आहे.

उद्देश :-

१) भारतातील प्राचीन कालखंडा पासून स्त्रीयांच्या स्थितीचा शोध घेणे .

२) भारतातील स्त्रीयांच्या जिवनावर ब्रिटीश सत्तेचा झालेला परिणामाचा शोध घेणे .

३) महाराष्ट्रातील स्त्रीयांच्या स्थितीचा आढावा घेणे

४) महाराष्ट्रातील स्त्री सुधारणा संबंधीच्या चळवळीचा शोध घेणे .

गृहीतके :-

१) स्त्रियांच्या स्थितीत ब्रिटीश कालखंडापासून परिवर्तनास सुरुवात झाली.

२) आज ही प्रत्यक्षात स्त्रीया व पुरुष हा भेद झालेला दिसून येतो.

१. महाराष्ट्रातील स्त्रियांची परिस्थिती :-

कोणत्याही संस्कृतीची महानमता पुरुषांबरोबर अत्यंत जबाबदारीने संसार करणारी स्त्री, संसारातले, सौभाग्य घरातले मांगल्य अशी या स्त्रियांची स्थिती समाजाने अत्यंत केविलवाणी करून ठेवली. मुलगी जन्माला येणे हे क्लेशकारक ठरते असे रामायण आणि महाभारतातही म्हटले आहे. "स्त्रीला स्वातंत्र्याचा अधिकार नाही किंवा स्त्री ही स्वातंत्र्याला पात्र नाही. अशा अर्थाचे विचार मनुस्मृती, याज्ञवल्क्य, स्मृतीग्रंथ इत्यादी . या धर्मग्रंथांनी मांडले आहेत."^१ यादव काळातील स्त्रीचे जीवन संपुर्ण पणे परावलंबीच होते. स्त्रियांच्या हालअपेष्टांचे चित्रण "लीळा चरित्रातील " भुतानंद यादव यांच्या काळातील संसारी स्त्रीचे प्रतिनिधिक चित्रण रेखाटले आहे. कोणत्याही स्त्रीला तिचे आई-बाप ,सासू -सासरा आणि नवरा यांच्या शब्दातच राहावे लागत होते."विधवांची परिस्थिती तर पतीच्या मृत्युनंतर त्या विधवा स्त्रीला आपल्या भावाच्या घरी सर्व प्रकारचे कष्ट करीत जीवन काढावे लागत होते"^२ पेशवे कालीन समाजातील स्त्रियांची परिस्थिती एकंदरीत दयनीय होती. बालविवाहाची चाल सररास रूढ होती. धर्मशास्त्राने मुलीचे वर्गीकरण केले ते असे "आठ वर्षांच्या मुलीला गौरी म्हटले जाते. नवव्या वर्षी ती रोहिणी, दहाव्या वर्षी कन्या होते. दहा वर्षांनंतरच्या मुलीला "रजस्वाला " म्हटले आहे. रजस्वला म्हणजे ऋतू प्राप्त झालेली मुलगी गौरीचा विवाह लावून दिला तर मृत्युनंतर तिचा पिता "नाक " जगात जातो. रोहिणीचा विवाह केल्यास "बैकुंठाला" जातो. "कन्ये" चे कन्यादान केल्यास तो ब्रह्मलोकांत जातो. पण मुलगी रजस्वाला झाल्यावर तिचा विवाह केला तर तो "रौख नरकात जातो."^३ अशा पध्दतीचे धर्मशास्त्राचा स्त्री जीवनावर प्रभाव होता. या बाल विवाह पध्दतीचा अनिष्ट परिणाम म्हणजे स्त्रियांना येणारे अकाली वैधव्य होय. "विधवा स्त्रीच्या नशिबी निकृष्ट दर्जाचे , दुर्लक्षित ,अपमानास्पद जगणे असे लोक हितवादींनी हिंदु विधवेची स्थिती खाटाकाच्या मेंढरापेक्षाही वाईट असते असे म्हटले आहे."^४

महाराष्ट्रात स्त्री -शिक्षणावर निर्बंध होते स्त्री जर शिकली तर "आपल्या पतीला पत्र पाठवून संसार सोडून निघून जातील, पुस्तके पाहू शकल्या म्हणजे कोकशास्त्रादिक पाहून वाईट चाल धरून बिघाडतील"^५ "स्त्रियांनी लिहिलेल्या व वाचलेल्या अक्षरांच्या अळ्या होऊन त्या पतीच्या ताटात पडतात किंवा स्त्री विधवा होते " अशा अंधश्रद्धा शिक्षणाच्या बाबतीत समाजात निर्माण झालेल्या होत्या स्त्रियांना शुद्रातिशुद्रांप्रमाणे शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात होते.

पेशवे काळात पेशव्यांच्या ताब्यातील प्रदेशात दरवर्षी^६ स्त्रिया सती जात अशी नोंद आढळते. सती जाणे सन्मानाचे मानले

जाई .^६ स्त्रियांना सतीजाण्यासाठी वेगवेगळी आमिषे दाखवली जात असत. अन्यथा जबरीने सती जाण्यास भाग पाडत होते. पेशवे कालखंडात बाल विवाह बहुभार्या पध्दत, विषम विवाह, स्त्री-शिक्षणा वरिल निर्बंध, विधवांच्या पुनर्विवाहास मनाई, केशवपन सतीप्रथा इ. समस्या रूढ होत्या.

२. महाराष्ट्रातील स्त्री चळवळ

२.१ प्राचीन कालखंडातील स्त्री जीवन :-

प्राचीन काळापासून "स्त्री " जीवनाची परिस्थिती वेगवेगळ्या कालखंडात विभिन्न होती. वैदिक कालखंडात स्त्रीला सन्मान व प्रतिष्ठा होती. उत्तर वैदिक कालखंडात स्त्रियांना समाजात व कुटूंबात सन्मान व प्रतिष्ठा राहिली नाही. अर्थवेदात मुलींच्या जन्माबद्दल दुःख व्यक्त केले असे इतिहास सांगतो . हिंदु धर्माची आचारसंहिता म्हणजे मनुस्मृती होय. या धार्मिक आचारसंहितीमुळे "प्राचीन काळापासून स्त्रियांना वेदाध्ययनापासून, ज्ञानापासून वंचित ठेवले होते ती फक्त पुरुषाची दासी आहे . असे मनु मातो. मनुच्या दृष्टीने "स्त्री" म्हणजेच गुलामच आहे " ^७ असे तत्वज्ञान आचाराणात आणले होते या आचारसंहितेमुळे स्त्रीला कोणताच अधिकार नाही "स्त्री" ही विविध टप्प्यावर पुरुषावर अवलंबून असल्याने तिच्या मताची दखल कोणीच घेत नव्हते. निरक्षरता, बालविवाह,विधवा पुनर्विवाह बंदी, केशवपन ,सतीप्रथा या अष्टशृंखलांनी स्त्रीचे जीवन बंदिस्त झाले होते. गौतम बुद्धाच्या काळात बौद्ध धर्माचे तत्वज्ञान वैदिक धर्मापेक्षा वेगळे होते. कर्मकांड, धार्मिक विधी, पाप -पुण्यासरख्या कल्पनांना या धर्मात स्थान नव्हते. बौद्धीक तत्वज्ञानाचा परिणाम म्हणून या कालखंडात स्त्रियांच्या सामाजिक, आर्थिक,सांस्कृतिक दर्जात परिवर्तन झाले नसले तरी पूर्वी इतकी दयानीय नव्हती .

२.२ मध्ययुगीन कालखंडातील स्त्री जीवन .

मध्ययुगीन कालखंडात भारतीय समाजामध्ये मुस्लिम राज्यकर्त्यांची सत्ता स्थिरावली होती. या सत्तेचा परिणाम म्हणजे भारतीय समाजाने एकूणच स्त्रियांच्या सामाजिक, धार्मिक जीवनात जास्तीत जास्त निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली. मोगलाच्या काळात स्त्री शिक्षणावर मर्यादा आल्या, बालविवाह हा कठोर सामाजिक नियम झाल्या, याच कालखंडात पृथ्वीराजाची पत्नी संयागिता,चितोडची राणी पदिमीनी,रझिया सुलताना, चांदबिबी, मुक्ताबाई,जनाबाई, संत मिराबाई या सारख्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात नामवंत स्त्रिया होऊन गेल्या तसेच संत चैतन्य, गुरु नानक, संत कबीर, रामदास, तुलशीदास, संत तुकाराम या सारख्या संतांनी भक्तिमार्गाच्या माध्यमातून स्त्री स्वातंत्र्याचा व

धार्मिक कार्यात सहभागी होण्याचा पुरस्कार केला.

२.३ ब्रिटीश कालखंडातील स्त्री जीवन :-

भारतात इंग्रजी अंमलानंतरच एका नव्या युगाला सुरुवात झाली. पाश्चात्यज्ञान आत्मसात केलेली तरुण पिढी उदयाला आली. या नवशिक्षित तरुणांनावर पाश्चात्याची बुद्धिवादी विचारसरणी तसेच भारतात ख्रिस्ती मिशनरी लोकांनी चालविलेल्या ख्रिस्ती धर्माच्या प्रचाराचा प्रभाव भारतीय स्त्रीजीवनावर पडला. या नवतरुणांनी भारतातील धार्मिक परंपरा, सामाजिक जीवन यांचे कठोर परीक्षणाच्या प्रयत्नातून भारतात प्रबोधन युगाचा उदय झाला. भारतात सामाजिक व धार्मिक चळवळीचा प्रारंभ करून आधुनिक भारताचा पाया घालण्याचे काम राजाराम मोहन रॉय यांनी १९ व्या शतकाच्या प्रारंभी केले. बंगाल प्रांतात "सतीप्रथेस विरोध करून त्यांनी सरकारला सतीबंदी कायदा (१८२९) करण्यास भाग पाडले." प्रबोधनाच्या चळवळीचा उदय बंगाल पाठोपाठ महाराष्ट्र आणि देशाच्या इतर भागात ही झाला.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारताच्या विविधी भागात समाजाच्या पुनर्रचनेसाठी चळवळी झाल्या. त्या मध्ये सतीची चाल नष्ट करण्यापासून ते विधवांचा पुनर्विवाह, स्त्रीचे शिक्षण इत्यादी विषयातून हे प्रश्न फक्त स्त्रियांच्या चळवळीसाठीचे म्हणून उचलेले गेले नाहीत तर समाजाला आधुनिक बनवण्यासाठी व समाजाच्या प्रगतिसाठी आवश्यक होते या अनुषंगाने महाराष्ट्राच्या इतिहासात एकोणिसावे शतक हे सामाजिक परिवर्तनासाठी महत्वाचे मानले जाते.

१९ व्या शतकाच्या प्रारंभी पेशवाई संपुष्टात आली आणि इंग्रजांचे महाराष्ट्रात राज्य सुरु झाले. याच काळात महाराष्ट्रीयन समाज मध्ययुगात वापरत होता. या समाजावर पुराणमतवादाचा पगडा होता. महाराष्ट्रातील स्त्रीजीवन अनिष्ट रूढी, प्रथा, परंपराच्या जोखंडात अडकलेले होते. अशा स्त्रीजीवनाच्या परिवर्तनाचा श्रीगणेश महात्मा फुले यांनी केला. फुलेंनी सर्वप्रथम समाजाच्या सर्वांगाने स्त्री-पुरुष समता आणण्यासाठीचा विचार व कृती केली. मुलींसाठी शाळा काढणे, अस्पृश्यांच्या मुलींसाठी शाळा काढणे, विधवांसाठी आपल्या घरात प्रस्तूतिगृह सुरु करणे, केशवपणाच्या विरोधात भूमिका घेणे, बालविवाहाला विरोध करणे या फुलेंच्या कृती स्त्री-पुरुष समताधिष्ठित होत्या, लोक मानसामध्ये स्त्रीची प्रतिमा उजळावी या हेतूने स्त्री ही पुरुषा पेक्षा श्रेष्ठ आहे. म्हणून फुल्यांनी स्त्रीशिक्षणावर लक्ष केंद्रीत केले. स्त्री शिक्षण हा सुधारणेचा पाया आहे. हंटर आयोगापुढे साक्ष देतांना स्त्री शिक्षणाचा आग्रह धरून फुलेंनी असे मत मांडले की, "पुरुषाच्या शाळेपेक्षा स्त्रियांच्या

शाळेची अधिक आवश्यकता आहे" या वरून फुलेंचा स्त्री शिक्षणाबद्दलची भूमिका नमूद करणारी आहे. विद्येशिवाय सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक सुधारण प्रबोधन अशक्य आहे अशी त्यांची ठाम धारणा होती. स्त्री शिक्षण व लोकशिक्षणाची जागृती घडवून आणण्याचा प्रचार मोठ्या प्रमाणात सत्यशोधक समाज या संस्थेद्वारे केला.

२.४ समजा प्रबोधन आणि स्त्रीयांसंबंधीचा विचार :-

एकोणिसाव्या शतकात महाराष्ट्रातील अनेक समाज सुधारकांने स्त्रीप्रश्नांच्या संदर्भात समाज प्रबोधनाचे कार्य केले. मुंबईचे शिल्पकार जगन्नाथ शंकर शेट यांचे सामाजिक विचार पुरोगामी होते. स्त्री शिक्षण व सतीबंदी कायद्याची जनजागृती करून त्यांनी स्त्रीसुधारणेला चालना दिली. महाराष्ट्राचे आद्य शिल्पकार आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांनी विधवा विवाह, स्त्री शिक्षण, पुनर्विवाहाचा पुरस्कार करणे अशी तत्कालीन समाजातील बंडखोरी वाटावी असे प्रयत्न त्यांनी केले. गोपाळ हरी देशमुख यांनी "पुनर्विवाहोत्तेजन मंडळ" संस्था स्थापन करून विधवा विवाहाचा पुरस्कार केला. विधवा पुनर्विवाहाला प्रोत्साहन देणाऱ्या दादोबा पांडुरंग तरखेडकर यांनी सामाजिक जागृती आणि ज्ञान प्रसारासाठी ज्ञान "प्रसारक सभा" स्थापन केली. डॉ.भाऊजीलाडा यांनी स्त्रीशिक्षण विधवा विवाहाचा पुरस्कार केला. महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी स्वतः "गोटूबाई नावाच्या विधवा स्त्रीशी पुनर्विवाह करून समाजासमोर आदर्श निर्माण केला." या समाज सुधारकांचे स्त्रीसुधारणेच्या कामी मोलाचे योगदान आहे.

महात्मा जोतीराव फुले यांच्या कार्यापासून प्रेरणा घेऊन ताराबाई शिंदेनी स्वतःचे स्वतंत्र विचार "स्त्री - पुरुष तुलना" या पुस्तकातून सत्यशोधक दृष्टीने विचाराची मांडणी करून पुरुषप्रधान व्यवस्थेवर हल्ला केला. एकतर्फी पतिवृत्ताची कल्पना, बाल विधवांवरील सक्ती, अंधश्रद्धा याचा त्यांनी लेखनाद्वारे निषेध केला. पंडित रमाबाईंनी भारतातील स्त्रिसमस्येवर "Highcaste Hindu Women" या नावाचे पुस्तक प्रसिध्द केले. या पुस्तकातून भारतातील स्त्रियांची दुःखद, स्थिती मांडली आहे. पंडिता रमाबाई हया स्त्रिसुधारक व स्वतःविधवा होत्या त्यामुळे विधवांचे दुःख, काय असते याची जाणीव त्यांना होती. डॉ.आनंदीबाई जोशीनी जिध्दीच्या आणि हुशारीच्या जोरावर माणूस काय करू शकतो हे दाखवून दिले. रमाबाई रानडे, डॉ.रखमाबाई, जनाका शिंदे, काशीबाई कानेटकर इत्यादी महिलांनी स्त्रीच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे कार्य केले.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीतून अनेक स्त्रियांचा

सहभाग होता. महात्मा गांधींनी स्त्रियांना चळवळीत सहभागी होण्याची हाक दिली आणि स्त्रीयांचा चळवळीत मोठा सहभाग दिसून आला. सूतकताई, परदेशी कापडावर बहिषकर,दारुबंदी, सविनय कायदेभंग चळवळीत अवंतिकाबाई गोखले हया आघाडीवर होत्या. महाराष्ट्रात महात्मा गांधी यांचा संदेश घरोघरी नेण्याचे काम या महिलांनी केले. महाराष्ट्रातील मिठाच्या सत्याग्रहात शेकडो स्त्रियांनी भाग घेतला. काँग्रेसच्या चळवळीसाठी स्त्रियांनी वाहुन घेतले.

स्त्रियांच्या राजकीय जागृतीचा आविष्कार हैद्राबाद मुक्ती संग्रामात दिसून आला. हैद्राबाद संस्थानात सामाजिक सुधारणेचा प्रभाव कमी होता. १९३८ पासून स्त्रियांचा चळवळीत सहभाग वाढू लागला. मोर्चे , तुरुंगवास, भूमिगत चळवळीत सहभाग, शस्त्रास्त्राची ने-आण करणे, निरोप पोहोचवणे इत्यादी कामे केली. पुढे संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत ही महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता.

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर संविधानाने स्त्री -पुरुष समानता बहाल केली. त्यामुळे स्त्री जिवनाच्या परिवर्तनात रस्ता रिकामा झाला. स्त्रीयांची आज सर्वच क्षेत्रात मोठी उल्लेखणीय कामगिरी आहे.

प्रशासनात स्त्रीयाला ज्या प्रमाणे सहभाग वाढताना दिसून येत आहे. त्याच प्रमाणे राजकीय क्षेत्रामध्ये ही स्त्रीयाचा हाळू-हळू सहभागा वाढताना दिसून येतो. ७३ व्या घटना दुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थे मध्ये स्त्रीयांना ३३ % जागा राखीव ठेवल्यामुळे स्त्रीयांना राजकीय सहभाग वाढताना दिसून येतो पण स्त्रीयांना सरपंच, सभापती, अध्यक्ष या पदावरील स्त्रीयांचा कारभारावर पुरुष प्रधान संस्कृतीचा प्रभाव असल्याचे दिसून येतात. यास भाषा पदावरील स्त्रीयांचे नातेवाईकच प्रत्येक कार्यात सहभागी होताना दिसून येतात. म्हणून असे ही स्पष्टपणे म्हणता येईल पुरुष प्रधान संस्कृतीचा प्रभाव आहे.

समारोप :-

भारतातील स्त्रीया हे चुल आणि मुल या सिमारेषातच बांधल्या गेलेल्या होत्या ब्रिटीश कालखंडा मध्ये ख्रिस्ती मिशनरी लोकांनी चालवलेल्या धर्म प्रचाराचा प्रभाव भारतीय स्त्री जिवनावर घडून आला. यापासून भारतातील समाज सुधारकाने स्त्रीयांना जे जोखंडात ठेवले जात होते .स्त्री प्रश्नावर विचार मांडून परिवर्तन घडवून आणण्याचा प्रयत्न झाला. महाराष्ट्रात १९ व्या शतकात समाज प्रबोधनाच्या माध्यमातून समाजसुधारनेचे कार्य केले. या सामाजिक प्रबोधनाचा परिणाम म्हणून विसाव्या शतकात

स्वातंत्र्याच्या चळवळीत ही स्त्रीयांचा प्रभाव वाढत असल्याचे दिसू लागले होते. महाराष्ट्रात गांधीजीने चालवलेल्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीतून स्त्रीयांचा सहभाग दिसून आला. हैद्राबाद मुक्ती संग्रामात, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत ही स्त्रीयांचा वाढता प्रभाव दिसून येत राहिला होता. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात भारतीय स्त्रीयांना व्यक्ती म्हणून पुरुषाच्या बरोबरीने सर्व अधिकार भारतीय संविधानाने मिळवून दिले आहेत. पण आज ही स्त्री आणि पुरुष हा भेद व्यक्तीच्या सर्व क्षेत्रात असल्याचे दिसून येते. स्त्री म्हणून प्रत्येक क्षेत्रात दुय्यम स्थान असल्याचे दिसून येताना आढळते. आज ही स्त्री-पुरुष हीतुलना पाहुन राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रा मध्ये संधी मर्यादार आहेत.

संदर्भ सुची :-

१. प्रा.शेणोलीकर ह.श्री.व डॉ.देशपांडे प्र.न., महाराष्ट्राचा सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास, के. सागर प्रकाशन पूणे, तिसरी आवृत्ती २०१२, पृष्ठ क्र. १०९.
२. प्रा.मोरे दिनेश, आधुनिक महाराष्ट्रातील परिवर्तनाचा इतिहास, १८१८-१९६०, के.एस. पब्लिकेशन पूणे, डिसेंबर २००६,पृष्ठ क्र. ३८२.
३. किता, पृष्ठ क्र.३८४.
४. किता, पृष्ठ क्र.३८६.
५. डॉ.सावळे दीपा/मोरे, आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास, एज्युकेशनल पब्लिशर्स औरंगाबाद, जुन २०१३, पृष्ठ क्र. ९.
६. किता, पृष्ठ क्र.१०.
७. डॉ.कठारे अनिल, भारतीय स्त्री चळवळीचा इतिहास एज्युकेशन पब्लिशर्स,औरंगाबाद आवृत्ती २०१३ पृष्ठ क्र.१११.
८. जाधव तुकाराम,(संपादक),वार्षिक २०१३ महाराष्ट्र, युनिक - प्रकाशन पूणे ,पृष्ठ क्र. २३३.
९. पूर्वोक्त क्र.५०, पृष्ठ क्र.३८७.
१०. डॉ. कठारे अनिल, आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास, इ.स.१८१८ ते १९६० ते १९६०, विद्या बुक्स पब्लिशर्स औरंगाबाद, दुसरी आवृत्ती जून २०१३,पृष्ठ क्र. १९६.



महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास

पाटील सुलक्षणा भारत

संशोधक विद्यार्थिनी,

सामाजिकशास्त्रे संकुल स्वा.रा.ती.म.विद्यापीठ नांदेड

प्रस्तावना

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १ मे १९६० ला झाली पण महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापने अगोदरच म्हणजे १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात ब्रिटिश कालखंडातच महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला सुरुवात झाली. ब्रिटिशांनी त्यांच्या सोयीसाठी सुतगिरण्या, कापड कारखाने, काच, मुद्रण, वनस्पती, धातू, औषधे, सौंदर्य प्रसाधने इत्यादी उद्योग महाराष्ट्रात सुरु झाले होते. मुंबई ते ठाणे ही देशातील पहिली रेल्वे, लोहमार्ग आणि जलमार्ग ही महाराष्ट्रातच सुरु करण्यात आले होते. दोन जागतिक उद्योगाच्या काळात महाराष्ट्राच्या औद्योगिकीकरणाचा वेग अधिक वाढला असेही म्हणता येईल. मोठ्या उद्योगासोबतच हस्तकला, मत्स्योद्योग, तांब्या-पितळेची भांडी इ. सारखे लघू आणि कुटीर उद्योगाचे केंद्रीकरण महाराष्ट्राच्या काही भागात झाले. महाराष्ट्राचे भौगोलिकदृष्ट्या सहा भागात वर्गीकरण करता येईल. मराठवाडा, विदर्भ, कोकण, मध्य महाराष्ट्र, खानदेश, मुंबई, स्वातंत्र्यपूर्व काळ आणि स्वातंत्र्यानंतरचा काळ महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर, कोकण या भागातच उद्योगाचे केंद्रीकरण झाले. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी २५ ते ३० टक्के लोकसंख्या या भागात राहते. देशाच्या ३० टक्के पेक्षा जाती औद्योगिक उत्पन्न महाराष्ट्रात निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रातील सूक्ष्म, लघू, मध्यम, मोठ्या उद्योगाबद्दलची माहिती प्रस्तुत लेखात अभ्यासण्यात आली आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे

१) महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाबद्दल ज्ञान

प्राप्त करणे.

२) महाराष्ट्रातील सूक्ष्म, लघू, मध्यम, मोठ्या उद्योगाबद्दल माहिती घेणे.

गृहितक

महाराष्ट्र औद्योगिक प्रगतीच्या दृष्टीने सर्वात विकसित राष्ट्र म्हणून ओळखले जात असले तरी महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास हा एकाच ठिकाणी केंद्रीत झाला आहे.

संशोधन पद्धती

सामाजिक संशोधनातील द्वितीयक संकलन पद्धतीचा उपयोग प्रस्तुत संशोधनासाठी करण्यात येणार आहे. यात संदर्भ ग्रंथ, लेख, मासिक, संशोधन प्रबंध, शासकीय आकडेवारी व अहवाल इत्यादींचा आधार घेण्यात आला आहे.

औद्योगिक विकासाचा अर्थ

एखाद्या प्रदेशाच्या आर्थिक विकासास गती देण्याची प्रक्रिया म्हणून 'औद्योगिक विकास' आणि 'औद्योगिकरण' या दोन शब्दांना समान अर्थाने विचारत घेतले जाते.

“औद्योगिकीकरणामुळे ही आर्थिक विकासाची अशी पद्धत आहे, ज्यात संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचा दर अधिक ठेवण्याच्या दृष्टीने देशातील संसाधनाचा बहुतेक भाग, अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि उद्योगातील विविधता विकसित करण्यात येते आणि आर्थिक-सामाजिक मागासलेपणावर मात केली जाते.”^१

राज्यात आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रयत्न होत आहेत. राज्यात कृषी, सेवा आणि उद्योगातून राज्याचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. सन २००९-१० च्या वार्षिक अहवालानुसार राज्याच्या एकूण उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा ६० टक्के आहे. सेवा क्षेत्र १०.५ टक्के तर उद्योगाचा वाटा २९.९ टक्के इतका आहे. मागच्या काही दशकात उद्योगाचा औद्योगिक विकास व राज्यात निर्माण झालेला रोजगार पुढीलप्रमाणे पाहता येईल.

तक्ता क्र.१

महाराष्ट्रातल्या चालू कारखान्यांची संख्या व रोजगार (सन २००४-०५)

अ.क्र.	वर्ष	कारखान्याची संख्या	रोजगार (हजारात)
१	१९६१	८२३३	७८८
२	१९७१	१०२४१	९८८
३	१९८१	१६५९४	११९२
४	१९९१	२४११९	११६९
५	२००१	२८३२४	१२०१
६	२००५	३०३८५	१२५८

स्रोत : महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी, २००६-०७

वरील तक्त्यात महाराष्ट्राच्या चालू कारखान्याची आकडेवारी आणि रोजगार नियमित वाढत असल्याचे दिसून येते. १९६१ मध्ये एकूण कारखान्यांची संख्या ८२३३ तर ७८८ हजार आहे. तर २००५-०६ पर्यंत कारखान्यांची संख्या ३०३८५ इतकी आहे. १२५८ हजार पर्यंत वाढली आहे. ५० वर्षांच्या फरकानंतर कारखान्यांची संख्या व रोजगार यात दुपटीपेक्षा जास्त वाढ झाल्याचे दिसून आले.^२

सन २०१२-१३ च्या वार्षिक पाहणीनुसार भारतात एकूण नोंदणीकृत उद्योगामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १३.०३ टक्के, स्थिर भांडवल वाटा १५.८२ टक्के व निव्वळ मूल्य वृद्धीतला वाटा २०.९८ टक्के होता. तर १९९१ ते २०१० या कालावधीतला प्रस्तावित गुंतवणूक व रोजगारीतला वाटा १० व १५ टक्के इतका होता. या महाराष्ट्राने ८४ हजार कोटी विदेशी गुंतवणूक केली आहे. भारताच्या औद्योगिकीकरणाची सुरुवात १८५४ मध्ये स्थापन झालेल्या पहिल्या कापड गिरणीने घातला आहे. यानंतर मुंबई कापड उद्योगाचे केंद्रस्थान म्हणून ओळखले जाऊ लागले. देशातील एकूण ६११ कापड गिरण्यापैकी १०४ गिरण्या महाराष्ट्रात आहेत. त्यापैकी ५४ गिरण्या एकट्या मुंबईत आहेत. राज्यातील एकूण रोजगारापैकी ५० टक्के रोजगार एकट्या मुंबईत आहे. १९७१ ते १९८४ या काळात विजेवर चालणाऱ्या कारखान्यांची संख्या ७८ टक्के होती. यातून दिला जाणारा रोजगार २७ टक्के होता. तर विजेशिवाय चालणाऱ्या उद्योगाची संख्या १९६१ मध्ये ६३०० होती. १९८४ मध्ये ३२०० इतके उद्योग निर्माण झाले.^३

राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीमध्ये कुटीर व लघू उद्योगाला वाटा हा तितकाच महत्त्वाचा आहे. कारण देशाच्या व पर्यायाने राज्याच्या औद्योगिक विकासात

मोठ्या उद्योगाइतकेच लघूउद्योगांनाही महत्त्व आहे. म्हणूनच प्रत्येक पंचवार्षिक योजना व नियोजन काळात लघू उद्योगांना महत्त्वाचे स्थान दिले जाते. मोठ्या उद्योगापेक्षा लघू उद्योगातून बेरोजगारी कमी करण्यात अधिक यश मिळते. राज्यात १९६१ ला ४८६० लघूउद्योग, १९७१ मध्ये लघू उद्योगाची संख्या २१८३८, १९८५ मध्ये १११७८६ इतके लघू उद्योग होते.^४ सन २०१०-११ पर्यंत लघू उद्योगाची १९८९ च्या दुपटीच्या फरकाने दर्शविली गेली. तर २०११-१२ मध्ये ही संख्या २८२१५ इतकी आहे. २०१२-१३ मध्ये २८९४९, सन २०१३-१४ मध्ये २९१२३ उद्योग दर्शविले गेले. सन २०१४-१५ औद्योगिक बदलाच्या धोरणामुळे उद्योगाच्या संख्येत घट होऊन २८६०१ इतकी संख्या नोंदवली गेली.^५ ही आकडेवारी लघूउद्योगाचे वाढते महत्त्व आणि अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व दर्शविणारी आहे. तक्ता क्र.२

अ. क्र.	विभाग	सूक्ष्म उद्योग	लघू उद्योग	मध्यम उद्योग	मोठे उद्योग	एकूण
१	मुंबई व उपनगरे	२३२०	१८४६	६४	२११	४४३६
२	कोकण विभाग	३८५१	३३८२	९९	७७७	८१०९
३	पुणे विभाग	१७९५	४८७७	९०	७६६	२३६८९
४	नाशिक विभाग	५६२८	१७७६	२६	२५६	७६८६
५	औरंगाबाद	२६२८	८५४	१६	२६९	३८२८
६	अमरावती विभाग	१४८०	४०२	०१	७०	१९५३
७	नागपूर	४०३३	८४९	२०	२७६	५१७८
	एकूण	३७९६६	१३९८२	३१६	२६३५	५४८७९

Source www.msmedimumbai.govi.in, www.lib.unipune.ac.in

वरील तक्ता राज्यातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम व मोठ्या उद्योगाची स्थिती दर्शविते. एकूण आकडेवारी विभागनिहाय बदलत गेली आहे. राज्यात सर्वाधिक एकूण उद्योग मुंबई, पुणे, कोकण, नाशिक विभागात आहेत तर अमरावती जिल्ह्यात एकूण सर्वच उद्योगाची कमतरता दिसून आली.

महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीचे राज्य असले तरी राज्यात उद्योगाचा समतोल विचार झाला नाही. देशाच्या एकूण आर्थिक निर्यातीच्या ३० टक्के वाटा एकट्या महाराष्ट्राचा आहे. महाराष्ट्रातून होणाऱ्या निर्यातीत प्रामुख्याने हिरे, संगणक साहित्य, कपडे, दागिने, सुती कापड इत्यादी घटकांचा समावेश होतो. महाराष्ट्रातून व देशातून होणारी निर्यात पुढील तक्त्यामधून दर्शविण्यात आली आहे.

तक्ता क्र.३

महाराष्ट्र व भारतातून झालेली निर्यात (कोटी रुपये)

अ.क्र.	वर्षे	महाराष्ट्र	भारत
१	२०००-०१	६९४७४ (३०.१%)	२३०८०९
२	२००१-०२	७३८६५ (३०.२%)	२४४२४५
३	२००२-०३	९९७७८ (३२.२%)	३०००२९०
४	२००३-०४	१५९१६ (२४.६%)	३४९६१७
५	२००४-०५	१९३८३२ (४४.६%)	४३४९७९
६	२००५-०६	१९३७०० (२८.०%)	४५४८००
७	२००६-०७	१४२९४४ (२७.०%)	५७९७७९
८	२००७-०८	१७२८४६ (२७.०%)	६४०९७२
९	२००८-०९	—	—
१०	२००९-१०	२२८१८४ (२७.०%)	८४५१२५
११	२०१०-११	३०८५१५ (२७.०%)	११४२६४९
१२	२०११-१२	३९४००५ (२३.३%)	१४४६७६६
१३	२०१२-१३	३६१४६० (२३.७%)	१५४६७६६
१४	२०१३-१४	४३४५९१ (२३.८%)	१८३१००९
१५	२०१४-१५	४४५३४९ (४१.४%)	१६६५५८९
१६	२०१५-१६	४३६४३५ (२५.२%)	१७१४६१७
	नोव्हेंबर २०१६	२९५९७६ (२५.२%)	१९७११५१

स्रोत : महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २००४-०५ ते २०१६-१७ पृ.५०, ११७

वरील तक्त्यात एकूण देशातील व महाराष्ट्राच्या निर्यातीतील आकडेवारी दर्शविण्यात आली आहे. एकूण १७ वर्षांच्या कालखंडात निर्यात दर हा ३० ते ४० इतका सरासरी राहिला आहे. तर बाकी देशातील इतर भागातून होणारी निर्यात ही ६०% आहे.

देशाच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनात महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास पाहता महाराष्ट्रातील एकूण औद्योगिक विकास हा पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, नागपूर या पाच भागापुरताच मर्यादित राहिला आहे. निर्यातीची सुविधा, कच्चा माल, श्रमशक्ती, भांडवलाचे केंद्रीकरण या भागात झाले असल्यामुळे उद्योग याच भागात केंद्रित झाले आहेत. भारत सरकारने संपूर्ण देशातील औद्योगिक दृष्ट्या मागासलेल्या २४७ जिल्हाची यादी जाहीर केली आहे. त्यात महाराष्ट्रातल्या औरंगाबाद, भंडारा,

बीड, चंद्रपूर, कुलाबा, धुळे, जळगाव, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, रत्नागिरी, यवतमाळ या १३ जिल्हांचाही समावेश होतो. राज्याच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाचाही फारसा प्रभाव पडला नाही. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विस्तारापैकी बृहन्मुंबई, ठाणे, पुणे हा परिसर क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने ८४% आहे. राज्याच्या २५% लोकसंख्या या प्रदेशात राहते. राज्यातील सुमारे ७०% कारखाने याच भागात आहेत. तर एकूण रोजगारपैकी सुमारे ६२% रोजगार ६९% भांडवल उत्पादनाच्या स्थूल मूल्यापैकी सुमारे ८२% मूल्य याठिकाणी केंद्रित आहे. राज्यातील वर्षनिहाय सूक्ष्म, लघू, मध्यम उपक्रमातील रोजगार व गुंतवणूक पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात आली आहे.

तक्ता क्र.४

वर्षनिहाय सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमातील गुंतवणूक व रोजगार

वर्षे	सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम	गुंतवणूक	रोजगार
२००७-०८	१०२४४	२२८८१	१.३९
२००८-०९	११६८२	३२९५	१.७९
२००९-१०	११८९६	३०२८	१.५०
२०१०-११	१४४९६	५५६३	१.८७
२०११-१२	१५६०६	४४४३	२.०७
२०१२-१३	१६९३६	५४५५	२.०६
२०१३-१४	१९८१४	६३५८	२.४८
२०१४-१५	३६९९२	७९८०	३.५०
सप्टें. २००६	२०२२०	४०९०	१.६६

स्रोत : महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी, संदर्भ एम.ए. कोलते

वरील तक्त्यात राज्यातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमातील गुंतवणूक रोजगार दर्शविण्यात आला आहे. २००७-०८ मध्ये सूक्ष्म, लघू, मध्यम उपक्रम १०२४४ होते. त्यातील २२८८१ कोटी तर रोजगाराचा दर १.३९% होता. तर सप्टें. २०१५ पर्यंत उद्योग २०२२० होते व उद्योगातील गुंतवणूक ४.९० कोटी रोजगार १.६६ कोटी होती. एकूण ९ वर्षांच्या कालावधीत उद्योग व त्यातील गुंतवणूकीसोबत रोजगाराच्या प्रमाणातही जवळपास दुप्पट वाढ झाल्याचे आढळून आले.

तक्ता क्र.५

विभागनिहाय सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमाची टक्केवारी (सप्टें. २०१५)

अ.क्र.	विभाग	सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम	टक्केवारी	रोजगार	टक्केवारी
१	मुंबई व उपनगरे	२४७८६	१०.२	४.०५	१३.९
२	कोकण विभाग	३९२६९	१६.१	६.३२	२१.७
३	पुणे विभाग	२७४५८	११.३	३.१५	१०.८
४	नाशिक विभाग	९२२३३	३७.८	१०.०५	३४.४
५	औरंगाबाद	१८१७५	७.७	१.९३	६.६
६	अमरावती विभाग	१४११०	५.९	१.१४	३.९
७	नागपूर	२६७१४	११.००	२.५५	८.७
	एकूण	२४३७२१	१००%	२९.१९	१००%

स्रोत : महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी सप्टें.२०१५, संदर्भ एम.ए. कोलते, २०१७, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था, पृ. १६४

वरील तक्त्यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमाची संख्या व रोजगार यांची टक्केवारी दर्शविण्यात आली आहे. यात संपूर्ण राज्यातील उद्योग उपक्रमात क्रमांक एक पुणे विभाग आहे. याठिकाणी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमाची एकूण संख्या ९२२३३ इतकी आहे. हे प्रमाण राज्यात ३७.८ टक्के इतके आहे तर यातून ११०.०५ टक्के रोजगार म्हणजे राज्याच्या एकूण प्रमाणात ३४.४ टक्के रोजगार निर्माण झाला आहे. तर सर्वात कमी उद्योगाची नोंद अमरावती विभागात १४५१० इतकी असून हे प्रमाण ५.९ टक्के इतके आहे. या विभागात उद्योगातून निर्माण झालेला रोजगार १.१४ टक्के आहे व राज्याच्या एकूण रोजगाराच्या टक्केवारीत फक्त ३.९ टक्के रोजगार उद्योगातून निर्माण झाला आहे. यावरून राज्यातील उद्योगाच्या संदर्भातील विषम वर्गीकरण लक्षात येते.

निष्कर्ष

१) महाराष्ट्र औद्योगिक विकासात प्रगत राज्य आहे. भारताच्या औद्योगिक विकासातही महाराष्ट्राची वाटा महत्त्वाचा आहे.

२) राज्यातील औद्योगिक व आर्थिक विकासास हा चांगला असला तरी हा विकासास समतोल नाही. संपूर्ण राज्यभर औद्योगिक विकास न साधता तो मुंबई, पुणे, नाशिक, कोकण याच भागात केंद्रीत झाला आहे.

३) राज्य सरकार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ, एमसीईडी, एमईडीसी इत्यादींच्या माध्यमातून औद्योगिक विकास साधण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे.

४) औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने राज्यात सर्वत्र प्रयत्न होणे व औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा, कच्चा माल, पाणी, वीज,

वाहतूक व बाजारपेठा यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होणे आवश्यक आहे.

संदर्भ

- १) प्रा.सौ.राजेश्री आप्पाराव (जानेवारी २०११), 'महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था', अरुणा प्रकाशन, लातूर, पृ.८०
- २) सी.एन. चौबे (नोव्हें. २०१५), 'महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकास एक अभ्यास', इंडियन राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल, पृ.१
- ३) भालेराव निकम खाचणे (जून १९९३), 'महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था', विद्या बुक्स पब्लिशर्स, औरंगापूर, औरंगाबाद, पृ.४६
- ४) कित्ता, पृ.५४
- ५) एम.एम. कोलते (डिसें.२०१७), 'महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था', पिंपळपुरे अँड कं.पब्लिशर्स, नागपूर, पृ.१६०
- ६) www.shodhganga.com
- ७) कुलकर्णी महेश (२०००), 'व्यवसाय प्रशासन—संकल्पना आणि समस्या', निराली प्रकाशन, पुणे, पृ.२३
- ८) www.shodhganga.com



जलव्यवस्थापानातील उत्कृष्ट साधन जागजी येथील “लक्ष्मीतीर्थ बारव”

डॉ. मंजुषा मुकुंदराव बाबजे
तेरणा महाविद्यालय उस्मानाबाद

प्रस्तावना :-

मानवाच्या मूलभूत गरजा म्हणजे हवा, पाणी, अन्न आणि निवारा या गरजांशिवाय मानवाचे अस्तित्व अशक्य आहे. मानवी वसाहत तथा मानवी जीवन हे प्रामुख्याने जलसानिध्यात विकसित झाले म्हणून पाण्याला जीवन असे म्हटले जाते. पाणी म्हणजे जीवन हे प्राचीन काळापासून आपण पाहतो की मानव प्रामुख्याने नदीच्या जवळ किंवा उपनदीच्या काठावर वसाहत करून राहत होता. जल व्यवस्थापनाचा उल्लेख प्राचीन काळापासून आढळून येतो. वैदिक वाङ्मयातील नोंदी विशेषतः ऋग्वेद, अथर्ववेद, यात पाणी व्यवस्थापन व जलप्रवाहाच्या संदर्भात काही नोंदी आढळतात. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात महाभारत, रामायण यासारखे महाकाव्य, बौद्ध जातक कथा व वाङ्मय सर्वांमधून पाणी व्यवस्थापनाविषयी नोंद मिळते. पाण्याची आवश्यकता तितकीच आहे जितकी सामान्य मर्त्य मानवाला जीवनाची आहे. त्यामुळे मंदिर सानिध्यात जल—संपदेची उभारणी केली पाहिजे अशी परंपरा सुरु झाली. त्यासाठी नदी तथा सरोवराच्या काठी मंदिर निर्मितीला प्राधान्य दिले गेले. त्यामधूनच परमेश्वराच्या भक्तीमध्ये कोणत्याच प्रकारची त्रुटी जाणवता कामा नये म्हणून जल—सानिध्य आणि मंदिर निर्मिती यांचे अतुट नाते निर्माण झाले. सर्वच मंदिराची निर्मिती नद्याकाठी अथवा जलकेंद्राभोवती करणे शक्य नव्हते पण मंदिर तेथे जलसंपदा या तत्वानुसार मंदिर परिसरात आरंभी लहानशी कुंडाची निर्मिती झाली. कुंडाचा विकास होऊन बारव आकारास आली. लोकजीवनात व

लोकसंस्कृती मध्ये बारवांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. सध्याच्या काळातील ज्वलंत प्रश्न म्हणजे जलव्यवस्थापन या जलव्यवस्थापनात बारव स्थापत्याला महत्वपूर्ण स्थान आहे. बारव हे जलपुरवठ्याचे महत्वपूर्ण साधन असे. सतत बारही महिने पाणी देणाऱ्या समाजाची गरज भागविणाऱ्या वास्तू म्हणून बारवाची निर्मिती करण्यात आली होती. दुष्काळामध्येही बारवा मध्ये पाणी टिकून राहत असे. त्यामुळे जागजी येथील लक्ष्मीतीर्थ बारव याचा जलव्यवस्थापनातील उत्कृष्ट साधन म्हणून अभ्यास केला गेला आहे.

उद्देश :-

- १) जलव्यवस्थापानातील बारव स्थापत्याचा अभ्यास करणे.
- २) जलव्यवस्थापनातील महत्वपूर्ण साधन म्हणजे बारव याचे महत्व जाणून घेणे.
- ३) जागजी येथील बारवेचा अभ्यास करणे.

गृहितके :-

१. जलव्यवस्थापनात बारवांना महत्वाचे स्थान आहे.
२. दुष्काळावर मात करण्यासाठी उत्कृष्ट जलस्रोत म्हणून बारवांचा उपयोग होऊ शकतो.
३. जागजी येथील बारव स्थापत्यातील उत्कृष्ट नमूना आहे.

स्वरूप :-

जलव्यवस्थापनामध्ये विहिर ही भारतीय संस्कृतीने जगाला दिलेली देणगी आहे असे मानले जाते. भारतात विहिरींची संख्या खूप आहे. पाच हजार वर्षापूर्वीच्या विहिरी सापडलेल्या आहेत. मोठ्या विहिरी म्हणजे बारव. बारमाही हमखास पाणी देणाऱ्या समाजाची पाण्याची गरज भागविणाऱ्या वास्तू म्हणून बारवांची निर्मिती करण्यात आली. वारीवरून वारव आणि वारवाचे बारव असे रुपांतर झाले असण्याची शक्यता आहे. वारी म्हणजे पाणी आणि वह म्हणजे वाहणे संधारण करणे म्हणून कायम स्वरूपाचे पाणी संधारण करणाऱ्या वास्तू म्हणजे बारव होत. मानव वसाहतीची गरज म्हणून सुध्दा प्रशस्त आकाराच्या बारवा उभारण्यात आल्या अशावेळी बारवांचे पावित्र्य टिकविण्याच्या दृष्टिने बारवेतच देवतांची प्रतिष्ठा करणे यासारख्या बाबींना

प्राधान्य दिल्याचे दिसते. बारवांच्या विकासासाठी प्राधान्याने मंदिर या संस्थांचे योगदान म्हत्वाचे ठरले.

“महाराष्ट्रात प्रामुख्याने इ.स. ८ ते १२ व्या शतकात अनेक मंदिरे निर्माण झाली होती.”^३ मंदिर उभारणीच्या प्रक्रियेला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली होती. मंदिर स्थापत्याच्या अनेक शैली अस्तित्वात आल्या होत्या. “मंदिर स्थापत्याची कलापरंपरा जोपासण्याचे काम बदामीचे चालुक्य, राष्ट्रकुट, पल्लव, कल्याणीचे चालुक्य व देवगिरीचे यादव यांनी केले आहे.”^२ ज्या प्रमाणात मंदिर स्थापत्याचा विकास झाला होता, त्याप्रमाणे बारव स्थापत्याचा विकास होऊन, अनेक बारवा आकारात आल्या होत्या. बारव बांधण्यास १० व्या शतकात यादवांच्या काळापासून सुरवात झाली आहे. इ.स. १० व्या शतकापासून ते १४ व्या शतकापर्यंत यादव घराण्याने महाराष्ट्रात राज्य केले आहे. खानदेश व मराठवाडा या प्रदेशावर यादवांचे राज्य होते. यादवांचा कालखंड महाराष्ट्राच्या इतिहासात महत्वाचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो. प्राचीन काळातील दक्षिण भारताच्या इतिहासातील शेवटचे हिंदू राजघराणे म्हणून यादव घराण्याचा उल्लेख केला जातो. मराठवाडयाच्या दृष्टीने यादवांची राजवट वैभवशाली होती. मराठवाडयाच्या सांस्कृतिक जडणघडणीत यादवांचे योगदान उच्च दर्जाचे आहे. कला क्षेत्रातील यादवांचे योगदान महत्वपूर्ण आहे. “यादव राजा रामदेव याचा मंत्री हेमाद्री हा हेमाडपंथी मंदिर स्थापत्य शैली चा जनक मानला जातो.”^३ या काळातील जवळपास प्रत्येक गावात एखाद तरी हेमाडपंथी मंदिर पहावयास मिळते. “यादव काळात हेमाडपंथी मंदिराची उभारणी होत होती याच काळात बारव स्थापत्याची निर्मितीही मोठ्या प्रमाणात होत होती.”^४ निसर्गतः उपलब्ध नदीच्या काठाचा योग्य उपयोग करून घेतला नगर वसवली जात. इतर ठिकाणी नगरे वसवताना भूगर्भातील जलाशयाचा शोध घेऊन विविध प्रकारच्या विहिरी, आड, बारव यांची निर्मिती करण्यात आली.

बारव स्थापत्य :-

बारव स्थापत्याच्या निर्मितीत धर्मश्रध्दा आधारभूत ठरली आहे. त्यातूनच देवतांची प्रतिष्ठापना

करण्यात आली आहे. मंदिर स्थापत्याच्या विकासाचा एक भाग म्हणून बारव स्थापत्याचा विकास झाला आहे. “बारवेत विविध देवतांची स्थापना केलेली असते. त्यासाठी असलेली देवकोष्ठे संरक्षक भिंतीत व प्रवेश मार्गाच्या दोन्ही बाजूला ठेवतात.”^५ बारव बांधणे हे पुण्यकर्मच समजले जाई. बारवेवर मोटेची व्यवस्था करून रहाट वसवून मर्यादित जलसिंचनाद्वारे शेतीचा विकास केला जात असे. तांत्रिक दृष्ट्या बारव ह्या अत्यंत उत्कृष्ट होत्या. बावेत प्रामुख्याने चौरस आकार आढळतो. आयात व क्वचित आष्टकोनी आकार पहावयास मिळतात.

बारव रचनेतील तंत्र :-

बारव एक नगराची वा एका मोठ्या जनसमुहाची गरज पूर्ण करित असे. तेव्हा यासाठी योग्य भूभाग शोधतांना बारवेतील बांधकामाची उंची ९ ते ११ मीटरपेक्षा जास्त असणार नाही. याचाही विचार होई. स्थापत्यशास्त्र दृष्ट्या साधारणपणे सात मीटर उंचीचे बांधकाम जास्त उपयुक्त ठरे. साधारणपणे नैसर्गिक उताराचे क्षेत्र उपयुक्त मानले गेले. नगराच्या सखल भागाची निवड यासाठी करण्यात आली. जागजी, चारठाणा, अंबड येथील बारवांवरून हेच स्पष्ट होते. बांधकामासाठी आवश्यक त्या दगडाचा शोध घेऊन तो योग्य ठिकाणाहून मुद्दाम आणला जाई. बांधकाम दीर्घकाळ टिकावे हा हेतू असे. बारवाच्या निर्मितीनंतर आज जवळपास ७००—८०० वर्षे टिकून आहेत. ९०% बारवा आजही वापरात आहेत. हे विशेष बारवेच्या रचनेचा विचार करता, तिच्या बांधकामावर जमिनीच्या बाहेरील बाजूने पडणारा समांतर दाब पाण्याचा दाब आणि स्वतःच्याच भारदस्तपणामुळे पडणारा अतिरिक्त भार सहन करण्याची क्षमता या बारवेत होती, असेच म्हणावे लागेल. मुख्यत्वेकरून पावसाळयात वाढलेल्या पाण्याचा अतिरिक्त भार त्या पेलू शकत. तन्त्र दृष्ट्या एकूण पडणारा दाब हा त्याच्या पायाच्या रुंदीवर केवळ १/३ भागावर पडणे आवश्यक असते. वरील तत्व स्विकारून बारवेच्या बांधकामात पायऱ्यावर मध्यभागी पुढे आलेला पायरीचा दगड बांधकामासाठी वापरण्यात आला. यामुळे निर्माण होणाऱ्या दाबाचे तणावाचे सहज विकेंद्रीकरण होई. शिवाय पायरीची या स्थानावर वाढलेली रुंदी तिची

उपयुक्तता वाढवणारी ठरे.

बारव रचनेत आढळणारे तंत्र म्हणजे पहिला दगडी थर असतो. त्यावरील दगड समांतर पातळीवर येणाऱ्या जमिनीच्या दाबामुळे पुढे सरकू नये म्हणून साधरणपणे दोन सेंटीमीटरने मागे बसवत असत. तसेच खालील दगड तेवढाच वर ठेवत असत. वरील दगडास असलेले टोक खालील दगडाच्या खाचेत बसवलेले असते. कोपऱ्यावर असलेल्या दगडात सांध पडू नये म्हणून काटकोनात घडवलेला असतो. बारवेला जमीन पातळीवर एक संरक्षक भिंत असते. या भिंतीला आतून देवकोष्ट ठेवलेले असतात. बारव स्थापत्यासाठी उपयोगात आणलेले दगड बऱ्याचदा पाच बाजूंनी घडवावे लागत असत.

जागजी येथील बारव :-

जागजी हे गाव उस्मानाबाद जिल्हयामध्ये आहे. जागजी बरोबरच उस्मानाबाद जिल्हयामध्ये उपळा आणि आळणी या दोन ठिकाणी बारव आस्तित्वात आहेत. जलव्यवस्थापनात कुंड, विहिर, आड, कल्लोळ, पोखरणी यांचा समावेश होत असे. तेर या ठिकाणी इ.स. १९८८ मध्ये उत्खनन केले असताना महाराष्ट्रातील सर्वात प्राचीन कुंड मिळाला आहे.

जागजी हे उस्मानाबाद जिल्हयातील छोटेसे गाव आहे. उस्मानाबादपासून २८ कि.मी. अंतरावर हे गाव आहे. “जागजी येथील लोकसंख्या ५५८६ ऐवढी आहे.”^६ जागजी येथे महालक्ष्मीचे मंदिर आहे. या मंदिराच्या परिसरात असलेली बारव ‘लक्ष्मीतीर्थ’ या नावाने ओळखली जाते. “या बारवेची निर्मिती तगर पुरवराधीश्वर असणाऱ्या शिलाहार राजा मारसिंह इ.स. १०५८ किंवा जतिग राज यांनी अकराव्या शतकात केली असावी.”^७ पूर्व व पश्चिम अशा दोन बाजूंनी प्रवेश असलेली बारव पाच सोपान ठेवून पूर्ण केली आहे. बारवेचा आकार २४ x २४ मी.चौरस आहे. पहिला सोपान (टप्पा) सुरु होतो तो १७ १७ मी. चा आकार आहे.^८ तर सर्वात शेवटी असलेले कुंड हे अष्टकोनी आकाराचे आहे. बारवेच्या एकुण बांधकामाची उंची ५.७० ५.७० मी. चौरसाकार आहे. बारवेच्या एकुण बांधकामाची उंची ७.५० मी. आहे. या शिवाय बारवेस संरक्षण भिंत असून या भिंतीत चोवीस देवकोष्टे

आहेत.

दक्षिण भागात पाच, पूर्व व पश्चिम भागात प्रत्येकी सहा, उत्तर बाजूस सात अशी देवकोष्टे ठेवली आहेत. “बारवेतील मुख्य देवता ही उत्तराभिमुख होती संरक्षक भिंतीची उंची २.७५मी. आहे. तर त्यातील देवकोष्ट १ १ मी. आकाराचे असून त्यावर एक मीटर उंचीचे शिखर आहे.”^९ बारवेच्या संरक्षक भिंतीस बाह्यअंगावर शिल्प कोरलेले आहेत. त्यात पुष्प, हंस, मिथुन यांची शिल्पे आहेत. भिंत असलेला शेवटचा थर दोन्ही बाजूंनी उतरत्या शिळांचा आहे.

जागजी येथील बारवेचे वैशिष्ट्ये म्हणजे उत्कृष्ट बांधकामाबरोबर खडकापासून एक बारमाही जलस्रोत या स्थानापर्यंत आणला असून, त्यासाठी शेवटच्या सोपानाखाली अष्टकोनी कुंडामध्ये एक भूमीगत मार्ग ठेवण्यात आला आहे.

सप्तमातशका किंवा नागदेवता यांची विहिरीलगत स्थापना करणे येथपासून अष्टदिक्पाल असेच विष्णूच्या चोवीस रुपांची स्थापना करणे. यासारख्या बाबींचा विकास झाला. जागजी या ठिकाणी अशा मुर्तीची स्थापना झाली.^{१०} येथील काही मुर्ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद येथे स्थलांतरित केलेल्या आहेत. तर काही बारवेच्या बाहेर काढून ठेवल्या आहेत. दक्षिण बाजूस दामोदर व माधव मूर्ती आहेत. पश्चिम बाजूस वायुदेव ऋषीकेश आहे. बाहेर काढून ठेवलेल्या मूर्तीमध्ये गरुडारूढ नृसिंह, कार्तिकेय, महिषासुर मर्दानी, भैरव, नागराज व स्त्रीमुर्ती आहेत. सात फणांचा नाग असून या नागाच्या बाजूला नागस्त्रीची प्रतिमा असून तिच्या हाती पताका आहे.^{१०} या बारवेला ‘लक्ष्मीतीर्थ’ या नावाने ओळखले जाते. जागजी येथील या बारवेत सतत पाणी असते त्याचा वापर गावातील लोक करत आहेत. पाण्याच्या कमतरतेच्या काळात या बारवेतील पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यामुळे ही बारव गावातील लोकांसाठी एक वरदानच आहे.

सारांश :-

बारव स्थापत्य हे जलव्यवस्थापना मधील अत्यंत उत्कृष्ट साधन आहे. उस्मानाबाद सारख्या दुष्काळग्रस्त भागात सतत पाण्याची टंचाई असते. पाण्याच्या अभावी

मागासलेला भाग म्हणून उस्मानाबादची ओळख आहे. हे मागासलेपण दूर करण्यासाठी जलव्यवस्थापनाची नितांत गरज आहे. त्यासाठी जागजी येथील लक्ष्मीतीर्थ बारवेच्या स्थापत्याच्या तंत्राचा वापर करून निर्मिती करणे गरजेचे आहे. जे चिरकालीन टिकून राहिल आणि पाण्याच्या पातळीत वाढ होऊ शकेल. पाण्याच्या उपलब्धतेतूनच समृद्धी निर्माण होऊ शकेल. त्यामुळे अशा बारवांचे जलव्यवस्थापनात मोठे योगदान ठरू शकते. त्यासाठी अशा इतिहासकालीन जलस्रोतांची जपणूक होणे गरजेचे आहे.

संदर्भ सूची :-

१. डॉ. अरुणचंद्र पाठक, महाराष्ट्रातील बारव स्थापत्य, मराठवाडा संशोधन मंडळ, ऑगस्ट २००१, पृ.क्र.१३.
२. अनिल कठारे व विजया साखरे, मंदिरे आणि मुर्तिशिल्प, अल्फा प्रकाशन, प्रथम आवृत्ती २००८, नांदेड, पृ.क्र.१२.
३. डॉ. प्रभाकर देव, मराठवाड्यातील प्राचीन मंदिर स्थापत्य शिल्पाविष्कार, अपरांत प्रकाशन पुणे, २०१७, पृ.क्र. ६.
४. महाराष्ट्र राज्य गॅझेटिअर, महाराष्ट्र इतिहास प्राचीन काळ (खंड १, भाग २) स्थापत्य व कला, दर्शनिका विभाग सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र शासन मुंबई २००२, पृ.क्र. २७१.
५. उपरोक्त पृ.क्र. २७४
६. www. Onetivenine.com...Osmanabad
७. अरुणचंद्र पाठक, पूर्वोक्त क्र. १, पृ. ६९.
८. उपरोक्त पृ.क्र. ४९.
९. उपरोक्त पृ.क्र. ५०.
१०. महाराष्ट्र राज्य गॅझेटिअर, पूर्वोक्त क्र. ५, पृ.क्र. २७२.
११. अरुणचंद्र पाठक, पूर्वोक्त क्र. १, पृ. ५०.



मराठी कादंबऱ्यांतून व्यक्त झालेला शेतकरी संघटना व कृषी जीवन यांचा संबंध

डॉ. रविंद्र बाबासाहेब ढास
महिला कला महाविद्यालय बीड

स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्वच क्षेत्रात बदल झाले. त्यात शेती व्यवसायही मागे राहिलेला दिसत नाही. पंचवार्षिक योजनांच्या आधारे शेती सुधारण्यासाठी प्रयत्न झाले; परंतु औद्योगिक विकासावर भर देण्याचे धोरण प्राधान्याने राबविल्याने भारतात प्रमुख असणारा व्यवसाय दुय्यम ठरला. त्यामुळे कृषिप्रधान भारत देशातील शेतकरी मागे पडू लागला. सततची सावकारी आणि सोसायटीची कर्जे, दुष्काळासारखी नैसर्गिक संकटे, शासनाकडून होणारे शोषण यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करू लागला.

कृषिव्यवस्थेचा जुनाट रोग दूर करण्यासाठी काम करणाऱ्या 'शेतकरी चळवळी' शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी स्थानिक व राजकीय पातळीवर काम करतांना दिसतात. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेतीमालाला योग्य भाव, दलालाकडून होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक, देश-विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या काबीज केलेल्या जमिनी यांची सोडवणूक, मोफत खत-बियाणे, फवारणीसाठी लागणारी यंत्रे, शेती अवजारे, दुष्काळात होणारी नुकसान भरपाई अशा अनेक प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी 'शेतकरी संघटना' काम करतात. मात्र सद्यपरिस्थितीला स्थानिक आणि राजकीय पातळीवर सुजान व समर्पित नेतृत्वाचा अभाव असल्याचे चित्र आपणाला दिसून येते. 'शेतकरी संघटनेचे' कार्य करणारे भविष्यात राजकारणात प्रवेश करून, शेतकऱ्यांच्या मतावर निवडून येऊन मंत्री पद भूषवतात आणि स्वतः ऐश आरामात जीवन जगतांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना बगल देताना दिसतात.

'बारोमास', 'चिखलवाटा', 'एसईझेड', 'ऐसे कुणबी भूपाळ', 'धूळपेरणी', 'साखरफेरा', 'बळ', 'संभूती', 'सेलझाडा' आणि 'रिक्त-अतिरिक्त' या कादंबऱ्यातून "शेतकरी संघटना"

आणि 'कृषिजीवन' यांचा आज वर्तमानकाळात अनोन्य संबंध असलेला आपणाला दिसून येतो.

'बारोमास' या कादंबरीतून लेखक सदानंद देशमुख शेतकरी चळवळी, संघटना याचे वर्णन करताना सद्यपरिस्थितीला समोर ठेवतात. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी स्थानिक व राजकीय पातळीवर सुजान व समर्पित नेतृत्वाचा अभाव असल्याचे सांगतात. हे सांगताना 'बारोमास' मध्ये तेजराव तात्यांच्या माध्यमातून ते लिहितात, "एक समजत नाई की एखादं दुसरा मुख्यमंत्री सोल्डा तर समदे शेतकऱ्यांचेच पोरं मुख्यमंत्री असतात. खेड्यापाड्यातून जातात. मगं ते शेतकऱ्यांसाठी कावून काई करत नाई?"⁽³⁾ या वस्तुस्थितीकडे वाचकाचे लक्ष वेधतात.

आजच्या काळात मी शरद पवार, मा. शरद जोशी सारखे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी तळमळीने कार्य करणारे सामाजिक कार्यकर्ते यांचा उल्लेख लेखक कादंबरीत करतात. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कादंबरीतील एकनाथ, समाधान चांदणे, तेजराव खपके, आणि नरुभाऊ सारखे सुजान आणि समर्पित वृत्तीने कार्य करणारे कार्यकर्ते आजच्या तरुणांना आदर्श ठरतील असा आशावाद लेखक व्यक्त करतात. याबाबतीत लिहिताना उज्वला शितोळे म्हणतात, 'बारोमास' सारख्या शोकात्म कादंबरीत शेतकरी चळवळ हा शेतकऱ्यांसाठीचा आशेचा किरण दिसून येतो.⁽⁴⁾

हा शितोळे यांनी मांडलेला विचार आणि 'बारोमास' च्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारी शेतकरी संघटना हा आज आशेचा किरण प्रकाशमय होऊन शेतकऱ्यांचे जीवन सुखमय करावे, अशी ईच्छा सुजान वाचक निश्चितच करत असतील. शेतकऱ्यांनी संघटित झाल्याशिवाय त्यांची दुरावस्था संपणार नसल्याचा संदेशही सदानंद देशमुख यांनी 'चक्काजाम' च्या माध्यमातून दिलेला आहे. 'चक्का जाम' आंदोलनाच्या माध्यमातून लेखक लिहितात, "आज आपल्याला चक्काजाम करायचा आहे. शेतकरी बांधवांनो सगळीकडे आज शेतकरी संघटनेच्या वतीने हे आंदोलन होत आहे. सांजोळच्या हाय-वेवर जाऊन आपल्याला रास्ता-रोको करायचा आहे. त्याच्यासाठी आसपासच्या खेड्यातून आणि सांजोळ गावातून ते शेतकरी आज येथे हजर झाले आहेत, त्यांचे मी आभार मानतो...."⁽⁵⁾

रा.रं. बोराडे 'रिक्त-अतिरिक्त' मधून ऊसाचे उत्पादन अधिक झाल्याने कारखानदार ऊस घेऊन जात नाहीत. मुकादम, ऊस तोडणारे कामगार आणि कारखान्याचे चेअरमन, मेंबर

आपल्या जवळचे नातेवाईक यांचा ऊस घेऊन जातात. ऊस घेऊन जाण्यासाठी आलेले मुकादम, ऊस तोड कामगार शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतात हे जेव्हा शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्याला कळते, तेव्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने साकेगावातील शेतकरी संघटनेचा कार्यकर्ता व्यंकटराव तांगडे, नाथाप्पांना साकेगावात बैठक असल्याचे सांगतो, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी ही बैठक असल्याचे सांगून या बैठकीसाठी जालींदरराव खडसे शेतकरी संघटनेचे तरुण कार्यकर्ते उपस्थित राहणार असून ऊसाचा भाव प्रतिटन २००० रुपये आणि पहिला हप्ता १८०० रुपये कारखान्याने द्यावा ही मागणी आहे. तेव्हा साकेगावातील गणपतीच्या देवळात सर्व शेतकरी बंधुनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन व्यंकट तांगडे गावपातळीवर शेतकरी संघटनेचा कार्यकर्ता करतो. या बैठकीसाठी नाथाप्पा आणि सिद्राम दोघेही उपस्थित राहतात. आंदोलनाची दिशा ठरली जाते. मात्र शेवटी आंदोलनाला हिंसक वळण लागते. याचे वर्णन करतांना लेखक लिहितात, "ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांच्या चाकातली हवा सोडून देणे, ट्रका पेटविणे, ड्रायव्हरला, क्लिनरला मारहाण करणे असे प्रकार वाढत्या प्रमाणात सुरु केले. अंका ठिकाणी तर ड्रायव्हरला पेटविण्याचा प्रकार घडला. सुदैवाने तो शिताफीनं पळून गेला म्हणून बचावला. या परिस्थितीतून पोलीस यंत्रणेने आपल्याला परीनं मार्ग काढला."⁽⁶⁾ अशा प्रकारचे वर्णन प्रस्तुत कादंबरीत येते. शेवटी नाथाप्पांचा ऊस शेतात तसाच पडून राहतो आणि अस्वस्थ होऊन एकेदिवशी ऊसाला पेटवून स्वतःला त्या आगीत झोकून देऊन आपली जीवनयात्रा संपवतो. अशा प्रकारे शेतकरी संघटनाच्या माध्यमातूनही शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नसल्याचे दिसून येते आणि म्हणूनच शेतकरी शेवटी आत्महत्या करताना दिसतो.

'एसईझेड' या कादंबरीत लेखक शंकर सखाराम शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेल्या आणि शेतकऱ्यांना सातत्याने ग्रासणाऱ्या 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' म्हणजे 'सेझ' (SEZ) वर भाष्य करतांना दिसतात. कादंबरीचा नायक चंद्रकांत थळे हा सुशिक्षित पदवीधर तरुण शेतकऱ्यांना 'सेझ' बदल जागरूक करण्याचे काम करणारे गजानन गुरुजी आणि गावातील तरुण कार्यकर्ते मिळून 'सेझ' विरोधात उभे राहतात. 'सेझ' वरच्या सभा, मोर्चे, चर्चा यात सहभागी होतात. शेतकऱ्यांबरोबर संघर्षात सहभागी होतात. पैशासाठी माणूस किती नीच थराला जातो हे प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहिल्यानंतर लेखक लिहितात, "जोपर्यंत भांडवलदारांत जमीन पिपासू वृत्ती आहे आणि राजकारण्यांत

पैसा पिपासू वृत्ती आहे, तोपर्यंत 'सेझ' जाणारी नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी, नव्हे सान्यांनीच शरीरात रक्ताचा थेंब असेपर्यंत लढायला हवे."⁽⁴⁾ अशा प्रकारे वर्णन करून लेखक शेतकरी, शेतकरी संघटना यांनीच केवळ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी किंवा समस्या सोडविण्यासाठी पुढे येऊन भागणार नाही तर सर्व कृषिजीवनाशी निगडित असणाऱ्यांनी पुढे येण्याची गरज असल्याचे सांगून आपल्या शरीरात रक्ताचा थेंब असेपर्यंत लढण्यास सांगतात.

'साखरफेरा' च्या माध्यमातून लेखक मोहन पाटील भानुसिंग हा शेतकरी संघटनेचा काम करणारा शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी यांचे चित्रण करतात. झोंबडे पाटील हा दरवर्षी गोड बोलून शेतकऱ्यांकडील ऊस घेऊन जात असे, आणि शेतकऱ्यांना त्याचा योग्य दर देत नसे. तेंव्हा झोंबडे पाटलांच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी भानुसिंग आंदोलन उभे करतो. कारखान्याकडे जाणारा ऊस अडविला जातो. ऊसाला हमीभाव जाहीर करण्यासाठी सरकारने पाऊले उचलावीत. मात्र महाराष्ट्रातील साखर सम्राटाविरुद्ध नसलेले हे आंदोलन खंदारे सारख्यांनी मोडीत काढले. भानुसिंगांनी केलेल्या आंदोलनाच्या वेळी कारखान्याला ऊस नेण्याच्या प्रयत्नात खंदारे आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांनी भानुसिंगला मारहाण केली आणि सहकारातील साखर सम्राटांनी शेतकरी संघटनेची आंदोलने मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. कारखान्याच्या आणि सत्तेच्या मार्फत शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणारे भ्रष्ट राजकारणी हे आजच्या परिस्थितीत शेतकरी जीवनाला लागलेली कीड आहे. त्याचा योग्य वेळी नायनाट करावाच लागेल नसता कृषिजीवन आणि शेतकरी उद्ध्वस्त व्हायला काहीच वेळ लागणार नाही, एवढे मात्र खरे.

'धूळपेरणी' या कादंबरीत शेषराव मोहिते श्रीराम या नायकाच्या माध्यमातून शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न यावर प्रकाश टाकतात. राजकीय पुढारी संधीसाधू वृत्तीने वागतात. निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांचे प्रश्न उपस्थित करून राजकीय सत्तेची पोळी भाजून घेताना दिसतात. शरद जोशींचे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कांद्या ला रास्त भाव मिळावा यासाठी तुरुंगात उपोषण चालू असते. एक रुपया किलो विकला जाणारा कांदा आज दहा पैशावर आलेला होता. त्यामुळे चाकणला कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे रास्ता रोको आंदोलन चालू असते. या आंदोलनाची बातमी श्रीरामला वर्तमानपत्रातून कळते. आपल्या मित्रांसह या आंदोलनात सहभागी होण्याचे ठरवतो. 'कापूस एकाधिकार योजना' ही शेतकऱ्यांच्या

हिताची आहे. परंतु विरोधक या योजनेला विरोध करित आहेत. त्यासाठी मुंबई येथे मेळावा आयोजित करण्यात येत असतो. मात्र तो मेळावा कोणीतरी उधळून लावला जातो.

श्रीराम परत हॉस्टेलवर येतो व यापुढे आपण कोणत्याही आंदोलनात सहभाग घ्यायचा नाही असा निश्चय करतो. तानाजी पाटील 'उधळला का मेळावा' असे श्रीरामला म्हणतो तेंव्हा श्रीराम तानाजीला बोलतो. "तान्या, उठला की कुणीही हॉस्टेलवर येतो. शेतकऱ्यांविषयी कळवळा दाखवितो. शेतकऱ्यांचं दुखणं नेमकं काय याचा कुणाला पत्ता नसतो. आपलं पुढारीपण मिरविण्यासाठी यांचे काहीही उद्योग चाललेले असतात आणि आपण आपला अभ्यास बुडवून एखाद्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात उडी घेतल्यासारखे यांच्या मोर्चा, मेळाव्यात सामिल होतो"⁽⁵⁾

यावरून लेखकाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी लढणारी शेतकरी संघटनाही संधी सांधू असून तिच्यात आपण वेळ न घालविता शिक्षण पूर्ण केले पाहिजे, असे यावरून स्पष्ट होते.

'चिखलवाटा' या कादंबरीत शेतीवर निर्भर असलेल्या स्वाभिमानी शेतकऱ्यांची कुटुंबकथा येते. घामाचा दाम मागणाऱ्या आणि कर्जमुक्तीचे स्वप्न दाखविणाऱ्या एका चळवळीने शेतकऱ्यांना प्रखर आत्मभान दिले. चळवळीची भाषा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांशी संबंधित असल्याने, हाती रूमणे घेऊन अनेक शेतकरी, कार्यकर्ते छातीवर रक्तवर्णी बिल्ला लेवून चळवळीच्या बिकट वाटेवर उतरले.

शेती, घर, मुलाबाळांना सोडून कुठेही जाऊन पोट भरावे असे सुरभानला वाटत होते. अशावेळी शेतकरी संघटनेचे पोस्टर भिंतीवर लावलेले दिसते. आपण संघटनेला साथ दिली पाहिजे. संघटनाच या संकटातून मुक्त करेल असा विश्वास सुरभानला येतो. आमदार बबन जाधव गावात येणार आहे हे कळल्यावर 'शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्याचा धक्का असो', 'आम्हाला भीक नको, आमच्या घामाचे दाम द्या', 'आमच्या मालाला भाव मिळालाच पाहिजे' अशा घोषणा दिल्या जातात.

आमदार बबन जाधव विधानसभेत तुमचे प्रश्न मांडून त्याची सोडवणूक करण्याचे आश्वासन देतो. शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते आमदार बबन जाधवला बोलतात. "शेतकऱ्यांचे कोंचे प्रश्न तुमी मांडलाव विधानसभेत, सांगा?"⁽⁶⁾ शेतकरी संघटनेचा कार्यकर्ता अर्जुन आमदाराला प्रश्न विचारतो, "संघटनेनं शेतकऱ्यांच्या कर्जाची परकरनं कोर्टात घातल्यात. केस चालू हाय, त्येचा फैसला न्हाई. आसं असून करजं वसुलीपाई ब्यांका हामाला का ताप दिऊ लाल्यात सांगा ? दुसकाळावनी आता

गत असून लईट बिलापाई लईटवाले परेशान करू लालेत. ह्या लोकावाचा तुमी काय बंदोबस्त करणार हायका न्हाई? का उगं, राजीव गांधी की जय मनल्यावर हामचं कोडं सुटणार हाय”^(८) अन्यायाविरुद्ध लढा उभा करण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे महत्त्व सुरेंद्र पाटील मांडताना दिसतात.

अशा प्रकारे ‘साखरफेरा’, ‘रिक्त-अतिरिक्त’, ‘बारोमास’, ‘एसईझेड’ या कादंबऱ्या प्रमाणेच ‘सेलझाडा’, ‘धूळपेरणी’, ‘चिखलवाटा’ कादंबरीतूनही शेतकरी संघटना आणि शेतकरी संबंध यांच्या नात्यावर प्रकाश टाकता येतो.

संदर्भग्रंथ :-

- १) सदानंद देशमुख ‘बारोमास’, ‘कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन’, विजयानगर, पुणे, प.आ.२००२, पृ.१९०.
- २) उज्वला शितोळे, ‘बारोमास : कृषी व्यवस्थेचे वास्तव चित्रण’, ‘बारोमास : एक अन्वयार्थ’, प्रा.डॉ. विजय पाटील, (संपा.) कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजयानगर पुणे, प.आ. २०११, पृ.१४१.
- ३) सदानंद देशमुख, ‘बारोमास’ कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजयानगर, पुणे, प.आ.२००२, पृ.३४०.
- ४) रा.रं. बोराडे, ‘रिक्त-अतिरिक्त’, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद, प.आ. २००९, पृ.५२.
- ५) शंकर सखाराम, ‘एसईझेड’, सामंत पब्लिकेशन, मुंबई नि.आ. २००८, पृ.६.
- ६) शेषराव मोहिते, ‘धूळपेरणी’, देशमुख आणि कंपनी (पब्लिशर्स) प्रा.लि., पुणे प.आ. ऑगस्ट २००१, पृ. २८६.
- ७) सुरेंद्र पाटील, ‘चिखलवाटा’, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद, प.आ. २००७, पृ.६७.
- ८) तत्रैव, पृ.६८.



ग्रामीण लोक जीवनातील शब्द, म्हणी, वाक्प्रचार व त्यामागील मानसिकता

डॉ. मिलिंद नामदेवराव भिलपवार

मराठी विभाग प्रमुख,

जे.डी. पाटील सांगळूदकर महाविद्यालय दर्यापूर,
ता. दर्यापूर, जि. अमरावती

ग्रामीण माणसाने निर्माण केलेले विविध शब्द, वाक्प्रचार यामागे निसर्गात दिसलेल्या विविध बाबींचे अनुकरण केलेले दिसते. निसर्गासमवेत जीवन जगताना त्यातील वैशिष्ट्ये शोधून, त्यातील साम्य हेरून मानवी लकबीसोबत संबंध जोडून नवीन शब्द, वाक्प्रचार लोकपरंपरेने निर्माण केले. यातून त्यांची निरीक्षण क्षमता, दोन बाबींचा तौलनिक अभ्यास करण्याची वृत्ती दिसून येते. लोक संगीत, लोक गायन याचे लोकजीवनात महत्त्वाचे स्थान आहे. ग्रामीण लोकजीवनाने या लोकसंगीतातील वाद्यांवरून, संगीतातील वैशिष्ट्यांवरून विविध शब्द, वाक्प्रचार निर्माण केलेले आहेत. उदा. एखादा व्यक्ती दुसऱ्याचे मत विचारात न घेता आपलाच विचार पुढे करत असेल तर ‘आपलीच टिमकी वाजवितो’ असे म्हटले जाते. टिमकी हे ग्रामीण व आदिम यांच्या समन्वयातून बनलेले लोक वाद्य होय. ग्रामीण माणसाने बनविलेल्या अर्धगोल मातीच्या भांड्यावर चामडे बसवून टिमकी तयार केली जाते. ती दोन काड्यांच्या मदतीने वाजवित असता त्याचा आवाज ईतर वाद्यांच्या तुलनेत जास्त वाटतो. मिरवणुकीत टिमकी वाजविणारा समोर असतो. या सर्व बाबी लक्षात घेता, आपलाच विचार पुढे नेणारा व ईतरांच्या मतापेक्षा माझेच मत खरे आहे यासाठी हट्टी राहणाऱ्या व्यक्तीच्या स्वभाव वैशिष्ट्याला हेरून तो ‘आपलीच टिमकी वाजवितो’ असे म्हटले

जाते. मानवी स्वभाव व वाद्य वैशिष्ट्ये यांतील दुवा साधत या वाक्प्रचाराची निर्मिती ही ग्रामीण माणसाच्या निरीक्षण क्षमता व वैचारिकतेची पावतीच होय.

ढोल हा शब्द ग्रामीण भागात खूप आत्मविश्वासाचा आभास निर्माण करून बोलणाऱ्या परंतु त्याचे बोलणे हे वायफळ असून निरूपयोगी आहे. हे माहीत असलेल्या व्यक्तीला दिलेले विशेषण होय. एखाद्या मोठ्या झाडाच्या खोडात आतून पोकळी निर्माण होते. वरून ते झाड महाकाय दिसत असले तरी आतून ते पोकळ होत जाते. त्या पोकळीला ढोल म्हणतात. त्याचप्रमाणे खूप मोठेपणाचा आव आणणारा माणूस जर फक्त उक्तीवीर असले कृतीवीर नसेल तर त्याला ढोल म्हटले जाते. ढोल असलेले झाड व उक्तीवीर असलेला मनुष्य यातील साम्य यातून साकार होते. आपलेच गाऱ्याणे नेहमी सांगत राहणाऱ्या माणसाला ग्रामीण भागात आपलेच तुणतुणे वाजवत राहतो असे म्हटल्या जाते. तुणतुणे हे संगीतात एकसारखे वाजत राहणारे वाद्य आहे. त्याचे एकसारखे वाजत राहणे आणि आपलेच गाऱ्याणे एकसारखे मांडत राहणाऱ्या माणसातील साम्य शोधून हा वाक्प्रचार निर्माण केला गेला. टाळ कुटणे हा एक शब्दप्रयोग ग्रामीण भागात केला जातो. यातूनच कुटणे धंदे करणे म्हणजे दुसऱ्याची निंदनालस्ती करत राहणे असा वाक्प्रचार निर्माण झालेला दिसतो. टाळ हे वाद्य भजनामध्ये वापरले जाते व समूह ते वाजवितो. याचप्रकारे गावात पारावर, चौकात बसणारे लोक जो हजर नाही त्याच्यावर टिकाटिप्पणी करत बसतात. या दोन बाबीतील साम्य या वाक्प्रचारातून दर्शविले आहे. संगीतात ताल महत्वाचा असतो. संगीतातील ठेका जर व्यवस्थित असेल तर ते संगीतबद्ध गायन उत्तम होते. गायन वादनातील सर्व बाबी जुळून आल्या तर उत्तम रचना होते. यात तालाला महत्वपूर्ण स्थान आहे. त्याचप्रमाणे एखादे काम जर व्यवस्थित करायचे असेल तर सर्व बाबींची जुळवाजुळव व्यवस्थित करावी लागते. शेतीशी निगडित कामे हे विविध बाबींवर अवलंबून असते. या बाबींची व्यवस्थित सांगड घालण्याला ग्रामीण बोलीत 'ताल लावणे' असे म्हटले जाते. संगीतातील बाबींचे बारीक निरीक्षण करून हा शब्द निर्माण झाला असावा. जर

एखादा व्यक्ती व्यवस्थित काम करत नसेल तर तो 'तालावर नाही' किंवा 'बेताल आहे' असे म्हटले जाते.संगीतातील एखादी बाब जर व्यवस्थित झाली नाही तर ते संगीत,गायन कर्णमधूर राहत नाही. तेव्हा बेताल झाले असे म्हटले जाते. एखाद्या उंच माणसाला काय ताडमाडासारखा वाढला असे सहज म्हटले जाते. त्या झाडाच्या उंचीसोबत व्यक्तीची तुलना करून ग्रामीण बोलीत भर घातली गेली. असे अनेक शब्द ग्रामीण बोलीत निर्माण झाले आहे व बोलीला सौंदर्य तर प्राप्त करून दिलेच सोबतच ग्रामीण माणसाच्या आसपासच्या निसर्गासोबत त्या माणसाचे जीवन बोलीद्वारे जोडल्या गेले.

म्हणी म्हणजे अनुभवाच्या खाणी असे म्हटले जाते. शब्दांच्या तीन शक्ती अभिधा, लक्षणा व व्यंजना यामध्ये म्हणीचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. ग्रामीण लोकमानसाने आपल्या अनुभवातून म्हणी निर्माण केल्या आहे. या म्हणी निर्मितीमागे त्यांच्या जीवनात येणारे अनुभव व कमीत कमी शब्दांतून त्यावर मत व्यक्त करण्यासाठी शब्द योजना करणे आवश्यक असते व हे कसब ग्रामीण लोकमानसात आहे. जीवनाबाबत भाष्य करणाऱ्या या म्हणी असतात. आपले मत अधिक रंजक व कमीतकमी शब्दांत मांडून पुढच्या व्यक्तीस विचाराला बाध्य करण्याचे कसब म्हणीत असते. उदा. 'आधी पोटोबा मग विठोबा' या म्हणीत लयात्मकता आहेच त्याबरोबर आधी कर्म करून उदरनिर्वाहाची व्यवस्था करा आणि नंतर देवाचे नामस्मरण करा हा कर्माची, कष्टाची महती सांगणारा वस्तुनिष्ठ विचार केला आहे. म्हणीत उपदेश, ज्ञान किंवा सार्वकालिक सत्य असते. यातून ऐकणारा व्यक्ती बोध घेतो. ग्रामीण बोली अशा म्हणीने नटलेली असते. जगातील वास्तव यातून साकार होते. मानवी जीवनाचे आचरण कसे असावे, आपले राहणीमान कसे असावे, आपली वैचारिकता कशी असावी अशा गोष्टींबाबत मार्गदर्शन म्हणीतून होत असते.

ग्रामीण भागाचा विचार करताना शिवी हा समाजाने अप्रतिष्ठीत असलेल्या प्रकाराचा उल्लेख करावा लागेल. शिवी हे भावनेच्या विरेचनाचे माध्यम आहे. लोकमानसाचा निखळ, मनमोकळा अविष्कार

म्हणजे शिवी होय असे म्हणावे लागेल. शिवी हा माणसाच्या मनाचा उत्फुर्त भाषिक आविष्कार आहे माणूस कोणत्याही स्वभाव प्रवृत्तीचा असो तो आपल्या वृत्ती प्रवृत्तीला साजेशी शिवी देतो. त्यांचं शिवी देण्यामागचं मुख्य प्रयोजन असते संबंधीत व्यक्तीने आपला मनोदय ध्यानी घेऊन आपले वर्तन सुधरावे, अपेक्षित वर्तनासाठी कश्टिशील विरोधापेक्षा जे काम शब्दाने होण्याजोगे आहे त्यासाठी हिंसक कशाला व्हावे म्हणूनही कदाचित क्रोध व्यक्त करण्यासाठी निरूपद्रवी मार्ग म्हणजे शिवी असावी असे वाटते. ग्रामीण मानसात वाक्यात शिवी येते परंतु प्रत्येक वेळेस ती अश्लील असतेच असेही नाही. वाक्याला कमीत कमी शब्दातून व्यक्त करण्यासाठीही शिवी वापरली जाते. मन मोकळे करण्याचा आणि हिंसक वळण रोखण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करण्याचे कसब शिवीत आहे. ग्रामीण भागात लोकमनात असलेला राग अशा शिवीतून प्रकट होतो. त्यातून लोकभाषेतील वाक्य रचना सरल होताना दिसते.

ग्रामीण भागातील लोकांची निरिक्षण क्षमता, त्यांची चिकित्सक वृत्ती, त्यांचे कुतूहल यातून निर्माण होणारे शब्द, वाक्प्रचार ही बोलीची रंगत वाढवतात. त्यांच्या बोलण्याच्या ओघात येणारे शब्द, वाक्प्रचार त्या बोलीची गेयता वाढवतात. बोलीला, भाषेला सौंदर्य प्राप्त करून देणारे हे भाषेचे वैशिष्ट्ये ग्रामीण माणसांच्या बुद्धीचातुर्याला दर्शविते. ग्रामीण माणूस हा बोलताना आडवळण शोधण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यातून दोन शब्दांचे एकत्रिकरण त्यांच्या बोलण्यातून दिसून येते. यातून नवीन शब्द तर तयार होतेच पण सोबतच बोलीतील गोडवा वाढत जातो. उदा. कुणी कडे चालला? असे बोलण्याऐवजी तो कुकडे चालला? असा बोलेलं. त्याच्या या संभाषणाच्या अर्थात फरक पडत नाही परंतु बोलण्यात लय निर्माण निर्माण झालेली दिसते. काळानुरूप ही बोली, त्यातील सौंदर्य लुप्त होत आहे. आधुनिक काळात शहरीकरण, पाश्चात्यकरणामुळ हा मौखिक ठेवा आपण गमावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. प्रत्येकाने आपल्या भागातील बोलीतील लुप्त होणारे शब्द, त्यामागील भूमिका याचे संकलन केले तर बोलीला जतन करण्याचे कार्य होऊ शकते.

संदर्भ —

१. डॉ. भवाळकर तारा, लोकसंचित, राजहंस प्रकाशन पुणे आवृत्ती प्रथम १९८९, पान १५२

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची सामाजिक लोकशाहीची संकल्पना

डॉ. सय्यद आर. जे.

सहयोगी प्राध्यापक, राज्यशास्त्र विभाग,
तेरणा महाविद्यालय उस्मानाबाद

सारांश: राष्ट्रवाद, उदारमतवाद व लोकशाही इ. विचारांचा उगम व विकास प्रथम युरोपमध्ये झाला. साम्राज्यवादाच्या उदय व विकासानंतर साम्राज्यवादी शक्तींच्या अधिपत्याखालील आशियाई व आफ्रिकी राष्ट्रांतील लोकांना वरील विचारांची ओळख झाली. आधुनिक जगात लोकशाही हा सर्वात लोकप्रिय व सर्वत्र मान्यताप्राप्त शासन प्रकार म्हणून पुढे आला आहे. युरोपीयन राष्ट्रांमधील सामाजिक व आर्थिक परिवेश लोकशाहीला पूरक व पोषक आहे. परंतु आशियाई व आफ्रिकी राष्ट्रांतील सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी अडसर ठरू शकते. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लोकशाहीच्या परिणामाकारक अंमलबजावणीसाठी त्यास पूरक व पोषक सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीची आवश्यकता स्पष्ट करतात व त्यासाठी सामाजिक लोकशाहीचा पुरस्कार करतात.

प्रस्तावना:- आपला भारत देश १५० वर्षांपेक्षा अधिक काळ ब्रिटीश साम्राज्याच्या अंमलाखाली होता. ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी येथे आपली सत्ता व नियंत्रण मजबूत करण्यासाठी येथे त्यांना सोयीची प्रशासकीय यंत्रणा निर्माण केली. त्यातूनच भारतात आधुनिकीकरणाची व लोकशाहीची प्रक्रिया सुरु झाली. 'आपण सर्व जाणतो की, लोकशाही ही एक आधुनिक संकल्पना असून वसाहतकालीन भारतात आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया जशी सुरु झाली तसतसा भारतीयांना स्वातंत्र्य, समनता, हक्क या लोकशाहीला प्राणभूत असणाऱ्या कल्पनांचा परिचय होत गेला. तसेच कायद्याचे राज्य, प्रातिनिधीक शासन, जबाबदार शासन याही तत्वांची ओळख भारतीयांना होत गेली... आधुनिक इंग्रजी शिक्षणाने आत्मभान आले होते. आपले हक्क, सामाजिक स्थान, सत्तेच्या वाट्याच्या प्रक्रियेत मिळालेले किंवा न मिळालेले स्थान याबद्दल भारतीय

समाजातील विविध घटकांत जागृती निर्माण झाली होती. आपल्या रास्त हितसंबंधाचे त्यांना भान आले होते व या हितसंबंधाचा पाठपुरावा करण्यात स्वतः पुढाकार घेतला पाहिजे हा विवेकही जागा झाला होता... आधुनिक नागरी समाज निर्मितीची ही पायाभरणी होती. या दृष्टीने पाहता भारतीय लोकशाहीचा उगम ब्रिटिश वसाहतिक वारशामध्येच सापडतो.¹³

ब्रिटिश वसाहतवाद्यांनी या देशात राजकीय लोकशाहीचा सांगाडा उभा केला. परंतु येथील सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती लोकशाहीची पायाभूत मूल्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय यास पूरक व पोषक नव्हती. त्यासाठी येथील सामाजिक व आर्थिक परिवेश या मूल्यांना पूरक व पोषक बनविण्याची आवश्यकता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट केली. त्यांनी राजकीय लोकशाहीरूपी वास्तुसाठी सामाजिक लोकशाहीचा पाया (बेसमेंट) आवश्यक असतो हे स्पष्ट केले. 'डॉ. बाबासाहेबांचे राजकीय विचारांसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान म्हणजे त्यांनी राजकीय लोकशाहीचा सामाजिक लोकशाहीशी असलेल्या सहसंबंधावर टाकलेला प्रकाश झोट होय. त्यांचा यावर दृढ विश्वास होता की, सुसंस्कृत, सुधारीत व सुज्ञ समाजाशिवाय राजकीय सुधारणा अशक्यप्राय ठरते. डॉ. आंबेडकरांचे असे मत होते की, राजकीय लोकशाहीच्या स्थापनेचा लढा हा सामाजिक लोकशाहीच्या स्थापनेच्या स्तरापर्यंत पोहोचला पाहिजे. कारण समाजयंत्रणा ही शासकीय व राजकीय यंत्रणेपेक्षा अधिक दमणकारी व निरंकुश असू शकतात. समाजाकडे दमण व शोषणाची साधने राज्यापेक्षा अधिक प्रमाणात उपलब्ध असतात आणि ती अधिक प्रभावी असतात. त्यामुळेच उदारमतवाद्यांच्या जहालवाद्यांबरोबर राजकीय सुधारणा अगोदर की समाजसुधारणा अगोदर या प्राधान्यक्रमाच्या संघर्षात डॉ. आंबेडकर उदारमतवाद्यांशी पूर्णतः सहमत होते. राजकीय सुधारणांपेक्षा सामाजिक सुधारणेस प्राधान्य दिले जावे यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता.¹⁴

सामाजिक लोकशाहीची संकल्पना: भारतासारख्या परंपरावादी व बंदिस्त समाजव्यवस्था असलेल्या देशात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना सामाजिक लोकशाहीची गरज भासते. 'शतकानुशतके मुकनायक म्हणुन जिणे वाट्याला आलेल्या दलित बहुजनाना लोकशाहीचे मोल इतर कोणापेक्षाही अधिक जाणवले होते. पण भारतातील जातीव्यवस्थेचा अंत झाल्याशिवाय खरी लोकशाही क्रांती होणार नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. आपल्या 'अनाहिलेशन ऑफ कॉस्ट' या भाषणात आंबेडकरांनी जातीय व्यवस्था निर्मूलनासाठी ज्या सर्वकष संघर्षाची हाक दिली ती लक्षात घेता जातीअंताशिवाय लोकशाही क्रांती अपूरी राहणार हे त्यांच्या

सर्वाधिक तीव्रतेने कळले होते हे स्पष्ट होते. या परिप्रेक्ष्यातूनच डॉ. आंबेडकरांनी स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व व न्याय या संकल्पनांचा पश्चिमी उदारमतवादी अर्थापेक्षा कितीतरी आशयघन अर्थ व्यक्त केला... नुसती राजकीय लोकशाही पुरेशी नसून त्याला सामाजिक व राजकीय लोकशाहीचे अधिष्ठान गरजेचे आहे हे डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्ट केले व आपला सामाजिक लोकशाहीचा सिध्दांत स्पष्ट केला.¹⁵

सर्वसामान्य भारतीयांसाठी राजकीय व सामाजिक स्वातंत्र्याचे समान महत्त्व आहे; आणि म्हणून भारताच्या राजकीय स्वातंत्र्याइतकेच सामाजिक स्वातंत्र्यालाही मोल आणि महत्त्व आहे, अशी डॉ. आंबेडकरांची भूमिका होती. या देशातील अनेक मागासजाती जमातींना, शोषित व वंचित समाजघटकांना धार्मिक व सामाजिक गुलामगिरीच्या दाढेत सर्वकाळ ठेवून केवळ राजकीय स्वातंत्र्याचाच विचार करणे हे निरर्थक आहे, असे त्यांचे प्रांजळ मत होते.¹⁶

भारतीय समाजसंरचनेतील सर्व घटकांना खऱ्या अर्थाने लोकशाही मूल्यांची अनुभूती यावी यासाठी समाज संरचनेत आवश्यक ते फेरफार किंवा सुधारणा आवश्यक ठरते. भारतीय लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी, 'आधी सामाजिक रचनेत फेरफार केल्याखेरीज लोकशाहीचे इमले उभारल्यास भरभक्कम पाया नसलेल्या इमारतीप्रमाणे ते कोसळून पडतील याबद्दल आंबेडकरांना यत्किंचितही संशय नव्हता. या मौलिक फेरफारांनाच ते सामाजिक लोकशाहीची निर्मिती असे नाव देतात. अल्पसंख्यांकाचे बहुसंख्यांकाच्या हातून शोषण होणे सामाजिक लोकशाहीत बसत नाही. संरक्षित मानवी हक्क, व्यक्तिची प्रतिष्ठा, राजकीय स्वातंत्र्य, सामाजिक विकास इत्यादी लोकशाही आदर्श कितपत प्रत्यक्षात उतरू शकतील हे त्या लोकशाहीच्या 'तळमजल्याचा नकाशा' (ग्राऊंड प्लान) वर अवलंबून असते. हा नकाशा म्हणजे त्या देशातील सामाजिक संरचना होय. राजकीय संरचनेवर सामाजिक संरचनेचा खूप प्रभाव पडत असतो. लोकशाही शासनप्रकार लोकशाही समाजरचना गृहीत धरीत असतो. सामाजिक लोकशाही अस्तित्वात असल्याखेरीज लोकशाहीच्या औपचारिक सांगाड्याला मुळीच किंमत नसते, उलट तो सांगाडा तिथे अप्रस्तुत ठरतो.¹⁷

'लोकशाही टिकविण्यासाठी सामाजिक लोकशाहीचा पायाच मजबुत करण्यात आला पाहिजे, तरच राजकीय लोकशाही टिकविता येऊ शकेल. समाजातील विषमता नष्ट केली पाहिजे. इतकेच नव्हे तर, विषमता नष्ट करणा-या घटकांना प्रोत्साहन द्यावे... डॉ. आंबेडकर म्हणतात, "सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही शिवाय राजकीय लोकशाही टिकू शकणार नाही, व या देशात

राजकीय लोकशाही अयशस्वी झाली तर त्याचा परिणाम बंड, अराजक, साम्यवाद निर्माण होतील," असा कयास त्यांनी केलेला दिसून येतो.^{१६}

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची एक शासन प्रकार म्हणून लोकशाहीला पसंती होती. परंतु भारतासाठी लोकशाही ही केवळ शासन प्रकार न ठरता, तो एक जीवनमार्ग बनला पाहीजे ही त्यांची मनिषा होती. 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे लोकशाहीचे महान उपासक होते. भारतीय लोकशाही बलशाली झाल्याशिवाय भारतीय समाज आणि राष्ट्र बलशाली होणार नाही हा विचार त्यांनी सातत्याने मांडला. लोकशाही हा एक प्रकारचा जीवनमार्ग आहे, ती एक प्रकारची सर्वकष समाज व्यवस्था आहे, अशी त्यांची धारणा होती. खरी लोकशाही ही केवळ राजकीय असू शकत नाही; ती आर्थिकही असली पाहीजे आणि सामाजिकही, असा त्यांचा आग्रह होता. लोकशाहीचे कार्यक्षेत्र केवळ राज्यकारभारापुरते मर्यादित असू शकत नाही. अर्थकारण आणि समाजकारणही तिच्या कवेत आणणे आवश्यक आहे.'^{१७}

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते लोकशाही शासन हाच एकमात्र शासन प्रकार आहे. ज्याद्वारे व्यक्ति व समाज जीवनात क्रांतिकारक परिवर्तन घडवून आणता येते. 'ज्या शासन पध्दतीत रक्तपात न घडता आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतिकारक बदल घडवून आणता येतात, ती शासन पध्दती म्हणजे लोकशाही' अशी डॉ. आंबेडकरांनी लोकशाहीची व्याख्या केली आहे. पण सामाजिक जिवनातील क्रांतिकारक बदल हे केवळ राजकीय शक्तीच्या आधारावर घडवून आणणे शक्य नसते, याची त्यांना कल्पना होती, आणि म्हणून त्यांनी सामाजिक लोकशाहीचा आग्रह धरला. बहुसंख्य हिंदू असलेल्या भारतात जात, जातीप्रथा आणि जातीसंस्था यांचे निर्मूलन केल्याशिवाय सामाजिक लोकशाही अस्तित्वात येणार नाही, असे त्यांचे अगदी ठाम मत होते.^{१८}

'सामाजिक जिवन व सामाजिक व्यवस्था लोकशाही यशस्वीतेसाठी आवश्यक असल्यामुळे भारतात ख्रज्या अर्थाने लोकशाही प्रस्थापित करावयाची झाल्यास सर्वप्रथम भारतीय समाजातील समाजरचना, जातीव्यवस्था, तसेच वर्गरचना नष्ट केली पाहीजे असे त्यांना वाटत होते. त्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या प्रत्येक व्यक्तीचा दर्जा समान होईल. परिणामी प्रत्येक व्यक्ती इतरांप्रमाणेच आपल्या अधिकारांचा वापर करील, तसेच शासन कार्यात भाग घेईल... सामाजिक व राजकीय जीवनात प्रत्येक व्यक्तीचा दर्जा समान असेल तर लोकशाही ख-या अर्थाने प्रस्थापित होऊ शकते असे त्यांचे मत होते.'^{१९}

लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी केवळ राजकीय समता पुरेश नसून सामाजिक समता प्रस्थापित होणे गरजेचे असते. 'केवळ एका व्यक्तिला एक मत देऊनच सामाजिक लोकशाही निर्माण होत नाही. सामाजिक लोकशाहीत दोन गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. पहिली, सहबांधवांबद्दल सममनस्कता, सन्मान आणि समभाव आणि दुसरी, ताठर अशा सामाजिक बंधनापासून मुक्त अशी सामाजिक रचना... काही लोकांना विशेषाधिकार असणे व काहींना ते नसणे यामधुन समाजातील काही वर्ग एकाकी व तुटून पडणे लोकशाहीशी विसंगत आहे.' निसर्गाने मानवमात्रात विषमता पेरली असली तरी ही बाब लोकशाही विकासाआड येऊ शकत नाही. किंबहुना माणसे निसर्गतः विषम असतात म्हणूनच त्यांना समतेची वर्तणुक देणे अगत्याचे होऊन बसते. 'एक व्यक्ति एक मत यापेक्षा आंबेडकरांना एक व्यक्ति एक मुल्य' हे तत्त्व अधिक स्विकारणीय वाटते.'^{२०}

स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व ही लोकशाहीची त्रिसुत्री आहे. या तत्वांच्या स्थापनेतूनच समाजात न्यायाची स्थापना होते. त्यासाठी 'समाज रचनाच अशी असावी की त्यातील प्रत्येक व्यक्तिला आणि समाजघटकाला आपल्या उन्नतीसाठी पूरसा वाव मिळावा; आणि तो उपलब्ध करून द्याचा असेल तर सामाजिक वास्तुशास्त्रात स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व या तीन मूल्यांचा समावेश पायाभूत सिध्दांत म्हणून केला जाणे आवश्यक ठरते. डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटना तयार करण्यासाठी जे परिश्रम घेतले त्यात या तत्वांचा जाणीवपूर्वक अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. जिथे ही तीन मूल्ये किंवा तत्वे एकत्रित येतात, तिथे न्याय प्रस्थापित होतो.'^{२१}

'सामाजिक न्यायाचा अभाव असेल तर लोकशाहीच्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक जिवनामध्ये विसंगती निर्माण झाल्याशिवाय राहात नाही. तशा प्रकारची विसंगती निर्माण झाली तर राजकीय स्वातंत्र्याला अर्थ उरणार नाही. या संदर्भात दि.२५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीत बाबासाहेबांनी केलेले भाषण अतिशय मोलाचे आहे. राजकीय लोकशाही सामाजिक लोकशाहीमध्ये कशी रूपांतरित होईल, या प्रश्नावर त्यांनी या भाषणात अधिक भर दिला आहे. ते म्हणतात, "राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार असेल तरच राजकीय लोकशाहीचे अस्तित्व टिकून राहते, एरवी नाही. सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय ? सामाजिक लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व ही जीवनाची मूलभूत तत्वे मान्य करणारी पध्दती." ही तत्वे एकमेकांपासून अलग करता येणार नाही, असेही त्यांनी आग्रहाने सांगितले आहे.'^{२२}

समारोप:- एक अग्रणी समाजसुधारक, दलीत, शोषित व पिडीत वर्गाचे उध्दारक म्हणुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव भारताच्या इतिहासात कायम स्मरणात राहिल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितोद्धाराच्या महान उद्दिष्टासाठी अथक लढा दिला व त्यासाठी आपले जीवन समर्पित केले. 'महान व्यक्ती महान उद्दिष्टासाठी आपले सर्व जीवन समर्पित करित असते. 'He is devoted to on aim regardless of all else.' असे हेगलने एके ठिकाणी म्हटले आहे.' जमाधिष्ठित जातीव्यवस्थेवर आधारलेल्या समाजाची समताधिष्ठीत तत्त्वावर पुनर्रचना करणे हेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जिवनातील 'सामाजिक उद्दिष्ट' होते.... डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांचा मागोवा घेत असताना आणि त्यांच्या जिवनकार्याचे मूल्यमापन करित असताना त्यांचे हे सामाजिक उद्दिष्ट केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे. बाबासाहेबांनी आयुष्यभर जी ज्ञानसाधना केली, जे चिंतन व संशोधन केले, जी ग्रंथनिर्मिती केली, जी पत्रकारीता केली, ज्या परिषदा घेतला, घटना समितीमध्ये ऐतिहासिक मोलाचे जे कार्य केले, ते सर्व काही याच एका सामाजिक उद्दिष्टाच्या पुर्तीसाठी होते हे विसरता कामा नये. त्यांचे धर्मांतर देखील त्याचसाठी होत.^{१३}

'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एक महान युगपुरुष होते. भारताच्या इतिहासाला ज्या महापुरुषांनी व नेत्यांनी नवीन दिशा आणि वळण देण्याचा प्रयत्न केला, त्या महापुरुषांच्या व नेत्यांच्या मालिकेत बाबासाहेबांना इतिहासानेच आता मानाचे स्थान दिले आहे. भावी पिढ्या त्यांच्याकडे एक महामानव म्हणुन पाहणार यात कसलीही शंका नाही.'^{१४}

संदर्भसूची:

१. यशवंत सुमंत- भारतिय लोकशाहीचे चर्चाविश्व: काही निरिक्षणे, पाक्षिक परिवर्तनाचा वाटसरू- १६ ते ३१ जानेवारी २०१२ पृष्ठ १२-१३.
२. Sarma G.N. Shakir Moin- Politics and Society. Parimal Prakashan, Aurangabad. १९७६. Page-२६१
३. उपरोक्त- यशवंत सुमंत- पृष्ठ-२८
४. जनार्धन वाघमारे-समाज परिवर्तनाच्या दिशा- १९९५ साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद. पृष्ठ-१०७.
५. भोळे भा.ल.- आधुनिक भारतातील राकीय विचार- २००३ पिंपळापूरे अॅण्ड कं. पब्लिशर्स, नागपूर. पृष्ठ- ८३१.

६. प्रा. किसन चोपडे-भारतीय राजकीय विचार २००२, विद्या बुक्स पब्लिशर्स, औरंगाबाद. पृष्ठ १८०-१८१.

७. उपरोक्त- जनार्धन वाघमारे- पृष्ठ १०७.

८. उपरोक्त- जनार्धन वाघमारे- पृष्ठ १२५-१२६.

९. डॉ. शांताराम भोगले- आधुनिक भारतीय विचारवंत- १९८५ शिवशंकर प्रकाशन, औरंगाबाद. पृष्ठ २६२-२६३.

१०. उपरोक्त- भोळे भा.ल., पृष्ठ ८३१-८३२.

११. उपरोक्त- जनार्धन वाघमारे- पृष्ठ १०९.

१२. उपरोक्त- जनार्धन वाघमारे- पृष्ठ ११३.

१३. उपरोक्त- जनार्धन वाघमारे- पृष्ठ ११८-११९.

१४. उपरोक्त- जनार्धन वाघमारे- पृष्ठ ११४.



नवीकरणीय संसाधन - अक्षय ऊर्जा

डॉ. करकरे सी. पी.

के.आर.एम. महिला महाविद्यालय नांदेड

सारांश :

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के नये किर्तीमान रचे जा रहे हैं। वर्ष २०१७-१८ के दौरान देश में अक्षय ऊर्जा से कुल १०१.८३ बिजली का उत्पादन हुआ। केंद्र सरकार की कुसुम योजना के जरिए किसान अपनी जमीन में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। कुसुम योजना की मदद से किसान अपनी भूमि पर सोलन पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए तो करेंगे ही बल्कि बिजली बेचकर अधिक आय भी अर्जित कर सकेंगे।

प्रस्तावना :

भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस संगठन में १२१ सदस्य देश शामिल हैं। इसमें ऐसे देश शामिल हैं जो मकर और कर्क रेखा पर पड़ते हैं। आईएसए ने ६ दिसंबर, २०१७ को भारत में अपने मुख्यालय के साथ कानूनी इकाई के तौर पर कार्य करना शुरू कर दिया। ११ मार्च, २०१८ को नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन संस्थापन सम्मेलन में २३ देशों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। इसमें ६ उपराष्ट्रपति, उप-प्रधानमंत्री और १९ मंत्री शामिल हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति श्री. इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त रूप से सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आपने एक सपना देखा, जिसे साकार किया जा रहा है। दो साल पहले यह सिर्फ एक विचार था, जिस पर इतनी जल्दी काम हुआ और अब बड़ा बदलाव हो रहा है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की मुहिम पूरी दुनियाँ में तेज हुई है। इस संमेलन में भारत को दुनियाँ में सौर ऊर्जा की राजधानी के तौर पर स्थापित किया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठ बंधन का सचिवालय गुरुग्राम में बनाया गया है एक

उपलब्धि यह भी है कि भारत को इस गठजोड़ में फ्रांस जैसे उन्नत सोलर तकनीक वाले देश का सहयोग मिला है। भारत में हमने दुनियाँ का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम शुरू किया है। २०२२ तक भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से १७५ गीगावॉट बिजली उत्पन्न करेंगे जिसमें से १०० गीगावॉट बिजली सौर ऊर्जा से होगी। भारत ने २० गीगावॉट स्थापित सौर ऊर्जा का लक्ष्य पहले ही हासिल किया है।

उद्देश :

१. नवीकरणीय ऊर्जा कि प्रगती को जानना
२. शाश्वत विकास के लिए सौर ऊर्जा कि जरूरत। यह शोध पत्रिका द्वितीय सामुग्री पर आधारित है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाई गई है जिसके तहत शोध परियोजनाओं की लागत का ५० प्रतिशत तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता उन परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाती है जिनमें उद्योग के साथ नागरिक व समाज की भागीदारी शामिल हो। इस प्रकार सरकार स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े नए अनुसंधानों में वैज्ञानिकों, विज्ञान शिक्षकों, शोधार्थियों व तकनीकीविदों को जनता से सीधे जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही है और उनके प्रयोगों में जनभागीदारी सुनिश्चित कर रही है। हालांकि इस नीति में शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी प्रयोगशालाओं गैर-लाभकारी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों के परियोजना प्रस्तावों के लिए कुल परियोजना राशि की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा सकती है। एम.एन.आर.ई. द्वारा बारहवीं योजना अवधि के दौरान देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ५२३.४३ करोड़ की कुल वित्तीय सहायता के साथ विभिन्न अनुसंधान और विकास से जुड़े प्रयोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों की ११२ अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप और छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है, जिसके तहत आवासीय, सामाजिक, सरकारी, पीएसयू और संस्थागत क्षेत्रों में सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस (सीएफए) कार्यक्रम के जरिए वर्ष २०१८ तक २१०० मेगावॉट की क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था।

सरकार की नीति :

नवीकरणीय ऊर्जा की संचयी स्थापित क्षमता (२५ मेगावॉट से अधिक पनबिजली को छोड़कर) ३१ मार्च, २०१४ के ३५ गीगावॉट से दोगुनी से भी अधिक होकर ३१ मार्च, २०१९ तक

७८ गीगावॉट से दोगुनी से भी अधिक होकर ३१ मार्च, २०१९ तक ७८ गीगावॉट के स्तर पर पहुंच गई है। ३० जून, २०१९ को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के पास ८०.४७ गीगावॉट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल हो चुकी है, जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी क्रमशः २९.५५ गीगावॉट और ३६.३७ गीगावॉट है। बायोमास और छोटी पनबिजली इकड़ियों की हिस्सेदारी क्रमशः ९.८१ गीगावॉट और ४.६ गीगावॉट है।

केंद्र सरकार द्वारा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा मुहैया करने के उद्देश से इस अभियान का आरंभ किया है। कुसुम योजना के तहत देशभर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी डीजल या बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना है। केंद्र सरकार की (कुसुम) योजना के जरिए किसान अपनी जमीन में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। (कुसुम) योजना की मदद से किसान अपनी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए तो करेंगे ही बल्कि बिजली बेचकर अधिक आय भी अर्जित कर सकेंगे। किसान की जमीन पर बनने वाली बिजली देश के गांवों के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति में बड़ी भूमिका निभाएगी।

इस योजना में तीन घटक हैं, जिनका लक्ष्य २०२२ तक २५,७५० मेगावॉट की सौर क्षमता को बढ़ाना है। घटक (ए) में १०,००० मेगावॉट विकेंद्रीकृत जमीन पर लगे ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय बिजली संयंत्र लगाने की योजना है। घटक (बी) में १७.५० लाख स्टैंडअलोन सौर-ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना की जानी है और घटक (सी) में ग्रिड से जुड़े १० लाख सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों का सौरकरण किया जाना प्रस्तावित है। सरकार ने इस योजना के लिए एक बड़ा बजट निर्धारित किया है। योजना में प्रदान की जाने वाली कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता ३४,४२२ करोड़ रुपये होगी। घटक (ए) और घटक (सी) को पॉयलट मोड पर १००० मेगावॉट क्षमता और क्रमशः एक लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के लिए लागू किया जाएगा और प्रायोगिक संचालन के बाद बड़े स्तर पर संचालित किया जाएगा। घटक (बी) को पूर्णतः लागू किया जाएगा।

सौर प्रौद्योगिकी आधारित अभिनव उत्पाद :

देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सहयोग से भी सौर ऊर्जा के स्वदेशी अनुसंधान और विकास को

प्रोत्साहित किया जा रहा है और सौर प्रौद्योगिकी आधारित अभिनव उत्पादों का विकास आम जन के लाभ के लिए किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में विकसित और उपकरण सूर्यज्याति, सौर ऊर्जा से संचालित प्रकाश स्रोत (एक बड़ी लाइट के रूप में) एक सौर जलशोधक और एक सोलर जैकेट शामिल हैं। इन अभिनव वस्तुओं के विकास का उद्देश्य जीवन-स्तर बेहतर करने के साथ-साथ लोगों के खर्चों में कमी लाना है। ५००० से भी अधिक परिवार अपने घरों को रोशन करने के लिए सूर्यज्योति से लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष २०१९ तक सूर्यज्याति से १,००,००० घरों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सबसे खास बात यह है कि सूर्यज्योति में किसी प्रकार के अतिरिक्त सौर पैनल की आवश्यकता नहीं होती और इसका प्रयोग ड्युग्गियों या कच्चे-पक्के मकानों में आराम से किया जा सकता है। कमरे की छत में इसे इस प्रकार लगाया जाता है कि इसका सोलर सेल छत पर सूर्य के प्रकाश में रहता है और पूरे दिन सूरज की रोशनी से ऊर्जांचित होता है जिससे रात में घर प्रकाशित होता है। सूर्यज्याति की आरंभिक कीमत लगभग ११०० रुपये है, जिसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सौर जलशोधक एक महत्वपूर्ण अभिनव वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी उत्पाद है जो प्रतिदिन ३००-४०० लीटर पेयजल सुलभ कराने में समर्थ है। यह जलशोधक विशेषकर गांवों में स्थित स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और पर्यटक लॉज के लिए उपयोगी है जहां पारंपरिक बिजली बहुत ही अनियमित है या उपलब्ध नहीं है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत उत्कृष्ट तकनीक विकसित की गई है जिसमें सौर ऊर्जा की बचत शोधित जल के रूप में होती है। इन्वर्टर या बैटरी का उपयोग नहीं किया जाता है, कुछ भी प्रदूषण नहीं होता और अत्यंत कम रखरखाव की आवश्यकता पड़ती है।

सोलर जैकेट विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में रहकर काम करने वाले रक्षा और वनकर्मियों के लिए उपयोगी है। इससे एक केंद्रित प्रकाश का उत्सर्जन होता है, यह पहचान टैग को प्रकाशित करती है और इसमें मोबाइल फोन को चार्ज करने की सुविधा भी है। सोलर जैकेट में जो तकनीकी सुविधाएं, जीपीएस और पॉकेट सोलर पैनल।

सौर ऊर्जा पर आधारित आगामी अभिनव परियोजनाओं में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित बॉयोमीट्रिक एटीएम भी शामिल है। इस एटीएम को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया जा रहा है जहां साक्षरता-स्तर पर्याप्त नहीं है। बॉयोमीट्रिक आधारित बीएस-एटीएम का एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है जो उपयोगकर्ताओं (यूजर) के अनुकूल है। इस एटीएम में ऊर्जा की कम खपत होती

है और यह पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि इसे संचालित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।

देश की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए गोबर धन योजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों का बड़े स्तर पर निर्माण और बायोगैस का अधिकतम उपयोग देश की ऊर्जा मांग को कुछ हद तक पूरा कर सकता है। वर्तमान में स्वीडन में बायोगैस ईंधन से बसें चलाई जा रही हैं और बायोगैस से चलने वाली ट्रेन का निर्माण किया गया है। भारत में २०२२ तक बायो गैस उत्पादन में बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। भारत में मवेशियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है इसलिए बायोगैस के विकास की प्रचुर संभावना है। बायोगैस जीवाश्म ईंधन के बजाय इसीलिए भी बेहतर है क्योंकि यह सस्ती और नवीकृत ऊर्जा है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह फायदेमंद है क्योंकि इसे छोटे संयंत्रों में भी बनाया जा सकता है। बायोगैस संयंत्र में ऊर्जा सलों के उपयोग से भी बायोगैस बनाई जाती है। ऊर्जा फसलों यानी एनर्जी क्रॉप्स को भोजन के बजाय जैव-ईंधन के लिए उगाया जाता है।

निष्कर्ष :

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है। भारत दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रमों को लागू करने वाले देशों में शामिल होकर अंतरराष्ट्रीय पहचान बना चुका है। विश्व-स्तर पर भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में चौथे, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पांचवें और नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के मामले में पांचवें पायदान पर है।

संदर्भ सूची :

1. प्रतियागीता दर्पण।
2. कुरुक्षेत्र।
3. भारत ग्रामीण मंत्रालय।
4. विविध पत्रिकाए।



एक नजर 'बहू की विदा' पर

डॉ. नागराज उत्तमराव मुळे

सहयोगी प्राध्यापक एवं हिंदी विभागाध्यक्ष,
महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, जि. लातूर

विनोद रस्तोगी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, नाटककार एवं एकांकीकार के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म १२ मई १९२३ को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नवाबी कस्बा शम्साबाद में हुआ। इनके परिवार का व्यवसाय व्यापार था और इनका लेखन। बचपन से ही उन्हें लेखन में रुचि थी। अतः उन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनका मूल नाम विश्वेश्वर प्रसाद था। लेकिन आगे चलकर उन्होंने 'विनोद' उपनाम से साहित्य रचना की।

विनोद रस्तोगी जी ने अपने लेखन की शुरुआत कविता से की। बाद में उन्होंने उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि विधाओं में विस्तृत लेखन किया है। उनकी प्रकाशित रचनाओं में 'जिदगी के गीत', 'अग्नि परीक्षा' आदि कविता संग्रह, 'ठंडी आग', 'दरारे', 'रूपया, रूप और रोटी', 'तूफान और तीनका', 'अंधेरी गलियाँ' आदि उपन्यास, 'आजादी के बाद' 'नये हाथ', 'बर्फ की मीनार', 'भीष्म पितामह' आदि नाटक तो 'पुरुष का पाप', 'कसम कुरान की', 'बहू की विदा', 'निर्माण के देवता', 'काले कौए : गोरे हंस', 'स्वर्ग के खंडहर', 'गूंगी मछलियाँ', 'प्रमोशन', 'बाल की खाल', 'अपना अपना दर्द' आदि एकांकी संग्रह प्रसिद्ध हैं।

'बहू की विदा' विनोद रस्तोगी का एक सुप्रसिद्ध एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी में दहेज की समस्या और परंपरावादी रुढ़िग्रस्त मानसिकता का चित्रण है। इसमें जीवनलाल एक धनी व्यापारी होते हुए भी दहेज के लालची व्यक्ति के रूप में चित्रित हैं। वे कमला के ससुर और रमेश के पिता हैं। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी और रमेश की माँ है। प्रमोद कमला का भाई है। एकांकी हम देखते हैं कि सावन के त्यौहार पर कमला को बुलाने गए प्रमोद के साथ जीवनलाल अपनी बहू को

इसलिए नहीं भेजते कि अपने बेटे रमेश की शादी में उन्हें पूरा दहेज नहीं मिला। पैसे के आगे वे अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं कि जब तक दहेज का पूरा पैसा नहीं मिलता तब तक 'बहू की विदा' नहीं होगी। उनके अनुसार रमेश के ससुरालवालों ने उनकी जो बेइज्जती की है, उनके नाम पर जो धब्बा लगाया गया है, उनकी बिरादरी में जो हँसी हुई है या उनका जो मजाक उड़ाया गया उस करारी चोट के घाव अभी तक भरे नहीं। अगर बहू की विदा करनी है तो उस घाव पर लगाने के लिए जो मरहम बाजार में मिलता है वह ले आए। यथा-“...जाओ, कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती हैं तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें।”³ और उस मरहम की कीमत पाँच हजार रुपये है। स्पष्ट है कि जीवनलाल यहाँ लड़कीवालों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। प्रमोद उनके सामने हाथ जोड़ता है, बिनती करता है लेकिन जीवनलाल एक नहीं सुनते। तब प्रमोद अपना घर गिरवी रखकर या उसे बेचकर दहेज के पैसे देने के लिए तैयार होता है। इस तरह वह अपना सब कुछ बेच देगा तो उसकी छोटी बहन विमला की शादी कैसे कर पायेगा? परंतु प्रमोद को रंग-बिरंगे कागज के टुकड़ों की चिंता नहीं है। उसे चिंता होती है कि कागज के टुकड़ों पर स्नेह और प्यार करनेवालों के बीच उसकी बहन कमला कैसे रह सकेगी?

यह तो ठीक है कि कमला की एक आदर्श सास है। वह ममता की मूरत है। वह कमला को एक बहू के रूप में नहीं, उसे अपनी बेटी मानती है। वह उसकी हर तरह से मदद करती है। यथा-“यह क्या कह रहे हो, बेटा? मेरे रहते विदा न हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ।...जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी। तुम अकेले नहीं जाओगे।...जा बेटी, तिजोरी से रूपए निकाल ला...।”³

स्पष्ट है कि अपनी माँजी का यह स्नेह देखकर कमला की आँखों में आँसू आ जाते हैं। वह सिसकने लगती है। राजेश्वरी उसे 'मेरी बेटी' कहकर अपने हृदय से लगा लेती है। पैसों से प्यार करनेवाले अपने पति को भला-बुरा कहती है। लेकिन जीवनलाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। उनको जो गुरुर था कि पहले वे बेटेवाले हैं बाद में बेटीवाले। लेकिन बेटी गौरी को बुलाने गया रमेश उदास होकर अकेले घर लौट आता है तो जीवनलाल हक्का-बक्का रह जाते हैं। उन्हें गहरा

धक्का लगता है। जैसे किसी ने उनकी छाती पर जोर से घूँसा मार दिया हो! अपनी बेटी गौरी के ससुरालवालों का यह कहना कि 'उन्हें पूरा दहेज नहीं दिया गया' जीवनलाल की अक्ल ठिकाने पर लाता है। जीवनलाल को लगता है कि गौरी के ससुरालवाले कितने नीच, लालची और लोभी लोग हैं! जीवन भर की पूरी कमाई देने के बावजूद भी 'दहेज पूरा नहीं दिया गया' कहते हैं। स्पष्ट है कि जीवनलाल को जीवन की सच्चाई का पता चलता है। उन्हें लगता है कि जैसा हम दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं तो दूसरे लोग भी हमारे साथ वही बर्ताव करेंगे। अतः अपनी गलती का एहसास जीवनलाल को होता है। हम देखते हैं कि अगर जीवनलाल अपनी बहू कमला को खुशी-खुशी मायके भेज देते, उसे विदा करते तो शायद गौरी भी खुशी-खुशी विदा होकर अपने भाई रमेश के साथ माँ-बाबूजी के पास आ जाती! राजेश्वरी के ही शब्दों में ही कहना हो तो- “जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए हम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक-सा नहीं समझोगे, न सुख मिलेगा और न शान्ति!”³

एकांकी सार्थकता इसमें भी है कि दहेज के कारण जीवनलाल के होश ठिकाने आ जाते हैं। जीवनलाल दहेज लेना जानते हैं लेकिन देना नहीं। उनकी दृष्टि में अपनी बेटी की शादी में उन्होंने दोनों हाथों से पैसे लुटाए। बेटी की शादी कैसे करनी हो यह कोई उनसे पूछो! बारातियों की इतनी खातीरदारी की कि देखने वाले दंग रह गये। इतना दहेज दिया कि लोगों ने दाँतो तले उँगली दबा ली। इस कारण उन्हें पक्का विश्वास था कि बेटी वाले होकर भी वे बेटे वाले जैसे ही हैं। वे जैसा कहेंगे, वैसा होगा। अतः उन्हें लगता है कि उनकी बेटी गौरी अभी ससुराल से आएगी। पहला सावन उनके यहाँ बिताएगी! स्पष्ट है कि जीवनलाल पर अपने आप पर बड़ा नाज होता है। ऐसा लगता है कि दुनिया में एक वे ही नाक वाले हैं। बाकी सब नाक कटे हैं, नकटे हैं। लेकिन गौरी के ससुरालवाले उनकी नाक काट देते हैं।

एकांकी में कमला एक आदर्श बहू के रूप में चित्रित है। जब जीवनलाल कमला को मायके भेजने के लिए तैयार नहीं होते तो कमला कुछ नहीं कहती। कहती है कि वह अपनी ननंद गौरी को सखी मान कर यहीं सावन का त्यौहार मनायेगी। प्रमोद भी एक आदर्श भाई की भूमिका निभाता है। जब राजेश्वरी उसे पाँच हजार रुपये देने के लिए तैयार होती है तो वह पैसे नहीं लेता। उसे सविनय मना कर देता है। राजेश्वरी

भी एक आदर्श सास के रूप में चित्रित है। वह कमला को बहू न मानकर गौरी के जैसी बेटी मानती है। सच में हर घर में एक आदर्श सास और बहू हो तो घर खुशीयाली से भर जायेगा, जीवन सार्थक होगा। शुरू में जीवनलाल भले ही पैसे के लालची दिखाई देते हैं। लेकिन एकांकी के अंत में उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। अतः पश्चाताप करते हुए अपनी गलती सुधार लेते हैं। अंत में बहू की विदा होती है। एकांकी का अंत सुखान्त होता है।

संदर्भ सूची :

१. एकांकी संकलन, सम्पादक- डॉ. रमेश संभाजी कुरे, सह-संपादक- डॉ. शंकर पजई, डॉ. अनिता शिंदे, पृ. १२१, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., १-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नयी दिल्ली-११०००२, प्रथम संस्करण-२०१९
१. वही, पृ. १२४-१२५
२. वही, पृ. १२६



26

समकालीन हिन्दी महिला कहानीकारों की कहानियों में स्त्री चेतना एवं संवेदना के विविध आयाम

दुर्गेश

शोध छात्र,

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी

सारांश—

हमारे समाज में विषमता की नींव प्राचीनकाल से दिखाई देती है जिसमें उच्च और निम्न वर्ग की विषमता सामन्तों का प्रजा के प्रति भेदभाव की विषमता, पूँजीपतियों और मजदूरों के प्रति विषमता के साथ-साथ स्त्रियों और पुरुषों में विषमता देखने को मिलती है। इसी विषमता के कारण आधुनिक समय में महिलाओं ने पुरुषों के समान अधिकार, आत्मसम्मान और समानता के लिये आन्दोलन खड़ा कर दिया है। यह आन्दोलन हमारे देश में पश्चिमी देशों से आया है। जिसकी नींव भारत में आजादी के समय में ही पड़ गयी थी। समकालीन हिन्दी साहित्य में इसने स्त्री विमर्श का रूप धारण कर लिया जो हिन्दी कहानियों में भी दिखाई देता है। प्रस्तुत लेख में हमने समकालीन महिला कहानीकारों की कहानियों में स्त्री चेतना का उदय, स्त्री अस्मिता क्या है और संवेदना के विविध आयामों को दिखाया है।

समाता की उत्पत्ति का कारण असमानता है। समानता की माँग फ्रांसीसी क्रान्ति की देन है। १७८९ ई० में फ्रांसीसी क्रान्तिकारियों ने समानता के अधिकार की माँग की थी। इसी समय स्त्रियों ने भी अपने साथ होने वाले भेदभाव के विरोध में पुरुषों के समान अधिकारों की माँग की थी। अतः प्राचीन काल से ही स्त्रियों को दूसरे दर्जे में धकेला जाता रहा है। उसे कभी भी पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है और उसे

पुरुष की अनुगामिनी के रूप में ही मान्यता मिली है। जिसके कारण कुछ शिक्षित महिलाओं ने अपने अधिकारों एवं सम्मान व हक पाने के लिए पुरुषों से मांग की जिसने आगे चलकर स्त्री विमर्श का रूप ले लिया।

स्त्रियों को समान अधिकार, प्रतिनिधित्व एवं सामाजिक व राजनीतिक समानता देने वाले ऐतिहासिक आन्दोलन को 'फेमिनिज्म' शब्द से अभिहित किया जाता है। 'फेमिनिज्म' शब्द का पहला प्रयोग १८९५ ई० अप्रैल की 'अन्तेन्वम्' नामक पत्रिका में हुआ था जिसका अर्थ है— 'अपनी स्वायत्ता को स्थापित करने वाली।'^{१२} इस प्रकार देखते हैं कि महिलाओं के व्यक्तित्व, अस्तित्व एवं समस्याओं का पहले पहल चिंतन १८९५ में हुआ था। इसके बाद अनेक देशों में महिलाओं की समस्याओं के समाधान पर आन्दोलन हुये, लेकिन कुछ लोग १७८९ ई० में फ्रांसीसी क्रान्ति के दौरान स्त्री अधिकारों के चिंतन की शुरुआत मानते हैं। 'इंग्लैण्ड में बार्बरा ले स्मिथ ने १८५० में समीपवर्ती बहनों को संगठित करके स्त्री समस्याओं पर चर्चा शुरू की, बात में उन लोगों का संगठन 'द लेडीज लनघाम प्लेस' नाम से जाना गया है।'^{१३}

अंग्रेजी शब्द 'फेमिनिज्म' का हिन्दी अनुवाद नारीवाद या स्त्रीवाद है। जो हिन्दी साहित्य में स्त्री विमर्श के नाम से जाना जाता है। भारत में स्त्री चेतना के दरवजे स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान खुले थे। स्त्री शिक्षा एवं सामाजिक अधिकारों के लिए भारत में सबसे पहले सावित्रीबाई फूले ने प्रयास किया तथा स्त्रियों के लिये एक स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्हें भारत की प्रथम शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। १९०७ ई० में जर्मनी में हुये समाजवादी महिला सम्मेलन में मैडम भी काजी कामा ने स्वाधीनता की मांग की थी। इसके बाद १९१७ ई० में मुस्लिम महिलाओं ने अपने प्रति होने वाले अत्याचार के विरोध में आवाज उठाई और मुस्लिम महिला अधिवेशन में बहुपत्नीवाद को खत्म करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

हिन्दी साहित्य में प्रथमतः मीराबाई ने मध्यकाल में पुरुष के खिलाफ बगावत की। उन्होंने

पुरुषवादी मानसिकता का अपनी भक्ति भावना के माध्यम से विरोध किया।

हिन्दी साहित्य में स्त्री चेतना का सर्वप्रथम प्रयोग राजेन्द्र वाला घोष ने किया है। उन्होंने 'दुलाईवाली' कहानी से विशेष ख्याति प्राप्त की थी जो १९०७ ई० में प्रकाशित हुई थी। अतः इन्हें प्रथम महिला कहानी लेखिका के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कहानियों में स्त्री को केन्द्र में रखा है। इसके बाद हिन्दी साहित्य में 'आधुनिक युग की मीरा' के नाम से जानी जाने वाली महादेवी वर्मा ने स्त्रियों की समस्याओं का चित्रण 'शृंगला की कड़ियाँ' नाम की पुस्तक में किया। आज जो 'स्त्री विमर्श' चल रहा है। वह मुख्यतः समकालीन महिला कहानीकारों की देन है। जिसकी शुरुआत १९८० के दशक से मानी जाती है। इस समय अनेक महिला कहानीकार अपने अधिकारों, समस्याओं एवं पुरुषों के विरोध में कहानियों के माध्यम से आवाज उठा रही हैं। जिनमें मन्नु भण्डारी, मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा सोवती, चित्रा मुद्गल, नासिरा शर्मा, मृदुला गर्ग, मेहरून्निसा परवेज, ममता कालिया, मनीषा कुलश्रेष्ठ इत्यादि महिलायों स्त्री मुक्ति व अस्मिता की वकालत करती नजर आ रही है।

प्रचीनकाल से ही पुरुषों के द्वारा स्त्रियों पर भेदभाव किया जाता रहा है तथा उन्हें लिंग अस्मिता के कारण दूसरे दर्जे पर धकेला जाता रहा है। इसी कारण से उन्होंने अपने अस्तित्व और अस्मिता को बचाने के लिये पुरुष के खिलाफ एक सामाजिक आन्दोलन खड़ा किया। जिसमें उन्होंने पुरुषों से सामाजिक अधिकार राजनैतिक, आर्थिक, अधिकारों के साथ-साथ दैहिक स्वतंत्रता एवं आजादी की स्वतंत्रता आदि की मांग की। 'पेंग्विन डिक्शनरी ऑफ सोशयोलॉजी में बताया है कि नारीवाद उस वैचारिक दर्शन का नाम है जो आधुनिक समाज में स्त्री व पुरुषों को समान अधिकार देने की मांग करता है।'^{१३} नारीवादी चेतना या स्त्री विमर्श वह है जिसमें स्त्रियों की समस्याओं से सम्बन्धित विचार विमर्श किया जाता है तथा उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। अतः स्त्री भी एक सामाजिक प्राणी है लेकिन पुरुषों ने उसे कभी भी अपनी बराबरी का दर्जा नहीं दिया है। इसी

समानता की प्राप्ति के लिये स्त्री अपने समाज से लड़ रही है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्त्री समानता का आशय मनुष्यत्व से अभिप्राय रखता है।

संवेदना से तात्पर्य समान बेदना है। अतः किसी घटना एवं वस्तु को देखकर हमारे अन्तःकरण में जो भाव या विचार उत्पन्न होते हैं उसे हम संवेदना कहते हैं। “संवेदन हमारे मन की चेतना की वह अवस्था है, जिससे हमें विश्व की वस्तु विशेष का बोधन होकर उसके गुणों का बोध होता है।”^४ अतः जब हम स्त्रियों के प्रति होने वाले उत्पीड़न, अत्याचार एवं भेदभाव को देखते हैं, तो उनके प्रति हमारे अन्तःकरण में जो भाव या विचार उत्पन्न होता है उसे हम स्त्री के प्रति संवेदना कहते हैं। अतः दूसरे शब्दों में इसे सहानुभूति भी कह सकते हैं। परन्तु स्त्रियों के द्वारा अपने प्रति होने वाले अन्याय, अत्याचार तथा भेदभाव को स्वयं महसूस करना व भोगना और उसे समाज में व्यक्त करना ही स्त्री संवेदना कहलाता है। इसमें महिला द्वा ही उस पर होने वाले अत्याचार को भोगा और अनुभव किया जाता है। प्रगति श्रीवास्तव हमारे समाज में नारी की दासता को बयाँ करती हुई कहती हैं “लेकिन देखा जाये तो आदिकाल से ही पुरुष वर्चस्व ने अपना स्थान कभी छोड़ा नहीं और स्त्री को मनोवैज्ञानिक रूप से दबे रहने पर विवश किया जाता रहा यहाँ तक की शक्तिशाली पूज्यनीय नारियों (देवियों) को भी किसी न किसी की पत्नी बनाकर पुरुष वर्चस्व कायम रखा गया।”^५ इसी पुरुषवादी संस्कृति के प्रतिरोध में समकालीन महिला कहानीकारों ने अपनी कहानियों के माध्यम से महिलाओं की संवेदना के विभिन्न पहलुओं पर अभिव्यक्तियाँ प्रस्तुत की।

‘अपनी ओर लौटते हुए’ कहानी जयश्री राय एक ऐसी स्त्री कविता सान्याल के वैवाहिक जीवन का वर्णन किया है जिसका जन्म भारत में होता है और पत्नी, बच्ची तथा शिक्षा भी यहीं पर होती है लेकिन उसकी शादी डॉ० कबीर से होती है जो पेशे से इंजीनियर है और यह विदेश में रहता है। कविता सान्याल डॉ० कबीर की पत्नी है। कबीर की शादी होने के बावजूद भी वह एक ब्राजीलियन लड़की से प्रेम करता था जिसके कारण पति—पत्नी के बीच

रिस्तों में दरार पड़ गयी थी और बात यहाँ तक पहुँच गयी थी कि दोनों में तलाक हो गया। कहानीकार कविता की मानसिक स्थिति का चित्रण करते हुये कहती है। “ये अन्दर का सफर होता है, जो इंसान को थका देता है वह अपने ही अंदर के पत्थरों से टकराती रहती है, आहत होती रहती है। अपनों के बीच बढ़ते जा रहे फासलों को तय कर सके, वे पाँव वह कहाँ से लाये। ये काम जिन संवेदनाओं के बूते होते हैं वे भी अब कहाँ रही थी। जो पुल उन्हें एक दूसरे तक पहुंचाता था वह तो कब का टूट चुका था।”^६ जयश्री राय, इस कहानी में स्त्री पुरुष के टूटते सम्बन्धों के साथ—साथ भारतीय सभ्यता व संस्कृति में पत्नी बच्ची स्त्री पर पाश्चात्य सीयता व संस्कृति को थोपने की व्यवस्था का वर्णन करती है। कविता सान्याल पर उसका पति उसके देशीपन से घृणा करता है और उसे हमेशा ताने देता रहता है। कबीर कहता है “बार—बार उससे कहा गया था अपना देशीपन छोड़ो, यहाँ की दुनियाँ अलग है यहाँ के तौर—तरीके सीखो वरना कभी एक्सेपन्टेड नहीं पाओगी।”^७

‘फैसला’ कहानी में मैत्रेयी पुष्पा ने समाज में पुरुषवादी मानसिकता के कारण एक महिला सरपंच जो एक ब्लाक प्रमुख की पत्नी होने के बावजूद अपने गांव की आसपास की महिलाओं से मिलने में विवश है। उसकी विविशता एवं पुरुषों के झूठे मर्जाद प्रतिष्ठा को दिखाने की कोशिश की है। “रनवीर ने पहले कह दिया था कि गाँव की अन्य औरतों की तरह अब तुम सिर पर डलिया तसला धरे नहीं सोहती। आखिर प्रधान की पत्नी हो।”^८

हमारे देश में स्त्री को सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक अधिकार तो प्राप्त है परन्तु एक महिला ग्राम प्रधान होते हुये भी पूर्ण अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाती। मन्नु भण्डारी की कहानी ‘ऊँचाई’ जिसकी पात्र शकुन अपने युवाकाल के मित्र जिसके प्रति उसके मन में अत्यंत कोमल भावनायें थीं, मुलाकात के दौरान उससे दैहिक रूप से भी मिलती है। ऊँचाई कहानी की शिवानी एक ऐसी नारी है जो एक ही समय पत्नी और प्रेमिका दोनों भूमिका अदा करती है। विवाहेत्तर सम्बन्ध रखकर

यदि पुरुष अपवित्र नहीं होता तो स्त्री कैसे हो सकती है? पवित्रता का सम्बन्ध शरीर से नहीं मन से होता है। ऐसा कहने वाली शिवानी अपने पूर्व प्रेमी अतुल के साथ उसके शारीरिक सम्बन्ध को न तो अनुचित मानती है न अनैतिक। यह बात जब उसके पति को पता चलती है तो तनाव कटुता और सम्बन्ध—विच्छेद जैसी बातें सामने आने लगती हैं। यह आधुनिक नारी एक से अधिक पुरुषों से सम्बन्ध रखते हुए भी स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तित्व की ऊँचाई पर रह सकती है।

‘फ्रांस’ कहानी के माध्यम से ‘मनीषा कुलश्रेष्ठ’ हमारे समाज में स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी सोच पुरुषों में दिखाई पड़ती है जिसका वे अपनी कहानी में यथार्थ चित्रण करती है। इसमें अन्तिमा के पिता में बेटी पैदा होने की घृणा को दर्शाया गया है। इसके अलावा पुरुषों में ही नहीं स्त्रियों में भी कहीं न कहीं देखा जाता है जो अन्तिमा की दादी उसके पैदा होने से बहुत दुखी होता है। “पता है अन्तू तू जब हुई तो भाई साहब तमतमा कर घर से बाहर चले गये थे और हमारी माँ यानि तुम्हारी दादी खूब पछाड़े मार के रोई थी। चौथी बार भी लड़की दाई को तो धकिया ही दिया था बिन कुछ दिए लिए। वैद जी ने तो लड़का होने की पांच सौ रूपये की दवा दी थी पर हो गई तू। तेरा नाम तेरी माँ ने अन्तिमा रखा और तोबा कर ली।”

हमारे समाज की इस तरह की मानसिकता है कि लड़के के पैदा होने से खुशियाँ मनाई जाती हैं मिठाईयाँ बांटी जाती हे। वहीं पर यदि लड़की पैदा होती है तो सारे घर परिवार में मातम का माहौल पैदा हो जाता है। इसके लिए कहीं न कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे देश में स्त्रियों के प्रति सोच में बहुत बदलाव नहीं हुआ है। आज स्त्रियों को सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक अधिकार दे दिये गये हैं जिसके फलस्वरूप वे शिक्षित व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तो हो गयी हैं परन्तु पुरुषों की मानसिकता में और सुधार की आवश्यकता है। वस्तुतः समाज में जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं वे बहुत ऊपरी हैं वहीं आज भी हम स्त्रियों को उनका अपेक्षित सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं और न ही उनके लिये परिवार और समाज की ओर से व्यवस्था तैयार

कर पा रहे हैं। जो उन्हें जीवन की विसंगतियों से, अवुविधाओं और कठिन परिस्थितियों से जूझने के रास्ते मुहैया करवा सके।

सन्दर्भ—

१. स्त्री अध्ययन की बुनियाद—प्रमीला के०पी०, राजकमल प्रकाशन, पहला संस्करण : २०१५, पृष्ठ—१२
२. स्त्री अध्ययन की बुनियाद—प्रमीला के०पी०, राजकमल प्रकाशन, पहला संस्करण : २०१५, पृष्ठ—१७
३. स्त्री अध्ययन की बुनियाद—प्रमीला के०पी०, राजकमल प्रकाशन, पहला संस्करण : २०१५, पृष्ठ—१३
४. हिन्दी साहित्यकोश— संपा धीरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ ८६३
५. आजकल—लेखा— ‘नारी की मनोवैज्ञानिक पतनोन्मुखता’ एक विमर्श : मार्च, २०१२ पृष्ठ—५०
६. तुम्हें छू लूँ जरा (अपने ओर लौटते हुए) जयश्री राय, सामाजिक प्रकाशन, नई दिल्ली संस्करण : २०१४, पृष्ठ— १४९
७. तुम्हें छू लूँ जरा (अपने ओर लौटते हुए) जयश्री राय, सामाजिक प्रकाशन, नई दिल्ली संस्करण : २०१४, पृष्ठ— १४७
८. स्त्री विमर्श की कहानियाँ (फैसला, मैत्रेयी) सपा० डा० लालसा यादव लोकभारती प्रकाशन, ई०, संस्करण २०१३, पृष्ठ—१०१
९. स्त्री विमर्श की कहानियाँ (फ्रांस, मनीषा कुलश्रेष्ठ) सपा० डा० लालसा यादव लोकभारती प्रकाशन, ई०, संस्करण २०१३, पृष्ठ—१८५



अनुच्छेद— ३७० और ३५ए का अंत : एक मूल्यांकन

डॉ० अनिल कुमार सिंह

डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि— भारतीय संविधान के भाग—२१, अनुच्छेद ३७० के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में कुछ विशेष अस्थायी उपबंध किया गया था। इसका ऐतिहासिक कारण है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ के तहत देशी रियासतों को यह अधिकार दिया गया था कि वह अपनी स्वेच्छा से भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरिसिंह ने यथास्थिति बनाये रखने का निर्णय लिया, किन्तु अक्टूबर १९४७ में पाकिस्तान समर्थित आजाद कश्मीर सेना ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप राजा हरिसिंह ने २६ अक्टूबर, १९४७ को भारत में जम्मू कश्मीर के विलय अधिपत्र (Instrument of Accession-IOA) पर हस्ताक्षर कर उसे भारतीय संघ में शामिल होने की औपचारिक घोषणा कर दिया। इस अधिपत्र द्वारा प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार के अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए गए, जबकि भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद ३७० के अधीन जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की स्थिति प्रदान की गई।

अनुच्छेद ३७० के प्रावधान—

१७ अक्टूबर, १९४९ को अनुच्छेद ३७० भारतीय संविधान का हिस्सा बना तथा इसे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था, जिसने जम्मू कश्मीर को छूट दी थी ताकि वह अपने संविधान का मसौदा तैयार कर सके और राज्य में भारतीय संसद की

विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित कर सके। नवंबर, १९५६ में जम्मू कश्मीर में अलग संविधान बनाने का कार्य पूरा हुआ और २६ जनवरी, १९५७ को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया। अनुच्छेद ३५ ए जो कि अनुच्छेद ३७० का विस्तार है, राज्य के 'स्थायी निवासियों' को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की विधायिका को शक्ति प्रदान करता है और उन स्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है तथा राज्य में अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के स्वामित्व की अनुमति नहीं देता।

अनुच्छेद ३७० और ३५ ए का अंत तथा जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति—

२०१९ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) संशोधन आदेश, २०१९ को मंजूरी दे दी। परिणामस्वरूप जम्मूकश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, २०१९ भारत की संसद का एक अधिनियम बना। जिसे भारत के उच्च सदन राज्य सभा में गृहमंत्री अमित शाह ने ०५ अगस्त, २०१९ को प्रस्तुत किया था। यह अधिनियम उसी दिन राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया तथा अगले दिन ०६ अगस्त, २०१९ को निम्न सदन लोकसभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया। ०९ अगस्त, २०१९ इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गयी। इस अधिनियम के प्रावधान ३१ अक्टूबर, २०१९ से लागू होंगे।

अब अनुच्छेद ३७० का केवल खण्ड—१ लागू रहेगा, शेष खण्ड समाप्त हो गये हैं। खण्ड—१ भी राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया तथा राष्ट्रपति द्वारा भी इसे हटाया जा सकता है। अब जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार नहीं रहेगा। एकल नागरिकता, एक राष्ट्र, एक ध्वज लागू होगा। अब अनुच्छेद ३६० (वित्तीय आपातकाल) भी लागू होगा। दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। रणबीर दण्ड संहिता के स्थान पर भारतीय दण्ड संहिता प्रभावी होगी तथा नये कानूनों में होने वाले बदलाव स्वतः जम्मू कश्मीर में लागू हो जायेंगे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग—अलग केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा तथा

जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल ०५ वर्ष का होगा। सूचना के अधिकार व मानवाधिकार के नियम भी लागू होंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में ११४ सीट, लोकसभा की ०५ सीट तथा राज्यसभा की ०४ सीट का प्रावधान किया गया है तथा उपराज्यपाल दो महिला सदस्यों का जम्मू कश्मीर विधानसभा में मनोनयन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा के समस्त सदस्यों के कुल संख्या का १० प्रतिशत रखी गई है। इसी प्रकार लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र से लोकसभा की ०१ सीट होगी तथा यहाँ का प्रशासक उपराज्यपाल होगा।

जम्मू कश्मीर के वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए संभावित उपाय— कश्मीर के उत्थान के लिए शिक्षा तथा रोजगार हेतु दीर्घगामी परियोजनाएं लागू की जानी चाहिए। कश्मीर में वैधता के संकट को हल करने के लिए अहिंसा और शांति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। सरकार सभी कश्मीरियों के लिए एक व्यापक आउटरीच कार्यक्रम शुरू करके अनुच्छेद ३७० हटाये जाने से उत्पन्न चुनौतियों को कम कर सकती है।

सन्दर्भ:—

1 https://m.jagranjosh.com/current-affairs/fact_box-article-35a-and-article-370-in-hindi-1502434258-2, aug05,2019

2 <https://m.livehindustan.com/national/story-what-is-article-35a-and-370-in-jammu-kasmir-2672189.html>, tue,06aug,2019

3 <https://m.aajtak.in/education-career-job-news/education-news/story/indian-constitution-article370-temporaryprovision-presidential-order-35a-jammu-kasmir-constitutional-experts-view-legal-ne-1107412-2019-08-03>

4 <https://www.amarujala.com/column/block/jammu-kasmir-article-370-and-35a-history-in-hindi,wed07aug,2019>

5 [https://m.jagran.com/news/national/article-370-revoke-why-baba-sahab-ambekar-refused-to-draft-article-370-jagranspecial-](https://m.jagran.com/news/national/article-370-revoke-why-baba-sahab-ambekar-refused-to-draft-article-370-jagranspecial-19465039.htm)

19465039.htm

6 <https://khabar.ndtv.com/news/india/jammu-and-kasmir-what-is-article-370-and-35a-2080286-august05,2019>

7 <https://www.bbc.com/hindi/india-49231898>

8 <https://www.bbc.com/hindi/india-49233214>

9 <https://m.economicstimes.com/hindi/news/know-everthing-about-section-370-and-35a/articleshow/70531946.cms,aug05,2019>

10 <https://m.timesofindia.com/india/article-370-rewriting-both-the-history-and-geography-of-jk/articleshow/70546131.cms,aug22,2019>



समकालीन कविता में अभिव्यक्त स्त्री विमर्श

(हबीब इकराम के काव्य संदर्भ में)

डॉ. पंडित गायकवाड

कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय नलदुर्ग,
तहसिल— तुलजापूर, जिला—उस्मानाबाद

प्रस्तावना— साहित्य में समकालीन साहित्य की विशेष पहचान है। यह इसलिए कि जिस आत्मीयता से जीस संवेदनार से इन कवियोंने अपने समय की बारिकियों को सशक्त रूप में व्यक्त किया है, शायद ही किसी अन्य कवि ने की है। मेरा मंतव्य आत्मियता से है। जैसे किसी कवि की प्रतिबधता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। जैसे राजेश जोशी, नरेंद्र मोहन, अरूण कमल, चंद्रकांत देवताले, प्रताप सहगल, उदय प्रकाश, नरेश मेहता आदि ने बड़ी संवेदना का परिचय दिया है। इस कविता के संबध मे परमानंद श्रीवास्तव लिखते है।

‘संघर्ष प्रधान जीवन से सहज लगाव, यथार्थ से सीधा साक्षात मानवीय शोषण के जटिल रूपों की पहचान और जीवन के प्रति आस्था प्रधान दृष्टिकोण समकालीन कविता की पहचान है।^१ और इस पहचान से स्त्री विमर्श किस तरह से अलग रह सकता है। जैसे स्त्री विमर्श कोई नयी विचार धारा नहीं है, क्योंकि प्राचिन साहित्य में स्त्री विमर्श के प्रमाण उपलब्ध होते है। उस समय के सभी कवियोंने स्त्री चेतना को उजागर करने का प्रयास किया है। और आज के साहित्य मे तो स्त्री चेतना के कयी आयाम देखने को मिलते है। अब हम स्त्री विमर्श के तात्पर्य को समझने का प्रयास करते है।

स्त्री विमर्श से तात्पर्य —सहसा विमर्श याने डिसकार्स अर्थात

बातचीत करना । अतः साहित्य मे जो स्त्री विषयक संवाद है, नारी के जो विविध रूप है, उनके बारे में शब्दों द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना याने स्त्री विमर्श है।^२ अतः स्पष्ट है कि जिस साहित्य में स्त्री चिंतन की बात होती है वह चिंतन स्त्री विमर्श है।

i Qb j **भरतभाई मोढपटेल** के अनुसार स्त्री विमर्श का साहित्य स्त्री की नाना प्रकार की समस्याओं को व्यक्त करता है। आज स्त्री पुरुष के हाथों का खिलौना बनकर रहना नही चाहती । वह अपने अस्तित्व के प्रति जागृत स्त्रीवादी साहित्य के साथ हो रहे है अन्याय और अत्याचार का समाज के सामने लाने का प्रयास करता है।^३

अतः स्पष्ट है कि स्त्री विमर्श नारी अस्तित्व की लडाई का चिंतन है। उसके दुख दर्द एवं भविष्य की चेतना की कहानी है। इस चेतना को समकालीन कवियोंने बडी ईमानदारी से उजागर किया है।

समकालीन कवियोंमे हबीब इकराम का उल्लेखनिय कार्य है। उन्हाने समकालीन व्यवस्था की अंतस को बडी इमानदारी से अभिव्यक्त करते हुए नयी चेतना भरने का कार्य किया है। उनके व्दारा लिखित **अभी तो जीना है** प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। **डॉ एल के पांडे** उनके संबध मे लिखते है। अभी तो जीना है हबीब इकराम की कविताओं का ताजा संकलन है जिसमे उन्होनें अपनी कविताओं को एक गुलदस्ते के रूप में पेश किया है निहायत खूबसूरती के साथ। पिछले कयी वर्षों से इमारे देश का सामाजिक वातावरण जिस रूप मे विकृत हुआ है। उसमें किसी भी संवेदनशील रचनाकार का प्रभावित होना स्वाभाविक है। हबीब इकराम ने इस समग्र विकृति एवं उससे उत्पन्न संडाध को बहुत नजदीकी से भोगा है। यह भोगा हुआ यथार्थ ही समकालीन कविता का सच है। इस दृष्टि से हबीब समकालीन कविता के सशक्त हस्ताक्षर माने जा सकते है।^४

हबीब इकराम की कविताओं मे स्त्री विमर्श की बात खुलकर हुई है। उन्होने **कमजोर कोशीश** कविता मे प्रतिकात्मकता के माध्यम से स्त्री विमर्श को पाठकोंके समुख रखा है। देखिए निम्नलिखित पंक्तियों को.. तुफान के आने पर

बड़ी चिड़ियाँ
अपनों को समेटकर
अपने परों में
देने लगती है
संपूर्ण सुरक्षा ।
लेकिन छोटी और कमजोर चिड़ियाँ
अपने को ही बचाने की
नाकाम कोशिशों में हो जाती है
पूरी तरह से समाप्त ।^५

इन काव्य पंक्तियों में कविने समकालीन व्यवस्था की चक्की में पीसती हुई नारी की पीड़ा को उजागर किया है। तथा कवीने दुर्बल स्त्री की चेतना उजागर करते हुए समाज के संवेदनशील व्यक्तियों के सामने प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया है। अतः कवि को चिंता है तो केवल दुर्बल स्त्री की ही, सबल स्त्री की चिंता नहीं है । बेचारी दुर्बल स्त्री समाज से प्रताडित होकर हमेशा व्यावस्था के साथ लड़ते लड़ते हुए पराजय का ही सामना करती रही है। उसके नशीब में केवल हार और हार ही है। अतः उसी की सुरक्षा कवि के अनुसार महत्वपूर्ण है। उस दुर्बल स्त्री में शक्ति का संचार करना कवि को अभिप्रेत है। वह अपने आप को बचा पाने में पूरी तरह से असमर्थ है। यही तो सबसे बड़ी चिंता की बात है। वह इन स्थितियों के विरुद्ध लड़ते लड़ते जैसे मर सी जाती है। अतः समकालीन व्यवस्था की शिकार हुई यह आम औरत बस नाम के लिए बची है। कविने उसी की वेदना को समाज के सामने प्रस्तुत करने का जैसे बिडा उठाया है।

इसी संकलन में समाविष्ट **महाभारत** कविता में वर्तमान स्त्री वेदना को सशक्त रूप में उजागर किया है। कवि स्त्री वेदना के प्रति अत्यंत जागरूक है। अतः उनकी चेतना का मुल कारण यही पिडीत नारी है। कवि के अनुसार स्त्री मुक्ति की लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए। अतः उसकी मुक्ति की लड़ाई तो हमेशा जारी रहनी चाहिए, जब जब समाज में स्त्री का अनादर होता रहेगा, उस समय उसकी मुक्ति की लड़ाई लड़नी होगी। और फिर नारी विमर्श का मतलब तो यही है न कि उसकी चेतना को समाज के सामने प्रस्तुत करना है । देखिए इन पंक्तियों को .. महाभारत

सदा होगी
जब
स्त्रियों का किया जायेगा अनादर
और
और सरे आम किया जाएगा
नंगा
खेले जायेंगे जब जब
हार जीत के खेल
दबाए
चमकाए और
दुत्कारे जायेंगे
जब भी
गुरुजन और माता पिता
काटा, रौदां
और पिसा जायेगा
जब
अलग अलग जगह
भिन्न भिन्न नामों से
आज का पांडव ।^६

अतः कवि स्पष्ट करते हैं कि जब जब स्त्रियों पर अन्याय, अत्याचार होता रहेगा, तब तब उसके विरुद्ध में महाभारत होता रहेगा। यह महाभारत उसकी रक्षा के हेतू होगा । वह आज के असंतोष और असुरक्षित माहौल में कैसे खुली सांस ले सकती है। उसे सुरक्षित करना ही होगा । और यदि कविने उसकी चेतना को सरेआम उजागर करके उसकी रक्षा का सवाल उठाया है, तो गलत क्या किया है ? आज उसे इसी विचारों की आवश्यकता है। आज कहीं कहीं ना कहीं अखबारों में पहले पन्ने पर केवल स्त्री अत्याचारों की खबरे छापी जाती है। उसके अन्याय की खबरे छापी जाती है । उसकी असुरक्षितता की खबरे छापी जाती है। उसपर हुए बलात्कार की खबरे छापी जाती है । अतः इससे यही स्पष्ट होता है कि स्त्री को आज एक नयी चेतना की आवश्यकता है, एक नये पथप्रदर्शक की जरूरत है। उसकी लड़ाई सबकी लड़ाई बननी चाहिए ।

प्रसिद्ध लेखिका प्रज्ञा शुक्ल लिखती है। .
नारी पुरुष से मुक्त होना नहीं चाहती उसकी

हमसफर बनकर जीवन के सफर को मंझिल तक पहुंचाना चाहती है।^{१०}

अतः उसकी लड़ाई किसी व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन है तो उस व्यवस्था के खिलाफ जिससे उसे उसके अधिकारों को चोंट पहुंचती है। एक तरफ नारी को शास्त्रों में नारी विद्या, श्रद्धा, पवित्रता, कला वो भी सबकुछ, मुर्तिमान कामधेनू, अन्नपूर्ण सिद्ध श्रषी है ^{११} बताया गया है और दूसरी तरफ उसपर अन्याय अत्याचार किये जा रहे हैं यह कहा का न्याय है । क्या उसका उज्वल रूप केवल किताबों में ही होता है । क्या उसके लिए किताबों के बाहर की दुनिया नहीं है । अतः उसकी अंतस की आवाज को पहचाना जरूरी है । उसकी चेतना, उसकी वेदना, उसका विमर्श सबके पास जाना चाहिए ।

इसी तरह इस संकलन की कविता मूल प्रवृत्ति में उसकी चेतना को उजागर करके समाज की संवेदनशीलता को झकझोरने का काम किया है। इतना ही नहीं बल्कि कविने मानव को अपने अहिंसा की मूल प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होने का संकेत दिया है। कवि के अनुसार यही मनुष्य की बदली हुई प्रवृत्ति ही स्त्री पीडा का मूल कारण है । इसी अमानविय प्रवृत्तिके कारण मनुष्य पर हावी हो रहा है। कवि के अनुसार स्त्री के प्रति चील और गीध की तरह व्यवहार करने वाले पुरुषों के कारण ही स्त्री पीडा में वृद्धि हुई है । उसी के कारण स्त्री अस्तित्व का बड़ा संकट उपस्थित हुआ है। इस कविता में कविने स्त्री चेतना का अभिव्यक्त किया है। देखिए इन पंक्तियों को..

चीलो और गिधदो को

तरस खाना होगा

अब

मेहनतकश चीटियों

और भोजन जमा करने वाली

चिड़ियों पर,

टूटे फूटे घरों वाले

जाहिल बंदरों पर

एक मांस भक्षियों

दौड दौड कर

झपटे मार मार कर
नेचने खसोटने और

उजाडने की प्रवृत्ति छोड दो ।^{१२}

यहाँ कविने उसकी भोली भाली प्रवृत्ति को उजागर करते हुए उसकी सुरक्षा की बात की है। देखिए वह तो सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करती है किंतु उसे भोजन नशीब नहीं है। अतः मनुष्य में मूल अहिंसा की प्रवृत्ति जबतक फिर से वापस नहीं आती तब तब मुझे लगता है नारी पर अन्याय अत्याचार का शिलशिला जारी ही रहेगा ।

अतः जिस तरह से हबीब इकराम ने स्त्री चेतना का सवाल उठाया है वह काबीले तारीफ है।

संदर्भ ग्रंथ सुचि

- १— एकांत श्रीवास्तव की काव्य चेतना — साईनाथ उमाटे पृष्ठ — २०
- २— समकालीन भारतीय साहित्य जन २००४ — पृष्ठ — १९४
- ३— समकालीन भारतीय साहित्य में आधुनिक यूगबोध — डॉ सुशील धर्मानि पृष्ठ — २४
- ४— अभी तो जीना है।— हबीब ईकराम पृष्ठ — फ्लैप से
- ५— अभी तो जीना है।— हबीब ईकराम पृष्ठ — १३
- ६— अभी तो जीना है।— हबीब ईकराम पृष्ठ — १६
- ७— शशीप्रभा शास्त्री के उपन्यासों में नारी संवेदना — डॉ रेणूका मोरे पृष्ठ — ८२
- ८— भ्रुण हत्या— मंजू गूप्ता पृष्ठ — १
- ९— अभी तो जीना है।— हबीब ईकराम पृष्ठ — ४२



ईस्ट—इण्डिया कम्पनी शासन काल में दरभंगा महाराजा का खण्डवाल वंश के इतिहास


डॉ० गोपाल कुमार (ROSERA)

अतिथि प्राध्यापक, इतिहास विभाग,
महेन्द्र महिला कालेज गोपालगंज, बिहार
जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा (बिहार)

खण्डवाल राजवंश भारत में कई ब्राह्मण राजवंशों में से एक था जिसने १९६० के दशक तक मुगल सम्राट अकबर के समय से मिथिला, तिरहुत क्षेत्र में शासन किया था। उन्हें दरभंगा राज के नाम से जाना जाने लगा। उनकी भूमि की सीमाजो समय के साथ संक्रामक विविध नहीं थी और उनके स्वामित्व का क्षेत्र उस क्षेत्र की तुलना में छोटा था जिसे उन्हें स्वच्छता व्यवस्था के तहत प्रदान किया गया था। एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण कमी तब हुई जब ब्रिटिश राज के प्रभाव के कारण वे उन क्षेत्रों पर नियंत्रण खो बैठे जो नेपाल में थे। लेकिन फिर भी उनकी पकड़ काफी थी। एक अनुमान से पता चलता है कि जब उनका शासन समाप्त हुआ। तो लगभग ४५०० गाँवों के साथ प्रदेशों में लगभग ६,२०० वर्ग किलोमीटर (२,४०० वर्ग मील) शामिल थे।

ईस्ट—इण्डिया कम्पनी शासन काल में बहुत से जमींदार थे जिनमें कुछ तो मध्यकाल से वंशानुगत शासन कर रहे थे और कुछ नये जमींदार कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित स्थाई प्रबन्ध के समय बनाये गये थे। इन जमींदार की अमिट छाप बिहार के इतिहास को प्रभावित करता रहा। इसमें संदेह नहीं कि बिहार में सबसे बड़ी जमींदारी दरभंगा महाराज की थी।^१ दरभंगा महाराजा खण्डवाल वंश के थे और उन्हें मुगल बादशाह अकबर

से यह जमींदारी मिली थी जिसके सम्बन्ध में वर्णन किया जा चुका है। म० म० महेश ठाकुर को बिहार की जमींदारी मिली थी और बादशाह औरंगजेव के द्वारा सहमति मिली थी। राजा नरेन्द्र सिंह की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र प्रताप सिंह दरभंगा राज की गद्दी पर बैठे। उस समय बंगाल और बिहार का नजीम जाफर अली खाँ था। उन्होंने अपनी राजधानी भौरा से



१ दरभंगा महाराजा लाल किले

२ लक्ष्मी विलास पैलस

बिहार के राजा प्रताप सिंह के विषय में पूर्व इतिहासकार तिथि सम्बन्धी प्रश्न पर सहमत नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजा प्रताप सिंह, राजा नरेन्द्र सिंह के दत्तक पुत्र थे क्योंकि उन्हें अपना कोई पुत्र नहीं था। राजा प्रताप सिंह के राज्यरोहन के सम्बन्ध में कुछ एस० एन० सिंह और प्रो० आर०. के चौधरी का कहना है कि १७५८ ई० में उन्हें गद्दी मिली। परन्तु दरभंगा राज वंशाबली के अनुसार राजा नरेन्द्र सिंह की मृत्यु १७६० ई० में हुयी और तभी प्रताप सिंह गद्दी संभाले। आइने—ए—तिरहुत में भी बिहारी लाल ने इसी तिथि को माना है। राजा प्रताप सिंह को जो राजा रामनारायण डिप्टी गर्वनर, बिहार से जो सनद प्राप्त हुआ था और उन्हें दस्तुरत मालिकाना का भार मिला था उसका तिथि १७५८ ई० है। अतः यह कहा जा सकता है कि राजा नरेन्द्र सिंह बहुत दिनों तक विमार पड़े थे और उनके कहने पर राजा रामनारायण ने प्रताप सिंह को दरभंगा राज का मालिकाना प्रताप सिंह को राजा नरेन्द्र सिंह के जीवित काल में ही दिया।^२

मालिकाना जमींदार को दिया जाता था। यह एक प्रकार का वेतन था जो जमींदार को दिया जाता था। जमींदार का काम था अपने प्रजा से जमीन का लगान वसूलना। इसके अतिरिक्त उन्हें माल—गुजारी

जमीन भी मिलता था। जमींदार को नन—कर जमीन भी दिया जाता था जिससे उनके जमींदार का खर्चा और परिवार का खर्चा चलता था। खण्डवाल परिवार को भी बहुत से नन—कर जमीन मीला था।^{१५}

नन कर (वे लगान) वाला जमीन भी दो प्रकार का था। एक ऐसा जमीन जो बेलगान था किन्तु राजा को नगदी आय होता था दूसरा कुछ खास महाल का जमीन था जिसे, जुताई कर सकते थे या ठेकेदारों द्वारा उस जमीन से जो भी आय होता था वह राज्य खर्च में जाता था। इस नन—कर नगदी से राजा को २२,७०० रूपया आता था। सरकार तिरहुत के ६७ परगना में १६९ गाँव सम्मिलित थे जिससे राजा का नगद आमदनी था।^{१६} दरभंगा राज को नन—कर जमीन को छोड़कर और भी जमीन थे जैसे नीजामत, जागीर गुजरी, और जवती महाल। दरभंगा राज को जो दस्तुरत मालिकाना मिलता था उसमें सभी प्रकार के जमीन थे। दरभंगा राज के रेकार्ड से ज्ञात होता है कि नवाव मीर कासिम के समय में नन—कर गाँव को निजामत महाल के साथ मिला दिया था और कुछ को जागीदारों को दे दिया गया था। लेकिन नवाव ने पुनः सारे जमीन दरभंगा राज को लौटा दिया और १८ अप्रील १७६३ ई० मे एक परवाना राजा के नाम से भेज दिया। इस पत्र का जिक्र करते हुए नवाव ने दरभंगा के जागीरदार को भी भेज दिया कि दरभंगा राज के नन—कर जमीन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे।^{१७} कहा जाता है कि नवाव और कासीम को राजा प्रताप सिंह के साथ दोस्ताना रिश्ता था क्योंकि वह पटना से भौरा (राजधानी) राजा से मिलने आते थे। उन लोगों की मुलाकात किलाघाट (दरभंगा) में होती थी।^{१८}

कहा जाता है कि राजा प्रताप सिंह नवाव से मिलने के लिये किलाघाट आ रहे थे तो उन्होंने एक साँप और खंजन चिड़िया को खेल खेलते देखा। उन्होंने ज्योतिषाचार्यों को बुलाया और उन लोगों से विचार लेने के बाद पता चला कि यह भूमि काफी शुभ है और इसका भविष्य उज्ज्वल है। यह स्थान रामबाग के समीप है। उन्होंने अपनी राजधानी भौड़ा से दरभंगा परिवर्तन करने का निश्चय कर लिया।^{१९} वस्तुतः राजा प्रताप सिंह के लिये वह शुभ दिन था। उन्हें मीर

कासीम ने अनेको प्रकार के सुविधायें प्राप्त हुयी जैसे सादोई, एकानी, सीरदेही, दस्तुरत मुक्त दमी, मालिकाना और सेयर चौथाई और दस्तुरत टैटिफ खास और अन्य सुविधायें और पूरे सरकार तिरहुत की जमींदारी। इतना ही नहीं सरकार तिरहुत कि मिलकियत जो राजा नरेन्द्र सिंह के समय में मिला था, वह नवाव से प्राप्त हुआ।^{२०}

राजा प्रताप सिंह बहादुर तो थे ही साथ ही अत्यन्त प्रशंसनीय लोकप्रिय राजा थे। मुगल अधिकारियों से बहुत अच्छा सम्बन्ध था। मुगल बादशाह के द्वारा जो फरमान मिला था उसमें उन्हें उच्च कोटि का राजा माना गया है और युद्ध में शक्तिशाली राजा माना गया है।^{२१} १७६० ई० में जब राजा प्रताप सिंह गद्दी पर बैठे तो अगल—बगल के छोटे—छोटे जमींदार जो उनके महत थे, उन लोगों ने सिर उठाना आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम गुरखाली राजा पृथ्वी नारायण साह अपने को नेपाल का राजा घोषित कर लिया। उसने राजा प्रताप सिंह एक शक्तिशाली सेना लेकर भगवानपुर की ओर कुच कर गये। उन्होंने त्रिविक्रम सेन जो माणिक सेन के पोते को उन्हें अपने अधिकार में किया। त्रिविक्रम सेन का मंत्री कनक सिंह नवाव मीर कासिम के पास सहायता के लिये पहुँचा। नवाव ने गुरगीन खॉं को सेना के साथ भेजा लेकिन इसमें नवाव को बर्बादी हुयी। गुरखाली राजा जो मुगल सम्राट को वार्षिक कर देता था वह भी बन्द कर दिया। गुरखाली राजा ने ईस्ट—इंडिया कंपनी के क्षेत्रा में भी अपना अधिनस्त कायम कर लिया। भारत और नेपाल के बीच तड़ाई क्षेत्रा को लेकर संकट उत्पन्न हो गया। ईस्ट—इण्डिया कम्पनी ने कैप्टन किनलौक के सेनापतित्व में अपनी सेना गुरखाली राजा को रोकने के लिये भेजा किन्तु वह असफल हो गया। पृथ्वी नारायण ने पुनः उन स्थानो को अपने कब्जे मे कर लिया। राजा प्रताप सिंह गुड़खाली राजा को अपने अधिकार में कर लिया और वह प्रताप सिंह को वार्षिक कर १२,५०० देने को स्वीकार का लिया चाहे वह रूपया हो या उतने रूपये का हाथी हो। यह कर प्रान्तिय सरकार के खजाना में भेजा जाता था प्रताप सिंह के द्वारा अर्थात माध्यम प्रताप सिंह माना गया।^{२२} राजा प्रताप सिंह को कोई पुत्र नहीं था और अपने भाइयों से भी मेल नहीं था। उनके

वेमात्र भाई माधव सिंह उनके मृत्यु के बाद उन्हें मुखाम्नी दिये। दरवारियों ने वातावरण को इतना विषाक्त कर दिया था कि दोनो भाई में जीवित काल में मुलाकात तक नहीं हो सका। यद्यपि कर्ता उन्हें ही बनना पड़ा। श्राध कर्म सम्पन्न करने के बाद वे राज्य कार्य में संलग्न हो गये।^{१२}

राय मोहन लाल ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यु को अपना सहमत भेजा कि खण्डवाल वंश में माधव सिंह ही राजा प्रताप सिंह के उत्तराधिकारी हैं और इन्हें ही राज्यधिकारी बनाया जाय। बोर्ड ऑफ रेवेन्यु इस बात को स्वीकार कर लिया और माधव सिंह राजा कार्यभार संभालने के लिये आदेश दिया। माधव सिंह को यह भी सहमति प्राप्त हुआ कि वह प्रेसीडेन्सी कौंसिल में भी क्षमा प्राप्त करने के लिये अपना आवेदन दें। इस कार्य को सम्पन्न करने में भवानी दत्त मिश्र ने भी काफी सहयोग दिया।^{१३} बोर्ड ने राजा माधव सिंह को राजा के पद की स्वीकृति दे दी और साथ ही उन्हें आदेश दिया गया कि वे प्रताप सिंह को पत्नी को पेंशन का हिस्सा दे और अपने वे मात्र भाईयों की भी व्यवस्था करें।^{१४} चूंकि माधव सिंह राजा के पद पर आसीन होने के बाद खण्डवाल वंश के प्रधान माने जाते हैं और उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि उस परिवार के किसी भी सदस्य को कई तकलीफ नहीं पहुँचे। इसी बीच नन्दन तिवारी का भतीजा सरकार के पास आवेदन दे दिया कि स्व० राजा प्रताप सिंह जो कर्ज उनसे लिये थे वह नहीं मिला। राय मोहन लाल ने माधव सिंह को परवाना तो दे दिये किन्तु कहीं भी स्व० प्रताप सिंह के कर्ज के विषय में कुछ नहीं कहा। अतः इसके सम्बन्ध में विचार किया जाय। राजा प्रताप सिंह ने गर्वनर जेनरल कौंसिल में अपना अजीर पेस दिया कि उन्हें इन लोगों से छुटकारा दिया दे ताकि राज का कार्य सुचारू रूप से चला सके।^{१५}

यद्यपि अभी तक गर्वनर जेनरल इन कौंसिल को उनके परिवार का लिस्ट नहीं मिला था फिर गर्वनर ने सैयद मुकदम अकबर को आदेश भेज दिया कि स्व० राजा के परिवार के सदस्य को उचित मुआवजा दे दिया जाय ताकि वे ठीक से समय गुजार सके। राजा माधव सिंह को भी सूचित किया गया कि

कर्जदारी की चिन्ता नहीं करे और राज्य कार्य को सही ढंग से संभाले।^{१६} पिता की मृत्यु के बाद बड़े लड़का होने के नाते छत्रसिंह १८०७ ई० में बिहार के गद्दी पर आसीन हुये। राज्यरोहणा के समय राज्य की आय बहुत कम गयी थी और राज्य आर्थिक बदहाली से गुजर रहा था। उन्होंने राज्य की आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया। वे शासन कार्य में काफी प्रवीण थे और कार्य के प्रति हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने कंपनी सरकार को नेपाल युद्ध में साथ दिया था जिसके कारण उनको कंपनी सरकार ने महाराज का पदवी देकर सम्मानित किया था। यह पदवी उन्हें कलकत्ता दरबार में १३-८-१८१४ को लॉर्ड मोरिया ने दिया था।^{१७} १८११ ई० के मई महीने में उनका भाई (राजा माधव सिंह के तृतीय पुत्र) ने पटना प्राभिनसीयल कोर्ट में बेटवारा दायर किये। उनका कहना था कि पुस्तैनी धन में उनको एक तिहाई हिस्सा मिलना चाहिये। २२ जुन को कृति सिंह का केस समाप्त कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने सदर अदालत में अपील किये किन्तु सुनवाई होने के पहले कृतिसिंह और छत्रसिंह में मिलान हो गया। कृति सिंह ने राज्य का जो प्राचीन नियम था उस पर एक काला धब्बा लगा दिया। वस्तुतः दरभंगा राज के नियमावली के अनुसार राजा के बड़े पुत्र के जीवन बसर के लिये कुछ परगना, गाँव दे दिया जाता था। फिर कृतिसिंह ने ऐसा करके दरभंगा राज के इतिहास के विरुद्ध कार्य किये। राज्य वंशावली अधिनीयम में एक आँच आ गई।

महाराज छत्रसिंह की महानता का एक उदाहरण है कि दरभंगा राज्य और बेतिया राज्य के बीच एक लम्बे समय से मनोमाल्य चला आ रहा था। जब बिहार के राजा छत्रसिंह थे और (बेतिया के राजा आनन्दकिशोर सिंह तो दोनों के बीच उत्कराठा जगी हुयी थी कि परस्पर वार्तालाप होने से मैत्री भाव उत्पन्न हो सकता है। दो अवसर के ताक में थे ही। एक दिन दोनो पटना पहुँचे। दोनो पटन देवी के दर्शन हेतु जा रहे थे। रास्ते में ही दोनो की मुलाकात हो गयी। फिर पटना जाने पर डेरा पर वार्तालाप हुयी और दोनों के बीच गहरि मित्रता हो गयी। इस कार्य के मुख्य प्रबन्धकर्ता बेतिया के बानू छपरा निवासी श्री कृष्णदत्त

थे।^{१०} महाराजा छत्रसिंह अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिये स्वदेशी और विदेशी दोनों भावनाओं को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने विभिन्न प्रकार के व्यापार में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वदेशी और विदेशी दोनों व्यापार में अपना शेयर लगा दिया। वस्तुतः इस कार्य से राज्य की आय बढ़ गयी। उन्होंने सर्वप्रथम बैंक पद्धति की जानकारी प्राप्त किया और सर्वप्रथम बैंक में पैसा जमा करने के लिये लोगों को आग्रह किया।^{११} भारत के बैंकिंग प्रथा के विकास में उनका सर्वप्रथम नाम लिया जाता है।^{१२}

महाराज छत्रसिंह के बाद उनके श्रेष्ठ पुत्र महाराज रूद्रसिंह गद्दी पर बैठे। उनके गद्दी पर बैठने के बाद उनके छोटे भाई वासुदेव सिंह आधा राज्य के लिये कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिये। केस सर्वप्रथम पटना के सेसन जज के कोर्ट में २२ सितम्बर १८४० ई० को फाइल किये। सेसन जज ने अपना फैसला दिया कि राज्य गद्दी प्राप्त करने का अधिकार केवल महाराज रूद्र सिंह को है और वासुदेव सिंह को है और वासुदेव सिंह को परगना जरैल दिया जा सकता। दरभंगा राज्य परिवार का नियम है कि बड़े पुत्र ही राज्य के अधिकारी हो सकते हैं और छोटे पुत्र को खर्च हेतु कुछ गाँव या परगना दिया जा सकता है। साथ ही यह भी कहा गया कि उन्हें जो परगना दिया जाता है, वह तब तक रहेगा जब तक उस परिवार में पुरुष सदस्य हो। पुरुष सदस्य नहीं रहने पर वह परगना पुनः राज के शासन के अन्तर्गत चला आयेगा।^{१३} सेसन जज ने केस को समाप्त कर दिया। वासुदेव सिंह ने केस को प्रीभी कौंसिल में ले गये। लेकिन प्रीभी कौंसिल ने भी लोअर कोर्ट के निर्णय को ही मान्यता दिये। राज्य का जो प्रोपर्टी (धन) है उसे बँटवारा नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से राज्य की ताकत कम हो जायेगी और एकता बनाये रखने के लिये कुलाचार पद्धति पर ध्यान देना होगा। राज्य का बँटवारा करने से बिहार में बहुत अधिक जमींदार हो जायेंगे और भूमि का कानून को लागु करने में कठिनाई होगी।^{१४}

महाराजा रूद्रसिंह राज्य कार्य चलाने में काफी चतुर थे। उनके दरबार में कार्याध्यक्ष देवकीनन्दन ठाकुर थे। उस समय में दिवान के पद पर बेलाराही के

निवासी कायस्थ रघुपति दास थे जिन्हें भैया की उपाधि से संबोधित किया जाता था। वे अपने शासन कार्य को चलाने के लिए अपने अधिनस्त कर्मचारियों पर काफी विश्वास करते थे और उन कर्मचारियों को समय—समय पर आर्थिक सहयोग भी देते थे।^{१५}

महाराजा रूद्रसिंह धर्मप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने एक बार काशी में एक शिवालय बनवाने लगे किन्तु वह पूर्ण उनके समय में नहीं हो सका। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह उस शिवालय को पूर्ण स्वरूप दे दिये। उनकी पत्नी रूद्रलता समस्तीपुर स्टेशन के समीप शिवालय बनवाये। उस मंदिर को रूद्रलतेश्वर नाम से जाना जाता है।^{१६}

राजा रूद्रसिंह काफी विद्वान व्यक्ति थे और उनका दरबार विद्वानी से भरा रहता था। उन्होंने संस्कृत के विद्वानों को काफी जमीन दान में दिये थे। महाराज को पूर्णिया, भागलपुर, मुगेर में भी काफी जमीन ज्यदाद था और तिरहुत सरकार तो उनके अधिक था ही।^{१७} उनके भाई वासुदेव सिंह भी उच्च कोटि के विद्वान थे। वो अपने राज्य कार्य में उज्ज्वल तो थे ही और विद्या में भी प्रवीण थे। उन्हें व्याकरण धर्मशास्त्रा में विलक्षण प्रतिभा था। उनके पत्नी अत्यन्त उदार, दया अज्ञैर विद्या प्रेमी थी। उन्होंने अपने क्षेत्र संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया और छात्रों को भोजन, वस्त्र भी देते थे।^{१८}

महाराज महेश्वर सिंह पिता के देहांत के बाद बिहार की गद्दी पर आरूढ़ हुये। इनके समय में बाबू बदरीनाथ का कार्याध्यक्ष थे। उनके समय में राज्य का आर्थिक लाभ हुआ था लेकिन आर्थिक क्षति भी काफी हुआ था। इनके समय में खड्गपुर राज्य का हवेली परगना नीलामी में खरीद हुआ था फिर भी राज्य में इतना मुकदमा था कि खर्च बढ़ता जा रहा था। महाराजा महेश्वरसिंह के प्रथम विवाह के समय इतना खर्च हुआ था कि राज्य पर ऋण का भार पर गया था।^{१९}

महाराजा महेश्वरसिंह अपने पिता की तरह शिक्षा के प्रेम थे। उनके दरबार में बड़े—बड़े परिगत लोग थे। उनके परिगत मंडली में म०म० कन्हाई झा, नैयायिक बबुजन झा, ज्योतिचार्य बन्दी झा, तथा मुक्तेश्वर झा आदि का परिगत थे महाराज की आज्ञा

से ज्योतिषाचार्य मुक्तेश्वर झा पूजा पटल बनाये थे। महाराजा महेश्वरसिंह दरभंगा में ब्रिटिश सरकार की आज्ञा से और स्वैच्छा से भी ए० लो—बर्नाकुलर स्कूल आंग्ल उच्च विद्यालय की स्थापना १८५५ में हुआ। यद्यपि इसके पूर्व कोलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। बिहार के लोग अंग्रेजी शिक्षा को हेय दृष्टि से देखते थे और अंग्रेजी को मलेच्छों की भाषा मानते थे। किन्तु महाराजा महेश्वर सिंह के समय में जब यह विद्यालय स्थापित हुआ तो धीरे धीरे सभी अंधविश्वासी लोग भी अपने बच्चे को इस स्कूल में भेजने लगे।^{१०} महाराज के बल स्थानीय समिति के सदस्य ही नहीं थे वरणा उन्होंने स्कूल के विकास के लिये जमीन भी दिये और चन्दा भी ताकि विद्यालय यथाशिघ्र आगे बढ़ सके।^{११}

१८५७ ई० में सिपाही विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित हुयी और वह सम्पूर्ण बिहार में आग की लपट की तरह फैल गया। दरभंगा भी इस विद्रोह में पिछे नहीं था। विद्रोह को दबाने में तत्कालीन प्रभावशाली जमींदारों ने अंग्रेजों की मदद की। इसमें प्रमुख बेतिया के राजा, हथुवा के राजा, सुरसंड के जमींदार, पंडोल के जमींदार और मुजफ्फरपुर के महंत थे। छोटे-छोटे जमींदार गंडक के समीप अंग्रेजों की सहायता की थी। विद्रोही गंडक पार कर तिरहुत में प्रवेश करना चाहते थे, परंतु तिरहुत के मजिस्ट्रेट और कंपनी के उच्च अधिकारी उसे रोकने की चेष्टा कर रहे थे। वे तिरहुत के जमींदारों पर भी करी निगाह रखे हुये थे और सशक्ति नजर से देख रहे थे। दरभंगा के महाराजा विद्रोहियों की सहायता दे रहे हैं ऐसा आशंका की गयी थी। दरभंगा महाराज को अपनी सेना भी थी और उन्हें सरकार उसी नजर से दिख रहे थे महाराज कही विद्रोह न कर दें। उसी समय में महाराजा अपने विशाल राजभवन के चारों ओर खाई का निर्माण कर रहे थे जिसे देखकर अंग्रेज अधिकारी शंकालु हो उठे थे। कंपनी सरकार ने महाराज को खाई खूदवाने से रोक दिया।^{१२} यद्यपि महाराजा ने अंग्रेजी की मांग पूरा कर दिये थे किन्तु यह निश्चित था कि वे इस विदेशी शासन को पसंद नहीं करते थे। उनसे इतनी ताकत नहीं थी कि वे प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का

विरोध करते किन्तु विद्रोहियों की सहायता अवश्य दे रहे थे। उनके शरणास्थली की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था अवश्य किये थे।^{१३} इस तरह दरभंगा महाराजा महेश्वर सिंह १८५० ई० से १८६० ई० तक राज किये। उनके मृत्यु के पश्चात, दरभंगा—राज प्रतिपालक अधिकरण (कोर्ट ऑफ वार्ड्स) की देख रेख में ले लिया गया। श्रेष्ठ कुमार लक्ष्मीश्वर सिंह वालिग हुये तब वे अपने पैतृक सिंहासन पर विराजमान हुए। ईस्ट—इण्डिया कंपनी शासन काल में दरभंगा महाराजा को खण्डवाल वंश इन जमींदार की अमिट छाप बिहार के इतिहास को प्रभावित करता रहा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- १ ओ, मैली— डी०जी० दरभंगा—पृ० १४४
- २ एस भी० सोहनी—रेभेन्यु हिस्ट्री ऑफ दरभंगा राज जे० वी० आर० एस० भौ० XLVIII पृ०११४
- ३ प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यु, पटना ११—११—१७७९,
- ४ आर. एन. चौधरी —पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ खण्डवाल पृ० १०५
- ५ आर. एन. चौधरी, वही— पृ० १०२
- ६ दरभंगा राज रेकार्ड—परवाना नं० १४
- ७ मुकुन्द वक्सी झा—मिथिला भाषामय इतिहास—पृ० २३७—३८
- ८ एस० एन० सिंह—वही पृ० २२२
- ९ घोसवारा हाउस, भीस लेनियसन ११००७ राज दरभंगा महाफिजखाना।
- १० राज महाफिजखाना पत्रा नं० ७४, पृ० १०
- ११ दरभंगा राज रेकार्ड (महमफिजखाना) कासेवारा नं० ११३४/३६
- १२ परमेश्वर झा, मिथिला तत्व विमर्श, पृ० १८०
- १३ प्रोसीडिंग ऑफ पटना कौंसिल ऑफ रेवेन्यु १३—७—१७७५
- १४ वही— ४—९—१७७५
- १५ प्रोसिडिंग ऑफ द पटना कौंसिल ऑफ रेवेन्यु, ५—१०—१७७५

- १६ वही
 १७ वही
 १८ यू. इंडियन अपील वल्यूम—VI, पृ०
 १६८
 १९ परमेश्वर झा—मिथिला तत्व विमर्श, पृ०
 १८६
 २० एन० सी० सिन्हा—स्टडीज इन इनडो—
 ब्रिटिश इकोनोमी दशराडरेड इयर्स एगो— पृ० २४
 २१ के० के० दत्ता, रिपोर्ट ऑफ द रीजनल
 रेकार्ड सर्वे कमिटी बिहार पृ० २१
 २२ डी० जी० मौली, दरभंगा पृ० १४४—
 १४५ और भी देखे एन झा, हिस्ट्री ऑफ सरकार
 तिरहुत अराडर द ईस्ट इंडिया कंपनी पृ० ९२
 २३ डब्लू० डब्लू० हराटर, वही पृ० २१३
 २४ जे० एस० झा, हिस्ट्री ऑफ दरभंगा राज,
 जे. वी. आर. एस वल्यूम— LXVIII पृ० ७१
 २५ वही
 २६ परमेश्वर झा — वही पृ० १८९
 २७ परमेश्वर झा — वही पृ० १८९
 २८ परमेश्वर झा —वही—पृ० १९०—१९
 २९ डी०एन० सिंह — मिथिला में स्वातंत्रा
 आंदोलन का उदभव और विकास पृ० १३
 ३० जटाशंकर झा—हिस्ट्री और दरभंगा राज,
 जे. वी. आर. एस. व XLII पृ० ७४
 ३१ के० के० दत्ता —हिस्ट्री ऑफ फ्रिडम
 मुभमेन्ट इन बिहार— पृ० ६९
 ३२ डी० एन० सिंह—मिथिला ने स्वातंत्रा
 आंदोलन का उद्भव और विकास— पृ० ४३
 ३३ डॉ० गोपाल कुमार (Rosera)- बिहार में
 जमींदारी व्यवस्था और कृषक जीवन (१७५७—१८५७)
 PH.D.Thesis (hindi), LNMU दरभंगा बिहार —२०१८,
 पृ०.९७



देव भूमि उत्तराखण्ड राज्य में नाग जाति के राजाओं का शासन का एक अध्ययन

डॉ. जगमोहन सिंह

अस्सि. प्रो., राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर, चमोली

डॉ. विनीता नेगी

अस्सि. प्रो., संस्कृत विभाग,
राजकीय महाविद्यालय घाट, चमोली

नागजाति उत्तराखण्ड देव भूमि की अति प्राचीन जाति रही है। महाभारत काल में उत्तराखण्ड में नाग जाति की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। बहूनी नागवेशमानि गङ्गायासतीर उत्तरे। तत्रस्थानपि संस्तौमि महतः पन्नगानहम्। (आदि पर्व ३/१३६)

महाभारत में ऋषि कश्यप का निवास अलकनन्दा क्षेत्र बताया गया है। गंधमादन पर्वत पर वे तप करते थे। इनका विवाह आर्य नरेश दक्ष की तेरह कन्याओं (अदिति, दिति, दुन, कालिका, सुरसा, ताग्रा, सुरभि, विनता, इरा, कद्रू, क्रोधवशा, मुनी और अनला) से हुआ था। इनसे असंख्य संतानें उत्पन्न हुईं और सृष्टि का प्रत्येक अंग पूर्ण हुआ। नाग भी इन अंगों में महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब देवों के वर्चस्व में कमी आयी तो नागों की रचना ब्रह्मा ने कद्रू और कश्यप पुत्रों के रूप में की। ब्रह्मा जी के केशों से च्युत होकर अपसर्पण के कारण इन्हें सर्प, ब्रह्मा से हीन (अलग) होने के कारण अहि और शरीरान्त प्राप्ति के कारण पन्नग कहा जाता है।

वस्तुतः नाग को सर्प, पर्वत या अहि का समानार्थी माना जाता है। ऋग्वेद में असुरोपासक आर्यों की जिस पर्वतीय शाखा को अहि एवं असुर कहा

गया है, उन्हें ही उत्तर वैदिक काल में नाग जाति से सम्बोधित किया जाता है।^{१६} डॉ० सम्पूर्णा नन्द आर्यों का आदि देश में लिखते हैं कि इनके मूल में जो अहि शब्द आया है, वह नाग का द्योतक है। वेद में नागों का उल्लेख यक्ष, गन्धर्व और अप्सराओं के साथ हुआ है।^{१७} ऋग्वेद में नाग निवास को चन्द्रबुध्न, अहिक्षेत्र, अहिर्बुध्न और बुध्न कहा गया है। वायु पुराण^{१८} और ब्रह्म पुराण^{१९} में सुमेरु पर्वत पर मत्स्य पुराण^{२०} में हेमकूट पर्वत पर और महाभारत में गन्धमादन पर्वत रेणी के निकट सानिध यपूर्वक अधिष्ठित किया गया है, परन्तु विष्णुपुराण का कथन है कि उच्च कुलीय नाग पाताल में निवास करते हैं।^{२१} पुराणों में नागपुर (नागलोक) या पाताललोक में इनका निवास स्थान कहा गया है। सामान्य प्रसिद्धि भी यही है कि नाग पाताललोक के निवासी थे।^{२२}

वाराही संहिता में नागों को पर्वतों का निवासी बताया गया है। हरिराम धस्माना ने दस सहस्र अहिमन्यो का नागराज कृष्ण के नेतृत्व में सप्तबुध्नों के देश में रुद्र, मरुत और इन्द्र के साथ कई संघर्षों का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है।^{२३} पुराणों में इन्द्र को अंतरिक्ष में अहियों का नेता कहा गया है।^{२४} स्पष्ट है कि इन्द्र और अहियों का निवास स्थान अंतरिक्ष स्वर्ग अर्थात् गढ़वाल के पर्वत प्रदेश में था। केदारखण्ड में उल्लेख है कि गढ़वाल भूमि स्वर्ग भूमि है।^{२५} डॉ० शिवप्रसाद डबराल ने लिखा है कि उत्तर में गंगा के तीर पर अनेक नाग बस्तियां थीं।^{२६} महाभारत सभापर्व के अनुसार दिग्विजयी अर्जुन राक्षस राज वश्र के आश्रम से 'नागानां रक्षितं देशं' नागों के इस देश होकर गन्धमादन पर्वत में पहुंचे थे।

नागों का उत्तराखण्ड नागपुर (गढ़वाल) से लेकर कुमाऊं में चम्पावत के (नव नागास्तु मोक्षन्ति, पुरी चम्पावती नृपाः) भू-भाग तक ही शासन नहीं रहा है, बल्कि इनका विस्तार भारत के हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कश्मीर, आदि प्रदेशों से सहित विश्व के अनेक भू-भागों में रहा है। नेपाल में काठमांडू के निकट नागहद सरोवर करकोटक नामक नागराजा का निवास स्थान था, जिसके नाम पर आज भी वहां मेला लगता है। तिब्बत वाले तो अपने को नागवंशी और अपनी भाषा को नाग भाषा कहने में अपना गौरव अनुभव

करते हैं। इंग्लैण्ड में मिथिका यानि सूर्य की मूर्ति के चारों ओर लिपटा हुआ नाग दिखलाई पड़ता है। स्वीडन, यूनान, जर्मनी तथा नार्वे भी नाग प्रतीकों का उल्लेख है। जिस कारण उनकी आज भी वहां पूजा की जाती है।^{२७}

महाभारत में नागों के वासुकि वंश, तक्षक वंश, एरावत वंश, कौरव वंश और धृतराष्ट्र वंश बताये गये हैं।^{२८} हिमालय की लोक कथाएं नामक पुस्तकें में भी तारादत्त गैरोला और ई. एस. ओकले ने नागवंश की वंशावली इस प्रकार दी है—अमीनाग, फणीनाग, सिसरनाग, विसरनाग, ततकीनाग और वासुकिनाग, अंग्रेज पुरातत्वविद सी.एफ.ओल्डहम ने नागों को सूर्यवंशी और नाग चिन्ह धारण करने वाला बताया है। ऋग्वेद में वर्णित असुरराज शम्बरासुर को भी नागवंशी (अहिमानव) बताया गया है। सम्भवतः गढ़वाल के प्राचीन गढ़ों के अधिकांश खण्डहर शम्बरासुर के १०० ऋग्वैदिक गढ़ों के अवशेष हैं। लेकिन यहां की एक प्रचलित लोक कथानुसार टिहरी के सीमान्त क्षेत्र में रमोली के आस-पास वासुकि नाग का राज्य था। उसकी धर्मपत्नी विमला देवी (जिया ब्राह्मणी) एक परम धर्मपरायण नाग माता थी। उससे वासुकि की दुधिया कौल (कुंवर) ब्रह्मी कौल, सूरज कौल, धर्म कौल, फूल कौल, जल कौल, (कुंवर) सत कौल आदि नौ नाग पुत्र और नौ नाग कन्याएं उत्पन्न हुईं, जिनका सम्पूर्ण उल्लेख यहां प्रचलित लोक गाथाओं एवं लोक गीतों में मिलता है। गोपस्थल (गोपेश्वर और बाड़ाहाट उत्तरकाशी) के त्रिशूल अभिलेखों से विदित होता है कि यहां पांच नाग (स्कन्दनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपति नाग, गणेश्वर) नरेशों ने शासन किया था।^{२९} अतः स्पष्ट है कि हिमालय के इसी प्रदेश में पुष्कर, वासुकि, तक्षक आदि नागराजाओं का तभी राज्य था।

हिमालय में नागों का वर्चस्व काल विद्वान ईसा पूर्व १५ वीं सदी पूर्व से तीसरी सदी पूर्व तक मानते हैं।^{३०} इतिहासकार हरिकृष्ण रतूडी नागों का शासनकाल (३२००— २५००) ई० पूर्व मानते हैं। उनका कहना है कि कृष्णा और वाणासुर की संधि के बाद नागों का आर्य धर्म में विलय हुआ। तक्षक नाग के पूरे हिमालय में शासन करने का प्रमाण महाभारत

में भी मिलता है। ह्वेनसांग आदि पर्यटकों के कथानुसार गंगा की उपत्यका में पांचवी शताब्दी में नाग संस्कृति का अस्तित्व था। इतिहासकार डॉ पद्मचन्द्र कश्यप नागों को सिन्धुकाल का मानते हैं। वहां खुदाई में मिली नागमूर्ति के आधार पर उनका कहना है कि सिन्धु सभ्यता की नींव आर्यों और नागों ने मिलकर डाली। वह नागों को परशुराम का वंशज बताते हैं। बी.डी. पाण्डेय नागों को प्रागैतिहासिक जाति का बताते हैं। डॉ० ग्रियर्सन का कहना है कि नाग अनार्य जाति थी। इस जाति के लोक सर्प नहीं मारते थे, साँप को अपना पूर्वज मानते थे। उनका कहना है कि हिमालय की उपत्यका में बोली जाने वाली बोली को अहिवाणी अर्थात् नागवाणी कहा जाता है जिसे आज नागपुरी बोली के नाम से जाना जाता है। यमुनादत्त वैष्णव ने नागों को कुषाण सत्ता उखाड़ने वाला बताते हुए, इनका शासन काल २०० से ३५० ई० पूर्व माना है। महापंडित राहुल ने पश्चिमी तिब्बत पर सं १०२५ में नागराज (देव भट्टारक) का शासन स्वीकार किया।^{१९} यद्यपि उन्होंने नागराजा को तिब्बत नरेश लिखा है, परन्तु इस नाम से उसके तिब्बत का आदि निवासी होने की सम्भावना नहीं है।

अधिकांश इतिहासकार उत्तराखण्ड में नागों का शासन काल खसों और कत्यूरियों से पहले बताते हैं और कुछ विद्वान नागों को कैतूरों (किरातों या कत्यूरियों) के साथ मानते हैं। यद्यपि नागों की तरह कैतूर भी गढ़वाल के विशेष वर्ग के व्यक्तियों पर अवतरित होकर नाचते हैं। लेकिन नागों के प्रति बहुसंख्यक जनता का जो देव भाव है वह कैतूरों के प्रति नहीं है। नाग आज यहां पांडवों एवं कृष्ण के समकक्ष आदरणीय एवं पूजनीय हैं। कत्यूरी राज्य से शताब्दियों पूर्व गढ़वाल में नागों के शासन का सूर्यास्त हो चुका था। महाभारत में स्थान—स्थान पर जहां नागों का वर्णन है वहां एक—दो स्थान पर खसों का भी उल्लेख है। अतः नागों का अस्तित्व खसों के समकालीन संभवतः समझा जाता है।^{२०} जनमेय के सर्प यज्ञ के पश्चात् पराजित नागवंश यहां के खस जाति में विलीन हो गया। जनमेजय का सर्प यज्ञ लगभग ३१०० ई० पूर्व माना जाता है। स्पष्ट है कि नागों का शासन काल ३१००

ई०पूर्व यहां रहा होगा। इसी तिथि के बाद नागों की संस्कृति सम्पूर्णतः हिन्दू संस्कृति में समा गयी और खस जाति नाग की पूजा करनी लगी।^{२१} विष्णु पुराण^{२२} एवं भागवत पुराण^{२३} के अनुसार खस जाति श्रीकृष्णा की कृपा से आर्य धर्म में दीक्षित हुए थे।

हालांकि नागों के शासन काल के सम्बन्ध में इतिहासकारों का जो भी मत हो, परन्तु यह स्पष्ट है कि यहां की प्राचीन जाति नाग थी। पर्वताश्रित वृत्रासुर को नाग वंश में सबसे प्रथम उत्पन्न होने का गौरव प्राप्त है।^{२४} शेष नाग कद्रू के बेटों में सबसे पराक्रमी था। महाभारत^{२५} में शेषनाग का हिमालय में तपस्या हेतु आने का उल्लेख है। कहा जाता है कि वह शरीर त्याग की इच्छा से गंधमादन पर्वत पर ब्रह्मजी की तपस्या करने लगे। तद्पश्चात् ब्रह्म ने प्रसन्न होकर उसे सदैव धर्म से जुड़े रहने का वरदान दिया और उसे पृथ्वी को अपने फन (असंख्य मस्तक) पर संभालने को आदेश दिया। तब से अनन्त रूप वाला शेषनाग चराचर धारिणी, पृथ्वी को प्रलय काल तक निरंतर धारण किये रहता है।^{२६}

महाभारत में उल्लेख आया है कि उत्तर में गंगाजी के तीर पर अनेक नागबस्तियां थी। हवीलर भी भारत का इतिहास गढ़वाल में नागों के अनेक प्राचीन अवशेषों का अस्तित्व स्वीकार करता है और अलकनन्दा की उपत्यका को परम्परानुसार नागों का आदि स्थान मानता है। उसके कथानुसार नागपुर और उर्गम पटित्यां नागों की प्राचीन ऐतिहासिक बस्तियों की सूचक है। एटकिन्सन नागों को हिमालय पार की जाति बताते हैं। गंगा—सहस्रनाम में भगीरथ ने गंगा को नागालय निवासिनी, नागनां, जननी चैव, नागप्रीति विवर्द्धिनी, नागे वरसहाया, कैलाशनिलया कहा है।^{२७} इससे प्रकट होता है कि टिहरी और गढ़वाल के उत्तर में गंगा नदी के उद्गम स्थल एवं नागपुर क्षेत्र तक नागजाति का राज्य रहा होगा। गढ़वाल में नागपुर नामक परगना, सूरिज नाग की भड़वार्ता तथा नाग उपासक गंगू रमोला यहां नाग राजवंश होने की पुष्टि करते हैं। जनपद उत्तरकाशी के रंवाई—जौनपुर व देहरादून के जौनसार—बावर क्षेत्र में बौखा नाग, हुणनाग, ध्येश्वरनाग आदि अनेक नागों के मन्दिर हैं और उनकी पूजा आज भी की जाती है।

नागपुर में रुद्रप्रयाग से उत्तर रुद्रनाथ और उर्गम तक ऋग्वैदिक रुद्र के शासनकाल में नागों का निवास स्थान था। उनकी उद्दंडता और हिंसक वृत्तियों से त्रस्त होकर राजा रुद्र ने अनेक अस्त्र—शस्त्रों से युक्त अपनी महती सेना द्वारा सहस्रों हिंसक नागों का वध किया था। अन्त में नागराज कृष्ण के नेतृत्व में अहियों ने रुद्र से संधि करके उनका आश्रय स्वीकार किया। वाल्टन के गढ़वाल गजेटियर (पृ.सं. १११, १८७) कहते हैं कि यहां एक ऐसी जाति थी जो नागों को पूज्य मानती थी, जो कालान्तर में नागजाति से प्रसिद्ध हुई। नाग को ये राष्ट्रीय चिन्ह मानते थे और उनकी पूजा करते थे। हरिकृष्ण रतूडी ने गढ़वाल का इतिहास (पृ.सं. ८१ व ८६) में असवाल और राणा की पूर्व जाति नाग बतलायी है। उनके कथानानुसार गढ़वाल के ५२ गढ़ों में नागपुर गढ़ और बांगर गढ़ नागवंशी राजाओं के गढ़ थे। (पृ.सं. १५४)। डॉ. पाती राम ने भी पृ. सं. ९८—९९ नेगी और कठैतों को नागवंशी बताया है। चौहान मलेठी राजपूत कठैत, भया नेगी, जाग नेगी, मलनास नेगी नागवंशी बताया है। नागपुर गढ़वाल के बहुत लोग इन्हीं के वंशज हैं। (गढ़वाली राजपूतों की सैनिक सेवा पृ. सं० ६)। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने नागपुर गढ़ और बांगरगढ़ के अतिरिक्त दशोलीगढ़ और पैनखण्डागढ़ को भी नागों का बताया है। स्पष्ट है कि क्षत्रिय जातियों द्वारा समय—समय पर जिस नाग देवता को नचाया जाता है, वह इस तथ्य को और भी अधिक पुष्ट करता है कि इस वर्ण के लोगों का सम्बन्ध नागों से किसी न किसी रूप में अवश्य रहा होगा, जिस कारण नागों को ये अपने ईष्ट देवता के रूप में आज भी मानते व नचाते रहते हैं।

अल्मोड़ा के उत्तरी क्षेत्र में वैदिक अहियों का प्राचीन काल में एक शक्तिशाली राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित था। पाताल भुवनेश्वर कभी नागों का प्रमुख स्थान रहा होगा। धर्मग्रन्थों में कई स्थानों पर नागों को पाताल का निवासी बताया है। यह पाताल शब्द भुवनेश्वर के साथ अब तक चला आ रहा है। मानसखण्ड में यहां शिकार खेलने के लिए अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण के आने का भी उल्लेख है। इस राजा को शेषनाग ने शिव महिमा और गुफा में शिवजी के गणों

और नागकन्याओं की उपस्थिति के बारे में बतलाया था।

महाभारत और पुराणों के अनुसार नाग और आर्य जाति में जनमेजय के सर्प यज्ञ तक अनेक संघर्षों का वर्णन मिलता है नागराज तक्षक ने जब इन्द्रप्रस्थ निर्माण का विरोध किया, तब पाण्डवों ने उसे पराजित कर दिया। खाण्डव वन में जिसका अस्तित्व भी गढ़वाल के अन्तर्गत बताया जाता है पाण्डवों द्वारा अनेक नागों का निर्दयता पूर्वक वध किया गया। उसी पुरानी शत्रुता के प्रतिशोध में तक्षक ने भी राजा परीक्षित को मार डाला। राजा परीक्षित की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र जनमेजय ने सर्पयज्ञ नागपुर गढ़वाल के भेतू नामक गांव में सम्पन्न किया। ऐसी किम्बदन्ती है कि इस यज्ञ में केवल नागराज तक्षक ही जीवित बच निकला।

लेकिन कालान्तर में नागों और आर्यों के सम्बन्ध मधुर हुए होंगे। जिस कारण वे आपस में विवाह सम्बन्ध बनाने लगे। महाभारत सभा पर्व २७/१९ के अनुसार अर्जुन ने उर्गा (उर्गम नागपुर) नामक एक पर्वतीय नगर में राजा रोचमान को परास्त किया था और नागपुर प्रदेश के निवासी कैरव्य नागराज की कन्या उलूपी से विवाह किया था। (महाभारत आदि पर्व २९३/१२/१३) सूरजकुंवर भोट की राजकुमारी जोतरमाला को ब्याह कर लाता है। कृष्ण की भी अनेक कथाएं इस तरह की मिलती हैं, जिनका सम्बन्ध नागवंशी कुंवरों व भोट की कुमारियों के साथ है। कालिदास ने भी कुमार संभव में हिमालय के मैनाक नामक पुरुष से नाग कन्या के विवाह का उल्लेख किया है। राम के पुत्र कुश की पत्नी नागकुल की थी। रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी सुलोचना भी नागकुल में जन्मी थी।

पौराणिक साहित्य में शिव व विष्णु दोनों को सर्पों से सम्बन्धित किया गया। शिव यदि नागयज्ञोपवीती हैं तो विष्णु शेषशय्याशयी। नागों का शैव से घनिष्ठता का सम्बन्ध रहा है। अपनी वंश परम्परानुसार वे वैदिक रुद्र के कट्टर उपासक थे। मोहन जोदड़ो में शिव की जो मूर्ति मिली है, उसके गले में नाग विद्यमान हैं और उसके सम्मुख दो नाग मूर्तियां फण फैलाये हुई हैं।^{१८}

शिव संस्कृति से प्रभावित नागवंशी नरेशों ने स्वयं गोपेश्वर और बाड़ाहाट के शिव मन्दिरों का निर्माण किया था तथा उनके सन्मुख धातु के त्रिशूलों की स्थापना की थी। ऋषि अगस्त्य द्वारा ६९ मरुत (नाग) देव समाज में सम्मिलित किये गये।^{१९} नागपुर में शेषनाग के परम आराध्यदेव शिव के अनेक मन्दिर स्थापित हैं, जहां अनेक नागकुल निवास करते हैं। यही नहीं नागों में पुष्कर नाग ने रुद्र से यह भी वरदान प्राप्त कर लिया था कि नाग उनके आभूषण बनें, वे समस्त मनुष्यों द्वारा पूजित एवं सम्मानित हों और यह क्षेत्र नागपुर सदैव उन्हीं के नाम से विख्यात रहे।^{२०}

हालांकि वैष्णव मत से नागों का लम्बे समय तक बैर बना रहा, परन्तु जब सन्धि हुई तब से इनके सम्बन्ध काफी मधुर रहे हैं, जिस कारण उत्तराखण्ड में कृष्ण की नाग रूप में पूजा की जाती है। नागों को वैष्णव साहित्य में शेषनाग के परिवार का सदस्य कहा गया है। भागवत आदि पुराणों में विष्णु को ही अनन्त या शेष कहा गया है। भारतीय मिथक साहित्य के अनुसार शेष नाग कद्रू के बेटों में सबसे पराक्रमी था। श्रीमद्भागवत में देवकी के पुत्रों को वापस लेने के लिए कृष्ण भगवान अनन्त लोक में जाते हैं। कृष्ण सर्पों में से वासुकि के अवतार भी कहे जाते हैं। शेष नाग ने राम के समय में लक्ष्मण के रूप में तथा कृष्ण के समय बलराम के अवतार के रूप में जन्म लिया।^{२१} संकर्षण भी शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। श्रीकृष्ण की बहिन एकानसा को नाग कन्या कहा गया है।^{२२} श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम के देहावसान के समय अनेक नागों का उनके दर्शनार्थ के लिए आने का उल्लेख महाभारत में है।^{२३} भूम्याल, नागर्जा तथा नगेलो आदि नामों से गढ़वाल में एक नाग देवता की पूजा होती है जो संभवतः कृष्ण ही हैं। पूजा ही वरन् नाग संघर्ष तथा कृष्ण का कालिया दमन का आख्यान गढ़वाली लोकगीतों में वर्णित है। नागराजा के कीर्तन में श्रीकृष्ण की ही लीलाओं का कीर्तन किया जाता है। नागराजा के पूरे गढ़वाल में मन्दिर, मठ और पीठ हैं। विशेष कर पौड़ी गढ़वाल में यह देवता प्रसिद्ध है, जो यहां डांडा नागराज के नाम से जाना जाता है। यही नहीं कृष्ण नाग ने अपनी राजधानी पुष्कर के निकट

रखी और वहां भी पुष्करनाग करके प्रसिद्ध हो गया। पौराणिक समय का पुष्कर तीर्थ और नागनाथ का मन्दिर उसके स्मारक है। वह नाग जाति का स्वामी माना गया। यही पुष्कर तीर्थ वर्तमान में नागनाथ पोखरी विकास खण्ड में है। कुछ विद्वानों की कल्पना है कि यही पुष्कर नाग अनन्तनाग है और शिव के गले का हार है।^{२४}

बौद्ध साहित्य में बुद्ध और नागों के निकट सम्बन्धों का उल्लेख है। बुद्ध के जीवन काल में भी नागों का अस्तित्व पाया जाता है। बुद्ध की पवित्र वाणी प्रज्ञा पारिमित सात सौ वर्षों तक नागों के पास रही। बौद्धभिक्षु सोने से पूर्व नागों की सस्तुति करते थे।^{२५} महात्मा बुद्ध की मूर्ति के ऊपर फन फैलाये हुई नागमूर्ति से स्पष्ट है कि बौद्धों के व्यापक विस्तार एवं प्रसार का पूर्णतः श्रेय नागजाति को ही है। जैन सूत्रों में तीर्थाकर सुपाशर्व और पार्श्वनाथ को नाग चिन्ह धारण करने वाला बताया गया है। जैनों के एक तीर्थकर तो नागवंशी ही थे। जैन आगम साहित्य में कुणिन्द नरेशों की मुद्राओं पर नाग का चित्रण होता था।

केदार हिमालय में नाग जाति का गौरवमय अतीत रहा है। पूरे हिमालय में नागों के सांस्कृतिक वर्चस्व के प्रमाण आज भी यत्र—तत्र मिलते हैं। यद्यपि इतिहासकारों में नागों के शासनकाल के बारे में एक राय नहीं है परन्तु नाग हिमालय की एक पौराणिक जाति थी और उसकी संस्कृति आर्यों से पृथक थी इस पर सभी एक मत हैं। हिमालय में नागों की मूर्तियां सांपों के बजाय मानव आकार की और पत्थरों के लिंग के रूप में मौजूद हैं। यहां का लोक मानस इन मूर्तियों में देवात्मा और मानवात्मा का निवास मानता है। जिससे पता चलता है कि कभी इस क्षेत्र में शासक रे नाग राजाओं और मुखियाओं से परास्त हो जाने के बाद उनकी प्रजा ने अपने इन नायकों को मन्दिर बना कर पूजना आरम्भ कर दिया और आज भी घर—घर में नाग पंचमी या अनेक पर्वों पर नाग देवता को कुल देवता, ईष्ट देवता, क्षेत्रीय देवता के रूप में पूजा की जाती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

१. उद्योग पर्व— १०७/३/१५
२. आदि पर्व — ३०/१०
३. वायु पुराण— ९/३०—३३ एवं ब्रह्मपुराण—
२/८/३५
४. वायु पुराण— ९/३०/३३ एवं ब्रह्मपुराण—
२/८/३५—३६
५. भजन सिंह 'सिंह' : आर्यों का आदि
निवास मध्य हिमालय, भागीरथी प्रकाशन गृह सुमन
चौक टिहरी गढ़वाल, १९८६ पृ.सं. २८१
६. अथर्ववेद— ८/८/५
७. वायुपुराण— ३४/५५
८. ब्रह्मपुराण— ९/८६/४४
९. मत्स्यपुराण— ११४/८२—८३
१०. विष्णुपुराण— २/५/४
११. ऋग्वेदन— १०/१०६/३
१२. भजन सिंह 'सिंह'— पूर्वोक्त, पृ.सं. २८१
१३. केदारखण्ड ३८/३४
१४. आदि पर्व— २१३/३२—३३ शिवप्रसाद
डबराल: उत्तराखण्ड का इतिहास भाग—३ पृ. ३४८
१५. परिपूर्णानन्द वर्मा : प्रतीक शास्त्र हिन्दी
समिति, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, १९६४
पृ.सं. २२५—२२६
१६. पूरन बिष्ट : नागजाति जिसका कभी
हिमालयी क्षेत्र में वर्चस्व था, लेख सम्पादक बदीदत्त
कसनियाल द्वारा सम्पादित संस्कृति संगम—२ हिमालयी
संस्कृति पर शोध पत्रिका, प्रकाशक जिला पत्रकार
कल्याण समिति, पिथौरागढ़ १९९७ अंक, २ वर्ष २
पृ.सं. २
१७. केदारखण्ड— ८०/२९
१८. पूरन बिष्ट— पूर्वोक्त, पृ.सं. १
१९. राहुल : मेरी जीवन यात्रा भाग— २ पृ.
सं. ६५६—५७
२०. महाभारत द्रोणपर्व— १२१/४२
२१. शिवप्रसाद डबराल : अलकनंदा उपत्यका,
पृ.सं. १००—१०२
२२. विष्णुपुराण— ५/३७/३४
२३. भागवत पुराण— २/४/१८

२४. ऋग्वेद— १/३२/१—२—३—५
२५. आदि पर्व— ३६/३४
२६. विष्णुपुराण— ५/९/२९
२७. केदारखण्ड— ३८/३२/३३, भजन
सिंह सिंह पूर्वोक्त, पृ. सं. २८४
२८. वाल्टन : गढ़वाल गजेटियर, पृ.सं. १११
व १८७
२९. रतूड़ी: गढ़वाल का इतिहास, पृ.सं.
८१—८६
३०. डा. पाती राम — गढ़वाली राजपूतों की
सैनिक सेवा, पृ.सं. ६
३१. भजन सिंह सिंह— पूर्वोक्त, पृ.सं. २८४
३२. आदि पर्व— २९३/१२/१३
३३. भजन सिंह सिंह— पूर्वोक्त, पृ.सं. २९१
३४. महाभारत अनुशासन पर्व— १४/५५
३५. श्रीमद्भागवतपुराण— ३/८/१०



माखनलाल चतुर्वेदी के शिक्षा संबंधी विचारों का अध्ययन

प्रियंकर लारिया

शोधार्थी, इतिहास विभाग,

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)

शोध सारांश— भारतीय समाज में साहित्यकारों ने अपने रचना संसार के आरम्भिक दौर से ही कई ऐसे विषयों पर लेखन कार्य किया जो उनके अपने काल से लेकर वर्तमान काल तक प्रासंगिक बने हुए हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहास में माखनलाल चतुर्वेदी एक जाना पहचाना नाम है जिन्होंने ब्रिटिशकालीन भारत से लेकर स्वतंत्रोत्तर भारत के विभिन्न विषयों पर अपनी लेखनी की। वह बड़े कवि, पत्रकार के अलावा समाज चिंतक भी रहे। उन्होंने परतंत्रता, गरीबी, किसान, महिलाओं सहित शिक्षा पर भी अपने विचार व्यक्त किए। वह न सिर्फ औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली के जानकार थे बल्कि रोजगारपरक, लोकतांत्रिक व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाली शिक्षा के हिमायती रहे। उनके शिक्षा संबंधी विचारों में एक नए भारत बनने की भूमिका की पड़ताल की जा सकती है और उनके योगदान को कविताओं व पत्रकारिता के अलावा समाज चिन्तक होने तक भी देखा जा सकता है।

कुंजी शब्द : अंग्रेजी शिक्षा, ग्रामीण समाज, शिक्षक, महिला शिक्षा, बुनियादी तालीम।

हिन्दी साहित्य में ऐसे कई विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने सृजन कार्य से देशकाल को इतना प्रभावित किया है जिसकी ख्याति आज भी हमें देखने को मिलती है ऐसे ही एक प्रसिद्ध विद्वान माखनलाल चतुर्वेदी हिन्दी जगत् के विख्यात साहित्यकार, प्रखर पत्रकार तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। हिन्दी साहित्य की विविध विधाओं में यथा कविता, कहानी,

नाटक तथा निबंधों के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन भारत की परतंत्रता, किसानों तथा मजदूरों की व्यथा, वंचित तबकों की पीड़ाएँ तथा महिलाओं की दशा एवं स्थिति को बखूबी दिखलाया है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बाबई, होशंगाबाद में ४ अप्रैल, १८८९ को हुआ था। उनके पिता पं. नंदलाल चतुर्वेदी शिक्षक थे और माता का नाम सुंदरीबाई था। उनकी शादी १९०३ में ग्यारसीबाई के साथ हुई। उस समय माखनलाल की उम्र १४ वर्ष तथा उनकी पत्नी की उम्र ९ वर्ष थी। सन् १९१४ में उनकी पत्नी का निधन हो गया।^१ उनकी आरंभिक शिक्षा छिदगाँव में हुई जिस प्राइमरी स्कूल में पिता ने प्राथमिक शिक्षा पाई थी, उसी स्कूल में उनका दाखिला कर दिया गया। वहाँ से उन्होंने सन् १९०१ में प्राइमरी परीक्षा उत्तीर्ण की। सन् १९०५ में, प्राइमरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, इन्होंने 'प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग' की परीक्षा जबलपुर केन्द्र से उत्तीर्ण की।^२ सन् १९०७ में प्रयाग में शिक्षा ग्रहण करते हुए आपने पं. मदनमोहन मालवीय की स्वीकृति से अभ्युदय के कार्यालय में सम्पादन कार्य शुरू कर दिया था और पत्रकारिता की दीक्षा भी ले ली थी।^३ आगे आने वाले वर्षों में उन्होंने कई पत्रों का संपादन कार्य किया।

प्रारंभ में कवि अपनी रचनाओं में माखनलाल चतुर्वेदी नाम ही दिया करते थे, 'सुबोध—सिन्धु' के हिन्दी संस्करण में कवि ने सन् १९१२ में 'शक्ति पूजा' पर लेख लिखा था। यह लेख खंडवा से प्रकाशित हुआ जिसके कारण पुलिस द्वारा राजद्रोह का आरोप लगाया गया किन्तु श्री माणिकचन्द्र जैन की बुद्धिमानी और कवि की कार्यकुशलता एवं सावधानी के कारण यह आरोप गलत सिद्ध हुआ। तब से वह 'श्रीगोपाल', 'भारत—सन्तान', 'कुछ नहीं', 'भारतीय', 'सुधार—प्रिय', 'पशुपति', 'नीति—प्रेमी', 'एक विद्यार्थी', 'एक निर्धन विद्यार्थी', 'एक भारतीय प्रजा', 'एक नवयुवक', 'तरुण भारत', 'एक प्रान्तीय वाणी', 'एक उच्च शिक्षित', 'एक भारतवासी', 'श्रीयुत नवनीत', 'श्री विश्वव्याप्त', 'श्री चंचरीक', 'श्री शंकर', 'श. श. श.', 'क्ष. त्र. ज.', 'वनवासी', 'वनमाली', 'एक भारतीय आत्मा' जैसे चित्र—विचित्र नामों से लिखते रहे हैं।^४ १९१३ में माखनलाल चतुर्वेदी ने कालूराम गंगराडे के सहयोग से

‘प्रभा’ का संपादकीय दायित्व भी सँभाल लिया। ‘प्रभा’ के माध्यम से वे स्वामी श्रद्धानंद, विष्णुदत्त शुक्ल, सैयद मीर अली मीर और जगन्नाथ प्रसाद आदि के संपर्क में आए।¹⁶ माणिकचन्द्र जैन और कालूराम गंगराड़े ने माखनलाल चतुर्वेदी को ‘प्रभा’ के वास्तविक संपादक का दायित्व सौंपा। ‘प्रभा’ ने शीघ्र ही माखनलाल चतुर्वेदी को पं. माधवराव सप्रे, गणेश शंकर विद्यार्थी, कामताप्रसाद गुरू, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा मुंशीराम रायबहादुर, पं. विष्णुदत्त शुक्ल जैसे उस युग के ख्यातिलब्ध लोकनायकों का सहचर्य पुरस्कार में सौंप दिया।¹⁷ अप्रैल १९१९ में पंडित माधवराव सप्रे और पं. विष्णुदत्त शुक्ल ने जबलपुर से ‘कर्मवीर’ के प्रकाशन का निर्णय लिया और उसके संपादन का दायित्व माखनलाल को सौंपा। ११ जनवरी, १९२० को ‘कर्मवीर’ का पहला अंक प्रकाशित हुआ। उल्लेखनीय है कि गांधी जी के कर्मशील तपस्वी जीवन को आदर्श बनाकर माखनलाल ने इस पत्र का नाम ‘कर्मवीर’ रखा। कर्मवीर उनकी विचार अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन गया।¹⁸ कर्मवीर के नए व्यवस्था मंडल से मतभेदों के चलते उन्होंने नवम्बर १९२२ में कर्मवीर का संपादकीय दायित्व छोड़ दिया। इसके पूर्व १९२१ में राजद्रोह के अपराध में उन्होंने एक वर्ष जेल की सजा काटी थी। अंततः जबलपुर से ‘कर्मवीर’ का प्रकाशन बंद हो गया। ४ अप्रैल, १९२५ से माखनलाल ने अपनी कर्मभूमि खंडवा से ‘कर्मवीर’ का पुनः प्रकाशन आरंभ किया और सन् १९५९ तक इसका संपादकीय दायित्व निभाते रहे।¹⁹ आगे के वर्षों में कर्मवीर का प्रकाशन जबलपुर तथा भोपाल से हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्यिक रचनाओं का फलक बहुत व्यापक था। उत्कृष्ट साहित्यिक अवदान के लिए उन्हें अनेक सम्मानों एवं पुरस्कारों से नवाजा गया। १९४३ में ‘हिम किरीटनी’ कविता पुस्तक पर प्रतिष्ठित ‘देव पुरस्कार’ प्राप्त हुआ। १९४७ में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा ‘साहित्य वाचस्पति’ की उपाधि से सम्मानित किया गया। १९५४ में उनकी कविता पुस्तक ‘हिमतरंगिनी’ पर ‘साहित्य अकादमी पुरस्कार’ दिया गया। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे हिन्दी के पहले रचनाकार थे। सागर

विश्वविद्यालय ने १८ दिसंबर १९५९ को डी. लिट्. की मानद उपाधि प्रदान कर माखनलाल चतुर्वेदी के विराट कृतित्व का सम्मान किया। २६ जनवरी १९६३ को भारत सरकार ने उन्हें ‘पद्मभूषण’ अलंकरण से विभूषित किया।²⁰ माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व की सतरंगी छटा से अपने समय के साहित्य सृजन, राजनीति, सामाजिक पुनर्जागरण आदि का सफल नेतृत्व किया। माखनलाल चतुर्वेदी ने रचनाशीलता के बल पर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को गति प्रदान की। इस मोरचे पर उन्होंने चमत्कारक सफलता अर्जित की। साहित्य और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में युगधर्म के प्रति उन जैसा सजग व्यक्ति मिलना मुश्किल है। ३० जनवरी, १९६८ को यह महामानव संसार से विदा हो गया और अपनी संघर्षमय जीवन—यात्रा के अमिट पदचिन्ह और उत्कृष्ट सृजनात्मक कृतित्व की अकूत संपदा देशवासियों के लिए छोड़ गया।²¹ उन्होंने कई ऐसे विषयों पर लेखन कार्य किया जो तत्कालीन समय के साथ ही आज भी प्रासंगिक हैं। उनके द्वारा पत्रकारिता, अंग्रेजों की शोषण भरी नीतियाँ, भारतीय समाज के विभिन्न प्रश्नों व आयामों सहित शिक्षा पर भी विस्तृत लेखन कार्य किया। इस शोध पत्र में उनके शैक्षिक विचारों का विश्लेषण किया गया है।

माखनलाल चतुर्वेदी हिन्दी साहित्य के एक बड़े विद्वान होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे कई विषयों पर लेखन कार्य किया जो भारतीय समाज की मुख्यधारा के विषय थे। औपनिवेशिक भारत में कई ऐसे बदलाव हुए जिनसे भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने के साथ ही उन्हें अपने सत्ता संचालन के लिए सहायकों की आवश्यकता महसूस हुई। इस क्रम में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को नौकरशाही एवं लिपिक वर्ग से जोड़ दिया। इससे जहाँ एक ओर कई भारतीयों के अंग्रेजी राज में नौकरियाँ मिली वहीं दूसरी ओर लिपिक वर्ग का भी विकास हुआ। इस व्यवस्था से इतर कई अन्य भारतीयों ने शिक्षा ग्रहण करके इसे अंग्रेजों के विरुद्ध संगठन व संघर्ष का माध्यम बनाया। प्रबुद्ध भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा को राजनीति का आर्थिक हथियार बनाया, पत्रकारों

ने पत्रकारिता के माध्यम से प्रतिरोध प्रकट किया तथा साहित्यकारों ने इससे भारतीय सामाजिक संरचना का मर्म दिखलाया। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने लेखन के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की अवहेलना करते हुए सिर्फ इसे नौकरी तक सीमित करने पर रोष व्यक्त किया। उनका मानना था कि इसे भारतीय समाज की कृषि व्यवस्था, व्यापार तथा उद्योग से जोड़कर इसका विस्तार करना चाहिए जिससे आम भारतीयों के जीवन में बदलाव आये। भारत एक कृषि प्रधान देश है इसलिए इन विषयों को शिक्षा में शामिल करके ही इसे रोजगारोन्मुखी बनाया जा सकता है। वह लिखते हैं कि उन लोगों से, जिन्होंने पुस्तकें पढ़-लिखकर अपने को पढ़ा-लिखा बना लिया है, यह छिपा नहीं है कि भारत में ऐसे लोगों की संख्या जो खींच-तान कर कुछ थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं और साथ ही वे लोग जो भारत की वर्तमान शिक्षा पाए हुए हैं, सब मिलाकर १०० में ५९ अर्थात् प्रति सैकड़ा ५६ है। हम पर विलायती गद्दी की सत्ता कितने ही दिनों से है। गदर का साल अभी भी बहुतों को भूला न होगा। उसके पहले से ही अंग्रेज लोग भारतीयों को पढ़ाने के प्रयत्न में लगे हैं और यह जो प्रति सैकड़ा ठोक-पीटकर ६ का हिसाब बैठता है सो उन्हीं लगभग १०० वर्षों के पूरे प्रयत्न का फल है और हमारे 'इस पढ़े-लिखे' हो जाने के लिए हमें शिक्षादाता, गवर्नमेण्ट को धन्यवाद देना चाहिए परन्तु इस शिक्षा पर हमें कुछ कहना है। हम पूछते हैं कि यह कैसी शिक्षा है, जो हमें दरिद्र होने से नहीं बचा सकती? माखनलाल चतुर्वेदी ने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की पड़ताल करते हुए इसकी खामियों को सभी के समक्ष रखा जिससे आम भारतीयों की दशा पर कोई अमूल परिवर्तन नहीं पड़ा।

वह आगे कहते हैं कि यह कैसी शिक्षा है जो हमारे बच्चों की शक्ति रेखागणित और बीजगणित के पढ़ने में खर्च करती है। किन्तु उन्हें बनाती है, यह सब पढ़ चुकने पर २० रु. महीने पर बिकने वाला नकलनवीस। यह कैसी शिक्षा है जो हमारे वर्षों खराब कर देती है किन्तु हमें जीवन-युद्ध के किसी भी काम का नहीं रहने देती। हम किसानों की सन्तान हैं, हम व्यापारियों की सन्तान हैं और हम ऋषियों की सन्तान

हैं। किन्तु न हमें कृषक बनने की शिक्षा दी जाती है, न हमें व्यापारी बनने की शिक्षा दी जाती है और न ऐसे ही कोई ऋषि हैं जो ऋषि जीवन के अनुकूल शिक्षा दें। देश के कोने-कोने से दरिद्रता की आवाज आ रही है और वह दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। व्यापार और कृषि की जो दुर्दशा हो रही है तथा कला-कौशल की जो दुर्दशा हो चुकी है, उसका वर्णन करना मानो अपने को उदासीनता की आपत्ति में डालना है। पढ़े-लिखे इने-गिने लोगों में भी पुस्तकों का रोग बेतरह बढ़ गया है। शिक्षालयों के वे दरवाजे भी जो हमें पढ़े-लिखे बना दिया करते थे, अब बन्द हो रहे हैं। परीक्षाएँ बुरी ली जाती हैं। शिक्षा देने में उचित प्रणाली से कार्य नहीं लिया जाता। तिसपर शिक्षा इतनी व्ययसाध्य बना दी गयी है कि उसे पाने वाला गरीब हो, यह कभी सम्भव नहीं। हजारों विद्यार्थी रोज ठोकरें खाते, मारे-मारे फिर रहे हैं। किसको इनकी परवाह है। शिक्षालयों के दरवाजे बन्द होने का हमें उतना खेद नहीं जितना हमें हिन्दू जाति की अकर्मण्यता से। किसान अपनी किसानी छोड़ रहा है, व्यापारी अपना व्यापार और जो कला-कौशल के बल पर जीते हैं, उनका तो भारत से अस्तित्व ही मिट गया-सा दीखता है। संसार में रहने वाली किसी जाति का इतना बेहोश हो जाना उचित नहीं और इसीलिए हमें इस बात की चिन्ता है। हमारे देशवासियों को शिक्षा के उचित पथ ढूँढने चाहिए। पढ़े-लिखे मतिहीनों के बहकावे में नहीं आना चाहिए जो दर्जी हो उसे चाहिए कि वह अपने बच्चों को थोड़ा-सा पढ़ा-लिखाकर प्रारम्भिक और कुछ माध्यमिक शिक्षा देकर अच्छा और सस्ता सीनेवाला बनावे। जो धोबी का लड़का हो, वह उपयोगी और कार्यकारी कपड़े धोनेवाला बने। उनकी मति मारी गई जो पुस्तकों के ही दरवाजे अपनी समूची जाति का बलिदान कर देना चाहते हैं। किसानों के बालकों को किसान बनना चाहिए। अनाज पैदा करना, खाद तैयार करना, जमीन बनाना, सिंचाई करना, रोगों से फसल को बचाना, पशु पालना, दूध-घी का प्रबन्ध करना आदि सैकड़ों ही कार्य, एक बुद्धिमान कृषक के करने के हैं परन्तु ये सारे कार्य आज गरीब, आपत्तियों से कसे हुए और निरक्षर कृषक कहलाने वालों के हाथ में सौंप दिये गये

हैं और अब पढ़े-लिखे मनहूस नौकरी पर उतर उठे हैं। क्या यही शिक्षा का उद्देश्य है? हमें तो ऐसी संस्था की जरूरत है, जो हमारे घर की शिक्षा दे। हमें गुलामी की या उपदेश की टकसाल में ढालने की शिक्षा की जरूरत नहीं। हमें रोटियों की शिक्षा की जरूरत है और जो देश की रोटियों की शिक्षा का प्रबन्ध करेगा, संसार देखेगा कि वह भारत में देवताओं के समान पूजा जाएगा। पर वर्तमान सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं में ऐसा प्रबन्ध नहीं दीखता। जो लोग भारत का भला चाहते हैं, उनका काम है कि वे भारत में कृषि, व्यापार और उद्योग की शिक्षा दें। इधर-उधर की शिक्षा में हमारा जीवन खराब न होना चाहिए और हजारों का खर्च कर बड़ी-बड़ी इमारतें हमारे लिए न बननी चाहिए।^{1,2,3} वो यह मान रहे थे कि अंग्रेजी सरकार कृषि तथा औद्योगिक विकास की शिक्षा प्रणाली विकसित करें जिससे आम भारतीयों को लाभ मिले लेकिन सरकार अपनी साम्राज्यवादी मंशाओं को पूर्ण करते हुए कई भव्य सार्वजनिक इमारतों का ही निर्माण कर रही है। इससे न तो भारत की गरीबी दूर हो रही है न ही भुखमरी बल्कि इससे कृषि पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ने के वाबजूद भी कृषि कार्यों में कमी देखने को मिल रही है।

अंग्रेजों के आने से पहले उनके बाद तथा वर्तमान समय में भी भारत के गाँवों की संरचना में आज भी कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। अभी भी ग्रामीण लोगों के अंदर भाग्यवाद, अंधविश्वास, आडम्बर तथा पुरातनपंथी विचारधारा विद्यमान है। शिक्षा के मूल उद्देश्य उन तक आज भी नहीं पहुँच पाये हैं इसीलिए ग्रामीण समाज भाग्य पर ज्यादा विश्वास करता है। घटित घटनाओं के पीछे क्या कारण जिम्मेदार रहे हैं उनकी तलाश किये बिना लोग अंधविश्वासी हो जाते हैं। इसे चाहे अज्ञानता कहा जाए या न सीखने की ललक। माखनलाल चतुर्वेदी इसी परिप्रेक्ष्य को बतलाते हुए भारतीय गाँव व उनके शिक्षक के विषय में कहते हैं गाँव भारत के प्राणों का नाम है और उसके दुर्भाग्य का भी। अन्धविश्वास और भाग्यवाद वहाँ सदैव खिलवाड़ करते हैं क्योंकि ग्रामीण अपने को मिलने वाले कष्टों का कारण ज्ञान के अभाव में अपने

से भिन्न कुछ घटनाओं को मानते हैं। अपने दुःखों में झगड़ने के लिए उन्होंने भाग्य नामक वस्तु को बड़ा भारी सहारा बना रखा है। यों तो, जो लोग विश्व के ज्ञान से अधिक प्रभावित और परिचित होने के बजाए स्वयं अपने ही विषय में अधिक सोचा करते हैं, जो अपनी जरूरतों को उम्र की साँसों के वेग से बढ़ाया करते और लगातार लेखा रखते हैं, जो अपने ही बड़प्पन की एक तस्वीर अपने मन की जेब में रखकर, उन लोगों द्वारा बड़े न माने जाने वाले दिनों की जन्मपत्री बनाये रहते हैं, जो इस बात की अधिक परवाह करते हैं कि उनके विषय में और लोग क्या कहते हैं, जो इस बात का हिसाब रखते हैं कि किस-किस ने कब-कब हमारा सम्मान नहीं किया, जो धन और कीर्ति की दुकानें चलाकर भी हृदय की कोमलता और परदुःखकातरता का खजाना अपने पास नहीं रखते, उनसे बढ़कर दुःखी शायद ही कोई हो। किन्तु हमारे ग्रामीणों की तो यह हालत है कि वे इतने कम साधनों पर जीवन-यापन करते हैं जितने पर संसार के शायद किसी देश में भी कोई जीवन-यापन न कर सकता हो और जिस पर भी लोग जी रहे हों और यूरोपीय शासन यह कह रहे हों कि गाँवों के लोग सुखी हैं। ऐसे गाँवों की सेवा के लिए यदि हममें जागरूकता आए, तो इससे बढ़कर पूँजी दूसरी हो नहीं सकती क्योंकि पहले तो हमें यह दिखाना है कि संसार के किसान किस तरह रहते हैं और भारत के किस तरह। फिर यह कि बाहर कहीं से हमारे द्वार पर सौभाग्य नहीं आएगा, किन्तु हमारा ही आज का पुरुषार्थ स्वावलम्बन की गोद में बैठकर कल का सौभाग्य बन जावेगा।

गाँवों के शिक्षकों की जिम्मेदारी बड़ी है, किन्तु हम प्रशंसा करके ही शिक्षकों को संतोष न दें। हम अधिकाधिक ग्रामसेवा के साधन उन्हें दें और उनके पास ऐसा ज्ञान पहुँचाएँ जो उन्हें ग्राम-सेवा का दिशा-दर्शन करा सके। हम ऐसा साहित्य दें जो ग्रामीणों के साथ बोलता-सा और उनके कष्टों, जरूरतों, त्यौहारों और उत्सवों में घुल-मिल जाता-सा नजर आये। हम एक बात ग्रामीणों में लगातार बोते रहे जिस तरह ग्रामीण खेत बोते हैं कि इस देश के वे ही आधार हैं और उनके

सिर से बहने वाली पसीने की बूंदों की पवित्रता गंगा से भी अधिक है और उनके बदन पर लिपटी हुई मिट्टी भगवान कृष्ण के द्वारा खाई जाने वाली ब्रज की धूलि से कहीं मधुर, कहीं प्राणदात्री है।^{१४} माखनलाल चतुर्वेदी का यह मानना था कि गाँव की बेहतर स्थिति के लिए वहाँ के शिक्षक लोगों को सचेत करें तथा विश्व के अन्य देशों के किसानों की वास्तविक स्थिति का आँकलन करते हुये भारतीयों को बतलाएँ। जिस तरह से भारतीय किसानों के अंदर सम्मान, स्वार्थ, धनलोलुपता, कीर्ति तथा मानवीय स्वभावों की छवि व्याप्त है उससे वह ऊपर उठकर नहीं सोच पाते हैं और यश—अपयश के बीच ही जीवन गुजार देते हैं। असली शिक्षकों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वह ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिससे गाँव के लोग मानवीय स्वभावों के अलावा कृषि व उससे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जिज्ञासु बनने की ओर तत्पर रहें।

स्वतंत्रोत्तर भारत में कई ऐसे विषय रहे जिनमें हमें उपनिवेशी प्रभाव दिखता है। साम्राज्यवादी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए अंग्रेजों ने शिक्षा को भी सीमित किया था। जिसके आँकड़े हमें स्वतंत्रता के बाद के कई वर्षों तक देखने को मिलते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलायें स्वतंत्रता पूर्व एवं बाद भी साक्षरता के मामले में उनसे कम ही रहीं। माखनलाल चतुर्वेदी ने खण्डवा के राजकीय कन्या महाविद्यालय का उदाहरण देते हुये बतलाया कि ब्रिटिशों के द्वारा हमें शिक्षा की भिन्नता में कितनी असमानता रही। वह लिखते हैं कि इस देश के पुरुषों में यदि उनका सचमुच पौरुष से कोई रिश्ता रह सके, आजकल लगभग ११ प्रतिशत पढ़े—लिखे हैं और लड़कियों में दशमलव नौ प्रतिशत से लगाकर एक प्रतिशत तक। यदि अपनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की भाषा में बहुमत का ध्यान कर बोलें तो हमारा राष्ट्रीय मतदान पुरुषों में ८९ फीसदी के 'अज्ञानतापूर्ण बहुमत से होता है। ब्रिटिश प्रभुता हमें उत्तराधिकार में यही अनन्त अज्ञान दे गई है। विश्व—भर में बड़ा ज्ञानवान ब्रिटेन, ज्ञान के क्षेत्र में और हमें दे भी क्या जाता? किन्तु क्या अब ११ फीसदी पुरुष और एक फीसदी स्त्रियाँ हैं, इतने भी पढ़े लिखे इस देश में है? यह भी बड़ी कटु कहानी है। जिस तरह मवेशी

काजी—हाउस और देशभक्त जेल हो आये हैं, उसी तरह पुरुष—स्त्री क्रमशः ग्यारह और एक फीसदी स्कूल हो आये हैं। बस, इतना ही। यदि किसी गाँव में डाकखाने से कोई चिट्ठी आ जाए, भले ही गाँव की आबादी ४००, ५०० या ६०० हो, तो भी चिट्ठी पाने वाला, चिट्ठी पढ़ने वाले को ढूँढ़ने के लिए अड़ोस—पड़ोस में जाएगा। कारण यह कि इस देश के ब्रिटिश शासन और शिक्षण—विभाग ने यह कभी देखा ही नहीं कि आखिर जिन्हें एक दिन स्कूल में पढ़ाया था, वे पढ़े—लिखे रह भी गए या नहीं।^{१५} उनका कहना एकदम सही था अंग्रेजों ने सिर्फ अपनी सत्ता संचलान तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिए ही शिक्षा का विस्तार दिया लेकिन वास्तविक स्थिति इससे भिन्न रही जहाँ एक ओर महिला व पुरुष के बीच में एक लंबी खाई है वहीं दूसरी ओर शिक्षा जन—जन तक न पहुँच सकी।

माखनलाल चतुर्वेदी एक श्रेष्ठ शिक्षक के गुणों को बतलाते हुए कहते हैं कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार उनमें गुणों को विकसित करें इससे न सिर्फ विद्यार्थियों के जीवन में बदलाव आएँगे बल्कि वह राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अपना योगदान भी दे सकेंगे। वह छोटे बच्चों को शिक्षण कार्य करते समय उनकी मनोदशा के अनुसार चीजें बतलाते हुए शिक्षा के लिए प्रेरित करें लेकिन हमेशा के लिए वैसी ही आदत के लिए आदि न बनाएँ। माखनलाल चतुर्वेदी छोटे बच्चों के शिक्षा कार्य के लिए कई बात बतलाते हैं जिनमें से प्रमुख पहली बात यह कि शिक्षक को अपने विद्यार्थी अपने—जैसे नहीं बनाने हैं। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले बालकों का उन्हें निर्माण करना है।

दूसरी यह कि नन्हें बच्चों के साथ रहकर शिक्षक स्वयं इतना नन्हा न हो जाए कि वह जगत के चौराहों पर जाकर नन्हें बच्चों जैसा अज्ञान व्यक्त करने लगे। उसे स्मरण रखना चाहिए कि वह शिक्षक और उसके हाथ में अज्ञान—सृजन का नहीं, ज्ञान—दान का उत्तरदायित्व है। तीसरी यह कि 'तन—तन मनिया, पेट मथनिया' शिक्षक बच्चों को क्या सिखावेगा? शिक्षक के कमरे में कुर्सी इसलिए नहीं रखी है कि वह कुर्सी

का पीछा न छोड़े, उसी पर लदा रहे। कुर्सी शिक्षक के श्रम में अवहेलना की वस्तु होती है और शिक्षक के विश्राम में गौरव की वस्तु। यदि शिक्षक का मोह कुर्सी पर अधिक रहा तो मुझे भय है कि देश में बच्चे कुर्सी लेकर न पैदा होने लगे। चौथी बात यह कि इस देश में जो बिना पढ़े पढ़ाने वालों की कौम है, उसे शिक्षक कहने लगे हैं। आप ऐसा न करें। आप पढ़ावें किन्तु अपने जीवनदाता ग्रन्थों को अवश्य पढ़ें। यदि, खासकर शिक्षक के घर की तलाशी ली जाए तो आग लूगड़ सब मिल जायेगा किन्तु पढ़ने योग्य पुस्तक नहीं मिलेगी। पाँचवीं यह कि शिक्षक बालकों के लिए पराया न हो। उसका अधिकार, उसका पद, उसका पढ़ा—लिखापन और उसके वेतनमान के झगड़े आज तो बच्चों के सिर का बोझ हैं। माँ यदि अपने स्तन का दूध देती है तो शिक्षक सरस्वती के स्तन का दूध बच्चों को पिलाता है। अतः शिक्षक बालक के हृदय के बहुत निकट हो ताकि बुनियादी शिक्षा—प्रणाली के अनुकूल वस्तु से ज्ञान की ओर और ज्ञान से वस्तु तक समझ के आने—जाने में बालकों को रुकावट न हो।^{१६} उनका मानना था कि शिक्षक बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ ही नैतिक मूल्यों का भी विकास करे जिससे बच्चे आगे चलकर स्वतंत्र रूप से परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता का विकास कर सकें। वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य यह है कि उसे मानव व्यवहार के अनुकूल बनाया जाए जिससे शिक्षा के आदान—प्रदान में आसानी हो।

माखनलाल चतुर्वेदी ने बुनियादी तालीम के माध्यम से भारतीय समाज की बुनियादी समझ की नींव को विकसित करने की बात कही है। दरअसल वो बुनियादी शिक्षण के मनोविज्ञान की बात को लेकर शिक्षक और बालकों के मध्य बनने वाले संबंध को बतलाते हैं। वह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते हैं और बालकों में शिक्षा के विकास को विद्यालय से लेकर समस्त संसार तक जोड़ने का प्रयास करते हैं। बच्चों की देख—रेख करने वाले का, चाहे वह पालक हो कि शिक्षक एक विचित्र नाम पड़ गया है। उस समय जब बालक की समझ में कोई बात न आ रही हो और पालक और शिक्षक समझ न

पाने के बालक के प्रयास पर चिढ़ उठे हों, तब बालकों के उन रक्षकों का नाम है भय जबरदस्ती, बुद्धि से बेवास्तापन और विचार—शून्यता। असल में समझ न पाना बालक की जितनी बड़ी अयोग्यता कही जाती है, मनोवैज्ञानिक के सामने उससे बड़ी मूर्खता उसकी है, जो बालक को समझा नहीं पाता। लगता है तेजस्वी बुद्धि का शिक्षक और पालक भी अपनी बुद्धि और ज्ञान की परिभाषा का इतना दास हो गया है मानो भावना नाम की कोई चीज उसके पास रह ही नहीं गयी है। सूझ, कल्पना और योजना ये तीनों ही बालक के प्रति उत्तदायित्व हैं, यदि ये भावना को आगे करके नहीं चलते। हमें यह सोचना चाहिए कि शाला की चहारदीवारी ही संसार नहीं है और व्यक्तित्व केवल शिक्षक का ही नहीं है, बालक का भी है और सच पूछिये तो शिक्षक की आवश्यकता बालक के विकास के लिए है।^{१७} माखनलाल चतुर्वेदी शिक्षक की आवश्यकता को प्रकट करने के लिए बालकों पर जोर देते हैं और शिक्षक का उत्तरदायित्व बालकों के सर्वांगीण विकास को बतलाते हैं। वह जोर देकर यह बात कहते हैं कि शिक्षण कार्य से बालकों का ही विकास नहीं होता है बल्कि शिक्षक के व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आता है।

माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय समाज में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कभी—कभी शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक को भी बालक बनना पड़ता है बशर्ते की समाज उसे अन्य जगहों पर उसे बालक ही न माने। यों शिक्षक समाज का बहुत बड़ा घटक है। उसके साथ एक गहरा अन्याय हुआ है। पाठ्य—पुस्तकों और बच्चों में रहते—रहते वह बड़ी उम्र में भी बच्चा बन गया है, बच्चा बनने के लिए बाध्य हो गया है। अब यदि आप चौराहों पर उसे देखें तो उसकी बच्चों—जैसी बातों से समाज चिढ़े नहीं। यह शिक्षक का बहुत बड़ा त्याग है कि उसने शिक्षकत्व स्वीकार किया है। अब तो समाज, शिक्षक और शासन—तीनों को मिलकर सोचना यह है कि हमें बुनियादी तालीम की ओर जाना है।^{१८} बुनियादी तालीम को लेकर वह भारतीय समाज, शासन एवं शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए बतलाते हैं कि तीनों में

सामंजस्य बैठा कर ही देश को आगे ले जाया जा सकता है। हमारा यह कर्तव्य है कि बुनियादी शिक्षा को मजबूत करते हुए एक श्रेष्ठ देश के श्रेष्ठ नागरिक बनाये।

माखनलाल चतुर्वेदी इस बात को स्वीकार करते हैं कि समय के साथ होते परिवर्तनों के साथ ही बुनियादी शिक्षा में भी बदलाव लाए जाएँ। चाहे बात विज्ञान एवं तकनीकी की हो या उन्नत अभियांत्रिकी की। जरूरत के अनुसार शिक्षा में नित्य नये होते आविष्कारों व तौर तरीकों को शामिल करना चाहिए। इसके उदाहरण स्वरूप वह बतलाते हैं कि इधर, हमारे देश में नये-नये बाँध बँध रहे हैं। नयी पाठशालाएँ, नये अस्पताल, नई सड़कें, खेती की नई विधियाँ, खाद के नये तरीके, सभ्यता के इन अनिवार्य संकटों में आज का हमारा देशवासी पिछड़ न जाये, पुराना न पड़ जाये, इस बात के लिए बुनियादी तालीम की जरूरत है। उसके मन की इस अवस्था को तो हटाना ही होगा कि नीचे वह बैलगाड़ी चलावे और ऊपर उड़ने-वाले हवाई जहाज की ओर वह भौचक्का-सा देखे। उसके पास तो इस बात का ज्ञान पहुँचाना ही होगा कि बैलगाड़ी से लगाकर हवाई जहाज तक यात्रा के सारे साधन एक ही बिरादरी के हैं। यदि जहाँ हवाई जहाज जा सकता है, वहाँ बैलगाड़ी नहीं जा सकती, तो जहाँ बैलगाड़ी अथवा घोड़े की सवारी जा सकती है, अथवा पैदल यात्रा की जा सकती है वहाँ हवाई जहाज भी नहीं चल सकता। अतः दोनों के मध्य के मर्यादा-बिन्दु की जानकारी समाज के पास पहुँचनी चाहिए क्योंकि प्रजा-सत्ता के युग में जिसको मत देने का अधिकार है, उसको देश का मालिक कहलाने का अधिकार भी है। विश्व के सारे सम्बन्धों, सुधारों और हलचलों से आज का मतदाता बेजानकार नहीं रखा जा सकता। जन-तंत्र के व्यक्ति का विश्व की शक्ति से अपरिचित रहना किसी भी देश की प्रजासत्ता के लिए भयंकर संकट है जिसके कारण जन-जीवन को न मालूम होते हुए भी देश की पूरी स्वतन्त्रता हाथ से जा सकती है।^{१९} भारत सहित विश्व में जिस प्रकार के परिवर्तन तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जरूरी बदलाव हो रहे हैं उनसे भारतीय भी परिचित हों। यदि समय के

साथ रहते-रहते हम परिवर्तन का हिस्सा नहीं बनेंगे तो पिछड़ जायेंगे या असफल हो सकते हैं। यह व्यवस्था न सिर्फ लोकतंत्र के लिए हानिकारक है बल्कि मानवीय स्वतंत्रता के लिए बाधक भी है।

निष्कर्ष— माखनलाल चतुर्वेदी ने औपनिवेशिक व स्वतंत्रोत्तर भारत की शिक्षा प्रणाली पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उच्च शिक्षा, भारतीय गाँव एवं उनके शिक्षक, नारी शिक्षा की सीमायें व उनके दायित्व, शिक्षक के दायित्व, बुनियादी तालीम और बुनियादी शिक्षण जैसे महत्वपूर्ण आयामों का जिक्र करते हैं। उनके द्वारा शिक्षा में व्याप्त समस्यायें तथा उनके समाधान आज भी उतने महत्वपूर्ण हैं जितने तत्कालीन समय में थे। वह शिक्षा को भारतीय सामाजिक संरचना में व्याप्त, अंधविश्वास, भाग्यवाद तथा सामन्ती सोच को तोड़ने वाले एक साधन के रूप में देखते हैं। इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देने तथा स्वतंत्रता को बनाये रखने वाला एक साधन के रूप में देखते हैं। भारतीय समाज में बुनियादी शिक्षा किन मायनों में बालकों की नींव रखती है इसका वो वास्तविक विश्लेषण करते हैं। भारत की कृषि व्यवस्था में व्यवहारिक परिवर्तन लाने तथा औद्योगीकरण में शिक्षा किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है इसका जिक्र भी करते हैं। इसके साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास, रोजगारोन्मुखी तथा नैतिकता को बढ़ाने में शिक्षक का प्रभाव बतलाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्यकार होने के साथ-साथ राष्ट्रवादी कवि व प्रखर पत्रकार के अलावा शिक्षा के जानकार भी रहे हैं। जरूरत है कि उनके रचना संसार के विभिन्न आयामों में से शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रसंगों से भारतीय शिक्षा प्रणाली को सशक्त करने की जो न सिर्फ व्यवहारिक, रोजगारोन्मुखी, वैज्ञानिक तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करे जिससे देश को नई दिशा मिल सके।

संदर्भ—

१. अवस्थी शिवकुमार, पत्रकारिता के युग निर्माता माखनलाल चतुर्वेदी, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, २०१०, पृ. १४.

२. जोशी श्रीकान्त, माखनलाल चतुर्वेदी :
यात्रा पुरूष, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, १९६९,
पृ. १३.

३. वही, पृ. १३.

४. जोशी श्रीकान्त, माखनलाल चतुर्वेदी
रचनावली, भाग-१, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, १९९५
पृ. १६३.

५. जोशी श्रीकान्त, माखनलाल चतुर्वेदी :
यात्रा पुरूष, पूर्वोक्त, पृ. १०.

६. अवस्थी शिवकुमार, पूर्वोक्त, पृ. १५.

७. जोशी श्रीकान्त, माखनलाल चतुर्वेदी
रचनावली, भाग-१, पूर्वोक्त, पृ. १७४.

८. अवस्थी शिवकुमार, पूर्वोक्त, पृ. १७.

९. वही, पृ. १८.

१०. वही, पृ. २०.

११. वही, पृ. २८.

१२. माधवराव सप्रे स्मृति समाचारपत्र संग्रहालय,
भोपाल, प्रभा, खण्डवा, दिसम्बर १९१५, पृ. ६१७.

१३. वही, पृ. ६१८.

१४. जोशी श्रीकान्त, माखनलाल चतुर्वेदी
रचनावली, भाग-३, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली,
२०११, पृ. १०६.

१५. जोशी श्रीकान्त, माखनलाल चतुर्वेदी
रचनावली, भाग-५, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, २०११,
पृ. १७५.

१६. वही, पृ. १९२-१९३.

१७. जोशी श्रीकान्त, माखनलाल चतुर्वेदी
रचनावली, भाग-३, पूर्वोक्त, पृ. १०६.

१८. वही, पृ. १०७.

१९. वही, पृ. १०८.



भौगोलिक एवं सामुद्रिक दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया का स्रातेजिक महत्व एवं विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप तथा भारतीय सुरक्षा

डा० वेद किशोर रतूड़ी

हे.नं.ब. केन्द्रीय विश्वविद्यालय

श्रीनगर गढ़वाल, उत्तरखण्ड

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया सर्वाधिक विस्फोटक एवं महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के दस राष्ट्र सम्मिलित हैं। जिसमें १-म्यांमार, २-थाईलैण्ड, ३-मलेशिया, ४-इण्डोनेशिया, ५-सिंगापुर, ६-लाओस, ७-कम्बोडिया, ८-वियतनाम, ९-फिलीपीन्स, १०-ब्रुनेई हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल पूरे यूरोप के बराबर है। यहाँ का सम्पूर्ण क्षेत्र उष्ण कटिबन्धीय जलवायु के अंतर्गत आता है। यहाँ के कुछ क्षेत्र अत्यधिक जनसंख्या वाले हैं तथा सघन जनसंख्या वाले भाग को प्रसय देने वाला मुख्यतः कृषि प्रधान है। सदियों तक यह क्षेत्र भारतीय एवं चीनी सभ्यता से प्रभावित रहा। पश्चिमी औपनिवेशिक दासता से बंधने से पूर्व इस क्षेत्र में छोटे-छोटे राज्य थे जिनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। एकता एवं राष्ट्रीयता के अभाव के कारण उन्हें बार-बार दासता के बन्धन से बंधना पड़ा। आपसी फूट के कारण फ्रांसीसी, डचों एवं अंग्रेजों ने इन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। २०वीं सदी के प्रारम्भ से राष्ट्रवादी एवं साम्राज्यवादी विचारधाराओं के जोर पकड़ने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सभी राष्ट्र स्वतन्त्र हुये और विश्व रंगमंच पर प्रभुत्वसम्पन्न राज्यों के रूप में उभरे और तब से दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्य निरन्तर विकास की ओर उन्मुख हैं और प्राकृतिक, सामरिक एवं

सुरक्षात्मक पहलू के रूप में विश्व के सम्मुख आज अपना अलग स्थान बनाए हुए हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के सामरिक महत्व को बढ़ाने वाले निम्न कारक रहे हैं।

१— दक्षिण पूर्वी एशिया की स्थिति एवं सीमा विस्तार।

२— भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया का सामरिक महत्व।

३— दो महासागरों की संधि स्थल पर बसे होने के कारण उभरता सामरिक महत्व।

४— व्यापारिक दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया का सामरिक महत्व।

५— खनिज सम्पदा से दक्षिण पूर्वी एशिया का सामरिक महत्व।

६— औद्योगिक उत्पादन से दक्षिण पूर्वी एशिया का सामरिक महत्व।

१. दक्षिण पूर्वी एशिया की स्थिति एवं सीमा विस्तार — दक्षिण पूर्वी एशिया का विस्तार ११° दक्षिण से २८° उत्तरी अक्षांस एवं ९२° पूर्वी से १४१° पूर्वी देशान्तर के मध्य है। इसके अंतर्गत १० राष्ट्र आते हैं। द्वीपों एवं प्रायद्वीपों की श्रृंखलाओं की विशेष अवस्थिति दक्षिण पूर्वी एशिया सुदूर दक्षिण की ओर विस्तृत प्रदेश है। भारतीय परिपेक्ष्य में हिन्दचीन, थाईलैण्ड, मलेशिया का संभाग जहाँ प्रायद्वीप है, जहाँ अण्डमान निकोबार (भारत) से लेकर सुदूर पूर्व न्यूगनी एवं उत्तर में फिलीपीन्स तक असंख्य द्वीपों की श्रृंखलाएँ चली गयी हैं। हिन्देशिया जो कि द्वीपों का देश है, विषुवत रेखीय प्रदेशों सघन बसाव का क्षेत्र है, इन द्वीपीय देशों में हजारों द्वीप हैं। सम्पूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया दो सभ्यताओं, दो मानव प्रजातियों एवं दोहरे विकास का मिलन स्थल रहा है।^१ विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएँ चीनी एवं भारतीयों के बीच के हिन्दचीन, हिन्देशिया वास्तव में चीनी एवं भारतीयों की सभ्यताओं का मिलन रहा है।

२. भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया का सामरिक महत्व — दक्षिण पूर्वी एशिया का भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये छोटे-छोटे राज्य एक ओर चीन की सीमा में आते हैं तो दूसरी ओर एशिया महाद्वीप के देश जापान के समीपवर्ती भी हैं,

तीसरी ओर एशिया उपमहाद्वीप का देश बांग्लादेश, भारत एवं हिन्दमहासागर के मध्य होने के कारण विश्व की महाशक्तियों के लिये रोचक बने हुये हैं। हिन्द महासागर से दक्षिण एशिया पूर्वी एशिया सहित समस्त विश्व के देशों का व्यापार होता रहा है। इस महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण विश्व की प्रत्येक महाशक्ति दक्षिण पूर्वी एशिया के भौगोलिक, सामरिक महत्व में अपनी भागीदारी हासिल कर इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं।^२

३. दो महासागरों की संधि स्थल पर बसे होने के कारण उभरता सामरिक महत्व — सुरक्षा की दृष्टि से महासागरों की भूमिका सबसे प्रमुख होती है। भूआकृति एवं क्षेत्रफल इसके मुख्य पहलू होते हैं। आकार सीमा विस्तार का भी इसमें सबसे अधिक महत्व होता है। यहाँ पर महासागरीय तट होने के कारण युद्ध संचालन तथा प्रशिक्षण जिसमें जल, थल, वायु सैन्य अभ्यास के लिये भी उत्कृष्ट होने के कारण विश्व के अनेक राष्ट्र इस क्षेत्र पर अपना कब्जा करने के लिये सदैव लालायित रहते हैं तथा इन तटीय राष्ट्रों जिनमें दक्षिण पूर्वी एशिया सहित हिन्द महासागर की सीमा को छूने वाले राष्ट्रों की सामरिक भागीदारी में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। इस प्रकार जनरल बेबल का कथन सत्य है, कि “सभी प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु में एक तरह की मौलिक कार्यवाही अपना कर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अतः भौगोलिक परिस्थितियों का किसी स्थान की लड़ाई के स्वरूप को सुनिश्चित करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है।” किसी भी लड़ाई का भूगोल उसकी लड़ाई का स्वरूप निश्चित करता है।^३ साथ ही एक अन्य विद्वान ने कहा है कि “सैन्य भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य सैनिक कार्यों के स्वभाव में भौगोलिक अनुशासन को क्रियान्वित करता है।”^४

४. व्यापारिक दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया का सामरिक महत्व तथा हिन्द महासागर की भूमिका — दक्षिण पूर्वी एशिया हिन्द महासागर से लगे होने के कारण दक्षिण पूर्वी एशिया का सामरिक एवं व्यापारिक महत्व और बढ़ जाता है। हिन्द महासागर का यातायात और व्यापारिक महत्व है। हिन्द महासागर विश्व का

तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। जो १०४०० कि०मी० लम्बे एवं १६०० कि०मी० चौड़े क्षेत्रफल में फैला है। ३०° अक्षांश से लेकर ४०° दक्षिणी अक्षांश तक तथा २०° पूर्वी देशान्तर से लेकर ११५° पूर्वी देशान्तर तक फैला है। इसके अंतर्गत ४० छोटे बड़े देश आते हैं जो आस्ट्रेलिया से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक के देशों के तटों को स्पर्श करता है।^१ स्वेजनहर, फारस की खाड़ी, केप ऑफ गुड होप, मलक्का जल डमरू मध्य इसके प्रमुख परिवहन एवं व्यापारिक मार्ग हैं। ये मार्ग विश्व के अन्य भागों को जोड़ते हैं। एक तरह से यूरोप, अफ्रीका, एशिया, आस्ट्रेलिया को जोड़ने वाले भाग एवं वायु मार्ग यहाँ से होकर गुजरते हैं। हर बारह मिनट में एक जहाज यहाँ से होकर गुजरता है। संसार में टैंकरों को ढोये जाने वाले खनिज तेल का ५७ प्रतिशत आर्युज जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। क्योंकि यही इनके लिये मुख्य मार्ग है। विश्व के एक तिहाई हवाई अड्डे इस क्षेत्र में अवस्थित हैं। विश्व का ८० प्रतिशत व्यापार इस महासागर से होकर गुजरता है। हिन्द महासागर के तटवर्ती राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न है। कच्चेमाल भण्डार महाशक्तियों की प्रतिद्वन्दिता का कारण है। विश्व का ९० प्रतिशत रबड़ ८० प्रतिशत टिन, ७६ प्रतिशत सोना १६ प्रतिशत लोहा २८ प्रतिशत मैगनीज, ५० प्रतिशत हीरा, ६० प्रतिशत यूरेनियम तथा विश्व का कुल तेल रिजर्व का ५० प्रतिशत भण्डार इस क्षेत्र में है।^२ इसके व्यापारिक मार्ग पश्चिम एवं पूरब के लिये जीवन रेखाएं हैं। इसलिये विश्व की महाशक्तियां इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने के लिये उत्सुक हैं। यद्यपि दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्र गुलामी की जंजीरों से मुक्त तो हो चुके हैं पर वहाँ की अपार प्राकृतिक सम्पदा को हथियाने के लिये विश्व के अनेक राष्ट्र आज भी अग्रसर हैं। यहाँ आर्थिक सम्पदा के साथ-साथ अपने विशालतक सैनिक ठिकानों को बनाए रखने के लिये विश्व के राष्ट्र इस क्षेत्र को उत्तम समझते हैं।

हिन्द महासागर में डियागोर्शिया द्वीप सबसे महत्वपूर्ण है। घोड़े के नाल के आकार का यह द्वीप १३ मील लम्बा तथा ४ मी० चौड़ा है और सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिये महत्वपूर्ण है। भारत के कन्याकुमारी

के नीचे दक्षिण में ११३० मील की दूरी पर स्थित है। सिंगापुर से इसकी दूरी २६५० मील, अदन से २६७० मील, पर्थ (आस्ट्रेलिया) से ३४०० मील, किकुर्क (इराक) से ३८०० मील तथा कुवैत से ५०० मील की दूरी पर हिन्द महासागर के बीचों-बीच स्थित है। यदि इस द्वीप में अमेरिका की बात की जाय तो अमेरिका के अकेले ३५ सैनिक अड्डे हैं इसमें १,४०,००० सैनिक तैनात हैं। यहाँ पर अमेरिका की दूसरी नम्बर की खतरनाक रैपिडडिप्ल्यामेन्ट फोर्स स्थित है। जिसमें यहाँ ५ सैनिक डिवीजन २ नौसैनिक डिवीजन वी५२ नामक बमवर्षक के दो भाग जिसमें एफ.बी.एम. भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा २३ वायुयान, १६ क्रूजर और विध्वंसक पोत तथा सैकड़ों लड़ाकू विमान अज्ञात परमाणु बम ३ विमान वाहन पोत तथा पर्याप्त संख्या में सुरक्षा और सफ़ाई के नौसैनिक जहाज भी हैं। साथ ही रैपिडडिप्ल्यामेन्ट फोर्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मध्य पूर्व के अपने समर्थक देशों से बराबर सम्पर्क बनाये रखता है तथा इस सैन्य योजना में अपना सातवाँ बेड़ा “टाम हाक क्रूजर” प्रक्षेपास्त्रों से लैस कर रखा है। चीन व रूस जापान भी इस प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं हैं।

५. खनिज सम्पदा से दक्षिण पूर्वी एशिया का सामरिक महत्व — यदि दक्षिण पूर्वी एशिया के खनिज सम्पदा का अवलोकन किया जाय तो कुछ वर्षों पूर्व थाईलैण्ड से ९२५० करोड़ डॉलर की वस्तुओं का व्यापार किया गया था। मलेशिया में विश्व का ३७ प्रतिशत रबर पैदा होता है। जिसके १२१ करोड़ डॉलर मूल्य की रबर दूसरे देशों को भेजी जाती है। टिन अयस्क में विश्व का ३४ प्रतिशत का उत्पादन सिर्फ मलेशिया करता है। यदि ब्रुनेई की बात की जाये तो यहाँ से ५५७६२ हजार बैरल खनिज तेल, ७४६ हजार टन पेट्रोल, ९०३३७ लाख घनमीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता रहा है।^३ म्यांमार से १५३४२ बैरल तेल तथा प्राकृतिक गैस १०९.६ मिलियन तक का निर्यात किया जाता है। इसके साथ ही २५,००० टन मैगनीज वार्षिक थाईलैण्ड से निर्यात किया जाता है। मलेशिया में अनुमानित तेल के ३७ करोड़ टन भण्डार है। ताँबा, वाकसाई, कच्चा माल

सोना, चांदी के भरपूर भण्डार दक्षिण पूर्वी एशिया में मौजूद हैं। सोना उत्पादन में देश मुख्यतः फिलीपीन्स, मलेशिया एवं हिन्देशिया है, जिनमें विश्व का २० प्रतिशत सोना का उत्पादन होता है। साथ ही कुछ सोना दक्षिण पूर्वी एशिया के उत्तरी लूजोन भिण्डनाओ एवं मारल वाटे द्वीप से निकाला जाता है। यहां से सोने का वार्षिक उत्पादन १८०० कि०ग्रा० तक होता है। म्यांमार से १८००० कि०ग्रा० चांदी का उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक सम्पन्नता के साथ-साथ दक्षिण पूर्वी एशिया सामरिक, व्यापारिक तथा सैनिक दृष्टि से परिपूर्ण है। वियतनाम से ४० करोड़ टन एन्थ्रेससाइट व बिटुमिनस कोयले के भण्डार मौजूद हैं। मलेशिया का ८० प्रतिशत लोहा अयस्क प्राप्त होता है। म्यांमार से तांबा अयस्क सन् १९८७ में ४५७२० हजार टन का उत्पादन किया गया था। इसी कारण सदियों तक इन राष्ट्रों को प्रतंत्रता का भी शिकार होना पड़ा। आज सामरिक व आर्थिक रूप से ये राष्ट्र अपना चौमुखी विकास कर चुके हैं और विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान कायम किये हुये हैं। आज दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के संगठन “आशियान” ने बहुत कम समय में यह साबित कर दिखाया है कि वह भी वैश्विक युग में विश्व की महाशक्तियों के साथ चलने में वह भी पीछे नहीं है। औद्योगिक तंत्र को मजबूत करते हुये अपनी सामरिक सम्पदा का सदुपयोग करते हुये वह आज विश्व के राष्ट्रों के साथ व्यापारिक संबंध कायम करने में सफल हो रहा है। हिन्देशिया से जावा सुरवाया ग्रेसिक तथा नामरंग से सीमेन्ट का वार्षिक उत्पादन ५० लाख टन तथा म्यांमार से ४९० हजार टन, थाईलैण्ड से ९८५ मीट्रिक टन तथा इण्डोनेशिया से ११२४७ हजार टन का उत्पादन होता है।

निष्कर्ष :- यद्यपि कुछ दक्षिण पूर्वी राष्ट्र अपने निजी स्वार्थों के चलते विश्व की महाशक्तियों से गठजोड़ बनाये हुये हैं, पर सीमित दायरे के अंतर्गत, वे भी जानते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया की आर्थिक सम्पदा का दोहन करने में वे पुनः अपना वर्चस्व कायम न कर लें और दक्षिण पूर्वी एशिया की क्षेत्रीय सुरक्षा पुनः बाधित न हो जाये। हिन्द महासागर में विदेशी शक्तियों की उपस्थिति भारत को भी प्रभावित कर सकती है। क्योंकि डियागोर्शिया भारत के दक्षिण तट से मात्र १६०० कि०मी० की दूरी पर स्थित है। मुख्य बात तो

यह है कि भारत की लगभग ५७०० कि०मी० लम्बी समुद्री सीमा है, जो कहीं न कहीं भारतीय सुरक्षा को प्रभावित करेगी। दक्षिण पूर्वी एशिया में बढ़ती बाहरी शक्तियों द्वारा दिया जाने वाला समर्थन वहां की एकता व अखण्डता को खतरा पैदा कर सकता है। पूर्व में चीन व अमेरिका दक्षिण पूर्वी एशिया में अशान्ति पैदा करने में मुख्य भूमिका पैदा कर चुके हैं। विश्व के राष्ट्रों को आज गम्भीरता से सोचना चाहिए कि जिस विकास की तर्ज पर ये देश अपने प्रगाढ़ विकास की ओर उन्मुख हैं उन्हें आर्थिक सहायक प्रदान करें। ताकि सामुद्रिक तट पर बसे होने के कारण ये देश विश्व के समक्ष अपनी व्यापारिक भूमिका को निभा सकें। जिसके कारण इन राष्ट्रों के मध्य आपसी मित्रता का संयोजन भी बने रहने में काफी सहायता मिलेगी। भारत के बढ़ते सम्बन्ध इन राष्ट्रों से कहीं न कहीं व्यापारिक सम्बन्ध सिद्ध करेंगे। भारत को चाहिए कि दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ सम्बन्धों के प्रति अग्रिम भूमिका बनाये रखे, ताकि व्यापारिक व आर्थिक सम्बन्धों को कायम करने में इन राष्ट्रों के मध्य सम्बन्धों के सामन्जस्य कायम करने में सार्थकता हासिल हो सके।

संदर्भ सूची —

- १— जैन एस.एम. विश्व भूगोल प्रादेशिक प्रारूप पृ०—१७२—७३
- २— जैन एस.एम. विश्व भूगोल प्रादेशिक प्रारूप पृ०—१७३—७४ संस्करण — १९९३
- ३— पहाड़िया एस.एम. आधुनिक एशिया का इतिहास पृ०—२४७
- ४— एल.जे.सिंह युद्ध की प्रवृत्ति और उत्तरी अफ्रीका का संग्राम पृ०—२१४ संस्करण — १९९३
- ५— पिलयर एण्ड पियरेसी मिलेट्री ज्योग्राफी पृ०—१०७
- ६— डा० राम कृष्ण सिंह डा० राकेश सिंह — राष्ट्रीय सुरक्षा
- ७— प्रतियोगिता विकास हिन्दी पृ०सं० ७३, जून १९९४
- ८— निगम. एम.एन. एवं भंवरलाल— मानसून एशिया पृ०—२७५, संस्करण — १९९०

पारिवारिक एवं छात्रावासीय परिवेश में रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की सामान्य मानसिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन (माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के संदर्भ में)

श्रीमती मधुलिका शर्मा

शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र,

जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)

डॉ. श्रीमती अरुणा भदौरिया

प्रोफेसर,

एम.पी.एस. शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)

पारिवारिक परिवेश से आशय व्यक्तियों के उस समूह से है, जो विवाह, रक्त या गोद लेने के बंधनों से जुड़े एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। पति—पत्नी, माता—पिता, पुत्र—पुत्री, भाई—बहिन, अपने—अपने सामाजिक कार्यों से एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। व्यवहार एवं संबंध रखते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं और उसे बनाये रखते हैं।

घर या परिवार समाज की एक इकाई है। यह सबसे अधिक आधारभूत सामाजिक समूह है इसमें साधारण: पति पत्नि और उनके बच्चे होते हैं कभी—कभी पति या पत्नी के माता पिता भी उनके साथ रहते हैं कुछ प्राचीन समाजों में नौकरों को भी परिवार का सदस्य माना जाता था।

वस्तुतः परिवार का अर्थ है— परिवेश घर की दीवारों और छत नहीं। परिवार का परिवेश अनेक प्रयासों से परिपूर्ण होता है इस परिवेश में स्नेह और अधिकार दोनों एक साथ रहते हैं वस्तुतः परिवार या घर का अस्तित्व बहुत कुछ मानसिक या भावनात्मक होता है। परिवार में निःस्वार्थ, स्नेह, सुरक्षा, सोहार्द,

सम्मान तथा परस्पर समर्पण के भाव पलते हैं यही भाव घर या परिवार है।

परिवार के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएँ निम्न हैं—

मेकाइबर व पेज के अनुसार — “परिवार उस समूह का नाम है जिसमें स्त्री—पुरुष का यौन सम्बंध पर्याप्त निश्चित हो और इनका साथ इतनी देर तक रहे जिससे संतान उत्पन्न हो जाये और पालन—पोषण भी किया जाये।”

लूसीमेयर के अनुसार— “परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता—पिता और सन्तान साथ—साथ रहते हैं। इसके रूप में दम्पति व उनकी सन्तान रहती है।”

छात्रावासीय परिवेश

प्राचीनकाल में हमारे देश में गुरु के सान्निध्य में रहकर ही विद्यार्थी विद्यापार्जन किया करते थे। शिक्षा प्राप्त करने हेतु गृह त्यागने की परंपरा रही है, शिक्षा ग्रहण करने हेतु गुरुकुल आश्रम, मंदिर आदि में विद्यार्थी जाकर रहते हैं एवं आचार्यों एवं गुरुओं के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। गुरुजन अपने गृह पर ही विद्यार्थी के आवास एवं निवास की व्यवस्था करते थे। भोजन का कार्य भिक्षा वृत्ति द्वारा चलता था या गुरुजन गृह में भी व्यवस्था हो जाती थीं। उस समय से ही गुरुकुल अर्थात् छात्रावासीय परंपरा की शुरुआत हुई। राजा—महाराजाओं के बालक शिष्य बनकर गुरुकुल में रहते थे और गुरुकुल के आश्रम में वे सभी कार्य करते थे जो गुरु की आज्ञा होती थी। यहां किसी में कोई भेदभाव नहीं रहता था। गुरु के लिए सभी समान थे। अतः गुरु सभी को एक जैसी ही शिक्षा देते थे।

महाविद्यालय अथवा विद्यालय के क्षेत्र से अलग दूर—दराज के क्षेत्रों से शिक्षा ग्रहण करने आये छात्र छात्राओं का निवास, स्थान, जो कि विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अथवा संस्थाओं व समुदायों द्वारा संचालित होते हैं। इसमें छात्रों के शारीरिक मानसिक व नैतिक गुणों के विकास के साथ साथ भोजन एवं मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होते हैं, छात्रावास कहलाते हैं।

आज के बदलते सामाजिक परिवेश में एक ओर जहां भौतिकवादी विचारधारा बढ़ती जा रही है

वहीं दूसरी ओर संयुक्त परिवार व संस्कृति। ऐसे में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी जहां एक ओर अपनी पारिवारिक परिवेश से दूर रहकर उच्च व गुणात्मक शिक्षा की नींव रखता है वहीं दूसरी ओर परिवार के सहयोग के बिना वह अपने जीवन का एक नया आरंभ करता है जहां उसे बहुत सी समस्याओं से स्वयं ही जूझना पड़ता है। एक ओर जहां छात्रावास उसे नये वातावरण में अनुकूलन परस्पर समन्वय आदि गुण सिखाते हैं वहीं दूसरी ओर निरंकुशता का दुरुपयोग भी। ऐसी परिस्थितियों में एक माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी अनेक प्रकार की मनोदशाओं, विचारों व सवेंगों से गुजरते हैं एवं उसके अंतर्मन में अनेक स्थिति व व्यवहार पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। छात्रावास में रहते हुए कई ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं जो विद्यार्थी की मानसिक स्थिति व सोच पर अत्यंत प्रभावशाली होती है और आगे आने वाले जीवन में उसके सामाजिक व्यवहार में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रतीत होती है।

सामान्य मानसिक योग्यता या बुद्धि :

स्पेंसर के कथानुसार, “मानसिक योग्यता मनुष्य की वह योग्यता है। जिससे वह विपरीत कठिन वातावरण के साथ सामाजिक स्थिति स्थापित करता है।”

बिने और साईमन के अनुसार— “निर्णय, सद्भावना, उपकरण समझने की योग्यता, युक्ति, युक्ततर्क और वातावरण में अपने को व्यवस्थित करने की शक्ति ही मानसिक योग्यता है।”

थार्नडाईक के अनुसार — “वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही मानसिक योग्यता है।”

विद्यार्थियों की सामान्य मानसिक योग्यता अथवा बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सामान्य मानसिक योग्यता को बुद्धिलब्धि भी कहते हैं। जन्म के समय सभी प्राणियों की तरह मनुष्य भी एक प्राणी होता है। मनुष्य की देह पाने वाला यह प्राणी संस्कारों के कारण मननशील मनुष्य बनता है। जिस व्यक्ति की चिंतन एवं मनन करने की शक्ति जितनी तीव्र होती है उतनी ही अच्छी उसकी बुद्धिलब्धि होती है जिसे सामान्य मानसिक योग्यता

कहा जाता है।

माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों किशोरावस्था वाले होते हैं। दुनियादारी को समझने का प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्यार्थी अध्ययन करते—करते जो ग्रहण करते हैं एवं उसका चिन्तन—मनन करते हैं वह उनकी सामान्य मानसिक योग्यता होती है।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध कार्य द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति की जायेगी—

१. पारिवारिक परिवेश में रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की सामान्य मानसिक योग्यता का अध्ययन करना।

२. छात्रावासीय परिवेश में रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की सामान्य मानसिक योग्यता का अध्ययन करना।

३. पारिवारिक एवं छात्रावासीय परिवेश में रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की सामान्य मानसिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना

शोध समस्या के अध्ययन के लिए निम्नलिखित परिकल्पना निर्धारित की गई है।

१. पारिवारिक परिवेश एवं छात्रावासीय परिवेश में रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की सामान्य मानसिक योग्यता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता।

परिसीमन

१. शोध कार्य का क्षेत्र केवल ग्वालियर जिले तक सीमित किया गया है।

२. शोध कार्य ग्वालियर जिले के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर के विद्यालयों तक सीमित है।

३. शोध कार्य केवल कक्षा ९वीं एवं १०वीं के विद्यार्थियों तक ही सीमित है।

४. शोधकार्य ग्वालियर जिले में संचालित छात्रावासों में निवासरत ३०० विद्यार्थियों एवं सामान्य पारिवारिक परिवेश में निवासरत ३०० विद्यार्थियों तक सीमित है।

५. शोध अध्ययन कुल ६०० विद्यार्थियों तक ही सीमित है।

अध्ययन के चर

शोधार्थी के अध्ययन हेतु निम्नलिखित चर हैं:

- स्वतंत्र चर : परिवार, विद्यार्थी एवं छात्रावास
- आश्रित चर : सामान्य मानसिक योग्यता

शोध विधि :
प्रस्तुत शोध कार्य के लिए सर्वेक्षण विधि प्रयोग में लाई गई है। जो कि इस शोधकार्य में उपयुक्त है।

न्यादर्श :

शोधार्थी द्वारा १५ छात्रावास जिसमें बालक एवं बालिका सम्मिलित हैं एवं १५ विद्यालयों का चयन किया गया शोधकार्य ग्वालियर जिले में संचालित छात्रावासों में निवासरत ३०० विद्यार्थियों एवं सामान्य पारिवारिक परिवेश में निवासरत ३०० विद्यार्थियों का समग्र न्यादर्श का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक छात्रावास से २० एवं विद्यालय (पारिवारिक परिवेश वाले विद्यार्थी जो विद्यालय से चयनित किये गये हैं)

प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत शोध हेतु डॉ. रोमा पाल एवं डॉ. (श्रीमती) रमा तिवारी द्वारा निर्मित सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण (जी.एम.ए.टी.) प्रमाणीकृत उपकरण का प्रयोग किया गया है।

प्रयुक्त सांख्यिकी

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी के लिए निम्नलिखित सांख्यिकी विधि प्रयुक्त की गई है —

मध्यमान

प्रामाणिक विचलन

टी-टेस्ट

निष्कर्ष

परिकल्पना १: पारिवारिक परिवेश एवं छात्रावासीय परिवेश में रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की सामान्य मानसिक योग्यता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता।

५९८ df स्वतंत्रांश पर 'टी' का प्रामाणिक मान ०.०१ सार्थकता स्तर पर २.६० होता है तथा ०.०५ सार्थकता स्तर १.९७ होता है। गणना से प्राप्त 'टी' का मान ०.०३ इन दोनों से कम है अतः सार्थक नहीं है। अर्थात् पारिवारिक परिवेश एवं छात्रावासीय परिवेश में रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों

की सामान्य मानसिक योग्यता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता। परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है।
व्याख्या : शोध तथ्यों से स्पष्ट हुआ है कि पारिवारिक परिवेश एवं छात्रावासीय परिवेश में रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की सामान्य मानसिक योग्यता के मध्यमान लगभग एक जैसे ही हैं इसलिए दोनों परिवेश के विद्यार्थियों के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं देखा गया है।

विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता उनकी अध्ययन आदतें, पारिवारिक परिवेश आदि से जुड़ी होती है। कुछ विद्यार्थी परिवार में रहकर ही अच्छी मानसिक योग्यता वाले होते हैं कुछ विद्यार्थी छात्रावास में रहकर। मानसिक योग्यता विद्यार्थियों के आत्मबल एवं सीखने की क्षमता द्वारा विकसित हो जाती है। विद्यार्थी का परिवेश चाहे कोई भी हो परन्तु उनकी मानसिक योग्यता सभी परिवेश में एक सी ही रहती है। क्योंकि वे जो पाठ्य सम्बन्धी अध्ययन करते हैं चाहे वह पारिवारिक परिवेश में करें या छात्रावासीय परिवेश में उससे उनकी मानसिक योग्यता में कोई अन्तर देखने को नहीं मिलता है।

सुझाव :

१. परिवार में रहने वाले विद्यार्थियों को अनुशासन में रखना चाहिए ताकि वे अपना समग्र विकास कर मानसिक योग्यता को बढ़ा सकें।

२. बच्चों को परिवार में ऐसा वातावरण मिल सके जहां उनका मानसिक विकास हो सके तथा पौष्टिकता से भरपूर भोजन देना चाहिए ताकि मन स्थिर एवं शांत रह सके।

३. परिवार में अभिभावकों द्वारा बच्चों को खेलकूद, व्यायाम एवं योगा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनकी मानसिक स्थिरता एवं स्वास्थ्य अच्छा रह सके।

४. परिवार में अभिभावक बच्चों को समय नहीं देते जिससे बच्चे ठीक प्रकार से समायोजित नहीं हो पाते हैं। बच्चों को ठीक प्रकार से समायोजित होने के लिए परिवार के सहयोग की आवश्यकता होती है।

संदर्भ :

अस्थाना मोहन स्वरूप शिक्षा एवं विद्यार्थी,
संगम प्रकाशन, गाजियाबाद, १९९८
बरने तथा लेहनेर “असामान्य मनोविज्ञान”
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली १९५३
डॉ. ज्योति प्रसाद, मानव विकास का परिचय,
अरुण प्रकाशन, ग्वालियर
भटनागर सुरेश, “शिक्षा मनोविज्ञान”, अटलान्टिक
पब्लिशर्स, दिल्ली, १९९१,
Nanda A.K : Mental health of high school
student a comparative study-Indian
psychological review, 2001, March
भार्गव महेश आधुनिक मनोवैज्ञानिक—परीक्षण
एवं मापन, एच.पी. भार्गव बुक हाउस १९वां
संस्करण, २०१०
भटनागर सुरेश, “शिक्षा मनोविज्ञान”, अटलान्टिक
पब्लिशर्स, दिल्ली, १९९१



34

भारत के आर्थिक विकास को रोकती सामाजिक चुनौतियां

Sita Ram

Asst. Prof., Dept. of Economics,
Govt. College Bhattu Kalan, Fatehabad

Sukhdev

Asst. Prof., Dept. of Sociology
P.I.G. Govt. College For Women Jind

भारत दुनिया के तेज आर्थिक विकास वाले देशों में है, पर इस विकास का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा। इसका असर उसके विकास पर भी पड़ा, जो पिछले महीनों में लगातार धीमा हुआ है। सामाजिक चुनौतियां बनी हुई हैं और गरीबी बढ़ रही है।

भारत ने ९० के दशक में आर्थिक सुधार शुरू किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय देश के वित्त मंत्री थे। सुधारों से उम्मीद थी कि लोगों के आर्थिक हालात सुधरेंगे, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान न देने की वजह से गरीबी, कुपोषण, भ्रष्टाचार और लैंगिक विषमता जैसी सामाजिक समस्याएं बढ़ी हैं। अब यह देश के विकास को प्रभावित कर रहा है। दो दशक के आर्थिक सुधारों की वजह से देश ने तरक्की तो की है, लेकिन एक तिहाई आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही है। भारत इस अवधि में ऐसा देश बन गया है जहां दुनिया भर के एक तिहाई गरीब रहते हैं।

चीन अपने यहां गरीबों की तादाद में भारी कमी करने में कामयाब रहा है, लेकिन भारत विकास के फायदे आम लोगों में समान ढंग से बांट नहीं पाया है। आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप चीन का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर १२,००० अरब डॉलर हो गया है, जबकि समान आबादी के बावजूद भारत का

जीडीपी इसका एक तिहाई ही है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में दोनों देशों के बीच गहरी खाई है। २००१ से २०१२ के बीच भारत में औसत आय ४६० डॉलर से बढ़कर १७०० डॉलर हुई है जबकि चीन में इसी अवधि में यह ८९० से बढ़कर ६८०० डॉलर हो गया है।

पिछले सालों में भारत की विकास दर करीब ९ फीसदी रही है, लेकिन देहाती क्षेत्रों और अर्थव्यवस्था के ज्यादातर इलाकों में आय बहुत धीमी गति से बढ़ी है। क्षेत्रीय विकास विशेषज्ञ प्रोफेसर रविशंकर श्रीवास्तव कहते हैं, हमारा विकास गरीबों का समर्थन करने वाला विकास नहीं था। विषमताएं बढ़ी हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि गरीबी पर विकास की प्रक्रिया का प्रभाव बहुत से दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम रहा है। नतीजतन कुपोषण और गरीबी में इस कदर बढ़ गई है कि सरकार को आबादी के बड़े हिस्से को खाद्य पदार्थों की गारंटी देने के लिए खाद्य सुरक्षा ऑर्डिनंस लाना पड़ा। इस पर १.३ अरब रुपये का खर्च आया।

विकास की रणनीति — यूएन शिक्षा सूचकांक के अनुसार भारत १८१ देशों में १४७वें स्थान पर है। हालांकि पिछले सालों में ढेर सारे गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुले हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा के अभाव और भ्रष्टाचार की वजह से स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिला है। आईआईटी और आईआईएम को विश्व भर में जाना जाता है लेकिन वे भारत के वर्तमान विकास के लिए जरूरी इंजीनियर और मैनेजर प्रशिक्षित करने की हालत में नहीं हैं। देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और नए रोजगार पैदा करने के लिए कामगारों और मैनेजर्स के स्तरीय प्रशिक्षण की योजना जरूरी है।

शोध और विकास के क्षेत्र में भी भारत पर्याप्त खर्च नहीं कर रहा है। वह अपने प्रतिद्वंद्वियों चीन और दक्षिण कोरिया से बहुत पीछे है। भारत रिसर्च और डेवलपमेंट पर होने वाले वैश्विक खर्च का सिर्फ २.१ प्रतिशत खर्च करता है जबकि यूरोप का हिस्सा २४.५ प्रतिशत है। श्रीवास्तव का कहना है कि विकास की प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि वह निचले तबके के लोगों की आय बढ़ाकर गरीबी का प्रभावशाली तरीके

से मुकाबला कर सके। यदि विकास का फोकस देश के गरीब इलाकों और बेहतर आय और स्तरीय रोजगार के जरिए लोगों को गरीबी से बाहर निकालने वाली रणनीतियों पर हो तो वह ज्यादा प्रभावी होगा। **रुकता नहीं भ्रष्टाचार** — भ्रष्टाचार देश की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार १७६ देशों की सूची में भारत ९४वें नंबर पर है। भ्रष्टाचार विरोधी अंतरराष्ट्रीय संस्था की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में रिशतखोरी का स्तर काफी ऊंचा है। भारत में ७० फीसदी लोगों का मानना है कि पिछले दो साल में भ्रष्टाचार की स्थिति और बिगड़ी है। पिछले साल सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में विशाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ, लेकिन जन लोकपाल बनाने की मांग को राजनीतिक दलों का व्यापक समर्थन नहीं मिला। पार्टियां अपने को आरटीआई कानून से भी अलग रखना चाहती हैं।

भारत की प्रमुख कारोबारी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन चौबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) का कहना है कि भारत का २०११ से २०१२ के बीच भ्रष्टाचार के कारण सात अरब डॉलर का नुकसान हुआ। २जी टेलीकॉम, कॉमनवेलथ गेम्स और कोयला घोटालों से हुए नुकसान को इसमें शामिल नहीं किया गया है जो हजारों करोड़ के हैं। भ्रष्टाचार का अर्थव्यवस्था के विकास पर बहुत ही बुरा असर हो रहा है और जर्मनी जैसे देशों की विदेशी कंपनियों ने तो इस पर अब खुलेआम अपनी चिंताएं जतानी शुरू कर दी हैं।

गरीबी और बेरोजगारी — नए रोजगार बनाने और गरीबी को रोकने में सरकार की विफलता की वजह से देहातों से लोगों का शहरों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। इसकी वजह से शहरों के ढांचागत संरचना पर दबाव पैदा हो रहा है। आधुनिकता के कारण परंपरागत संयुक्त परिवार टूटे हैं और नौकरी के लिए युवा लोगों ने शहरों का रुख किया है, जिनका नितांत अभाव है। नतीजे में पैदा हुई सामाजिक तनाव और कुंठा की वजह से हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है, खासकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा में तेजी आई है। दिसंबर २०१२ में नई दिल्ली में एक छात्रा के गैंगरेप ने आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरते भारत में

महिलाओं की समस्याओं को उजागर किया है।

भारत की समस्याएं अस्थायी — भारत में जारी आर्थिक उथल पुथल के बीच पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा है कि देश की समस्याएं अस्थायी हैं, उनका समाधान ढूंढा जा सकता है, लेकिन उसके लिए मजबूत इच्छाशक्ति की जरूरत है। हालांकि बलात्कार और छेड़ छाइ से संबंधित कानूनों में सख्ती लाई गई है और सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों की बहाली की दिशा में कदम उठाए हैं, पूरे भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी नहीं आई है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर वीमेंस डेवलपमेंट स्टडीज की निदेशक प्रोफेसर इंदु अग्निहोत्री इसकी वजह समाज में महिलाओं की हैसियत को मानती हैं, जो बहुत नीची है, यह सभी कारकों में दिखती है, खास कर आर्थिक हिस्सेदारी में। उन्हें समाजिक बोझ समझा जाता है, उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोग की वस्तु समझा जाता है, जो समाज में उत्पादक योगदान नहीं देता। इसकी वजह से हिंसा बढ़ रही है।

समाज की बेरुखी — भारतीय समाज महिलाओं के मुद्दों को किस तरह नजरअंदाज कर रहा है, यह इस बात से पता चलता है कि सालों से चल रही बहस के बावजूद महिलाओं के लिए संसद में सीटों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। कुछ राजनीतिक दल इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, जबकि दूसरे अवसरवादी कारणों से इस पर जोर नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं कोई भी राजनीतिक पार्टी संगठन की संरचना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोई गंभीर कोशिश नहीं कर रही है।

लैंगिक विषमता — भारत राजनीतिक और आर्थिक नेतृत्व में भी लैंगिक विषमता का सामना कर रहा है। आधुनिक कारोबार में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी का महत्व बढ़ गया है और बहुराष्ट्रीय भारतीय कंपनियों महिला मैनेजर्स को आकर्षित करने के प्रयास भी कर रही हैं, लेकिन अभी भी शेयर बाजार में रजिस्टर्ड भारतीय कंपनियों के बोर्डरूम में महिला मैनेजर्स की संख्या सिर्फ तीन फीसदी है। अग्निहोत्री लोगों की सोच में बदलाव की मांग करती हैं, यदि महिलाओं

की आर्थिक दशा सुधरती है तो उनकी मुश्किलें भी कम होंगी। ऐसा नहीं है कि कमाने वाली महिलाओं को तुरंत उसके अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन जो महिलाएं कमाती हैं, उनके पास विकल्प होते हैं, अपने अधिकारों पर बल देने, अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं को आवाज देने और उन पर अमल करने का मौका होता है।

पिछले महीनों में भारत के आर्थिक विकास में तेजी से आई कमी का कारण वैश्विक आर्थिक संकट बताया जा रहा है, लेकिन विकास दर को बनाए रखने में विफलता की वजह प्रतिभाओं का इस्तेमाल न करना और कुशल कारीगरों की कमी भी है। भारत मुख्य रूप से गांवों में रहने वाली अपनी आबादी की क्षमताओं का इस्तेमाल करने और उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देने में नाकाम रहा है। उसे समझना होगा कि उसका आर्थिक स्वास्थ्य व्यापक रूप से उपलब्ध प्रतिभाओं के बेहतर इस्तेमाल पर ही निर्भर है। अनैतिक सामाजिक विघटन — स्वतंत्रता के पश्चात् वैश्यावृत्ति की समस्या भी गंभीर रूप धारण करने लगी। पहले जहाँ सार्वजनिक स्थानों पर वैश्याओं का संचालन होता था, १९५६ में स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम पास हो जाने के बाद भी इस समस्या में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो सका। बहुत—सी लड़कियों तथा स्त्रियों, काल्गल, कैफे डांसर तथा सोसाइटी गर्ल के रूप में अनैतिक कृत्य के साथ अपराधी व्यवहारों में रूचि लेने लगीं। इनका कार्य प्रतिष्ठा की आड़ में अधिकारियों से मनमानी सुविधाएँ उपलब्ध कराना, तस्करी करना तथा सभी युवकों को दुराचर की ओर प्रवृत्त करना होता था। वैश्यावृत्ति सामाजिक विघटन का एक बड़ा कारण बनी। इनके मोह में फसे व्यक्ति का परिवार संगठित नहीं रह पाता था। समाज में यौन रोगों के प्रसार में ये एक महत्वपूर्ण कारण है। अनेक सरकारी प्रयासों के बावजूद भी इसपर नियंत्रण नहीं पाया जा सका।

स्वतंत्रता के पश्चात् जैसे—जैसे समय बीतता गया अनेक समस्याओं के साथ महापान की समस्या भी समाज में अपना असर दिखाने लगी। यह समस्या मुख्य रूप से आधुनिकता के भ्रमपूर्ण धारणा तथा निम्न

वर्ग के आर्थिक तनाव से अधिक जुड़ी थी। उच्च वर्ग के व्यक्ति महापान को फैशन और प्रतिष्ठा का सूचक मानते थे, जबकि श्रमिक वर्ग के व्यक्ति अनेक चिंताओं तथा निराशाओं से मुक्त होने के लिए इसे एक सहारे के रूप में देखते थे। स्थिति यह हुई कि समाज का अधिकांश युवा वर्ग इस लत की चपेट में आकर अनेक अपराधों में संलिप्त हो गया। नगरीयजीवन में बेकारी की समस्या एक ऐसी समस्या थी जो अनेक गंभीर समस्याओं को जन्म देती गई। ये समस्याएँ केवल आर्थिक जीवन को प्रभावित नहीं करती बल्कि सामाजिक जीवन भी इससे अत्याधिक प्रभावित हुआ। बेकारी की समस्या के निवारण के लिए भारत सरकार ने अनेक उपाय किए जैसे— पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ, बंधुआ मजदूरी प्रथा, फसल बीमा योजना आदि अनेक प्रयासों के बाद भी इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। भारतीय समाज विभिन्न सम्प्रदायों का बहुत लम्बे समय तक समन्वय स्थल बना रहा लेकिन भारत के विभाजन के पश्चात् मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, हिन्दू महासभा तथा इसी प्रकार की अनेक संगठनों का उदय हुआ, जिनके कारण साम्प्रदायिकता और तेजी से फैली।

सन्दर्भ सूची

१. सुरजन सर्वमित्र (२०१२), २१ वीं सदी, दलित महिलाएँ और उनके अधिकार, मानवाधिकार : नई दिशाएँ वार्षिक, अंक — ९, पृ ० २७।
२. पारख जवरीमल्ल (२०१४), स्त्री एवं दलित आंदोलन के लक्ष्य एक हैं, युद्धरत आम आदमी, अंक — ७०, जनवरी — मार्च, पृ ० २-४।
३. वलोसकर पद्मा (२००८), जाति, वर्ग और पितृसत्ता के त्रिकोण में दलित महिला दमन, हम सबला, सितम्बर — अक्टूबर, पृ ० ४-६।
४. सारस्वत स्वप्निल एवं निशांतसिंह (२००७), समाज राजनीति और महिलाएं — दशा और दिशा (श्रमिक महिलाओं का संघर्ष), राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ ० ६७।
५. पाटिल स्मिता (२००८), दलित महिलाओं

के सामाजिक दर्जे का चित्रण, हम सबला, सितम्बर — अक्टूबर, पृ ० ३०।

६. बनेडिक्स आर० (२०१६), ट्रेडिशन एण्ड माडर्निटी रिकंसीडर्ड, कम्परेटिव स्टडीज इन सासोईटी एण्ड हिस्ट्री, वा — ९, पृ ० ३२६।

७. आईजनस्टैड एस० एन० (२०१७), मॉडर्नाइजेशन : प्राटेस्ट एण्ड चेन्ज, प्रेन्टिस हॉल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, पृ ० १. ३।

८. पर्ई डब्ल्यू० एल० (एडी०) (२०१६), कम्प्युनिकेशंस एण्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, प्रिंस्टन युनिवर्सिटी प्रेस, न्यूजर्सी, पृ० ३-४।

९. कुमार शरद (२०१४), भारतीय समाज, भारत पब्लिकेशन्स, लखनऊ, पृ ० ७-८।

१०. अमर उजाला, रूपायन, २४ सितम्बर, २०१० पृ० २।

११. सिंह योगेन्द्र (२०१४), माडर्नाइजेशन ऑफ इण्डियन ट्रेडिशन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

१२. १ रूथ मनारेमा (२००८), हिंसा, समाज और विकास के परिप्रेक्ष्य में दलित महिलायें, हम सबला, सितम्बर — अक्टूबर, पृ ० १-३।



भारतीय समाज में आधुनिकीकरण का प्रभाव

Subhash Chander

Asst. Prof., Dept. of Sociology,
Govt. Raipur Rani, Panchkula

आधुनिकीकरण शब्द एक प्रक्रिया का बोध कराता है। साथ ही आधुनिकीकरण एक विस्तृत प्रक्रिया है। यूरोपीय समाज में पुनर्जागरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण पश्चिमी समाजों में तीव्र परिवर्तन स्पष्ट होने लगे इससे समाज में भिन्नता दिखायी देने लगी एक तरफ परंपरागत समाज तथा दूसरी तरफ वे समाज जिनमें परिवर्तन हो रहे थे और आधुनिक समाज के रूप में नयी पहचान प्राप्त कर रहे थे इस स्थिति ने आधुनिकीकरण को जन्म दिया। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण आदि की तरह ही आधुनिकीकरण भी एक जटिल प्रक्रिया है।

आधुनिकीकरण से मेरा तात्पर्य १७६०—१८३० में इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति तथा १७८४—१७९४ में फ्रांस की क्रांति के दौरान उत्पन्न हुए। आधुनिकीकरण उस प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है जो कि १७ वीं से १९ वीं शताब्दी तक पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में और २० वीं शताब्दी तक दक्षिणी अमेरिका एशियाई व अफ्रीकी देशों में विकसित हुई। गारे (१९७१) ने आधुनिकीकरण को एक जटिल अवधारणा माना है। इस सम्बन्ध में उनका तर्क है कि जिन समाजों को हम आधुनिक कहते हैं उनमें भी पर्याप्त अन्तर देखने को मिलता है। “आधुनिकीकरण रूपान्तरण से संबंधित है। इसके अंतर्गत उन सभी पहलुओं जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा मनोवैज्ञानिक आदि

का रूपान्तरण किया जाता है जिसे व्यक्ति अपने समाज के निर्माण में प्रयोग करता है। एलाटास (१९७२) के अनुसार “आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सम्बद्ध समाज में अधिक अच्छे व संतोषजनक जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से आधुनिक ज्ञान को पहुँचाया जाता है। पई (१९६३) ने आधुनिकीकरण को “व्यक्ति व समाज अनुसंधानात्मक व आविष्कारशील व्यक्तित्व का विकास माना है जो तकनीकी तथा मशीनों के प्रयोग में निहित होता है तथा नए प्रकार के सामाजिक संबंधों को प्रेरित करता है।

रेडफील्ड ने भारत में सांस्कृतिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को समझाने के लिए ‘परम्परा’ की अवधारणा का प्रयोग किया है। रेडफील्ड का मानना है कि प्रत्येक संस्कृति का निर्माण परम्पराओं से होता है, जिन्हें दो भागों में बाँटकर समझा जा सकता है। इन दोनों परम्पराओं में पहली श्रेणी की परम्परा को हम वृहद् परम्परा और दूसरी श्रेणी की परम्परा को लघु परम्परा कहते हैं। वास्तव में हमारे व्यवहारों के तरीकों को परम्परा कहा जाता है। समाज में प्रचलित विचार, रूढ़ियाँ, मूल्य, विश्वास, धर्म, रीति — रिवाज, आदतों आदि के संयुक्त रूप को ही मोटे तौर पर परम्परा कहा जा सकता है। जेम्स डेवर (१९७६) ने परम्परा को कानून, प्रथा, कहानी तथा किवदन्तियों के उस संग्रह को परम्परा कहा है जो मौलिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। इसी तरह जिन्सबर्ग (२०११) ने भी उन सभी विचारों, आदतों और प्रभावों के योग को परम्परा कहा है, जो व्यक्तियों के एक समुदाय से सम्बन्धित होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होता रहता है। योगेन्द्र सिंह (२०१४) ने किसी समाज की उस संचित विरासत को परम्परा कहा है, जो सामाजिक संगठन के समस्त स्तरों पर छाई रहती है, जैसे — मूल्य — व्यवस्था, सामाजिक संरचना तथा वैयक्तिक संरचना। प्राचीन काल से ही भारत में संयुक्त परिवार की परम्परा विद्यमान थी, परन्तु वर्तमान समय में परिवार के सभी सदस्यों का साथ रहना सम्भव नहीं है। नौकरी, व्यापार तथा अन्य कारणों से

पारिवारिक सदस्य अलग — अलग रहते हैं, लेकिन भारतीय परिवारों में 'एकल परिवार' होने के बाद भी परम्परागत प्रवृत्तियों दिखाई देती हैं। यथा, एकल बच्चे को उसके दादा — दादी, चाची — चाचाबुआ — फफू, मामा — मामी व उनके बच्चों से लगातार सम्पर्क में रखना, उनके जन्मदिवस, त्यौहारों पर सभी का एकत्रित होकर छुट्टियों को प्रसन्नता से मनाना। भारतीय परम्परा में पुत्र का परिवार में होना अति आवश्यक माना जाता था। पुत्र के अभाव में यज्ञ, तप, दान को भी व्यर्थ माना जाता था। साथ ही पिता का अंतिम संस्कार करने, व श्राद्धकर्म करने का अधिकार भी पुत्रों को ही प्राप्त था। परन्तु आधुनिकता के प्रभाव ने इस परम्परागत सोच को चुनौती दे दी है। अब पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं किया जाता, यद्यपि हर गाँव या समाज में समान आधुनिक दृष्टिकोण दिखाई नहीं देता। अब छोटे परिवारों में १ या २ बच्चे होते हैं। चाहे वह पुत्र हो या पुत्रियाँ। अब तो लड़कियाँ पुरातन रूढ़ियों को तोड़कर पिता का अंतिम संस्कार व श्राद्धकर्म भी कर रही मातृदेवी की पूजा सिन्धुकाल से ही भारतीय समाज में प्रचलित थी, जिसे वैदिक काल में माता, पृथ्वी, अदिति आदि नामों से जाना गया। पुराणकाल में इसे पार्वती, दुर्गा, काली, महिषमर्दिनी भवानी आदि नामों से विभूषित किया गया। वर्तमान में कई नये नामों से (संतोष माता, वैभव माता आदि) इस मातृदेवी की पूजा की जा रही है। इसी तरह व्रत, त्योहार आदि मनाने की पद्धति में बदलते समय के अनुरूप अनेक सुविधाजनक परिवर्तन हो गए हैं, लेकिन इनका प्रचलन बदस्तूर जारी है। यही नहीं शादी — विवाह अन्य कई अवसरों पर फिजूलखर्ची और शानोशौकत का प्रदर्शन करने वाले भारतीय आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र के लिए, निजी और सरकारी संस्थाओं के लिए या व्यक्तिगत रूप से भी असहाय लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हम आधुनिकता के इस दौर में भी पारम्परिक विचारों के ही पोषक हैं। वर्तमान हकीकत यही है कि हम सभी आधुनिक समय, विचारों, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित हैं। फिर भी हमने अपनी परम्पराओं

को उनके परिवर्तित स्वरूप में जीवित रखा है।

भारतीय समाज में क्रियाशील परिवर्तन एवं निरंतरता की प्रवृत्तियों के संदर्भ में यदि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पर दृष्टि डाली जाए तो निश्चित ही यह स्पष्ट होगा कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जहाँ आज भारतीय समाज परिवर्तन एवं प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है एवं इसके तहत इसने विशिष्ट उपलब्धियाँ भी प्राप्त की है किन्तु यह भी दृष्टव्य है कि आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया ने भले ही पूर्ण रूप से न सही किन्तु कुछ मात्रा में परम्परा व सामाजिक मूल्यों की परिवर्तित अवश्य किया है।

महिलाओं के सामाजिक दर्जे एवम स्थिति को जाति व्यवस्था विशिष्ट तौर पर प्रभावित करती है। वह चाहे उच्च जाति की महिलाएँ हों या निम्न जाति की महिलाएँ, जाति व्यवस्था ने उनकी स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उच्च जाति की महिलाओं को कई प्रकार की निषिद्धियों एवं वर्जनाओं के बीच रहना पड़ता है, जबकि दलित महिलाएं इस संदर्भ में ज्यादा स्वतंत्र हैं। चूँकि जाति व्यवस्था में दलित महिलाएँ सम्माननीय नहीं समझी गयीं, इसलिए उन्हें लैंगिक वर्जनाओं एवं निषिद्धियों से मुक्त रखा गया। इन प्रतिबंधों एवं वर्जनाओं के कारण उच्च जाति की महिलाएं पुरुषों की अधीनता में जीने लगीं और उनके व्यक्तित्व का विकास रुक गया। उन्हें निजी वस्तु अथवा घर की वस्तु समझ लिया गया। दूसरी तरफ, दलित महिलाएं अपने परिवार के लिए धन कमाने हेतु घर से बाहर निकलकर कार्य करती हैं और उच्च जाति की महिलाओं से अधिक स्वतंत्रता का अनुभव करती हैं। वस्तुतः दो कारणों से जाति व्यवस्था महिलाओं की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है। प्रथम, पुराने सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए एवं जातिगत वचसर्वता को कायम रखने के लिए। महिलाओं पर जब सामाजिक — सांस्कृतिक प्रतिबंध एवं सीमाएं लगायी जाती हैं तो उनसे महिलाओं की अधीनता वाली स्थिति को बनाए रखने में सहायता मिलती है। दूसरे, यह सच है कि दलित महिलाओं को आजीविका तलाशने

की एवं कार्य करने की छूट है तथापि इसे महिला सशक्तीकरण का तत्व नहीं समझा जा सकता, क्योंकि दलित महिलाएं इस तरह के कार्य विवशता एवं मजबूरी वश अपने परिवार एवं बच्चों के पालन — पोषण के लिए करती हैं। उनकी जातिगत स्थिति के कारण उनके व्यक्तित्व के विकास के अवसर कम होते हैं और सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सशक्तीकरण की दृष्टि से जाति व्यवस्था उन्हें किसी प्रकार का अवसर नहीं उपलब्ध कराती। इस प्रकार देखें तो जाति — व्यवस्था ने न सिर्फ ऊँची जातियों के वर्चस्व को बनाए रखा है बल्कि महिलाओं की अधीनता एवं निर्भरता की स्थिति को भी बनाए रखने में अहम् भूमिका अदा की है। दलित महिलाएं समान अधिकारों एवं स्वतंत्रता का उपभोग करती हैं क्योंकि सामान्यतः दलित परिवारों में पुरुष एवं महिलाओं में कार्य विभाजन नहीं होता, किन्तु जाति — संरचना के उच्च सोपान पर प्रतिष्ठापित समाजों में महिला एवम पुरुष के कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है, और यह विभाजन जातिगत संरचना के स्तरीकरण में ऊपर ओर की बढ़ता जाता है, यद्यपि एक सीमा तक परिवार की आर्थिक प्रस्थिति इसे प्रभावित अवश्य करती है।

समाज में किसी भी वर्ग की महिलाओं की वास्तविक स्थिति, उनके अधिकार और उनकी समस्याओं का अध्ययन उनकी पारिवारिक संरचना में ही संभव है। परिवार में महिलाओं की माँ, पत्नी, बहू, बहन के रूप में पृथक — पृथक भूमिका होती है। इस स्थिति में सामान्य नारी अधिकार, परिवार के व्यवस्थापरक ढाँचे पर निर्भर करते हैं। यह तो निर्विवाद तथ्य है कि लैंगिक असमानता के व्यावहारिक कारणों से महिलाओं को अपने घर परिवार व समाज में विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। ४६ किसी भी समाज और राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब उस समाज में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त हों। इन अधिकारों व अवसरों की कानूनी व सैद्धान्तिक मान्यता के साथ — साथ समाज में व्यावहारिक स्वीकार्यता भी अनिवार्य है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का

आकलन करते हुए हम देखते हैं कि कानूनी व सैद्धान्तिक संदर्भों में महिलाओं के अधिकारों व अवसरों में कोई कमी नहीं है, परन्तु व्यावहारिक स्वीकार्यता के संदर्भ में अभी अभीष्ट लक्ष्य तक हम नहीं पहुँच सके हैं। जब हम महिला समानता एवं सशक्तीकरण की बात करते हैं तो महिला की स्थिति का आकलन लैंगिक विकास से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण सूचकों के आधार पर किया जा सकता है। जैसे कार्यात्मक सहभागिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन अवधि, सुरक्षा, सार्वजनिक/निजी जीवन में निर्णय — प्रक्रिया में सहभागिता आदि।

दलित महिलाओं के पास सामाजिक और सांस्कृतिक सत्ता नहीं होती इसलिए समाज का सबल सत्ताधारी वर्ग उन्हें कमतर और अपमान के योग्य ही समझता है। दलित महिलाओं की सामाजिक स्थिति और उनके दर्जे का मानक उनकी जाति और वर्ग तथा उनका जेडर यानी उनका औरत होना ही निर्धारित करता है। ऊँची जातियों द्वारा अपने सामाजिक ढाँचे की चौकसी दलित महिलाओं पर प्रतीकात्मक व शारीरिक हिंसा करके की जाती है। राज्य का दमनकारी और वैचारिक ढाँचा भी इस जाति — वर्ग— वर्ण पदानुक्रम को बरकरार रखने में ऊँची जाति को पूरा सहयोग प्रदान करता है। अधिकतर मामलों देखा गया है कि हिंसा करने वालों के साथ राजनैतिक सत्ताधारियों की ताकत होती है। ४९ परिवार में भेदभाव के कुछ प्रश्न बिलकुल स्पष्ट है। आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन और स्वास्थ्य देख रेख में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को मिलने वाला कम भाग, संसाधन संग्रह में सहभागिता होने पर भी उनके पुनर्वितरण में असमानता, बच्चों के लिये पौष्टिक आहार का दायित्व और मुख्यतः गरीब और दलित परिवारों की आर्थिक दशाओं में पिता की अपेक्षा माता की आय पर बच्चों की निर्भरता आदि ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनका परिवार के अंदर ही मूल्यांकन किया जा सकता है। ५० आज भी दलित परिवारों में लड़कियों को स्कूल भेजने पर विरोध किया जाता है क्योंकि उनके मन और मस्तिष्क में यह सोच बैठी हुई है कि लड़की असुरक्षित है। परिवार की जिम्मेदारी महिलाओं पर

समय से पहले थोप दी जाती हैं। माता—पिता लड़कियोंको बोझ मानते हुए जल्द से जल्द उनका विवाह करने की कोशिश करते हैं जिसके फलस्वरूप वह सामाजिक ताने—बाने में बंधने को मजबूर हो जाती हैं और वो शिक्षित नहीं हो पाती है। इसके अलावा दलित लड़कियों को माता—पिता अपने आर्थिक तंगी को देखते हुए काम करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे उन लड़कियों की शिक्षा अवरूद्ध हो जाती है।

स्त्री की स्वतंत्रता का प्रश्न सभी उत्पीड़ितों की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। स्त्री जहाँ भी जिस वर्ग का हिस्सा है, वहाँ वह पुरुषों द्वारा भेदभाव और उत्पीड़न की शिकार होती है। यही नहीं, यदि वह मौजूदा राजसत्ता का हिस्सा बन भी जाती है तो भी वह उस पुरुष वर्चस्ववादी मानसिकता को चुनौती देने की स्थिति में नहीं होती। इसके विपरीत संभावना इस बात की ज्यादा होती है कि वह स्वयं इस मानसिकता की शिकार हो जाए। इसलिए सवर्ण स्त्रियाँ हों या दलित स्त्रियाँ, सत्ता या सफलता के शिखर तक उनके पहुँचने को उन वर्गों की स्त्रियों की उपलब्धि समझना समाज की पूरी सच्चाई को जानबूझकर नकारना है। देखना यह होगा कि वे अपने वर्गों के पुरुषों की तुलना में कहाँ खड़ी हैं ? यही वह बिंदु है जहाँ दलित और स्त्री आंदोलन के हित एक — दूसरे से जुड़ते हैं। ५३ अधिकांश दलित महिलाएँ काम की तलाश में निकलती हैं और सब्जी बेचना, झाड़ू — पोछें लगाना, इस्त्री करना, दाई आदि का कार्य करती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा असुरक्षित भी वही हैं, लेकिन यही परिस्थितियाँ उन्हें अन्य महिलाओं के मुकाबले निडर और जुझारू बनाती हैं और विपरीत परिस्थितियों में रहना सिखाती हैं। ५४ स्त्री पुरुष में समानता के मूलभूत अधिकार की दुहाई देने के बाद भी कामकाजी महिलाओं के प्रति, काम पर रखने से लगाकर, वेतन, अवकाश काम के घटे और अन्य सुविधाओं के मामलों में वर्तमान समय में भी भेदभाव विद्यमान है। अन्य प्रकार से उनके यौन शोषण आदि की बात अलग ही है। असंगठित क्षेत्र की श्रमिक महिलाओं के साथ इस प्रकार का अन्याय

और अधिक ही पाया जाता है।

सन्दर्भ सूची

१. बनेडिक्स आर० (२०१६), ट्रेडिशन एण्ड माडर्निटी रिकंसीडर्ड, कम्परेटिव स्टडीज इन सासोईटी एण्ड हिस्ट्री, वा —९, पृ० ३२६
२. आईजनस्टैड एस० एन० (२०१७), मॉडर्नाईजेशन : प्राटेस्ट एण्ड चेन्ज, प्रेन्टिस हॉल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, पृ० १.३
३. पई डब्ल्यू० एल० (एडी०) (२०१६), कम्प्युनिकेशंस एण्ड पॉलिटिकनकल डेवलपमेंट, प्रिन्स्टन युनिवर्सिटी प्रेस, न्यूजर्सी, पृ० ३—४.
४. कुमार शरद (२०१४), भारतीय समाज, भारत पब्लिकेशन्स, लखनऊ, पृ० ७—८.
५. अमर उजाला, रूपायन, २४ सितम्बर, २०१० पृ० २.
६. सिंह योगेन्द्र (२०१४), माडर्नाईजेशन ऑफ इण्डियन ट्रेडिशन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर.
७. रूथ मनारेमा (२००८), हिंसा, समाज और विकास के परिप्रेक्ष्य में दलित महिलायें, हम सबला, सितम्बर — अक्टूबर, पृ० १—३.
८. सुरजन सर्वमित्र (२०१२), २१ वीं सदी, दलित महिलाएँ और उनके अधिकार, मानवाधिकार : नई दिशाएँ वार्षिक, अंक — ९, पृ० २७.
९. पारख जवरीमल्ल (२०१४), स्त्री एवं दलित आंदोलन के लक्ष्य एक हैं, युद्धरत आम आदमी, अंक — ७०, जनवरी — मार्च, पृ० २—४.
१०. वलोसकर पद्मा (२००८), जाति, वर्ग और पितृसत्ता के त्रिकोण में दलित महिला दमन, हम सबला, सितम्बर — अक्टूबर, पृ० ४—६.
११. सारस्वत स्वप्निल एवं निशांतसिंह (२००७), समाज राजनीति और महिलाएँ — दशा और दिशा (श्रमिक महिलाओं का संघर्ष), राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ० ६७.
१२. पाटिल स्मिता (२००८), दलित महिलाओं के सामाजिक दर्जे का चित्रण, हम सबला, सितम्बर — अक्टूबर, पृ० ३०.

हिन्दी में समाजवाद की प्रेरक परिस्थितियाँ

डॉ. सरिता तिवारी
हिन्दी विभाग प्रमुख,
जनता महाविद्यालय चंद्रपुर

सारांश

साहित्य के अंतर्गत कोई भी प्रवृत्तियाँ अत्यंत सूक्ष्म रूप में दीर्घकाल तक चलती रहती है और धीरे धीरे विकसित होकर स्पष्ट परिलक्षित होती है। उनकी पृष्ठभूमि में तत्कालीन परिस्थितियों का योगदान समाविष्ट होता है।

हमारे देश के सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में समाजवाद से सम्बन्धित विचारणा एवं चिंतन को गति मिलती रही है। इस छबि से तत्कालीन राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक सामाजिक—सांस्कृतिक परिस्थितियों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है ताकि हमारे समक्ष यह स्पष्ट हो सके कि राष्ट्रीय जीवन में इस विचार के लिए कौनसी परिस्थितियाँ कार्य कर रही थी।

सामाजिक परिस्थिति :

प्रथम विश्वयुद्धोपरांत के पश्चात् हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक विशेष प्रकार का असंतोष एवं विक्षोभ दृष्टिगत होती है। कम्पनी शासन की समाप्ति से प्रथम महायुद्ध के काल तक भारतीय समाज जिन विचार दृष्टियों से आन्दोलित रहा, वे प्रायः पिछली सदी के सांस्कृतिक आन्दोलनों (ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, थियासाफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन आदि) से उत्पन्न हुई थी। इनकी मूल प्रेरणा समाज सुधार की थी। पूर्ण स्वाधीनता के संकल्प का उद्घोष वस्तुतः १९२९ में लाहौर कांग्रेस में ही किया गया था। इसके पूर्व समाज सुधार की भावना ही प्रधान थी।

वर्धा में गांधीजी द्वारा हरिजनोद्धार का महत्वपूर्ण कार्य पिछली शताब्दी से चली आ रही समाज सुधार की भावना का प्रतिरूप है। छुआछूत, स्त्री शिक्षा, बालविवाह, विदेशयात्रा, जीवन के संघर्षपूर्ण पक्षों की अभिव्यक्ति इस युग के साहित्य में भी देखने को मिलती पड़ती है। प्रेमचंद जैसे रचनाकारों की 'सेवासदन' सदृश कृतियाँ इन प्रभावों का ही परिणाम है। मध्ययुग के रूढ़िजाल से दबे हुए समाज में इस समय एक प्रकार की हलचल पैदा हो गई थी।

समाज में इस समय से पुनर्रचना का क्रम जारी था। औद्योगिक सभ्यता के कारण से नये शहर बसते हैं, नवीन वर्गों और समुदायों का उदय होता है। वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित सामंती समाज टूटने लगता है। उसका स्थान नवीन वर्ग ग्रहण करता है जिनका आधार आर्थिक है।

राजनीतिक परिस्थिति :

यह युग नई विचार धाराओं के ओत—प्रोत था। लगभग सभी विचार धाराएं राष्ट्रीय भावना से युक्त थी। मेरठ कांग्रेस की घटना क्रांतिकारी इतिहास में सबसे है जिसका नेतृत्व एम्. एन्. राय ने किया था। सन् १९२८ में नेहरूजी रूस गये और वहां से समाजवादी विचार धारा से प्रभावित होकर लौटे। सन् १९३४ में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई।

सन् १९३६ में पं. नेहरू ने लखनऊ में कांग्रेस के अध्यक्षीय पद से उसकी नीति और योजना में नई प्रवृत्ति को स्पष्ट किया। कांग्रेस ने अब किसानों का पक्ष ग्रहण किया और उसकी नीति स्पष्ट रूप से समाजवाद की ओर उन्मुख हुई। सन् १९३९ में अंग्रेज सरकार ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। इस लिये सब मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिये। सन् १९४२ में "भारत छोड़ो" आंदोलन का सूत्र पात हुआ। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने पर सन् १९४६ में लिंग का मिला जुला मंत्रिमंडल बनाया गया तथा सन् १९४७ में विभक्त भारत स्वतंत्र हुआ। सन् १९५० में हमारा संविधान बना और सन् १९५६ में भाषावार प्रांतों की रचना हुई। इसके बाद काश्मीर, गोवा, भारत—चीन सीमा विवाद, पाकिस्तानी आक्रमण आतंकवाद जैसी समस्याएं जटिल रूप

धारण करती है।

राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से वह मध्याह्न काल माना जा सकता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति ही इसका फल है। प्रथम कांग्रेस का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित था किंतु सन् १९३१ में आर्थिक स्वाधीनता की ओर उसका ध्यान गया। डॉ. पट्टाभिसीतारामैया ने करांची कांग्रेस के प्रस्ताव का उल्लेख इस प्रकार किया है—

साधारण जनता की तबाही का अंत करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि राजनैतिक स्वतंत्रता में लाखों भूखे मरने वालों की वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता भी निहित हो १

इसका प्रमुख कारण सन् १९१७ में हुई रूसी क्रांति है। रूस ने अपनी समाजवादी व्यवस्था के आधार पर कम समय में जो उन्नति की उससे सारे संसार का ध्यान उसकी ओर गया। नवयुवकों ने इस समाजवादी विचारधारा से प्रेरणा ग्रहण की। सन् १९३१ में कांग्रेस के करांची में हुए अधिवेशन से इसकी सूचना मिलती है। अब कांग्रेस की नीति में परिवर्तन हो गया है। वह कुछ-कुछ समाजवाद की ओर अग्रसर हुई।

गांधीजी ने १० फरवरी १९४३ से २१ दिन का अनशन किया। जब अक्टूबर १९४३ को लार्ड वावेल, लार्ड लिनलिथगो की जगह नियुक्त होते हैं। ६ मई सन् १९४४ को गांधीजी को बिना किसी शर्त के छोड़ दिया जाता है। इसी भांति शिमला की कान्फ्रेंस का भी कोई नतीजा नहीं निकलता।

श्री सुभाषचंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने जन जागृति में महत्वपूर्ण योग दिया है। जब आजाद हिंद फौज के तीन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था तो उससे देश में बड़ी हलचल मची। 'जय हिन्द' की ध्वनि सारे भारत में गुंज उठती है। जनता के विद्रोह के फल स्वरूप तीनों नेताओं को छोड़ दिया जाता है।

इसी बीच २७ मई १९६४ को हमारे देश के प्रधान मंत्री पंडित नेहरू की अकस्मात् मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु से पुनः देश शोक में डूब जाता है— भारत ही नहीं सारा विश्व दुःख प्रकट करता है। उनकी मृत्यु निश्चय ही एक महान राष्ट्रीय क्षति है इससे

स्वतंत्र भारत के इतिहास का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। जननायक शास्त्रीजी के प्रधान मंत्री बनते ही पाकिस्तान का नृशंस आक्रमण होता है। भारत में पुनः राष्ट्रीय चेतना की लहर उमड़ती है। वह आक्रमण का प्रतिकार करता है और सफल होता है। इसमें जनरल चौधरी को विशेष श्रेय मिलता है। अनेक भारतीय जवान अपना शौर्य दिखा कर वीर गति को प्राप्त होते हैं। पत्र-पत्रिकाओं में उनके वीरोचित कार्य का यशोगान होता है। इसी बीच ताशकंद वार्ता के समय शास्त्रीजी की मृत्यु से भारतीय जन मानस को दूसरा धक्का लगता है। इससे स्वतंत्र भारत के इतिहास का दूसरा चरण समाप्त हो जाता है। तदनंतर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री बनती है। देश की बाह्य और आंतरिक समस्याओं को सुलझाने में सरकार अब सक्रिय हो उठती है। फलतः पाक का दूसरा आक्रमण नाकामयाब होता है। बंगला देश के उदय और विकास में हमारा देश सक्रिय सहयोग प्रदान करता है। आंतरिक सुव्यवस्था हेतु २६ जून १९७५ को आपात स्थिति की घोषणा की जाती, जिसे विनोबाजी अनुशासन पर्व की संज्ञा देते हैं। समाजवाद के लक्ष्य बिंदु तक पहुँचने हेतु संविधान में अनेक संशोधन किये जाते हैं।

संशोधनों का जनता द्वारा सहर्ष स्वागत किया जाता है। समाजवादी लोकतंत्र की दिशा में यह एक ठोस कदम है। निम्न वर्गों का हित ही इसके मूल में निहित है। देश में २० सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से शान्ति और सुव्यवस्था निर्मित होती है। इसी बीच विभिन्न दलों के बंदी नेताओं की रिहाई के साथ साथ मार्च, १९७७ में लोक सभा के चुनाव की घोषणा की जाती है। इस प्रकार राजनीतिक परिस्थितियाँ समाजवाद की प्रेरक दिशा सिद्ध होती है।

आर्थिक परिस्थिति :

भारतेतु युग से ही भारत में मशीनों का आना प्रारंभ हो गया था। वस्तुतः यंत्र सभ्यता का ही युग है। द्विवेदी युग तक यंत्र सभ्यता का विकास होना प्रारंभ हो गया था। जहाँ यंत्र गये, वहाँ वहाँ कारखाने शुरू हुए। इन कारखानों में आसपास के लोग जाकर काम करने लगे, जो भिन्न भिन्न जाति और वर्ण के थे। जिन स्थानों पर कारखाने खुले, वहाँ शहर बन गये— जैसे

बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ, मद्रास, नागपुर आदि। इसके पूर्व का भारत ग्राम्य देश था। इस औद्योगिक सभ्यता के साथ पश्चिम के अनुकरण से नई सभ्यता आई। इसके परिणाम स्वरूप कई नई चीजें आई—जैसे डाकतार, अदालतें, जेल, पुलिस केंद्र आदि। इनकी स्थापना प्रायः नगरों में हुई। इस कारण शहर में एक नये वर्ग की स्थापना हुई—यह वर्ग था मध्य वर्ग, जो अंग्रेजी शिक्षा—दीक्षा से परिपूर्ण था। इस वर्ग के लोग छोटी बड़ी सरकारी नौकरी में थे।

फिर एक वर्ग और बना जिसका कारखानों पर अधिकार अथवा नियंत्रण था। यह पूंजीपति वर्ग कहलाया। एक तीसरा वर्ग और बना। जो लोग कल—कारखानों में मजदूरी करते थे, उन्हें निम्नवर्ग या मजदूर वर्ग कहा जाने लगा। इसके अलावा ग्रामों में जमींदार और किसान बहुत पहले से ही चले आ रहे थे। हमारी सभ्यता के केन्द्र ग्राम ही रहे हैं। ग्राम्य जीवन में यही दो वर्ग थे और नागरिक जीवन में उक्त तीन वर्ग थे। इन सबसे मिलाकर हमारा समाज बना। इसी के साथ फिर एक सामंती या पूंजीपति अर्थव्यवस्था बनी।

द्विवेदी युग के अंत तक हमारे यहाँ वस्त्र के ही कारखाने विकसित हुए थे। उस समय अहमदाबाद और बम्बई में बहुत कपड़ा बनता था। उद्योगपति चाहते थे कि उन्हें ज्यादा कपड़ा बुनने की स्वाधीनता मिले परन्तु अंग्रेज सरकार अनेक रोड़े उपस्थित करती थीं। अंग्रेज यह नहीं चाहते थे कि भारत में अधिक कपड़ा बुना जाय क्योंकि इससे उनके उद्योग को धक्का पहुँचने की संभावना थी। इसलिए सरकार ने भारत के पूंजीपति या उद्योगपतियों को दबाव में रखा कि वे नई मिलें न खोलें। लिहाजा संघर्ष शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन की 'विदेशी कपड़े जलाओ—खादी पहनों' की जो लहर आई उसमें भी यही चेतना थी। इसके फलस्वरूप विदेशी कपड़ों की होलियाँ जालाई जाने लगी।

अपनी मांगे पूरी होने से पूंजीवाद विकसित होता गया। उसे अंग्रेज सरकार और इंग्लैंड की सामंज्यवादिता से संघर्ष करना पड़ा। इस प्रकार पूंजीवाद इस दुहरे संघर्ष में आगे बढ़ता जाता है। वहीं राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करता है और गांधीजी को वर्धा में

बिठला देता है।

सन् १९४३ में बंगाल के अकाल से ४०—५० लाख मनुष्यों की मृत्यु हुई। इस घटना ने तमाम बंगाली कवियों एवं लेखकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर दिया।

सन् १९४७ तक उक्त संघर्ष चलता रहा पर इसके बाद वह तीव्रतर होता गया। आज के राष्ट्रीय जीवन में भी यह संघर्ष चल रहा है और वह है—“प्राइवेट सेक्टर” एवं पब्लिक सेक्टर के संबंध में। इन दो विचारधाराओं के दो प्रमुख नेता सामने आये— पं. नेहरू पब्लिक सेक्टर के पक्षधर थे और प्रइवेट सेक्टर के विरोधी दुसरी ओर राजगोपालाचार्य पब्लिक सेक्टर के विरोधी और प्राइवेट के पक्षपाती थे। एक समाजवादी मार्ग है और दूसरा पूंजीवादी।

१९६६ में अवमूल्यन के कारण मँहगाई अपना विकसाल रूप धारण कर लेती है। फलतः निम्न और मध्यवर्ग को अनेक कठिनाईओं का सामना करना पड़ता है। इसके विरोध में जनसंघ अपना प्रचंड मोर्चा खड़ा करता है। तत्पश्चात् सरकार कालाधन और तस्करों के खिलाप भिसा के द्वारा कड़ा कदम उठाती है। इसी बीच १ जुलाई १९७६ से तत्कालीन प्रधानमंत्री २० सूत्री आर्थिक कार्यक्रम लागू करती है, जो देश की प्रगति में एक क्रतिकारी कदम था। इसके साथ ही जनता श्री. संजय गांधी के पंच सूत्री कार्यक्रम का भी स्वागत करती है। अब देश समाजवाद की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करता है पर फिर उसकी गति धीमी पड़ जाती है।

सांस्कृतिक परिस्थिति :

यह युग सांस्कृतिक चेतना की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सन् १९२५ से लेकर आज तक सांस्कृतिक दृष्टि से जो प्रगति हुई, वह है शिक्षा सम्बंधी। यह दोनों ही प्रकार से हुई— शासन के द्वारा अनेक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खोले गये। दूसरे, जनता ने भी अपने उद्योग से कई शिक्षण संस्थाओं को जन्म दिया। आज विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ रही है। इनमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के संबंध में भी शोध कार्य हुआ है।

इस क्षेत्र में चित्रकला, संगीत कला और वस्तु

कला की भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। चित्रकला में तो काव्य प्रवृत्तियों के अनुरूप ही उत्तरोत्तर उत्थान दिखाई देता है।

प्रस्तुत काल खंड में अनेक सांस्कृतिक संस्थाएँ अस्तित्व में आईं जिनमें कुछ संस्थाएँ सांस्कृतिक और साहित्यिक दोनों दृष्टियों से महत्व रखती हैं। प्रगतिशील लेखक संघ इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। इसके अंतर्गत अनेक कमेटियाँ बनाई गईं, जिनमें जन नाट्यशाला, सांस्कृतिक सम्मिलन कमेटी, साहित्य रचना कमेटी, जन गायन कमेटी और दिवस समारोह कमेटी आदि प्रमुख हैं। इससे लोक संस्कृति का पुनरुद्धार हुआ। इसी के साथ सरकार की ओर से भी इस दिशा में अनेक प्रयत्न हुए— विशेषकर स्वाधीनता के बाद अनेक संस्थाएँ खोल गईं जिनमें साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत एवं नाटक अकादमी आदि उल्लेख्य हैं। विदेशों से कई सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल यहाँ आये और यहाँ से विदेश गये।

तृतीय महायुद्ध की आशंका से सर्वत्र शान्ति स्थापना के उद्देश्य से आंदोलन होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ भी 'ऑल इंडिया पीर कौन्सिल' का जन्म होता है। सांस्कृतिक दृष्टि से आर्य समाज ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में भी यथेष्ट प्रगति हुई।

इस युग में प्रमुख रूप से दो विचार धाराएँ सामने आईं— गांधीवादी तथा मार्क्सवादी या समाजवादी। इनके व्यापक प्रभाव के फलस्वरूप आगे समाजवाद का उदय हुआ। डॉ. शिवकुमार मिश्र ने ठीक ही है— “सांस्कृतिक दृष्टि से यह युग दो महत्वपूर्ण विचार धाराओं के संघर्ष का युग है। जिसने देश के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्य सभी क्षेत्रों पर जबर्दस्त प्रभाव डाला है। एक ओर अपने राज्य के आदर्श, सर्वोदय समाज की स्थापना व हृदय परिवर्तन के सिद्धान्त को लिए हुए गांधीवाद देशके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मंच पर आसीन था, दूसरी ओर ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टि से प्रेरित, वर्ग संघर्ष मार्क्सवादी आदर्शों, समाजवादी साम्यवादी समाज की स्थापना तथा जीवन के विविध क्षेत्रों में व्यापक क्रांति की मांग लिये समाजवाद का उदय हुआ।”

इधर कुछ लोग गांधीवादी और समाजवाद के समन्वय पर बल देने लगे परन्तु सरकार समाजवाद की स्थापना को अपना लक्ष्य बना लेती है। राजनीतिक दल भी समाजवादी मूल्यों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। देश समाजवाद की ओर तेजी जरूर आगे बढ़ता है पर बाद में यह आन्दोलन मंद पड़ जाता है।

दार्शनिक परिस्थिति :

विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रसार से कुछ हद तक हिन्दी साहित्य में समाजवादी विचारों का समावेश हुआ। विश्वविद्यालयों में शिक्षित नवयुवक नई विचारधाराओं का परिचय प्राप्त कर उनकी ओर आकृष्ट हुए। मार्क्सफ्रायड, एडलर और युंग की विचारधाराओं से प्रभावित होकर उसे साहित्य में लागू किया गया।

नवीन साहित्यकारों की रचनों में मार्क्सवाद, स्वप्न सिद्धान्त, प्रतीकवाद, अस्तित्ववाद आदि का प्रभाव दिखाई देता है। साथही टी. एस्. इलियट का प्रभाव भी पड़ा। इस प्रकार पश्चिम के नये-नये दर्शन इस युग को प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे विचारकों का प्रभाव पड़ा है जो दार्शनिक तो नहीं पर जिनकी उपलब्धि महत्वपूर्ण है। जैसे डार्विन, फ्रायड और उसके अनुयायी। पश्चिम के विचारकों से जो विचार आये उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग को अधिक प्रभावित किया। इनमें प्रमुख हैं— मार्क्स, हरबर्ट, स्पेंसर, मिल, नीत्शे, रसेल, लास्की और सात्र का दर्शन।

मार्क्स का दर्शन समाजवादी है। उसने समाज को दो भागों में बांटा है— शोषक और शोषित। स्पेंसर, राज्य का कार्य प्राइवेट सेक्टर के द्वारा करने की सलाह देता है। नीत्शे ने अतिमानव के सिद्धान्त को स्थापित किया है। रसेल और लास्की दोनों ही बहुसत्तावादी हैं। उनके अनुसार सारे काम न तो राज्य को करना चाहिए न व्यक्ति को बल्कि समाज संगठन को करना चाहिये। इनको फेबियन्स भी कहा जाता है। सात्र का दर्शन अस्तित्ववादी दर्शन कहलाता है किंतु यह अनिश्चरवादी दर्शन है। जो मनुष्य को वस्तु रूप में ग्रहण करता है। भारतीय विचारकों में गांधी, अरविंद और एम्. एन्. राय प्रमुख हैं जिनका इस युग पर गहरा प्रभाव पड़ा।

साहित्यिक परिस्थिति :

यह युग साहित्य की दृष्टि से उत्तर छायावादी

युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद या नई कविता, अकविता का युग है। इसके साथ दूसरी धारा भी थी जिसमें बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्राकुमारी चौहान, मानखलाल चतुर्वेदी का कृतित्व सामने आता है। 'दिनकारजी' ने भी उस समय लिखना आरंभ किया था। सोहनलाल द्विवेदी, सियारामशरण गुप्त भी इसी युग में कविताएँ लिख रहे थे।

अतएव सन् १९२० के बाद हिन्दी कविता में दो धाराएँ दिखाई देती हैं—

(१) **अन्तर्मुखी** : जो कल्पना का मनोमय भावजाल उपस्थित कर रही थी। इसे छायावाद कहते हैं।

(२) **बहिर्मुखी** : जिसे राष्ट्रीय कविता की धारा कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राकुमारी चौहान और बालकृष्ण शर्मा, 'नवीन' इस धारा का उसी प्रकार नेतृत्व कर रहे थे, जिस प्रकार छायावाद का प्रसाद, पंत और निराला।

सन् १९३१—३२ तक छायावादी कविता की धारा कमजोर पड़ जाती है क्योंकि उसका शीर्षफल १९३२ तक आ चुका था।

इसके पश्चात् इन दो धाराओं— छायावादी और राष्ट्रीय कविता की धारा में संघात शुरू होता है, जिससे निम्न लिखित तीन धाराएँ विकसित होती हैं—

पहली धारा छायावादी कविता की ही है जो बाद में महादेवी और डॉ. राम कुमार के रहस्यवाद में परिणत होती है। आगे सन १९४२—४३ तक आते आते वह निष्प्राण हो जाती है।

दूसरी रोमांसवादी या भोगवादी धारा है जिसमें पार्थिव या लौकिक जीवन को प्रधानता दी गई। इसका नेतृत्व 'बच्चन', 'अंचल' और भगवतीचरण वर्मा ने किया। इस धारा में कायिक और ऐन्द्रिय सुख की प्रमुखता दिखाई देती है। इसके जीवनका लक्ष्य भोगवादी है। नरेन्द्र शर्मा भी इसमें कुछ समय तक रहे।

तीसरी धारा सन् १९३६ के आसपास आई जिसे प्रगतिवादी धारा कहते हैं। इसका नेतृत्व प्रारंभ में पंत, निराला, नवीनजी एवं दिनकर ने किया। इस धारा का दूसरा उत्थान १९४२ से हुआ जिसमें अंचल, नरेन्द्र शर्मा, सुमन, गिरिजाकुमार, भारत भूषण, रांगेय राघव, समशेर बहादुर, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ

अग्रवाल आदि प्रमुख कवि हैं। गद्य के क्षेत्र में प्रेमचन्द, यशपाल, राहुलजी, रांगेय राघव आदि इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे।^३

बंगाल के अकाल का साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। इस करुण घटना पर कई कविताएँ, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक आदि लिखे गये। अकाल पर जो कविताएँ प्रकाश में आईं उनमें प्रमुख रूप से निराला, महादेवी, बच्चन, रांगेय राघव, डॉ. शिवमंगलसिंह 'सुमन' और डॉ. रामविलास शर्मा आदि की रचनाएँ प्रमुख हैं। यहाँ तक कि पत्र पत्रिकाओं के अकाल सम्बन्धी विशेषांक भी निकाले गये। इनमें 'हंस' का 'बंगाल का अकाल विशेषांक' महत्वपूर्ण है। महादेवी ने भी इस ओर ध्यान दिया। उन्होंने 'बंगदर्शन' नाम का 'कविता संग्रह' प्रकाशित कराया— जिसका सम्पादन स्वयं उन्होंने ने ही किया।

आजाद हिंद फौज के तीन नेताओं की गिरफ्तारी से जो असंतोष छाया था और उनको रिहा करने पर जो प्रसन्नता छाई उसका प्रभाव भी कवियों पर पड़ा। उन्होंने अपनी कविताओं में श्री सुभाषचन्द्र बोस तथा आजाद हिंद फौज के अन्य तीन नेताओं की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। १८ फरवरी १९४६ को नौसैनिकों के विद्रोह से जो नई चेतना आई, उसका सुंदर वर्णन डॉ. शिवमंगलसिंह 'सुमन' ने अपनी कविता 'आज देश की मिट्टी बोल उठी है' में किया है।

१५ अगस्त १९४७ को स्वतंत्रता प्राप्ति से जनता में जो प्रतिक्रिया हुई उसका वर्णन भी कवियों ने किया है। कुछ लेखकों और कवियों ने स्वतंत्रता का स्वागत किया और कुछेक ने उसे सच्ची स्वाधीनता न मानकर उपहास किया। शरणार्थियों की समस्या से भी हिंदी और उर्दू के अनेक कवि प्रभावित हुए। उनके आवागमन एवं मारकाट से प्रेरणा ग्रहणकर अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं। १५ अगस्त १९४७ के पूर्व पंजाब में भी दंगे हुए थे। उसका भी प्रभाव साहित्य पर पड़ा। श्री यशपाल का 'झूठा सच' इसी भूमिका पर आधारित है। ३० जनवरी १९४८ को गांधीजी की हत्या की बड़ी दुःखद प्रतिक्रिया हुई। कवियों ने इसका मार्मिक चित्रण किया है। गांधीजी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने उनके महत्व पर प्रकाश डाला।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की असफलता से जनता पर जो प्रभाव पड़ा उसे नागार्जुन तथा अन्य लेखकों ने व्यंग द्वारा अपनी रचनाओं में व्यक्त किया।

आर्थिक दृष्टि से मध्य तथा निम्न वर्ग के सामने बड़ी समस्या रही। किसानों और मजदूरों की इस स्थिति का चित्रण प्रगतिवादी रचनाओं में देखने को मिलता है। स्वाधीनता के बाद मजदूर और किसान वर्ग की स्थिति को सुधारने के अनेक प्रयत्न किये गए किंतु विशेष सुधार नहीं हुआ। वे अपनी मांग करते रहे। इसका सुंदर वर्णन प्रगतिवादी कवियों और लेखकों ने किया है। इस प्रकार प्रगतिवादी साहित्य में मजदूरों की समस्याओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। किसानों के साथ साथ मजदूरों को भी उन्होंने प्रमुख स्थान दिया है।

द्वितीय महायुद्ध के बाद मंहगाई और बेकारी के कारण मध्यवर्ग की मानसिक स्थिति में परिवर्तन के साथ साथ निराशा दिखाई देती है। उनकी प्रवृत्ति अन्तर्मुखी हो जाती है जो अनेक प्रकार की मानसिक कुंठाओं के शिकार हो जाते हैं। इसकी अभिव्यक्ति उस समय की कविता और उपन्यासों में देखने को मिलती है। सामाजिक वर्ग विषमता की ओर भी कवियों का ध्यान जाता है। वे वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए आवाज उठाते हैं। निराला, नागार्जुन और केदार आदि कवियों ने वर्ग विषमता पर अपनी रचनाओं में व्यंग किये। पूंजीवादी व्यवस्था का ध्वंस करने के लिये दिनकर, भगवती चरण वर्मा, अंचल, नवीनजी, नरेन्द्र शर्मा, केदार अग्रवाल, नागार्जुन, उदयशंकर, भट्ट और रागेय राघव ने अनेक कविताएँ लिखी। साम्प्रदायिक भावना के विरोध में भी उस समय अनेक कविताएँ लिखी गईं। दिनकर, बच्चन, पंत, नरेन्द्र शर्मा, सुमन, भगवतीचरण वर्मा और रागेय राघव आदि कवियों ने हिन्दू मुस्लिम एकता पर बल दिया। साथही साम्राज्यवादियों के काले कारनामों की भी निंदा की गई। जाति व्यवस्था के परिवर्तित रूप की सुंदर व्यंजना निराला, रागेय राघव, केदार अग्रवाल और नागार्जुन की कविताओं में हुई। अस्पृश्यता की भावना का विरोध गांधीवाद से प्रभावित कवियोंने किया।^{१६}

पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता एवं संस्कृति का अंधानुकरण करने वाले पुरुष एवं महिलाओं पर भी व्यंग किया गया। इस युग में नारी को विशेष महत्व

दिया गया। साहित्य में नारी समस्या का, अनेक मुखी चित्रण हुआ। उनकी हीनावस्था, उनके अधिकारों की मांग आदी की ओर भी संकेत किया गया। वह अपने मूल रूप में साहित्य में प्रतिष्ठित हुईं। किंतु कुछ कवियों ने उसके वासनात्मक पक्ष को ही सामने रखा। स्वाधीनता के बाद सांस्कृतिक क्षेत्र में सांस्कृतिक मंडलों के आदान-प्रदान से जो नई जागृति हुई, उसका प्रभाव तत्कालीन काव्य पर भी पड़ता है।

तृतीय महायुद्ध की आशंका से जब विश्व में शान्ति आंदोलन को गति मिली तो भारत में भी ऑल इंडिया पीस कौन्सिल की स्थापना हुई। उस समय के साहित्य पर इस शान्ति आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ता है। अनेक कविताएँ युद्ध के विरोध में लिखी गईं।

स्वाधीनता के बाद समाजवाद एवं गांधीवाद में वैचारिक संघर्ष चलता है। उसका गहरा प्रभाव हिन्दी साहित्य पर पड़ता है। समाजवादी विचारों के परिणाम स्वरूप ही हिन्दी साहित्य में छायावाद के प्रगतिवाद युग का आरंभ होता है। प्रगतिवादी लेखक नया शिल्प और नया विषय लेकर आये। उन्होंने साहित्य का जन जीवनसे घनिष्ठ सम्बंध स्थापित किया। समाजवादी विचारधारा का स्वर प्रधान हो गया। दूसरी ओर पंतजी ने मार्क्सवाद और गांधीवाद के समन्वय पर जो दिया। उन्होंने गांधीवाद को हृदय का प्रतिक माना और मार्क्सवाद को बुद्धि तथा भौतिकता का।

स्वतंत्रता के पश्चात् साहित्य की विभिन्न विधाओं का अनेक मुखी विकास हुआ। चीनी और पाकिस्तानी आक्रमण के समय देश में राष्ट्रीय भावना प्रबल हुई। अनेक पत्र-पत्रिकाओं में इस संबंध में कविताएँ प्रकाश में आयी। इन सारी परिस्थितियों से हिन्दी कथा साहित्य भी प्रभावित हुआ और उसका साहित्यिक प्रतिफलन विभिन्न कृतियों में देखने को मिलता है। पाकिस्तान से कारगील युद्ध हुआ। जिसमें भारत को सफलता मिली पर आतंकवाद अभी भी समाप्त नहीं हुआ।

निष्कर्ष

यह है कि (सन् १९२५ से २००७ तक की उपर्युक्त परिस्थितियों से स्पष्ट होता है कि) हमारे यहाँ

धीरे धीरे समाजवादी समाज व्यवस्था की ओर कदम उठाये जा रहे हैं। अब समाजवाद न केवल सामाजिक अथवा राजनीतिक जीवन में बल्कि साहित्य में भी नई चेतना लेकर आता है। यह बात विशेषकर उपन्यास साहित्य में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है।

37

माध्यमिक स्तर पर सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों की छात्राओं के आत्मसम्प्रत्यय तथा शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन

डा० प्रतिमा

असि० प्रो०,

पं० दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेन्ट कॉलेज मेरठ

Footnotes:

१ कांग्रेस का इतिहास (भाग १) पृ. ४६८—६९

२ यशपाल के उपन्यास साहित्य का

अनुशीलन, डॉ. म.मा. कडू, पृ २०

३ यशपाल के उपन्यास साहित्य का

अनुशीलन, डॉ. म.मा. कडू, पृ २२

४ यशपाल के उपन्यास साहित्य का

अनुशीलन, डॉ. म. मा. कडू, पृ २५



प्रस्तावना:—

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके माध्यम से मनुष्य को आन्तरिक तथा बाह्य शक्तियों के विकास, ज्ञान व कला कौशल तथा व्यवहार में परिवर्तन होता है। शिक्षा के माध्यम से किसी भी बालक को सभ्य सुसंस्कृत तथा योग्य नागरिक बनाया जा सकता है।

आज की शिक्षा बाल केन्द्रित शिक्षा है। अर्थात् बालकों को व्यक्तिगत योग्यता आवश्यकता और क्षमता रूचि के अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे उनका सर्वांगीण व स्वाभाविक विकास हो सके। बालकों में अपनी—अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करने समझने की सीमाये होती है। जिससे समायोजित करने में शिक्षा का विशेष महत्व होता है।

प्राचीन समय में भारत में शिक्षा का विशेष महत्व था। समाज का एक बड़ा वर्ग शिक्षा को इस सुविधा में लाभान्वित हो रहा था। उस समय में शिक्षा व्यवसाय के रूप में प्रचलित नहीं था। समाज में शिक्षक को सम्मानजनक सामाजिक पद प्राप्त था। उस समय शिक्षक छात्रों द्वारा पिता के समाज आदरणीय थे तथा शिक्षक भी शिक्षार्थियों से पुत्र के समान स्नेह करते थे। शिक्षक के सामान्य सिद्धांत थे— उच्च विचार, सादा जीवन, व्यक्तिगत भेदों का सम्मान, बौद्धिक स्वतन्त्रता,

सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप भारत में बौद्धकाल, मुस्लिम काल तथा ब्रिटिश काल में शिक्षा को भी अनेक परिवर्तनों का समना करना पडा।

स्वतन्त्रता पश्चात् भारत में शिक्षा के गिरते स्तर की ओर विशेष ध्यान दिया। कोठारी आयोग समेत अनेक आयोगों तथा नयी शिक्षा नीति १९८६ और उसके विभिन्न संस्कारों ने मूल्य शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। मूल्य स्वयं में धर्म से ऊपर और किसी देश की विचारधारा के आधार होते हैं। चुंकि आज किसी की भी कोई विचारधारा नहीं है, इसलिए हो सकता है, कि देश अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहे। हमारा समाज विभिन्न प्रकार के धर्मों तथा संस्कृतियों पर आधारित एक विभिन्नता पूर्वक समाज है, इसलिए हमें ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जो सबको स्वीकार्य हो। ये शिक्षा एकता में मद्दगार होनी चाहिए। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो हमारी राष्ट्र धरोहर व सर्वभौमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो।

आजादी के बाद भारतीय शिक्षा और विद्यालय स्तर की दुःखद स्थिति के कारण शिक्षा में सुधार लाना तथा इस पर अधिक ध्यान देना केन्द्र तथा राज्य सरकारों का प्रमुख उद्देश्य रहा। अनेक आयोगों तथा समितियों ने शिक्षा की समस्याओं की समीक्षा की और शिक्षा को नव जीवन देने के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ तैयार की।

विश्वविद्यालय आयोग १९४८—१९४९ और माध्यमिक शिक्षा आयोग १९५२—१९५३ की सिफारिशों को लागू करने के लिए अनेक कदम उठाये गये तीसरे पंचवर्षीय योजना में शिक्षक पुनःरचना को और भी जोर दिया गया तथा शिक्षा आयोग १९६४—६६ का गठन किया गया। कोठारी आयोग ने १९५१—१९५६ के दौरान शिक्षा में हुई प्रति की समीक्षा की और इसमें सुधार की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए अपने सुझाव प्रस्तुत किये इन सिफारिशों और प्रयासों के आधार पर १९६८ में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वीकार की गयी। इस नीति को स्वीकार किये जाने के साथ देश में तथा सभी स्तरों पर शैक्षिक सुविधाओं का प्रसार हुआ। फलस्वरूप शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि समाज में अनिवार्य मूल्यों में निरन्तर कमी तथा बढ़ते हुए सनकीपन के कारण पाठ्यक्रम में तथा शिक्षा व्यवस्था में समयानुसार परिवर्तन आवश्यक हो गया है, ताकि शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों को विकसित किया जा सके।

यद्यपि आज शिक्षा की समान रचना के लिए राष्ट्रीय प्रयास जारी है १०+२+३ की शैक्षिक रचना को लगभग पूरे देश ने स्वीकार किया गया है इसके अतिरिक्त सामान्य पाठ्यचर्चा तथा शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने का प्रयास जारी है। लेकिन इन सबकी समानताओं के बाद भी शैक्षिक विभिन्नता मौजूद है विशेषकर ग्रामीण तथा शहरी वातावरण में भी।

बालक को जो भी वातावरण से प्राप्त होता है उसका प्रभाव बालक के आत्मसम्प्रत्यय व शैक्षिक उपलब्धियों पर भी पडता है।

शोध अध्ययन का महत्व:—

बालक का व्यक्तित्व उसके वंशानुक्रम तथा उसके वातावरण से प्रभावित है तथा बालक उन्हीं व्यवहारों को ग्रहण करने की कोशिश करता है, जिसका वह अपने वातावरण में निरीक्षण करता है। बालक के जो पारिवारिक वातावरण उपलब्ध होता है, उनका प्रभाव उसके आत्मप्रत्यय तथा शैक्षिक उपलब्धि पर भी पडता है।

बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में उसके माता—पिता तथा अन्य कारकों का भी विशेष महत्व होता है। यदि अभिभावक बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान नहीं देते हैं, तो बालक अन्य बालकों की तुलना में शिक्षा के साथ—साथ अन्य क्षेत्रों में भी पिछडने लगता है। आज का बालक राष्ट्र के भविष्य का निर्माता होगा। अतः बालक को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाये जिससे बालक के सम्पूर्ण अभिक्षमताओं का पूर्ण विकास हो सके।

इस शोध के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है, कि कैसे वातावरण में बालक का पूर्ण विकास हो सकता है। शोध के अध्ययन से हम ये जान सकते हैं कि सरकारी विद्यालयों के वातावरण के

वे कौन—कौन से पक्ष है, जो इन दोनों में अन्तर पैदा करते हैं। इस शोध के परिणाम से माता—पिता अपने बच्चों की हीन भावना नकारात्मक अभिवृत्ति, कम शैक्षिक उपलब्धि आदि समस्याओं का स्वस्थ पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराकर दूर कर सकते हैं।

माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए भी यह अध्ययन अति उपादेय सिद्ध होगा, क्योंकि वर्तमान समय में सभी महाविद्यालयों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा समाज, अध्यापक से केवल यही आशा करते हैं कि वह बालक को केवल सूचनात्मक ज्ञान न दें बल्कि छात्राओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचान कर उसकी मानसिक तथा सामाजिक योग्यताओं का विकास करें।

वर्तमान समय प्रतियोगिता का समय है, ऐसी स्थिति में सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के अभिभावक की भी गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के अभिभावक की तरह अपने बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित हैं।

अध्ययन के उद्देश्य:—

१. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों की छात्राओं के आत्मसम्प्रत्यय की वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

२. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनायें:—

१. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों की छात्राओं के आत्मसम्प्रत्यय में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

२. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों की छात्राओं में शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन की सीमाएं:—

१. प्रस्तुत अध्ययन केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की छात्राओं का अध्ययन किया गया है।

२. प्रस्तुत अध्ययन में केवल बिजनौर जिले के विद्यालयों को लिया गया है।

३. प्रस्तुत अध्ययन में केवल माध्यमिक स्तर की प्रथम वर्ष की छात्राओं को लिया गया है।

४. प्रस्तुत अध्ययन केवल आत्मसम्प्रत्यय तथा शैक्षिक उपलब्धि को ही अध्ययन हेतु लिया है।

अध्ययन की विधि:—

अध्ययन में उद्देश्यों और साधनों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अनुसंधान के वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि को प्रयोग किया गया है।

माध्यमिक विद्यालय बिजनौर:—

१. राजकीय कन्या इन्टर कॉलज बिजनौर।
२. कुंवराणी प्रेमावीरा कन्या इन्टर कॉलज बिजनौर।

अध्ययन में प्रयुक्त विभिन्न सांख्यकीय विधियां:—

आधुनिक युग सांख्यकीय विधि का प्रयोग अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक शोध से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययनों में किया जाता है। सांख्यकीय विधि यंत्र की वह शाखा है जिसमें पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अनुसार सर्वेक्षणों एवं प्रयोगों आदि के आधार पर प्राप्त आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, वितरण, विश्लेषण एवं विवेचन की जाती है। अध्ययन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित सांख्यकीय प्राविधियों का प्रयोग किया गया है:—

माध्यमान:—

मध्यमान का औसत मान से हमारा तात्पर्य ऐसे मान है जो किसी प्राप्त मात्रा के सभी मूल्यों के योग को उसकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। मध्यमान समंको का गुरुत्व केन्द्र होता है।

मानक विचलन:—

मानक विचलन विचरणशीलता के लिए सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला गुणांक है। यह सभी प्राप्तांको के मान के ऊपर आधारित होता है। सभी प्राप्तांको के उनके मध्यमान के लिए गये विचलनों के वर्गों के औसत के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि सभी प्राप्तांको का उनके मध्यमान से विचलन या अन्तर लेकर इन अन्तरों का वर्ग करके जोड़ लें तथा इस योगफल को प्राप्तांको की संख्या से भाग करके प्राप्त भागफल का वर्गमूल ज्ञात

कर ले तो मानक विचलन (S.D.) प्राप्त होगा।

टी—परीक्षण:—

विभिन्न चरों के मध्य अन्तर सार्थक है या नहीं इसे जानने के लिए टी—परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। टी—परीक्षण एक प्राचलीय परीक्षा है, यदि स्वतंत्र चर पर केवल समूहों की रचना की गई है अर्थात् स्वतंत्र चर का प्रहस्तन केवल दो श्रेणियों में किया गया है तथा इन दो समूहों की ही तुलना आश्रित चर पर की जानी है तो उस स्थिति में टी—परीक्षण प्रयोग किया जाता है। टी—परीक्षण एक प्राचलीय परीक्षण है तथा इसमें एक ही स्वतंत्र चर होता है जिसका दो या दो से अधिक श्रेणियों से प्रहस्तन किया जाता है।

माध्यमिक स्तर पर सरकारी व गैरसरकारी छात्राओं की शैक्षिक अभिवृत्ति की तुलनात्मक तालिका:—

विद्यालय का प्रकार	Mean	n	t-value
सरकारी विद्यालय	१५७.३२	२५	०.४७
गैर सरकारी विद्यालय	१५८.०२	२५	

विश्लेषण:—

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि छात्राओं में शैक्षिक अभिवृत्ति में भिन्नता है अथवा नहीं। सरकारी विद्यालय की छात्राओं के अंकों का मध्यमान १५७.३२ है जबकि गैर सरकारी विद्यालय की छात्राओं के अंकों का मध्यमान १५८.०२ है। जिसकी टी वैल्यू ०.४७ आई है। जो १.९६ से कम है जिससे परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है और कोई सार्थक अन्तर प्राप्त नहीं होता।

माध्यमिक स्तर पर सरकारी व गैर सरकारी छात्राओं के आत्मसम्प्रत्यय की तुलनात्मक तालिका:—

विद्यालय का प्रकार	Mean	n	t-value
सरकारी विद्यालय	१५५.१३	२५	२.०८
गैर सरकारी विद्यालय	१५९.५१	२५	

विश्लेषण:—

उपरोक्त तालिका के अन्तर्गत सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों की छात्राओं की आत्मसम्प्रत्यय का अध्ययन स्पष्ट होता है। सरकारी विद्यालयों की छात्राओं के आत्मसम्प्रत्यय का मध्यमान १५५.१३ है जबकि गैर सरकारी विद्यालय की छात्राओं के आत्मसम्प्रत्यय का मध्यमान १५९.५१ है जिससे सार्थक अन्तर स्पष्ट है परन्तु यह बहुत ही थोड़ा अन्तर स्पष्ट

होता है। क्योंकि टी वैल्यू २.०८ प्राप्त हुआ है, जो १.९६ से थोड़ा ही ज्यादा है अर्थात् गैर सरकारी विद्यालय की छात्राओं का आत्मसम्प्रत्यय अधिक है। जिसका कारण थोड़ा सा आर्थिक स्तर में अन्तर होना हो सकता है।

अध्ययन का निष्कर्ष:—

अध्ययन के निष्कर्ष स्वरूप उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। परिकल्पनाओं की व्याख्या से निष्कर्ष स्वरूप पता चलता है कि सरकारी व गैर सरकारी छात्राओं के आत्मसम्प्रत्यय में थोड़ा सा अन्तर पाया गया है जिसका कारण वातावरण आर्थिक स्तर आदि हो सकता है। जबकि दूसरी परिकल्पना सत्य सिद्ध नहीं हुई है। सरकारी व गैर सरकारी छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि में कोई भी सार्थक अन्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात् अध्ययन में उद्देश्यों की प्राप्ति हुई और एक परिकल्पना भी सत्य सिद्ध हुई।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

१. रमन विहारी लाल : भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, आर०लाल० बुक डिपो प्रकाशन, मेरठ, २०१०—११
२. सुरेश भटनागर : भारत में शिक्षा का विकास, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा २००८—०९
३. ए०बी० भटनागर एवं मीनाक्षी भटनागर : मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ, २००८
४. पारस नाथ राय : अनुसंधान परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, २०१२—१३
५. परबिन्दर कौर एवं एस०के० बाबा : इन्टेलिजेन्स एण्ड ए कोरिलेट ऑफ एकेडमिक एचीवमेन्ट, १९९५
६. एम०आर० पाणिग्रही : एकेडमिक एचीवमेन्ट इन रिलेशन टू इन्टेलिजेन्स एण्ड सोशियो इकॉनॉमिक स्टेटस ऑफ हिन्दी ऑफ स्टूडेंट ऐजुकेशन २००५
७. नेशनल करिकुलम ऑफ प्राइमरी एण्ड सेकेण्ड्री ऐजुकेशन—ए फ्रेमवर्क, एन०सी०ई०आर०टी० नई दिल्ली
८. एस०के० उपाध्याय एवं विक्रान्त : ए स्टडी ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी एण्ड एकेडमिक एचीवमेन्ट ऑफ ब्याज एण्ड गर्ल्स एट सेकेण्ड्री लेवल २००४

अमृतलाल नागर के उपन्यासों में वर्णित स्त्री—जीवन 'भूख' तथा 'बूँद और समुद्र' के संदर्भ में

रश्मि राय

शोध छात्रा, (हिन्दी विभाग),

दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर

सारांश : प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य 'अमृतलाल नागर के उपन्यासों में वर्णित स्त्री—जीवन 'भूख' तथा 'बूँद और समुद्र' के संदर्भ में', का विशद् विश्लेषण प्रस्तुत करना है। अमृतलाल नागर के उपन्यासों में समाज की खोखली मर्यादाओं के बेड़ियों में जकड़े स्त्री समाज की बेचैनी और संघर्ष उनकी समस्याओं, विसंगतियों तथा जर्जर व्यवस्था को तोड़ने वाली एक नवीनतम स्त्री समाज का रूप हमारे सामने आता है। अमृतलाल नागर के सभी उपन्यासों में स्त्री समस्याओं पर बल दिया गया है। ये समस्याएँ हर उपन्यास में रूप बदलती हैं, पर पीड़ा सबकी एक है, चाहे वह भूख की 'मंगला' या 'तुलसी' हो या 'बूँद और समुद्र' की 'ताई', 'वनकन्या', 'कल्याणी' या 'शीला' हो। प्रेमचन्दोत्तर युग के हिन्दी कथा—साहित्य में अमृतलाल नागर जी की ख्याति एक प्रगतिशील, साधारण मनुष्य के जीवन की कठिनाईयों को अपनी रचनाओं में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने वाले सशक्त रचनाकार के रूप में है। अमृतलाल नागर जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिन्दी कथा—साहित्य को सतत् समृद्ध और गौरवान्वित किया है। अमृतलाल नागर का कथा—साहित्य मानवीय मूल्यों के प्रति गहन आस्था प्रगट करता है तथा उनके साहित्य में व्यक्त सामाजिक यथार्थ जन—चेतना जागरण की एक नयी प्रेरणा देता है।

भूख (१९४७) अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास है जिसमें बंगाल के अकाल का सजीव एवं मार्मिक चित्र प्रस्तुत करते हुए समाज में अपने स्त्रियों को अपनी जन्मजात जागीर मानने की सामन्ती व्यवस्था तथा वर्तमान समय में नारी की दशा को व्यक्त किया गया है। उस उपन्यास में 'पाँचू', 'शीबू' 'मंगला', 'बड़ी बहू', 'तुलसी और पार्वती की माँ' के चरित्रों के माध्यम से नारी जीवन के समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। भूख में लगभग सभी पुरुष पात्र स्वार्थी है। मुट्टी भर चावल हेतु पति अपने पत्नी को बेचने को तैयार हो जाता है। उपन्यास का नायक पाँचू गोपाल का भाई शीबू अपने पत्नी मंगला को नुरुद्दीन के हाथों बेचता है और कहता है —“यह मेरी वस्तु है मैं इसे बेचूँगा”^१ वर्तमान समय में स्त्रियों की दशा दयनीय है नारी को पुरुष अपनी सम्पत्ति मानता है।

'भूख' में शीबू कहता है —“पत्नी—पति की मित्कियत है और इसलिए कुदरतन उसे सर्वाधिक है। बच्चा चाहे जैसे अपने खिलौने से खेले भी और तोड़े भी। इसमें खिलौने की शिकायत क्यों?”^२ शीबू की पत्नी इस अत्याचार को न सह के उस के मुँह पर तमाचा मारती है जो मध्यवर्गीय नारी चेतना का प्रतीक है। मंगला का यह तमाचा न केवल पुरुषों के नृशंस अत्याचारों से उत्पन्न घृणा का प्रतीक है अपितु स्त्री समाज की स्वतंत्रता और उसके स्वावलंबी दृष्टि का परिचायक है।

'भूख' का नायक पाँचू के माध्यम से नागर जी ने नारी स्वतंत्रता का स्वर मुखर किया है —“नारी पुरुष की दासी नहीं है जब तक स्त्री दासी रहेगी उसके पेट से दास ही उत्पन्न होंगे।”^३ यह नारी मुक्ति का क्रांतिकारी स्वर है जिसे अमृतलाल नागर जी ने महाकाल उपन्यास के माध्यम से प्रकट किया है।

'बूँद और समुद्र (१९५६) अमृतलाल नागर जी का दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें उपन्यासकार ने उत्तर भारत के जन—जीवन का यथार्थ चित्रण करते हुए व्यक्ति एवं समाज के सम्बन्धों को प्रकट किया है। वस्तुतः इस उपन्यास में लेखक ने समुद्ररूपी समाज में बूँद रूपी व्यक्ति के अस्तित्व का आंकलन करते हुए यह बताया है कि हर व्यक्ति का समाज में अपना

अलग महत्व है। 'बूँद और समुद्र' में नागर जी ने मध्यवर्गीय भारतीय स्त्री की आकांक्षाओं, आशाओं, घुटन द्रन्द्र, तनाव के विविध पक्षों का निरूपण किया है। 'बूँद और समुद्र' की सबसे सशक्त नारी पात्र 'ताई' राजबहादुर सर द्वारकादास अग्रवाल की परित्यक्ता पत्नी है नागर जी ने ताई के चरित्र के विरोधाभासी व्यक्तित्व और रूढ़ियों का सजीवन चित्रण किया है। डॉ० सुदेश बत्रा के मत से — "सदियों का पारम्परिक भयावह रूप ही उनकी प्रकृति बन गया है।"४ ऊपर से कठोर दिखने वाली ताई भीतर से नारियल की गिरि की तरह कोमल है। एक ओर जहाँ वह पुरुषों के वर्चस्व पर तीखे प्रहार करती है वहीं दूसरी ओर भारतीय नारी का हृदय रखते हुए न तो अपने पति का नाम लेती है न उसका अहित सोचती है।

'बूँद और समुद्र' में ताई के साथ बराबरी करती हुई प्रमुख पात्र 'वनकन्या' है, जिसके माध्यम से नागर जी ने स्त्री-समाज में सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया है। वनकन्या अपने पिता को अपराधों की सजा दिलाती है और समाज के आक्षेपों की उपेक्षा करते हुए कहती है — "अब हमें झूठे धर्म का भय और झूठी आबरू का मायाजाल तोड़कर कहना भी होगा और लड़ना भी होगा।"५

नागर जी स्वयं स्वीकारते हैं — "नारी होना आज की सामाजिक स्थिति में अभिशाप है।.. हमारे समाज में स्त्री भी सर्वहारा है वह हद से ज्यादा सताई जा चुकी है।.. सौ में दस पाँच घर छोड़ के बाकी हिन्दुस्तान का हर घर औरतों हेतु कसाईखाना है।"६

'बूँद और समुद्र' की एक और स्त्री पात्र कल्याणी आदर्श भारतीय नारी की प्रतीक है। वह पति से मतभेद रखते हुए भी उसके प्रति निष्ठावान है। वह अपने प्रेम और त्याग के बल पर अपने पति महिपाल को पश्चाताप करने पर विवश कर देती है। पति से प्रेम रखते हुए भी उसके अवैध सम्बन्ध का कड़ा विरोध करते हुए कहती है — 'हम सब कुछ सह सकती है... हम अपने घर किसी की खोट नाही वरदास कर सकेंगी, चाहे इनकी होय चाहे लड़के बितियों को होय।'७

'बूँद और समुद्र' में शीला स्विंग पेशे से

डाक्टर है। महिपाल की पत्नी के इलाज के प्रसंग से महिपाल से गहरी निकटता स्थापित होती है। धीरे-धीरे दोनों में दूरी बढ़ती है और महिपाल उसके प्रति उदासीन हो जाता है। इस पर शीला अपने मन के भाव को सज्जन से व्यक्त करती है — "पुरुष औरत के दिल को पत्थर मानता है। फिर उसमें प्यार की बातों से अजंता और एलोगा जैसी खूबसूरती तराशता है... औरत पत्थर ही सही पर उस पत्थर में बनायी हुयी अपनी ही खूबसूरती को आदमी क्योंकर भुला देता है।"८

'बूँद और समुद्र' में शीला की उपर्युक्त पंक्तियाँ स्त्री-समाज की विडम्बनाओं को व्यक्त करती हैं और उन नैतिक मूल्यों और सामाजिक धारणाओं का विरोध करती हैं, जो नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास में बाधक हैं।

अन्तत स्पष्ट है कि अमृतलाल नागर जी ने अपने उपन्यास 'भूख' तथा 'बूँद और समुद्र' में स्त्री-जीवन की समस्याओं का अत्यन्त मार्मिक और सजीव चित्रण किया है। इसमें स्त्री-समाज के जीवन यथार्थ को प्रकट करते हुए उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में एक व्यवस्थित चिंतन आकार ग्रहण करता हुआ दिखाई देता है।

सन्दर्भ सूची

१. 'भूख' पृ० २१२
२. 'भूख', पृ० १९२
३. 'भूख', पृ० १५०-१५१
४. अमृतलाल नागर व्यक्तित्व कृतित्व एवं सिद्धान्त, डॉ० सुदेश बत्रा, पृ० ७५
५. 'बूँद और समुद्र', पृ० १४३
६. 'बूँद और समुद्र', पृ० ९३
७. 'बूँद और समुद्र', पृ० १८०
८. 'बूँद और समुद्र', पृ० ४९८



**पौड़ी जिले के माध्यमिक स्तर के ग्रामीण एवं
शहरी क्षेत्र के छात्रों की शैक्षिक रुचि का
तुलनात्मक अध्ययन**

**A Comparative Study Educational Interest of
Secondary level Students of Rural Urban
locality District.Pauri Garhwal**

Dr. Anup Baluni

Associate Professor,

Motherhood University Roorkee, Uttarakhand

Dr. Pawan Kumar

Principal,

Arihant Educational Society Roorkee,
Uttarakhand

शोध सार:- शिक्षा व्यवहार में संशोधन करती है यह बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाती है जो उसके लिए उचित होती है। भूतकाल में बालक के मन में ज्ञान की सामग्री को मात्र टूस देना ही शिक्षा कहलाती थी बालक को इसे याद करने के लिए कह दिया जाता था। वह कुछ सिद्धांतों एवे नियमों को स्मरण कर लेता था। शिक्षा वर्तमान से सम्बन्धित न होकर भविष्य पर केन्द्रित थी। रुचियाँ, दृष्टिकोण और चरित्र जन्मजात नहीं होते बल्कि व्यक्ति उन्हें अपनी विकास प्रक्रिया के दौरान अर्जित करता है। इस प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम सक्रिय होते हैं। रुचियाँ आयु के साथ-2 बदलती रहती हैं छोटे बच्चों में ये रुचियाँ बड़ी तीव्रता से बदलती रहती हैं। लेकिन बाद में ये रुचियाँ स्थिर हो जाती है। शिक्षा के बाद शिक्षा में रुचि का सिद्धान्त आता है। रुचि से तात्पर्य है व्यक्ति की पसंद से होता है। कोई व्यक्ति जिस वस्तु को पसंद करता है। और उसकी ओर आकर्षित होता है, तो कहा जाता है कि उसकी उसमें रुचि है। यह तुलनात्मक अध्ययन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नौवीं दसवीं में पढने वाले छात्रों की शैक्षिक रुचियों का

अध्ययन करता है। इस निष्कर्ष तक पहुँचा गया कि विद्यार्थी जब अपने रुचि के विषयों को पढ़ते हैं तो अधिक आनंद प्राप्त करते हैं बच्चों की शैक्षिक रुचि पर घरेलू और सामाजिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है माता-पिता की आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। असन्तुष्ट स्कूल समायोजन आदि से भी बच्चों की शैक्षिक रुचि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वास्तव में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की छात्रों की शैक्षिक रुचि में कोई खास अंतर नहीं है। इसकी शैक्षिक उपयोगिता यह है कि शिक्षा क्रम बनाते समय शिक्षा शास्त्रियों को तथा शिक्षा प्रबन्धकों को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि बच्चों के लिए ऐसे विषयों का प्रबन्ध करना चाहिए जिनके प्रति उनकी रुचि होती है।

शिक्षा :- मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा शब्द संस्कृत के 'शिक्ष्' धातु से निकला है जिसका अर्थ है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा को अंग्रेजी में म्कनबंजपवद कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के तीन शब्दों से हुई है। Educatum, Educere, Educare, जिसका अर्थ है नेतृत्व देना, बाहर लाना, शिक्षित करना, पालन-पोषण करना। शिक्षा व्यवहार में संशोधन करती है यह बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाती है जो उसके लिए उचित होती है। भूतकाल में बालक के मन में ज्ञान की सामग्री को मात्र टूस देना ही शिक्षा कहलाती थी बालक को इसे याद करने के लिए कह दिया जाता था। वह कुछ सिद्धांतों एवे नियमों को स्मरण कर लेता था। शिक्षा वर्तमान से सम्बन्धित न होकर भविष्य पर केन्द्रित थी। शिक्षण के दौरान बालक की रुचियों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में शिक्षा की इस पुरानी एवं संकीर्ण धारणा को स्वीकार नहीं किया जाता। आधुनिक धारणा डबकमतद ब्वदबमचज के रूप में शिक्षा का अर्थ मात्र सूचनाएँ प्रदान करना नहीं है। आज शिक्षा को वर्तमान पर केन्द्रित किया जाता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन की प्रत्येक अवस्था में बालक का विकास एवं वृद्धि करना माना गया है। वर्तमान काल में बच्चे को शिक्षा-प्रक्रिया का सक्रिय प्रतिभागी माना गया है। पारस्परिक शिक्षा प्रणाली में बालक एक निष्क्रिय सदस्य होता था। बालक ने बहुत सी चीजें स्वयं सीखनी पड़ती थी। आधुनिक शिक्षा बालक के

सर्वांगीण विकास पर बल देती हैं। इसके लिए अध्यापक स्कूलों में उचित वातावरण तैयार करता है।

कॉलसनिक के अनुसार :- “शिक्षा मानव व्यवहार की शक्तियों तथा निहित योग्यताओं का विकास है।”

रुचि :- हर व्यक्ति की कोई न कोई रुचि अवश्य होती है इन्हीं रुचियों के कारण वह किसी वस्तु क्रिया आदि को पसंद करता है। या उसे अधिमान देता है। रुचियाँ, दृष्टिकोण और चरित्र जन्मजात नहीं होते बल्कि व्यक्ति उन्हें अपनी विकास प्रक्रिया के दौरान अर्जित करता है। इस प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम सक्रिय होते हैं। रुचियाँ आयु के साथ-2 बदलती रहती हैं छोटे बच्चों में ये रुचियाँ बड़ी तीव्रता से बदलती रहती हैं। लेकिन बाद में ये रुचियाँ स्थिर हो जाती हैं। शिक्षा के बाद शिक्षा में रुचि का सिद्धान्त आता है। रुचि से तात्पर्य है व्यक्ति की पसंद से होता है। कोई व्यक्ति जिस वस्तु को पसंद करता है। और उसकी ओर आकर्षित होता है, तो कहा जाता है कि उसकी उसमें रुचि है। रुचि शब्द को अंग्रेजी भाषा में प्दजमतमेज कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द से हुई है। रुचि, दृष्टिकोण निर्माण का आधार है। यह किसी वस्तु से सम्बन्ध जोड़ने वाली मानसिक योग्यता है। जिसके द्वारा व्यक्ति किसी वस्तु से अपना संबंध समझता है। इस प्रकार रुचि एक मानसिक क्रिया न होकर एक मानसिक व्यवस्था है।

मैकडुगल (McDugall) के अनुसार - “रुचि एक स्थिर गुण है।”

साहरी और टैलफोर्ड के अनुसार - “रुचि पदार्थ के प्रति अनुकूल व्यवहार है।”

बरडी के अनुसार - “रुचि वे कारक हं जो किसी पदार्थ, व्यक्ति या क्रियाओं की ओर आकर्षित करते हैं या अनाकर्षित करते हैं।”

डगलस प्येर - “रुचियाँ वो वस्तुएँ और क्रियाएँ हैं जो व्यक्ति में आनन्दमय अनुभवों को उत्तेजित करती है।

स्ट्रोंग के अनुसार, “रुचि में हम किसी वस्तु के प्रति जागृत होते हैं, उसके प्रति प्रतिक्रिया करने को तैयार रहते हैं। उसको पसंद करते हैं, उससे दूर भागते हैं तथा उसे नापसंद करते हैं।

शोध की आवश्यकता अथवा सार्थकता :-

शोध कर्ता ग्रामीण और नगरीय छात्रों की अभिरुचि

के अंतर को जानने के लिए अपनी उत्कंठा जिज्ञासा रखता है, केवल ग्रामीण बालक या बालिकाएं ही क्यों अनबोल गुड्डा-गुड़िया खेलते रहे, जबकि नगरीय बालक-बालिकाएं दिन-दुगुनी और रात चौगुनी उन्नति करते रहे। इस बाधा को दूर करने के आकर्षण ने ही शोधकर्ता को इस शोधकार्य के लिए प्रेरित किया है। शोधकर्ता उन कारणों का पता लगाना चाहता है जिससे कि ग्रामीण और नगरीय छात्र-छात्रों के बीच अभिरुचि की जो खाई उत्पन्न हो गई है, उसके क्या कारण है। आज इस खाई को समाप्त करने के प्रयास सरकार द्वारा भी किये जा रहे हैं। भारत को आजाद हुए लगभग 70 वर्ष बीत चुके हैं। जिस समय भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार शिक्षा का स्तर बनाने के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। वैसे तो शिक्षा के संबंधों में काफी शोधकार्य हो चुका है, लेकिन जहां तक ग्रामीण छात्र-छात्रों से अभिप्राय है, उस ओर कम ध्यान दिया गया है। जबकि भारत की जनसंख्या का 60 से 70 प्रतिशत गांवों में ही निवास करती है और पशुपालन एवं कृषि उनका मुख्य व्यवसाय है। भारत में ग्रामीण बच्चों पर बहुत कम शोधा हो पाए हैं। अब तक इस विषय में गिना-चुना ही शोधा हो पाया है। ग्रामीण छात्र और छात्रों के प्रति शोधकर्ता की स्वाभाविक रुचि है, क्योंकि वह स्वयं गांव से संबंधा रखता है। बालक के शरीर के अंग गांव ही है। अतः गांव की उन्नति के बिना देश की उन्नति कठिन ही नहीं अपितु असंभव भी है। आज भारत में बालक-बालिकाओं की शिक्षा समस्या नगरीय की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक विकट रूप धारण किए हुए है। शिक्षा ही एक मात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा शीघ्र ही आर्थिक विकास और तकनीकी उन्नति संभव है। इसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र की व्यवस्था की नींव रखी जा सकती है। जिसका आधार स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता है। आजाद हुआ। उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ के लगभग थी, परन्तु समय के साथ यह बढ़कर एक अरब का आंकड़ा पार कर गई।

शोध का विषय: अध्ययन हेतु शोधकर्ता ने निम्न समस्या का चयन किया है। पौड़ी जिले के माध्यमिक स्तर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के छात्रों की शैक्षिक रुचि का तुलनात्मक अध्ययन।

महत्वपूर्ण शब्दों का परिभाषाकरण

ग्रामीण छात्र :- ग्रामीण छात्रों से अभिप्राय है कि जो छात्र गांव में रहता है उन्हें ग्रामीण छात्र कहते हैं।

शहरी छात्र :- शहरी छात्रों से अभिप्राय है कि जो छात्र नगर के क्षेत्र में रहता है नगरीय छात्र कहलाते हैं।

माध्यमिक स्तर:- माध्यमिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों से है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ के अनुसार कक्षा 9 एवं कक्षा 10 उच्च माध्यमिक तथा कक्षा 11 व 12 उच्चतर माध्यमिक स्तर कहा जाता है। अतः कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की शिक्षा देने वाले विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कहा जाता है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५२-५३) के अनुसार -हवह शिक्षा जो कि प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद व महाविद्यालय शुरू होने से पहले समाप्त होती है उसे माध्यमिक शिक्षा कहते हैं।ह इस प्रकार की शिक्षा 11-17 वर्ष के बच्चों को प्रदान की जाती है।

रुचि :-किसी भी विषय को पढ़ने में विद्यार्थी अधिका प्रसन्नता का अनुभव करता है, उसे रुचि कहा जाता है। रुचि का शिक्षा के अलावा खेल, कला, मैडिकल, तकनीकी से भी गहरा संबंध है।सुपर के शब्दों में, “रुचि कोई पृथक मनोवैज्ञानिक ईकाई नहीं है, बल्कि यह सम्पूर्ण मानव व्यवहार का एक पहलू है।”

एफ वाटसन के अनुसार, “रुचि वह सम्बन्ध है जो मनुष्यों के दिमाग और उद्देश्यों के बीच सम्बन्ध स्थापित करती है। इच्छाएं व उद्देश्य, क्रियाएं और प्रयत्न रुचि के साथ जुड़े हुए हैं।

शैक्षिक रुचि:-शैक्षिक रुचि से तात्पर्य है कि बच्चा शिक्षा में आने वाले विषयों में से किन-2 विषयों में अधिक रुचि रखता है और किन-2 विषयों में कम रुचि रखता है जैसे एक बच्चा विज्ञान या हिन्दी विषय के अंदर अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक रुचि रखता है तो ये संभव है कि वह बच्चा आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक या फिर एक महान साहित्यकार बने।

शोध के उद्देश्य : किसी भी कर्म में सप्रयोजन ही प्रवृत्ति होती है। प्रयोजन के अभाव में कार्य अनुपयोगी ही होता है। वेदान्तसार में कार्य में प्रवृत्ति का मुख्य कारण अनुबन्धा चतुष्टय के साथ वर्णित है-

‘तत्रानुबन्धो नामाधिकारी विषयसम्बन्धाप्रयोजनानि।

मीमांसा में भी कहा गया है-

ज्ञातार्थज्ञात सम्बन्धां श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते।

ग्रन्थादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धाः सप्रयोजनम्॥

इस कारण से किसी भी कार्य के आदि में उद्देश्यों का निरूपण अति आवश्यक होता है। मन्द बुद्धि भी प्रयोजन के बिना कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है-

‘प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते।’

इस प्रकार सामान्य कर्म में ही अनुद्देश्य प्रवृत्ति नहीं होती है क्योंकि शोध के समान विशिष्ट कार्य अनुद्देश्य कैसे हो सकता है। इस कारण से शोधकर्ता के द्वारा प्रकृत शोध के लिए कुछ शोधोद्देश्य निर्मित किए हैं।

1. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की छात्रों की कृषि क्षेत्र में शैक्षिक रुचि की तुलना करना।

2. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की छात्रों की वाणिज्य क्षेत्र में शैक्षिक रुचि की तुलना करना।

3. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की छात्रों की हस्तकला क्षेत्र में शैक्षिक रुचि की तुलना करना।

4. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की छात्रों की गृह विज्ञान क्षेत्र में शैक्षिक रुचि की तुलना करना।

5. पौड़ी जिले में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की छात्रों की होमोनिटिज क्षेत्र में शैक्षिक रुचि की तुलना करना।

6. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की छात्रों की विज्ञान क्षेत्र में शैक्षिक रुचि की तुलना करना।

7. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की छात्रों की तकनीकी क्षेत्र शिक्षा में शैक्षिक रुचि की तुलना करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना:

अतः शोधकर्ता के द्वारा उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित परिकल्पना का निर्माण किया।

1. ग्रामीण व शहरी छात्रों की शैक्षिक रुचि में सार्थक अन्तर होता है।

विश्लेषण एवं व्याख्या प्रस्तुत शोध शीर्षक - पौड़ी जिले में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की छात्रों की शैक्षिक रुचि का तुलनात्मक अध्ययन जिसके अन्तर्गत नौवीं व दसवीं कक्षाओं में पढ़ने वाली छात्रों से उनकी शैक्षिक रुचि का अध्ययन किया गया है। रुचि को मापने के लिए एस. पी. कुलश्रेष्ठ द्वारा निर्मित “शैक्षिक रुचि प्रपत्र (E.I.R.)

का प्रयोग किया गया है। प्राप्त प्रदत्तों के सहयोग से मुख्य सारणी निर्मित की गयी। तत्पश्चात् निम्नलिखित उद्देश्यों की परिकल्पना के आधार पर प्रदत्त विश्लेषण किया गया।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के छात्रों की कृषि में शैक्षिक रुचि

क्रमांक	समूह	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	गणना मूल्य
	ग्रामीण	50	8.9	1.85	0.68
	शहरी	50	8.6	2.50	

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कृषि विषय में ग्रामीण छात्रों का मध्यमान प्राप्तांक 8.9 तथा शहरी छात्रों का मध्यमान प्राप्तांक 8.6 पाया गया। क्रमानुसार जिनका मानक विचलन 1.85 तथा 2.50 है। गणना मूल्य (t-value) 0.68 पाया गया है। यह गणना मूल्य दोनों स्तरों 0.01 तथा 0.05 पर सार्थक नहीं है। अतः परिकल्पना “कृषि क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के छात्रों की शैक्षिक रुचि में सार्थक अन्तर है।” प्रत्येक स्तर पर अस्वीकार की जाती है।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के छात्रों की वाणिज्य में शैक्षिक रुचि

क्रमांक	समूह	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	गणना मूल्य
	ग्रामीण	50	9.24	1.81	2.63
	शहरी	50	8.18	2.18	

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वाणिज्य विषय में ग्रामीण छात्रों का मध्यमान प्राप्तांक 9.24 तथा शहरी छात्रों का मध्यमान प्राप्तांक 8.18 पाया गया। क्रमानुसार जिनका मानक विचलन 1.81 तथा 2.18 है। गणना मूल्य (t-value) 2.63 पाया गया। जो तालिका मूल्य 0.05 स्तर पर 1.98 और 0.01 स्तर पर 2.63 से ज्यादा है। यह गणना मूल्य किसी भी स्तर पर सार्थक है। अतः परिकल्पना “वाणिज्य क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के छात्रों की शैक्षिक रुचि में सार्थक अन्तर है।” अतः 0.05 स्तर पर अस्वीकार की जाती है। और 0.01 स्तर पर स्वीकार की जाती है।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के छात्रों की हस्त कला में शैक्षिक रुचि

क्रमांक	समूह	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	गणना मूल्य
	ग्रामीण	50	9.16	2.23	2.86
	शहरी	50	7.94	2.03	

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि हस्तकला विषय में ग्रामीण छात्रों का मध्यमान प्राप्तांक 9.16 तथा शहरी छात्रों का मध्यमान प्राप्तांक 7.94 पाया गया। क्रमानुसार जिनका मानक विचलन 2.23 तथा 2.03 है। गणना मूल्य (t-value) 2.86 पाया गया। जो तालिका मूल्य 0.05 स्तर पर 1.98 और 0.01 स्तर पर 2.63 से ज्यादा है। यह गणना मूल्य दोनों स्तर पर सार्थक है। अतः परिकल्पना “हस्त कला क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के छात्रों की शैक्षिक रुचि में सार्थक अन्तर है।” प्रत्येक स्तर पर स्वीकार की जाती है।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के छात्रों की गृह विज्ञान में शैक्षिक रुचि

क्रमांक	समूह	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	गणना मूल्य
	ग्रामीण	50	9.32	2.12	3.49
	शहरी	50	7.82	2.17	

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि गृह विज्ञान विषय में ग्रामीण छात्रों का मध्यमान प्राप्तांक 9.32 तथा शहरी छात्रों का मध्यमान प्राप्तांक 7.82 पाया गया। क्रमानुसार जिनका मानक विचलन 2.12 तथा 2.17 है। गणना मूल्य (t-value) 3.49 पाया गया। जो तालिका मूल्य 0.05 स्तर पर 1.98 और 0.01 स्तर पर 2.63 से ज्यादा है। यह गणना मूल्य दोनों स्तर पर सार्थक है। अतः परिकल्पना “गृह विज्ञान क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के छात्रों की शैक्षिक रुचि में सार्थक अन्तर है।” प्रत्येक स्तर पर स्वीकार की जाती है।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के छात्रों की होमोनिटिज में शैक्षिक रुचि

क्रमांक	समूह	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	गणना मूल्य
	ग्रामीण	50	8.66	2.12	1.83
	शहरी	50	7.86	2.24	

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि होमोनिटिज विषय में ग्रामीण छात्रों का मध्यमान प्राप्तांक 8.66 तथा

शहरी छात्रों का मध्यमान प्राप्तांक 7.86 पाया गया। क्रमानुसार जिनका मानक विचलन 2.12 तथा 2.24 है। गणना मूल्य (t-value) 1.83 पाया गया। जो तालिका मूल्य 0.05 स्तर पर 1.98 और 0.01 स्तर पर 2.63 से कम है। यह गणना मूल्य किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः परिकल्पना “होमोनिटिज क्षेत्र में ग्रामीण व जाहरी क्षेत्र के छात्रों के शैक्षिक रुचि में सार्थक अन्तर है।” प्रत्येक स्तर पर अस्वीकार की जाती है।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के छात्रों की विज्ञान में शैक्षिक रुचि

क्रमांक	समूह	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	गणना मूल्य
	ग्रामीण	50	8.78	1.88	1.59
	शहरी	50	8.14	2.13	

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि विज्ञान विषय में ग्रामीण छात्रों का मध्यमान प्राप्तांक 8.78 तथा शहरी छात्रों का मध्यमान प्राप्तांक 8.14 पाया गया। क्रमानुसार जिनका मानक विचलन 1.88 तथा 2.13 है। गणना मूल्य (t-value) 1.59 पाया गया। जो तालिका मूल्य 0.05 स्तर पर 1.98 और 0.01 स्तर पर 2.63 से कम है। यह गणना मूल्य किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः परिकल्पना “विज्ञान क्षेत्र में ग्रामीण व जाहरी क्षेत्र के छात्रों की शैक्षिक रुचि में सार्थक अन्तर है।” प्रत्येक स्तर पर अस्वीकार की जाती है।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के छात्रों की तकनीकी में शैक्षिक रुचि

क्रमांक	समूह	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	गणना मूल्य
	ग्रामीण	50	9.8	2.06	0.4166
	शहरी	50	7.8	2.18	

उपर्युक्त तालिका नं० 4.7 से ज्ञात होता है कि तकनीकी विषय में ग्रामीण छात्रों का मध्यमान प्राप्तांक 9.8 तथा शहरी छात्रों का मध्यमान प्राप्तांक 7.8 पाया गया। क्रमानुसार जिनका मानक विचलन 2.06 तथा 2.18 है। गणना मूल्य (t-value) 0.4166 पाया गया। जो तालिका मूल्य 0.05 स्तर पर 1.98 और 0.01 स्तर पर 2.63 से बहुत कम है। यह गणना मूल्य किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः परिकल्पना “तकनीकी क्षेत्र में ग्रामीण व

नगरीय क्षेत्र के छात्रों की शैक्षिक रुचि में सार्थक अन्तर है।” प्रत्येक स्तर पर अस्वीकार की जाती है।

निष्कर्ष: पौड़ी जिले के ग्रामीण छात्रों एवं शहरी छात्रों की विभिन्न विषयों में शैक्षिक रुचि का अध्ययन किया गया है। प्राप्त निष्कर्षों को विधावत प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है। जबकि ऐसा सम्भव है कि अल्प समय तथा सीमित न्यादर्श पर किए गए अध्ययन पर जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वह कभी-कभी अधिक विश्वसनीय सम्भव नहीं हो सकते फिर भी शोधकर्ता ने इस पर प्रयास किया है तथा इसे कार्यक्षेत्र का प्रारम्भिक प्रयास कहा जा सकता है। यह भी पता लगाया गया है कि विद्यार्थी जब अपने रुचि के विषयों को पढ़ते हैं तो अधिक आनंद प्राप्त करते हैं बच्चों की शैक्षिक रुचि पर घरेलू और सामाजिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है माता-पिता की आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। असन्तुष्ट स्कूल समायोजन आदि से भी बच्चों की शैक्षिक रुचि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हाई स्कूल के विद्यार्थियों की रुचि का वर्णन विभिन्न सात विषयों में किया गया है। जब विद्यार्थी अपनी रुचि के विषय को पढ़ते हैं तो वे उसमें अधिक आनन्द प्राप्त करते हैं और पूर्ण रूप से उसके बारे में अपने आप को अवगत कर लेते हैं। यद्यपि शैक्षिक वस्तुएं विद्यार्थियों के लिए आन्तरिक रुचि के मुताबिक होनी चाहिए। शैक्षिक रुचि विषय के अनुसार बदलती रहती है। विद्यार्थी को पढ़ने की आदतें और पढ़ने की रुचि होने से वह कभी भी पुस्तकों से नहीं डरता। विद्यार्थी पुस्तकों की संगत के कारण ही अपने आप को कमजोर समझता है। इसी वजह से कहा है कि बच्चे के लिए उन्हीं विषयों का चयन करना चाहिए जिसमें वह पढ़ते समय अधिक रुचि रखता है। इन निष्कर्षों को देखने से प्रतीत होता है कि वास्तव में ग्रामीण व जाहरी क्षेत्र की छात्रों की शैक्षिक रुचि में कोई खास अंतर नहीं है। इसकी शैक्षिक उपयोगिता यह है कि शिक्षा क्रम बनाते समय शिक्षा शास्त्रियों को तथा शिक्षा प्रबन्धकों को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि बच्चों के लिए ऐसे विषयों का प्रबन्धा करना चाहिए जिनके प्रति उनकी रुचि होती है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कुछ माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं परन्तु घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे

बच्चे को उसकी रुचि अनुकूल शिक्षा ग्रहण करवाने में कामयाब नहीं हो पाते। शैक्षिक रुचि प्रपत्र के टी परीक्षण से पता चलता है कि ग्रामीण छात्रों की रुचि कृषि व्यवसाय में ज्यादा है क्योंकि उनका कृषि के प्रति लगाव बचपन से ही है। और इसमें किसी तरह की आर्थिक तंगी भी नहीं झेलनी पड़ती वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्र के बच्चों की रुचि विज्ञान व तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के पर्याप्त साधन विद्यमान हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।



श्री कृपालु जी महाराज

Dr. Sunita Sharma

Dept. of Sanskrit,

Dr. Bhim Rao Ambedkar College (DU) Delhi

श्री कृपालु जी महाराज ने ज्ञान एवं ज्ञानयोग का जो विस्तृत वर्णन किया है वह अत्यन्त ही विलक्षण है। उन्होंने वेदशास्त्रों के प्रकरणों के सहित ज्ञान की व्याख्या की है।

यह शब्दात्मक एवं अनुभवात्मक ज्ञान दो विषय का होता है — एक मायिक विषय का, दूसरा मायातीत विषय का। मायिक विषय का शब्दात्मक ज्ञान, उसे कहते हैं — जैसे, कोई छात्रा पाक—शास्त्र की पुस्तिका याद कर ले एवं तद्विषयक लेक्चर भी दिया करे किन्तु रसोई कभी न बनायी हो। अनुभवात्मक ज्ञान उसे कहते हैं, जो रसोई बनाने की प्रक्रिया जानकर तदनुकूल क्रिया भी कर चुकी हो यानी रसोई बनाती हो।

इसी प्रकार ईश्वरीय विषय का ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। जैसे, ईश्वरीय विषय का शाब्दिक ज्ञान तो प्रचुर मात्रा में हो, वेद—शास्त्र कंठस्थ हों, प्रवचन भी दे सकता हो, बड़ी—बड़ी बातें बता सकता हो किन्तु स्वयं ने कुछ भी साधना न की हो। यह शाब्दिक ईश्वरीय ज्ञान है। अनुभवात्मक ईश्वरीय ज्ञान वह है जिसमें वेद—शास्त्र सम्मत आप्तानुमोदित पथ पर चलकर ईश्वर को ईश्वरीय कृपा द्वारा जाना हो। वेद के अनुसार — २

अर्थात् ज्ञानसम्पन्न व्यक्ति का घोर पतन होता है। रामायण में तो ज्ञान शब्द का ऐसा प्रयोग है कि महान् बुद्धिमान् भी भ्रान्त हो जाय। यथा, प्रथम तो यह कहा कि अर्थात् ज्ञानी भगवान् को विशेष प्रिय है। पुनः कहा —

अर्थात् ज्ञानी और भक्त में कोई भेद नहीं है।
पुनः कहा —

अर्थात् ज्ञानी प्रिय नहीं है। पुनः कहा —

अर्थात् जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति घर में व्याप्त कामधेनु गाय का दूध न पिये और जंगलों में मदार का विषात्मक दूध ढूँढे, ऐसे ही ज्ञानी लोग भी मूर्ख हैं जो ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं।

अर्थात् ज्ञानी लोग शठ हैं क्योंकि जैसे कोई शठ अपार समुद्र को तैर कर ३

पार करने का दुःसाहस करता है, वैसे ही ज्ञानी भी ज्ञानमार्ग द्वारा ईश्वर को जान लेना चाहता है।

आप्त ग्रंथ कहते हैं कि —

अर्थात् ज्ञान के बिना मुक्ति असम्भव है।

अर्थात् ज्ञान से ही मोक्ष मिल सकता है। गीता में ही कहा —

(गीता ४-३८)

अर्थात् ज्ञान के सदृश कोई वस्तु नहीं है। यहाँ तक कि रामायण में भी यह कहा कि गीता में भी इसी आशय में कहा कि अब एक साधारण व्यक्ति ज्ञान के विषय में क्या निश्चय करे?

वस्तुतः ज्ञान की जहाँ भी निन्दा पायी जाती है, वह केवल शाब्दिक ज्ञान की ही हो सकती है क्योंकि शाब्दिक ज्ञान महान् हानिकारक है। ४

आप किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में जाकर देखें, मंदिर ही में देखें, वहाँ शाब्दिक ज्ञानी की शब्दावली में कितनी कर्मठता होती है। जिस समय एक शाब्दिक ज्ञानी एक श्लोक पढ़ता है, ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी वाणी ऐंठ रहा हो, किन्तु एक मूर्ख व्यक्ति जब मंदिर में जाता है तो भले ही वह यह एक ही श्लोक कहे किन्तु उसके उच्चारण में हृदय का भाव निहित होता है। कारण स्पष्ट है कि वह मूर्ख यह कैसे सोच सकता है कि मैं सब कुछ समझता हूँ और वह शाब्दिक ज्ञानी यह कैसे भुला दे कि वह शास्त्रों-वेदों का ज्ञाता है।

वेद कहता है —

(शाट्यायनी उप. ४)

अर्थात् वेद के शाब्दिक-ज्ञान के बिना ईश्वर का अनुभव-ज्ञान नहीं हो सकता। वस्तुतः कोई भी

ईश्वरीय शाब्दिक-ज्ञान तभी अनुभव-ज्ञान बन सकता है, जब ईश्वर की भक्ति की जाए। बिना ईश्वर की भक्ति के ज्ञानी (यानी शाब्दिक-ज्ञानी) ज्ञानयोगी अर्थात् अनुभव-ज्ञानी नहीं बन सकता, यह अकाट्य सिद्धान्त है। कर्म के साथ भक्ति आ धमकी थी, ऐसे ही ज्ञान के साथ भी आ गयी क्योंकि, भक्ति रहित ज्ञान वास्तविक ईश्वरीय ज्ञान कराने में ५

सर्वथा असमर्थ है। भक्ति हीन भाव के विषय में ही तुलसीदास जी ने कहा है कि —

अर्थात् वह ज्ञान 'अज्ञान' है, जिससे ईश्वर-प्रेम न हो।

तो ईश्वर-सम्बन्धी-वैदिक-शाब्दिक ज्ञान पर हम विश्वास कर लें तो तत्क्षण ईश्वर से प्यार हो जाएगा और ज्यों-ज्यों प्यार बढ़ता जाएगा, त्यों-ज्यों ज्ञानानुभव भी बढ़ता जाएगा। इसका विशेष विस्तार आगे आयेगा। अतएव यदि कोई ज्ञानी वास्तव में ज्ञानी बनने का दावा करता है किन्तु भक्ति से शून्य है तो वह ज्ञानी अज्ञानी महानुभावों का नेता ही माना जाएगा क्योंकि वह ज्ञानी नहीं है, अपितु मिथ्या-ज्ञानाभिमानि मात्र ही है और ऐसे मिथ्या-ज्ञानाभिमानि को महत्तम ब्रह्मादि भी नहीं समझा सकते क्योंकि मिथ्याभिमान के कारण जिज्ञासा समाप्त हो जाती है और वह किसी बात पर विश्वास करने में संकोच करता है।

वेदव्यास ने संक्षेप में बड़ी सुन्दर परिभाषा की है। उन्होंने कहा कि —

(भाग. ४-२९-४९) ६

अर्थात् ज्ञान वही है, जिससे ईश्वर-भक्ति हो। पुनः वेदव्यास ने कहा कि —

(भाग. १०-१४-४)

अर्थात् भक्ति के बिना ही जो केवल ज्ञान के द्वारा ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वे उसी मूर्ख स्त्री के समान हैं जो चावल निकाले हुए धान के तुष (भूसी) को पुनः कूटती हुई एवं पछोरती हुई यह आशा करती है कि इससे पुनः चावल निकलेगा। भावार्थ यह कि केवल परिश्रम ही हाथ लगेगा, तत्त्व की प्राप्ति का तो सपना भी न पूरा होगा।

गीता कहती है कि —

(गीता १२-१)

जब भगवान् से अर्जुन ने पूछा कि महाराज! कुछ भक्त तो निराकार—ब्रह्म की अभेद—भक्ति करते हैं, कुछ साकार भगवान् की भेद—भक्ति करते हैं तो इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान् ने उत्तर दिया, दोनों ही कृतार्थ हैं क्योंकि वे निराकार ब्रह्म की भक्ति ही तो करते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि मार्ग के काठिन्य के दृष्टिकोण से ७

अभेद—भक्ति—रूपी ज्ञानयोग अत्यन्त कठिन है। सारी गीता में केवल एक श्लोक माया—निवृत्ति के हेतु विचारणीय है —

(गीता ७-१४)

अर्थात् यह मेरी दैवी त्रिगुणात्मिकता माया तभी छोड़ सकती है जब तुम मेरी शरण में आ जाओ, अर्थात् भक्ति के बिना ज्ञानादि से मुक्ति न होगी। सम्पूर्ण गीता में भगवान् ने एक स्थल पर यह कहा है कि मैं अत्यन्त सुगम हूँ —

(गीता ८-१४)

अर्थात् अनन्य मन में जो निरन्तर मेरी भक्ति करता है उसके लिये मैं सुलभ हूँ।

सम्पूर्ण गीता में भगवान् सम्पूर्ण ठेकेदारी का निरूपण एक स्थल पर करते हैं, यथा —

(गीता ९-२२)८

अर्थात् जो अनन्य—भाव से एक मात्र मेरी भक्ति करते हैं, ऐसे नित्ययुक्त भक्तों के योगक्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूँ अर्थात् अप्राप्त को देना एवं प्राप्त की रक्षा करना, यह मैं स्वयं करता हूँ।

गीता में एक स्थल पर कहा है —

(गीता १०-१०)

अर्थात् जो निरन्तर मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें मैं अपनी कृपा से वह दिव्य ज्ञान देता हूँ जिससे वे सहज में ही सब कुछ जान लेते हैं।

भगवान् ने अर्जुन से कहा — अर्जुन! तू मेरा प्रिय है अतएव मैं तुझे गुप्त से गुप्त बात सुनाता हूँ, इतनी गुप्त बात सबसे नहीं कही जाती। वह गुप्त बात क्या थी?

(गीता १८-६५)

अर्थात् अर्जुन! तू निरन्तर तेरे ही में मन लगाये

रह, मेरी ही भक्ति कर, तो मेरे ही भीतर निवास करेगा और सदा आनन्दमय रहेगा। ९

साधन—चतुष्टय से सम्पन्न पूर्ण—विरक्त ही ज्ञान का अधिकारी है। अतएव जब तक सगुण साकार भगवान् की भेद भक्ति द्वारा अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो जाता, ज्ञान—मार्ग में प्रवेश ही असंभव है।

दूसरे यह कि यदि प्रवेश भी हो जाये तो वेदव्यास जी के कथनानुसार —

(भाग. १०-२-३२)

(भाग. १०-२-३३)

अर्थात् जो भक्ति—रहित ज्ञान के सोपान से भगवान् के पास जाना चाहते हैं, वे मार्ग से ही गिर जाते हैं किन्तु भक्ति—सोपान से जाने वाला नहीं गिरता, और कारण यह बताया कि भक्ति—सोपान से जाने वाले यात्री की भगवान् स्वयं रक्षा करते हैं। अतएव एक तो उन भक्तों को अपनी कोई चिन्ता ही नहीं रखनी पड़ती, दूसरे उनका मार्ग से पतन भी नहीं होता।

तीसरे यदि कोई ज्ञानी, ज्ञान—मार्ग से पार भी हो गया और समाधि में जाकर निर्विकल्प हो गया तो भी उसका पतन हो सकता है। वासनाभाष्य के १०

अनुसार —

जीवन्मुक्त को भी पुनः बंधन हो जाता है, क्योंकि वे ईश्वर—भक्ति नहीं करते।

अन्त में यही सिद्ध होता है कि ईश्वर—भक्ति के बिना कोई—कर्म या ज्ञान ईश्वर—प्राप्ति नहीं करा सकता।



मुग़ल सम्राट अक़बर कालीन गोपामऊ की ज़ामा मस्जिद : एक ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सर्वेक्षण

डॉ० श्याम प्रकाश

(गोल्डमेडलिस्ट) सहायक प्राध्यापक (अतिथि),
स्नातकोत्तर इतिहास विभाग,
जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा



मुग़ल सम्राट अक़बर कालीन ज़ामा मस्जिद,
गोपामऊ (चित्र सं०-१)

हरदोई जनपद के गोपामऊ विकास-खण्ड के पुरातात्विक सर्वेक्षण से मुग़ल सम्राट अक़बर के समय की एक ज़ामा अथवा ज़ामी मस्जिद प्रकाश में आयी है। इस मस्जिद का मुग़ल स्थापत्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्व है। इसका निर्माण अब्दुल मुकतदी के पुत्र गफ़ूर आलम (नवाब सदर-ए-जहाँ) जो अक़बर के पुत्र जहाँगीर का गुरु था^१, के द्वारा लगभग १५७३ ई० अथवा ९७८ हिजरी में ईदगाह और कुएं के साथ करवाया गया था।^२ मस्जिद निर्माण का प्रमुख उद्देश्य जुम्मे (शुक्रवार) की नमाज़ अदा करना था। यह मस्जिद २७° ३२'०.८" उत्तरी अक्षांश और ८०° १७'७.५" पूर्वी देशान्तर के मध्य हरदोई जनपद के गोपामऊ कस्बे में स्थित है।^३ यहाँ पहुँचने के लिए गोपामऊ बस स्टेशन से ३० दिशा में लगभग ५००

मी० चलकर मस्जिद तक पहुँचा जा सकता है।^४

हमें ज्ञात है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मुग़ल सम्राटों द्वारा ज़ामा अथवा ज़ामी मस्जिद के साथ-साथ अन्य अनेक प्रकार की मस्जिदों का निर्माण कराया गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शाहजहाँ (खुर्रम) द्वारा दिल्ली में सफ़ेद संगमरमर प्रस्तर पर निर्मित ज़ामा मस्जिद^५ है जो तत्कालीन शाहजहानाबाद तथा वर्तमान लाल किले (किला-ए-मुबारक)^६ के समीप चांदनी चौक में स्थित है। शाहजहानाबाद को दिल्ली का सातवां शहर^७ माना जाता है। भारतीय संदर्भ में इस प्रकार की मस्जिद का निर्माण कार्य मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर के समय से प्रारम्भ हुआ। संभल की जामी मस्जिद इसका पुष्ट प्रमाण है जिसका निर्माण १५२८ ई० में बाबर के सेनापति मीरबेग द्वारा करवाया गया।^८

दिल्ली के मुग़ल सिंहासन पर बाबर के पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूँ (१५३०-४०, १५५५)^९ के पश्चात् उसका पुत्र जलालुद्दीन अक़बर^{१०} सिंहासनारूढ़ हुआ जो एक प्रतापी, शूरवीर एवं महत्वाकांक्षी सम्राट था। अक़बर द्वारा प्रशासन में अनेक बदलाव किये गये। मुग़ल बादशाहों में सर्वप्रथम अक़बर ने ही अपने सम्पूर्ण राज्य को १५ सूबों में विभाजित किया था।^{११} इन सूबों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए उसने सूबेदारों की नियुक्ति की थी। इनके द्वारा राजस्व, आय-व्यय इत्यादि का विवरण रखा जाता था।^{१२}

अक़बर के समय हरदोई जनपद के विभिन्न क्षेत्रों की देख-रेख का कार्य नवाब सदर-ए-जहाँ द्वारा किया जा रहा था। सदर-ए-जहाँ का वास्तविक नाम ग़फ़ूर आलम था जो अबदुल मुकतदी का पुत्र था। ग़फ़ूर आलम को मुग़ल सम्राट अक़बर द्वारा सदर-ए-जहाँ की उपाधि प्रदान की गई थी।^{१३}

हरदोई जनपद के अधिकांश महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सल्लतनत काल के सुल्तानों से लेकर मुग़ल काल के बादशाहों तक ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन किया इसके प्रमाण लगभग सम्पूर्ण जनपद में इनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों से प्राप्त हो जाते हैं जिनमें से कुछ सुरक्षित तथा

अधिकांशतः नष्ट प्राय है।

गोपामऊ की ज़ामा अथवा ज़ामी मस्जिद का निर्माण जन कोलाहल से दूर एकान्त में किया गया था किन्तु जनसंख्या वृद्धि के चलते मस्जिद के आस-पास अनेक आवास निर्मित होते गये। मस्जिद के मुख अथवा फसाड भाग के सामने एक बड़ा सा मैदान है जो हरे-भरे घासों से आच्छादित है। मस्जिद के प्रवेश द्वार के सामने लाल रंग के पत्थरों से निर्मित एक फर्श का निर्माण किया गया है। इस फर्श पर बैठकर नमाज़ी अपनी जुम्मे की नमाज़ अदा करते हैं। बारिश, तेज़ धूप अथवा मौसम खराब होने की स्थिति में मस्जिद के अन्दर नमाज़ अदा की जाती है। मस्जिद के अन्दर एक बड़ा सा हॉल है जिसकी फर्श पर रंगीन कालीने बिछाकर नमाज़ियों द्वारा अल्लाह की इबादत की जाती है। अल्लाह को प्रसन्न रखने के लिए शरियत में पाँच वक्त की नमाज़ अदा करने का प्राविधान है। विकिपीडिया के अनुसार नमाज़ एक संस्कृत शब्द है, जो उर्दू में अरबी शब्द सलाम का प्रयाय है। कुरान शरीफ में सलामत शब्द बार-बार आया है जिसमें प्रत्येक मुस्लिम स्त्री और पुरुषों को नमाज़ पढ़ने का आदेश तकीदत से दिया गया है।^{१५}

शरियत के अनुसार पाँच नमाज़ें —

१. नमाज़—ए—फ़ज़्र (प्रातः कालीन नमाज़) :— यह पहली नमाज़ है जो सूर्योदय से पहले अदा की जाती है।
२. नमाज़—ए—जुहर (अवनति काल की नमाज़) :— यह दूसरी नमाज़ है जो मध्याह्न सूर्य के ढलने के दौरान अदा की जाती है।
३. नमाज़—ए—अस्र (दिवसावसान नमाज़) :— यह तीसरी नमाज़ है जो सूर्यास्त से कुछ पहले अदा की जाती है।
४. नमाज़—ए—मगरिब (सायंकाल की नमाज़) :— यह चौथी नमाज़ है जो सूर्यास्त के तुरन्त बाद अदा की जाती है।
५. नमाज़—ए—ईशा (रात्रि की नमाज़) :— यह अन्तिम पाँचवी नमाज़ है जो सूर्यास्त के १.३० घण्टे बाद अदा की जाती है।

नमाज़ अदा करने से पहले प्रत्येक मुस्लिमान

अपने दोनों हाथों की हथेलियों को धुलता है, कुल्ली करता है, नाक साफ़ करता है, अपने चेहरे को धुलता है, पानी से अपनी कुहनियों तक हाथ खड़ा करके धुलता है, सर के बालों पर भीगा हाथ फेरता है तथा पानी से अपने दोनों पैरों को अच्छी तरह से धुलता है इसे वजू कहा जाता है। इसके पश्चात् अज्ञान दी जाती है जिससे सभी मुस्लिमान मस्जिद में नमाज़ (अल्लाह की इबादत) अदा करने के लिए मस्जिद (खुदा का घर) में एकत्रित हो सकें। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि गोपामऊ की ज़ामा मस्जिद का निर्माण भी नमाज़ अदा करने के उद्देश्य से किया गया था।^{१६}



जुम्मे की नमाज़ अदा करते नमाज़ी (चित्र सं०—२)

मस्जिद के भीतर की पश्चिमी दीवार पर अरबी—फारसी लिपि में एक लेख अंकित है जो इस मस्जिद की प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता को दर्शाता है। इस लेख के अध्ययन से मस्जिद निर्माण करने एवं शरियत का पालन करने से सम्बन्धित अनेक तथ्य प्रकाश में आ सकते हैं।



दीवार पर अरबी—फारसी लिपि में लिखा लेख (चित्र सं०—३)

मस्जिद में अन्दर जाने के लिए तीन प्रवेश द्वार बने हैं जिनमें मध्य वाला प्रवेश द्वार सबसे बड़ा तथा इसके दोनों बगल के प्रवेश द्वार इससे छोटे हैं। वर्तमान में इन द्वारों पर लोहे के दरवाजे लगाये गये हैं। मस्जिद के बाहर के प्रवेश द्वारों का स्थापत्य फतेहपुर सीकरी के बुलन्द दरवाजे के स्थापत्य से साम्य रखता है। सम्पूर्ण मस्जिद को सफेद रंग से लेपित किया गया है जिसके कारण देखने में यह अत्यन्त आकर्षक एवं मनमोहक लगती है। प्रवेश द्वारों को छत तक निर्मित किया गया है। छत के ऊपर उल्टे कमल की आकृति से युक्त तीन गोल गुम्बद बनाये गये हैं। तीनों गुम्बदों के शीर्ष भाग पर तीन धातु निर्मित अर्द्धचन्द्र लगाये गये हैं।

सर्वेक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों द्वारा बताया गया कि भूकम्प के तीव्र झटकों के कारण यह मस्जिद क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। कालान्तर में इसका जीर्णोद्धार गोपामऊ निवासी, अरकोट के सूबेदार नवाब महमूद अली खान द्वारा १७५६ ई० में कराया गया। तबसे यह इसी अवस्था में विद्यमान है। मस्जिद का सम्पूर्ण स्थापत्य मुगल स्थापत्य के अत्यन्त निकट है। लेखक का व्यक्तिगत विचार है कि इस ऐतिहासिक मस्जिद को परिसर सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग लखनऊ प्रमण्डल अथवा उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ द्वारा अपने संरक्षण में ले लेना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में इस धरोहर के समाप्त होने पर इसको मूल स्वरूप में ला पाना अत्यन्त दुष्कर हो जायेगा।

इस मस्जिद के अतिरिक्त यहाँ कई अन्य मस्जिद भी हैं जिनमें खैरुल्लाहशाह जो ३३२ वर्ष प्राचीन है, एक है। यहीं से एक ईदगाह जो २७° ३२'२५.५" उत्तरी अक्षांश और ८०° १६'४९.९" पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है, प्राप्त हुआ है, जिसका निर्माण ९७८ हि० या १५७३ ई० में किया गया था, इसके अतिरिक्त एक कुएं का भी निर्माण कराया गया। जामा मस्जिद, ईदगाह और कुआँ तीनों ही सम्राट अकबर कालीन हैं।^{१६} गोपामऊ से ही एक १०० वर्ष प्राचीन शिव मन्दिर भी प्राप्त हुआ है।^{१७}

स्थानीय मान्यताएं एवं किंवदन्तियाँ

मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौरान स्थानीय बुजुर्गों एवं वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ वार्तालाप से इस मस्जिद के विषय में निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं—

१. मस्जिद के निर्माण में लगभग ५,००० से अधिक श्रमिकों ने दिन—रात मेहनत की।

२. मस्जिद में कुछ काफ़िरों के गलत नीयत से प्रवेश करने के कारण भूकम्प आया और मस्जिद क्षतिग्रस्त हो गई।

३. इसके जीर्णोद्धार में अत्यधिक धन व्यय हुआ।

४. मस्जिद का जीर्णोद्धार कराने के लिए कई लोगों ने चन्दा इकट्ठा किया था, इत्यादि।

शोध प्रविधि

गोपामऊ की इस ऐतिहासिक जामा मस्जिद को प्रकाश में लाने के लिए सर्वेक्षणात्मक प्रविधि (Surveying Method) का प्रयोग किया गया है।

प्रमुख उद्देश्य

गोपामऊ की इस जामा मस्जिद को प्रकाश में लाना एवं इसका अभिलेखन ही इस सर्वेक्षणात्मक कार्य का प्रमुख उद्देश्य है।

शोध उपकरण

नमूना संग्रह विधि

नमूना संग्रह के लिए मस्जिद की दीवारों, मेहराबों एवं वितानों आदि का पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य कर तथ्यों एवं आकड़ों का संग्रहण किया गया है।

मुद्रित एवं अमुद्रित साहित्य

इस जामा मस्जिद को प्रकाश में लाने के लिए गोपामऊ क्षेत्र से सम्बन्धित अनेक साहित्यिक एवं ऐतिहासिक ग्रन्थों एवं पुस्तकों का अध्ययन किया गया। विषय से सम्बन्धित प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों (ग्रन्थों) का अध्ययन किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न शोध—पत्र एवं स्थानीय पत्रिकाओं के साथ—साथ सोशल मीडिया, सरकारी तथा गैर—सरकारी दस्तावेजों का सहयोग लिया गया है।

साक्षात्कार

गोपामऊ क्षेत्र के निवासियों से व्यक्तिगत

साक्षात्कार के द्वारा इस मस्जिद के विषय में सूचनाएं एकत्रित की गयीं। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित लोक साहित्य एवं किंवदन्तियों को ज्ञात करने का प्रयास किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त टोपोशीट, डिजिटल कैमरा, जीपीएस, जनपद का मानचित्र, अन्वेषण से सम्बन्धित विभिन्न उपकरणों का भी प्रयोग किया गया।

संदर्भ

१. तिवारी, डी.पी. एवं श्याम प्रकाश, लेख—हरदोई : पुरातत्त्व के आइने से, हरदोई: सांस्कृतिक गजेटियर, (गजेटियर—२), सम्पादक—डॉ० अंजलि चौहान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, २०१६ पृ. ६४. तथा प्रकाश, श्याम, लेख:—अकबर कालीन बावली (पिहानी, हरदोई) : एक ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सर्वेक्षण, प्रिंटिंग एरिया, वोल्यूम—१, इश्यू—६१, हर्ष वर्द्धन प्रा० लि०, महाराष्ट्र, २०२०, पृ. ११४

२. हरदोई : सांस्कृतिक गजेटियर (गजेटियर—२), पूर्वोद्धृत, पृ. ६५

३. प्रकाश, श्याम, हरदोई जनपद का पुरातत्त्व, अप्रकाशित शोध—प्रबन्ध, लखनऊ विश्वविद्यालय, २०१६, पृ. १८६

४. वही, पृ. १८६

५. [https://hi.wikipedia.org/wiki/जामा मस्जिद](https://hi.wikipedia.org/wiki/जामा_मस्जिद)

६. [https://hi.wikipedia.org/wiki/लाल किला](https://hi.wikipedia.org/wiki/लाल_किला)

७. <http://www.delhitourism.gov.in/delhitourism/hindi/aboutus/shahjehanabad.jsp> तथा [https://hi.wikipedia.org/wiki/लाल किला](https://hi.wikipedia.org/wiki/लाल_किला)

८. <https://www.sambhalnews.in/2019/08/sambhal-jama-masjid-history.html>

९. <https://hi.wikipedia.org/wiki/हुमायूँ>

१०. <https://hi.wikipedia.org/wiki/अकबर>

११. प्रिंटिंग एरिया, पूर्वोद्धृत, पृ. ११२

१२. वही, पृ. ११२

१३. हरदोई : सांस्कृतिक गजेटियर (गजेटियर—२), पूर्वोद्धृत, पृ. ६४, तथा प्रिंटिंग एरिया, पूर्वोद्धृत, पृ. ११४

१४. <https://hi.wikipedia.org/wiki/नमाज़>

१५. वही, विधि शीर्षक

१६. प्रकाश, श्याम, हरदोई जनपद का पुरातत्त्व, पूर्वोद्धृत, पृ. १८६

१७. वही, पृ. १८७

स्वतंत्र भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति : एक विवेचन

विकाश कुमार त्रिपाठी

शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र (एस०आर०एफ०),
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय
चित्रकूट, जिला—सतना, म.प्र.

भूमिका

शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसके अन्तर्गत मानव का संपूर्ण जीवन आता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा काल मानव का संपूर्ण जीवन है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो बालक को संस्कारित कर उसे एक नवीन जीवन प्रदान करती है, जिससे उसका संपूर्ण जीवन सफल हो सके। शिक्षा बालक के जीवन में सौंदर्यता एवं कलात्मकता भरती है। शिक्षा का सम्बन्ध हमारी संस्कृति से भी है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हमारी संस्कृति का पोषण संवर्द्धन एवं संरक्षण संभव हो पाता है। यह मानव में उत्कृष्ट मूल्यों को प्रतिष्ठित कर उसे गरिमामयी बनाती है। शिक्षा बालक को एक नई दृष्टि प्रदान करती है जिससे उसमें पड़ी सुप्त शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और उसे एक नई चेतना प्रदान करती है। शिक्षा ही एक मात्र वह साधन है जिसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। व्यक्ति जन्मोपरान्त से लेकर मृत्युपर्यंत तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का संपूर्ण जीवनकाल ही शिक्षा है।

भारतीय तथा पाश्चात्य शिक्षाशास्त्रियों के विचारों को एक साथ रखकर यदि हम इसका विश्लेषण करें तो उससे निकलकर सामने आता है कि वास्तव में शिक्षा मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। पृथ्वी में उपस्थित संपूर्ण व्यक्ति जीवन में नए—नए

अनुभव प्राप्त करता है और उन्हीं अनुभवों के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता पश्चात् बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने हेतु कई कार्यक्रम और अनेकों योजनाएं संचालित की गयी। देखने पर पाया गया कि उच्च प्राथमिक स्तर तक पहुँचते-पहुँचते बालिकाओं की संख्या में कमी आने लगती है।

बालिका शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व

शैक्षिक अवसरों की समानता के अन्तर्गत बालकों के समान ही बालिकाओं की शिक्षा भी परमावश्यक है। बालिका शिक्षा के महत्त्व के बारे में स्वामी विवेकानंद जी का यह विचार सर्वविदित है कि “यदि हम एक बालक को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है और यदि एक बालिका को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है।”

प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, वे वैदिक तथा बौद्ध साहित्य का अध्ययन करती थी। इसके साथ ही साथ वे पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ में प्रतिभाग भी करती थी। प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा प्राप्त की हुई स्त्रियों को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। बौद्ध काल में भी स्त्रियाँ शिक्षा ग्रहण करने और देने का कार्य करती थी। परन्तु बौद्ध काल के अन्तिम चरण में स्त्री शिक्षा की उपेक्षा प्रारम्भ हो गई थी। मुस्लिम काल में पर्दा प्रथा के प्रचलन के कारण स्त्री शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था न हो सकी। बाल-विवाह की प्रथा भी काफी हद तक स्त्री शिक्षा की बाधक रही। ईस्ट इण्डिया कंपनी के शासन काल में भी स्त्री शिक्षा को अनदेखा किया गया।

बुड घोषणा पत्र सन् १८५४ के बाद स्त्री शिक्षा का विकास तो हुआ परन्तु इसकी गति बड़ी धीमी थी। सन् १८८२ में हण्टर आयोग ने स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार से सिफारिश की और बालिका शिक्षा पर अधिक धन व्यय करने का सुझाव दिया। इस तरह १८५७ से १८८६ तक भारत में बालिकाओं के प्राथमिक विद्यालय की संख्या ५६२८ माध्यमिक विद्यालय ४६७ व १२ कालेज थे।

स्वतंत्र भारत में बालिका शिक्षा हेतु प्रयास

स्वतंत्रता पश्चात् बालिका शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को जानने एवं उसका समाधान करने हेतु अनेक आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया। सन् १९५८ में गठित दुर्गाबाई देशमुख समिति तथा सन् १९६२ में गठित हंसा मेहता समिति के द्वारा भी बालिकाओं की शिक्षा के प्रचार-प्रसार से संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। इसके बाद सन् १९६४-६६ में कोठारी आयोग ने भी स्त्री शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु अनेक सुझाव अपने प्रतिवेदन में दिए। सन् १९८६ में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने बावत् अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का संकल्प दोहराया गया है।

दुर्गाबाई देशमुख समिति

सन् १९५८ में भारत सरकार ने दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया गया लेकिन इसे दुर्गाबाई देशमुख के नाम पर दुर्गाबाई देशमुख समिति भी कहकर पुकारा गया। इस समिति द्वारा बालिका शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित सुझाव दिए गए—

वर्तमान भारत सरकार को कुछ वर्षों के लिए बालिका शिक्षा को एक विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

सरकार को सभी राज्यों में बालिका शिक्षा से संबंधित विस्तार नीति का निर्धारण करना चाहिए तथा इसके क्रियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार हेतु पर्याप्त बजट मुहैया कराया जाना चाहिए।

खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए।

बालक-बालिका के मध्य शिक्षा से संबंधित व्याप्त अंतर को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करना चाहिए।

महिला शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने हेतु राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद नामक पृथक इकाई का गठन करना चाहिए तथा इसके साथ ही साथ राज्यों में बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा हेतु राज्य परिषदें गठित की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के लिए दिए गए सुझावों के पश्चात् केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने १९६५ में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इस परिषद का प्रमुख कार्य बालिकाओं व महिलाओं की शैक्षिक समस्याओं के निराकरण हेतु नीतियों, कार्यक्रमों व प्राथमिकताओं से संबंधित सुझाव देना था।

हंसा मेहता समिति

राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद (१९६२) ने विद्यालयी स्तर पर बालक तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर होने या न होने पर विचार करने हेतु हंसा मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। जिसे हंसा मेहता समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने सुझाव दिया कि विद्यालयी स्तर पर बालक—बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर नहीं होना चाहिए तथा साथ ही साथ यह भी कहा कि हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, जिससे बालक और बालिका के बीच वर्तमान अंतर को बढ़ावा मिल सके।

कोठारी आयोग

डॉ. डी.सी. कोठारी की अध्यक्षता में सन् १९६४—६६ में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। चूँकि इस आयोग के अध्यक्ष डॉ. दौलत सिंह कोठारी जी थे इसलिए इसे इनके नाम पर ही कोठारी आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग ने बालिका शिक्षा के लगभग सभी पक्षों पर अपने विचार प्रस्तुत किए जो कुछ निम्नलिखित हैं—

संविधान में संकलित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा हेतु अधिकाधिक प्रयास करने की जरूरत है।

उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु लड़कियों के लिए अलग से पाठशाला खोलें जाएं।

बालिकाओं हेतु निःशुल्क छात्रावास व छात्रवृत्ति की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए।

बालिकाओं के लिए अल्पकालीन तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

बालिकाओं के लिए अलग से कालेज खोलें जाएं।

नारी शिक्षा हेतु शोध इकाइयों की स्थापना की जाए।

अविवाहित स्त्रियों के लिए पूर्णकालिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए तथा विवाहित स्त्रियों के लिए अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति—१९८६

घोषित नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ में बालिकाओं की शिक्षा में परिवर्तन की व्यवस्था की गयी है। साथ ही साथ बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों के साथ—२ ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था भी समान रूप से करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के नामांकन कम होने के निम्नलिखित कारण पाए गए—

आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बालिकाओं को काम पर लगाया जाना।

परम्परागत रुढ़िवादी विचार—धारा एवं रीति—रिवाज मानने वाले लोगों का यौवनावस्था में बालिका को कहीं पर भी न जाने देना एवं उसे एक कैदी की भाँति कैद कर देना।

पाठशाला में अध्यापिकाओं एवं इमारतों के रूप में भौतिक सुख—सुविधाओं का अभाव।

छोटे भाई—बहनों की देखभाल हेतु लड़कियों को घर पर ही रोक लिया जाता है एवं उनकी शिक्षा—दीक्षा को जरूरी नहीं समझा जाता।

बालिकाओं की बहुत ही कम उम्र में विवाह कर देना।

बालिका शिक्षा के विकास पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ में भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है तथा साथ ही साथ प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत अध्याय—२ में इसकी चर्चा की गयी है। बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम में वर्तमान में मध्य—प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु भारत ने NPEGEL जो भारत सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसकी शुरूआत की गयी है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य अधोलिखित है—

सभी छात्राएं पाठशाला में नामित हो।

नामित बालिकाएं शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व पाठशाला को न छोड़े।

ऐसी छात्राएं जिनका नाम पाठशाला में दर्ज नहीं है उनके लिए पढ़ाई की विशेष व्यवस्था की जाए।

शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री और बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो।

५ से १४ वर्ष की आयु वाली सभी बालिकाएं समय से अपनी प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा पूर्ण करें।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वे बालिकाएं आती हैं जो अनामांकित पाठशाला त्यागी व कामकाजी बालिकाएं हैं, वे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी आगे की शिक्षा पूर्ण कर सकती हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य—

५ वर्ष से ७ वर्ष तक की आयु वाली सभी बालिकाओं का नाम पाठशाला में दर्ज करवाना।

अधिक उम्र की व ऐसी बालिकाएं जिन्होंने बीच में किन्हीं कारणों से विद्यालय छोड़ दिया, ऐसी बालिकाओं को ब्रिज कोर्स के माध्यम से आगे की पढ़ाई करने हेतु प्रोत्साहित करना।

इसके अन्तर्गत कक्षा ५ की परीक्षा पास करने वाली सभी बालिकाओं का नाम कक्षा ६ में दर्ज करवाना।

ऐसी बालिकाएं जो कक्षा ५ वीं की परीक्षा पास करने के बाद कक्षा ६ वीं में अपना नामांकन नहीं करवा पाई उन्हें ओपन स्कूल के माध्यम से या ब्रिज कोर्स के माध्यम से शिक्षा पूर्ण करवाना।

स्वतंत्र भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति

बालिका शिक्षा का साक्षरता स्तर स्वतंत्रता पूर्व बहुत ही निम्न था। स्वाधीनता पश्चात् १९५१ में बालिका साक्षरता दर ७.९% थी और ३० वर्षों के बाद १९८१ में यह २४.८% थी। १९९१ में यह दर ३९.३% थी जो २००१ में बढ़कर ५४.१६ प्रतिशत हो गई फिर २०११ में यह प्रतिशत वृद्धि बढ़कर ६५.४६% हो गयी। जो कि बालक साक्षरता ८२.१४% से कम है। इस उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद आज भी लगभग १०० में से ४६ महिलाएं अशिक्षित हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका साक्षरता ५८.८% है तो यही शहरी क्षेत्रों में ७९.९% है। अधोलिखित तालिका द्वारा स्वतंत्र भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति को समझा जा सकता है।

तालिका सं.—०१

स्वतंत्र भारत में बालिका साक्षरता दर (२०११ की जनगणना के अनुसार)

प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन (२००१—०२ से २०११—१२ तक) मिलियन में

वर्ष	प्राथमिक स्तर कक्षा (01-05)			उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा (06-08)			प्राथमिक स्तर कक्षा (01-08)		
	बालक	बालिकाएं	अंतर	बालक	बालिकाएं	अंतर	बालक	बालिकाएं	अंतर
2000-01	64.0	49.8	14.2	25.3	17.5	7.8	89.3	67.3	22.0
2001-02	63.6	50.3	13.3	26.1	18.7	7.4	89.7	69.0	20.7
2002-03	65.1	57.3	7.8	26.3	20.6	5.7	91.4	77.9	13.5
2003-04	68.4	59.9	8.5	27.3	21.5	5.8	95.7	81.4	14.3
2004-05	69.7	61.6	8.6	28.4	22.7	5.8	98.2	83.8	14.4
2006-07	68.4	63.4	5.0	25.4	22.1	3.3	93.8	85.5	8.3
2007-08	69.5	64.6	4.9	27.0	23.9	3.1	96.4	88.6	7.8
2008-09	69.3	65.0	4.3	28.0	25.4	2.6	97.3	90.4	6.9
2009-10	68.8	64.7	4.1	28.3	26.2	2.1	97.1	90.9	6.2
2010-11	69.8	65.4	4.4	29.8	28.0	1.8	99.6	93.4	6.2

Source : Statistics of School Education, MHRD for data for period 2000-01 to 2004-05; and DISE for data for the period 2006-07 to 2010-11.

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश की प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु प्रचार—प्रसार के लिए संवैधानिक व्यवस्था करके पूर्ण प्रयास किया जाने लगा। संविधान की धारा ४५ प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से सभी को उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके पश्चात् देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९६८ में भी सरकार द्वारा पूर्व में निर्धारित इसी नीति को दोहराने का सुझाव दिया गया। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९९१ तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्ययोजना १९९२ में भी देश के सभी १४ वर्ष तक के बालक—बालिकाओं को २१ वीं सदी में प्रवेश करने से पूर्व शिक्षित करने की बात कही गयी है। बाद में १९९३ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया की शिक्षा का अधिकार प्रत्येक भारतीय का मूलाधार है। तदैव इसे मूलों में सम्मिलित किये जाने हेतु सरकार को निर्देश भी दिए गए। इस संबंध में सन् १९९७ में ८३ वां संविधान संशोधन बिल

भी राज्य सभा में पेश किया गया, तत्पश्चात् प्राथमिक शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार और इसकी समुचित व्यवस्था करने हेतु सरकार का मौलिक अधिकार नियुक्त किया गया। बाद में वर्ष २००२ में ८६ वां संविधान संशोधन करके शिक्षा को मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर लिया गया और इसे लागू करने हेतु कानून का निर्माण भी किया गया। इस संशोधन के साथ ही साथ संविधान में अनुच्छेद ४५ में भी एक अनुच्छेद जोड़ा गया, जो इस प्रकार अभिव्यक्त है— राज्य को सभी बच्चों को तब तक के लिए शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना चाहिए जब तक वह छः वर्ष की आयु का नहीं हो जाता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद ५१—ए में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद के जोड़ा गया। इसके अन्तर्गत ६ से १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता—पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बालक—बालिकाओं को शिक्षा की व्यवस्था करने का अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद विद्यालयों में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ी है। १९५० के दशक में लड़कियों का अनुपात शिक्षा के क्षेत्र में सबसे कम था। १९५० में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकित छात्रों की संख्या सिर्फ २८% थी। उच्च प्राथमिक में २० फीसदी थी। इस दौरान स्कूल में नामांकन कराने वाली लड़कियों की संख्या में २० गुना से ज्यादा इजाफा हुआ।

तालिका सं.—०२

शिक्षा स्तर के अनुसार बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	सेकंडरीअपर सेकंडरी
1951	28.13%	16.13%	13.33%
1981	38.62%	32.85%	30.91%
2015	48.19%	48.63%	47.31%

दैनिक भाष्कर सतना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के अशासकीय विद्यालयों में ६ से १४ वर्ष तक की आयु वाले छात्रों के नामांकन में दो वर्षों के दौरान न के बराबर परिवर्तन देखने को मिला। अतः यह कहना

गलत न होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालय प्राइवेट से ज्यादा लोकप्रिय हैं। जहाँ २०१४ में प्राइवेट विद्यालयों में ३०.८ प्रतिशत नामांकन था वहीं २०१६ में ३०.५% हो गया। हालांकि इस दौरान प्राइवेट विद्यालयों में जेंडर गैप में कमी देखने मिली। २०१४ में ग्रामीण क्षेत्रों के प्राइवेट विद्यालयों में प्रवेश लेने वाली लड़कियों का नामांकन जहाँ ७.६% था, वहीं २०१६ में घटकर ६.९% रह गया।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (२००९) के अन्तर्गत ६—१४ वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य है। इस आयु की ९५% लड़कियाँ विद्यालय जाती हैं। लेकिन इसके पश्चात् १५—१७ वर्ष की आयु में इनके प्रतिशत में ११% की कमी आती है। इसी तरह शिक्षा के प्रत्येक स्तर में इनका अनुपात गिरता है। यू.जी.सी. की २०१४ की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट कराने वाली बालिकाओं की संख्या ४४.४४% है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के गोवा राज्य में उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं की संख्या ६०.२३% जो अन्य राज्यों से अधिक है। दूसरे स्थान पर केरल है, जहाँ ५९.९९% बालिकाएं हायर एजुकेशन में प्रवेश लेती हैं। इसके विपरीति अरुणाचल प्रदेश के हायर एजुकेशन में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं का अनुपात ३६.८२ प्रतिशत है जो अन्य सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम है। इसमें भारत के केन्द्रशासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है।

देश में ६ से ११ साल की उम्र के करीब १२ करोड़ ५० लाख बच्चे हैं। इनमें ६.३ प्रतिशत करोड़ बालक और ५.९ प्रतिशत करोड़ बालिकाएं हैं। विद्यालय न जाने वाले लड़कों का अनुपात १४ फीसदी है, वहीं बालिकाओं का १८ फीसदी है। इसके अतिरिक्त लगभग २९ लाख बच्चे ऐसे हैं जो शारीरिक अक्षमताओं के शिकार हैं, जिनमें से करीब १० लाख (३४ फीसदी) बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं मिल सका। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों का एक हिस्सा विद्यालयी शिक्षा से दूर है।

वर्तमान में बालिका शिक्षा का विकास और चुनौतियाँ

जैसा की विदित है कि बालिका शिक्षा के विकास हेतु राजकीय एवं व्यक्तिगत बहुत से प्रयास किए गए हैं लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि अन्य देशों की तुलना में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई है। स्त्री शिक्षा के मार्ग में निम्नलिखित समस्याएं हैं—

सामाजिक रुढ़िवादिता

हमारे देश में फैली सामाजिक कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों के परिणामस्वरूप पर्याप्त सफलता नहीं मिल पा रही है। आज के आधुनिक युग में भी लोग रुढ़िवादी विचारधारा के हैं। ऐसे लोगों का मत है कि बालिकाओं को शिक्षा देना व्यर्थ है क्योंकि बालिकाओं को परिवार में ही रहना है। अतएव इनकी शिक्षा की जगह इनके विवाह पर अधिक ध्यान दिया जाए। ऐसी मानसिकता के ही लोग स्त्री शिक्षा की प्रगति में बाधक सिद्ध होते हैं।

अशिक्षा

वर्तमान में हमारे देश की अधिकांश जनता अशिक्षा एवं अज्ञानता के अंधकार में डूबी हुई है। भारत देश की जनता शिक्षा के महत्त्व को समझने में असमर्थ रही है। ऐसी अवस्था में ऐसे लोग बालक—बालिकाओं को शिक्षा देना समय और धन का अपव्यय समझते हैं। ऐसे लोगों को मानना है कि बालिकाओं को विवाह पश्चात् अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत करना है इसलिए इन्हें शिक्षा देना व्यर्थ है।

शिक्षिकाओं का अभाव

कन्या पाठशाला में प्रशिक्षित शिक्षिकाओं का अभाव है। अनेकों ऐसी शिक्षित स्त्रियाँ हैं जो अपने परिवार वालों की इच्छा के बिना नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में योग्य व प्रशिक्षित शिक्षिकाओं के अभाव में स्त्री शिक्षा की उन्नति संभव नहीं हो सकती है।

आर्थिक कठिनाइयाँ

आज के समय में भारत की अधिकांश जनता आर्थिक संकटों से घिरी सी प्रतीत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजमर्रा की आवश्यकताएं ही पूरी नहीं हो पाती हैं। जिस कारण निर्धन माता—पिता बालकों को शिक्षित करने का साधन नहीं जुटा पाते हैं तो ऐसी स्थिति में बालिकाओं को शिक्षा देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

शैक्षिक प्रशासन तथा सरकार की उदासीनता

स्त्री शिक्षा के प्रचार—प्रसार हेतु हमारी सरकारें पूर्णरूप से ध्यान नहीं दे रही हैं। स्त्री शिक्षा हेतु बालकों की तुलना में कम धनराशि सृजित की जाती है। स्त्री शिक्षा का प्रशासन का प्रशासन पुरुष अधिकारियों के पास है, इनको स्त्रियों की समस्याओं के प्रति पूर्ण जानकारी न होने के कारण ये इसी कारण उनमें पर्याप्त रुचि भी नहीं लेते हैं। इस तरह स्त्री शिक्षा के समुचित विकास में बाधा पहुँचती है।

बालिका शिक्षा का अनुपयुक्त पाठ्यक्रम

देश में शिक्षा के सभी स्तरों पर बालक—बालिकाओं के लिए एक ही समान पाठ्यक्रम और परीक्षाएं निर्धारित की गयी हैं। यह उनके लिए शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक, रूप से उपयुक्त नहीं है। वर्तमान शिक्षा का वास्तविक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस कारण भी अधिकांश माता—पिता वर्तमान शिक्षा को अनुपयुक्त समझते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में महिलाओं की सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई दिए। आज भारतीय स्त्रियाँ अज्ञानता, रुढ़िवादिता तथा असहायता रूपी बंधनों से मुक्त होकर एक सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर रही हैं। आधुनिक समाज में स्त्रियों के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आज स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वर्तमान भारत में स्त्रियों से संबंधित पूर्व की प्रचलित मान्यताएं एवं कुरीतियाँ सभी बदलती हुई दृष्टिगोचर हो रही हैं। भारत सरकार ने स्त्रियों तथा पुरुषों को समान दर्जा देते हुए, स्त्रियों हेतु शिक्षा के प्रचार—प्रसार पर विशेष बल दिया।

निष्कर्ष

स्त्रियों की प्रगति पर ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास निर्भर करता है। शिक्षित स्त्रियाँ परिवार के साथ—साथ समाज को भी सुसंस्कृत एवं उन्नतिशील बनाने में अग्रणी भूमिका निभाती हैं इसलिए समाज और देश की प्रगति के लिए उन्हें समुचित शिक्षा देना अतिआवश्यक है। अतः भारत में पूर्व से प्रचलित संकुचित मानसिकता को दूर करने का प्रयास किया गया है। स्वतंत्र भारत में बालिकाओं को बालकों के

समान अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में हमारी सरकारें चाहे वह केन्द्रीय हों या राज्य की सभी के द्वारा बालिकाओं को शिक्षित करने हेतु अनेक योजनाएं शुरू की गयी हैं। आज सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों में बालिकाएं समान रूप से बालकों के ही समान भाग ले रही हैं। वर्तमान युग में बालिकाएं सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं फिर चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो या युद्ध का सभी क्षेत्रों में वे अपना अभूतपूर्व योगदान दे रही हैं। आज लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनसमुदाय भी सहयोग कर रहा है लेकिन इसके साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए हमारी केन्द्र व राज्य की सरकारों को समाज में जागरूकता लाने की जरूरत है।

संदर्भ सूची

- गोयल जितेन्द्र सिंह एवं चौधरी, सुनीता (२०१४). वर्तमान परिदृश्य में महिला शिक्षा—दशा एवं दिशा. भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष—३४, अंक—०३. जनवरी २०१४. नई दिल्ली।
- श्रीवास्तव रश्मि (२०१३). पढ़े बेटियाँ, बड़े बेटियाँ, योजना का महत्त्व तथा सफलता हेतु आवश्यक सावधानियाँ. भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष—३४, अंक—०१. जुलाई २०१३. नई दिल्ली।
- कुशवाहा मंजू (२०१४) बालिका शिक्षा की दशा—दिशा, ए. के. पब्लिकेशन्स, नई—दिल्ली।
- दैनिक भाष्कर, समाचार पत्र. २४/०१/२०१५.
- दैनिक भाष्कर, समाचार पत्र. १०/०७/२०१६.
- दैनिक भाष्कर, समाचार पत्र. २१/०१/२०१७.
- दैनिक भाष्कर, समाचार पत्र. २८/०१/२०१७.



संयुक्त प्रान्तों में अकाल : आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन

वरूण वशिष्ठ

शोधार्थी, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

प्राचीन काल में भारत के ऊपजाऊ क्षेत्र को जिसे वेद व पुराणों में धन्य—धान्य से सम्पन्न भूमि सप्त सैन्धव का प्रारम्भिक उल्लेख मिलता है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ऊपजाऊ भूमि को उसकी उर्वरता के आधार पर अनेक प्रकारों में बाँटा है तथा अलग—अलग भूमि के लिये भिन्न प्रकार के हल, खाद, मंत्रो इत्यादि का भी उल्लेख किया है। सम्राटों के द्वारा आयोजित राजसूय, अश्वमेध, बाजसनेय, अग्निष्टोम इत्यादि यज्ञों का मूल चक्रवर्ती सम्राट बनने के साथ—संचय साथ विशाल भूखण्ड पर अधिकार जमाना भी था जिससे अधिक से अधिक ऊपजाऊ भूमि पर उसका अधिकार हो जो कि उसके सम्राज्य को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। १

भारत के विषय में उल्लेख करते हुये हेनरी आन्स्टे ने लिखा था, एक आकस्मिक आगन्तुक भी भारत की महान भौतिक सम्भावनाओं एवं अधिकांश या जनता की तुच्छ आर्थिक सिद्धियों के विरोध को महसूस करने में विफल नहीं रह सकता। २

भारत एक ऐसे देश का उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसकी सभ्यता अतिशय प्राचीन है, जिसके संसाधन प्रचुर और विविध हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से पश्चिम के अत्यधिक विकसित देशों के घनिष्ठ सम्पर्क में हैं और तब भी दृष्टिकोण एवं संगठन के रूप में मध्ययुगीन और पिछड़ा हुआ देश है भारत के विरोधाभास को इंगित करते हुये एम०एल०डार्लिंग ने लिखा है कि भारत के सम्बन्ध में सबसे

ध्यानाकर्षक तथ्य यह है कि इसकी मिट्टी धनी है और इसकी जनता गरीब है। चार्ल्स एच बेहरी ने कहा कि अपने कोयले, लोहे, अपनी मानव शक्ति के साथ भारत सम्भवतः एशिया के औद्योगिक विकास में अतुलनीय योगदान कर सकता है भारत में साधन न केवल प्रचुर है वरन् साथ ही उसमें विविधता है भारतीय संसाधनों की विविधता पर डॉ०वेरा आन्स्टे ने लिखा है कि भारत के पास जानवरो, वनस्पति और खनिज पदार्थों की महान किस्में उपलब्ध है जो अधिक बालो वाली कश्मीरी पहाड़ी भेड़ों से लेकर सिंध के ऊँट और बंगाल के हाथी और बाघ तक, उत्तर के गेहूँ, फल और देवदार वृक्षों से लेकर गर्म निचले भागों और तटीय क्षेत्रों के चावल और नारियल तक और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कोयले और लोहे के क्षेत्रों से लेकर मैसूर के सोने और पंजाब के नमक के पहाड़ तक है। ४

इन कथनों से यह तथ्य तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत में विकास की सम्भावनायें असीमित थी परन्तु विकास पर समुचित ध्यान ना दिये जाने के कारण भारत की अधिकांश जनता गरीबी व अभाव में ही जीवन व्यतीत करती रही और समय—समय पर पड़ने वाले अकालों ने इस कष्ट को और बढ़ा दिया। प्राचीन काल से ही भारतीय आर्थिक संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि यह एक गाँव का देश रहा है मनुष्य के आर्थिक जीवन की सम्पन्नता, सम्मुन्नति और सुख—सुविधा का मूल आधार कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार यथावत रहा है भारतीय समाज का आर्थिक विकास, पुरुषार्थ के जीवन दर्शन के माध्यम से हुआ है जिसमें 'अर्थ' को एक प्रधान तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। वृहस्पति और कौटिल्य ने भी अर्थ की महत्ता को बताया है। प्राचीन काल में प्रत्येक गाँव स्वयं एक पूर्ण ईकाई हुआ करता था देश सहस्रों पृथक गाँव में विभक्त था जो आत्म निर्भर हुआ करते थे आय का मुख्य साधन कृषि हुआ करती थी और प्रत्येक गाँव में ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हुआ करते थे जिससे सभी प्रकार की आवश्यकतायें पूर्ण हो पाती थी क्योंकि आवश्यकतायें सीमित थी। अतः बाजार का स्वरूप स्थानीय था। ५

कृषि यद्यपि मुख्य आजीविका थी परन्तु उस काल में उद्योग भी इतने पर्याप्त विकसित थे कि कृषि और उद्योग में पूर्ण संतुलन था जो लोग उद्योग में लगे हुये थे वे सहायक व्यवसाय के रूप में कृषि में कार्य करते थे। कुछ नगरों उनमें स्थापित उद्योगों की वजह से भी जाना जाता था जिनमें अधिकांशः ललितकला अथवा विलासिता की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था।

कृषि क्षेत्र में भूमि अर्थव्यवस्था से मौसम की अनिश्चितताओं के बावजूद यह अपेक्षा की जाती थी कि वह जनता को आत्मनिर्भर बनायेगी। जल की पर्याप्त आपूर्ति के लिये बाँधों तथा सिंचाई साधनों का निर्माण किया जाता था। जूनाग—सजय में रुद्रदामन के शिलालेख (१३० ई०—श १५० ई०) में सुदर्शन जलशय का प्रायः आठ सौ वर्षों के लम्बे इतिहास का वर्णन है परन्तु इसके बावजूद देश में सूखा और अकाल जैसी स्थितियाँ भी आती रहती थी। चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में १२ वर्षों तक यह स्थिति बनी रही थी। तत्काल साहित्य में अकालों तथा खाद्यान्नों के न्यायोचित वितरण के लिये राशनिंग व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल व हर्षवर्धन के समकालीन साहित्यों व अभिलेखों में अकालों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।

इन अकालों का सामाजिक प्रभाव तो घातक था ही लेकिन इसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता था क्योंकि राज्य को इन अकालों से निपटने के लिये अपने आर्थिक संसाधनों को पूरी तरह लगाना होता था साथ ही अकाल से पीड़ित व्यापारियों, किसानों इत्यादि की धन द्वारा सहायता करनी होती थी। ६

सल्तनत काल में इतिहासकारों द्वारा उल्लेखित सबसे गम्भीर अकाल मुहम्मद बिन—तुगलक के काल में पड़ा था जो इतना भयंकर था कि सुल्तान को दिल्ली छोड़कर कन्नौज के निकट स्वर्गदारी में रहना पड़ा। इतना सूखा पड़ा कि सम्पूर्ण राज्य में खेती होने के बावजूद लाखों लोग भूख से मर गये। मध्यकाल में पड़ने वाले अकालों से निपटने के लिये सुल्तानों के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था की जाती थी। ७ अलाउद्दीन

खिलजी के द्वारा मुख्य रूप से बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने का था जिसमें उन्हें कम कीमत पर ही सामान मिल जायें। वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित रखने के लिये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा व्यापारियों को अग्रिम धनराशि दी गयी तथा साथ ही यह चेतावनी भी दी जाती थी वह वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण रखेंगे। अलाउद्दीन के द्वारा अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये कि वह अकाल के समय के लिये अपने भण्डारगृह को भरा रखे। ग्यासुद्दीन तुगलक ने अकाल संहिता को बनाया, जिसमें उसने अकाल से पहले अकाल से बचने के उपाय के तौर-तरीके का विस्तार से वर्णन किया है तथा अकाल के पश्चात् सामाजिक, आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिये सु-हजयाव दिये हैं। ८

भारत में अतीत काल से ही अकाल को भगवान के क्रोध के रूप में स्वीकार किया गया, जिसमें उन्हें मृत्यु, अभाव, पलायन, आर्थिक बर्बादी का सामना करना पड़ता था लेकिन सौभाग्य से भारत में पड़ने वाले अधिकांश अकालों की प्रकृति स्थानीय व क्षेत्रीय ही रही। मध्ययुगीन काल के इतिहास को छोड़कर पहले की अवधि में अकालों का रिकार्ड कुछ बिखरे सन्दर्भों में ही उपलब्ध है। मुगल काल विशेषकर अकबर के काल में पड़े गम्भीर अकाल वर्ष १५५५-५६, १५७३-७४, १५८३-८४ और १५९५-९८ ने भारत के बड़े क्षेत्र आर्थिक रूप से बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया। ९ जहाँगीर, शहजहाँ व औरंगजेब सभी शासकों के काल में हर चार-पाँच वर्षों में भारत में अकाल पड़ते थे जिसके प्रभाव स्वरूप उन क्षेत्र में उत्पादन में कमी, बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी, क्रय शक्ति क्षमता में कमी, खाद्य पदार्थों में भारी कमी हो जाया करती थी। १० परिवहन व संचार की कमी के कारण इसकी गम्भीरता और बढ़ जाया करती थी लेकिन अकालों की निरंतरता के कारण लोग विशेषकर किसान भविष्य के खतरो के प्रति सचेत रहते थे इसलिये वह विशेष फसलों का रोपण जल के संसाधनों का समुचित उपयोग, भण्डारण और भोजन के संरक्षण भंडार, पशुधन की सुरक्षा इत्यादि विधियाँ अपनाकर इसके

लिये अपने आप आने वाली विपत्ति के लिये तैयार करते थे।

सारिणी—१ मुगल काल में पड़े अकाल से प्रभावित क्षेत्र ११

वर्ष क्षेत्र टिप्पणी

१५५५-५६ उत्तरी भारत विशेषकर दिल्ली के आस-पास का क्षेत्र १५७३-७४, १६३०-३२ गुजरात क्रमशः ०६ माह व ०४ वर्ष तक लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते रहे।

१५७७ कच्छ राज्य द्वारा प्रभावित लोगों को अनाज वितरण किया गया।

१५८३-८४ वर्तमान का लगभग सम्पूर्ण उत्तर भारत, संयुक्त प्रान्त, अवध, आगरा राहत कार्यों के द्वारा रोजगार दिया गया, सेना में भर्ती और अकबर के द्वारा मुफ्त अनाज का वितरण किया गया तथा हिन्दू, मुसलमानों व जोगियों के लिये अलग-अलग किचन रखे गये खाना बनाने के लिये।

१५९५-९८ उत्तरी भारत विशेषकर कश्मीर और लाहौर अकबर के द्वारा मुफ्त खाने के वितरण के लिये १२ रसोई खोली गयी जिसमें ८० हजार लोगों का खाना प्रतिदिन बनता था।

रोजगार देने के लिये किले का निर्माण कराया गया।

१६१४-१५ पंजाब (स्थानीय प्रकृति का) दिल्ली और दक्षिण भारत अकाल के कारण इन क्षेत्रों में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गयी।—

लेकिन यूरोपीय लोगों के मस्तिष्क में भारतीय समृद्धि का चिन्ह बन गया था। वे उसे जानना चाहते थे। भारत की बौद्धिकता ने भी यूरोप के मस्तिष्क को आकर्षित किया। जर्मनी के महान दार्शनिक जी.डब्ल्यू. एफ. हीगेल ने लिखा। प्राचीन समय से सभी राष्ट्रों के लोग इस भूमि के आश्चर्यचकित और कीमती खजाने के बारे में जानने के इच्छुक रहे हैं, जो पृथ्वी के आश्चर्यों में से एक है, जैसे प्रकृति का खजाना—मोती, हीरे, इत्र, हाथी, शेर आदि और बुद्धि का खजाना। वह रास्ता जो इस खजाने से होता हुआ पश्चिम को जाता था। भारत हमेशा विश्व में ऐतिहासिक महत्व रखता आया है, जो कि राष्ट्र के भाग्य से बंधा हुआ है। १२

पुर्तगालियों को उस समय धक्का लगा जब उनके शत्रु स्पेन ने उनके वहाँ रहते हुये अमेरिका की खोज का पुरस्कार जीता। इसके बाद पांच साल तक वह अपमान सहन करते रहे और १४९७ में उन्होंने वास्कोडिगामा को एक अलग रास्ते से चार जहाजों के बेड़े के साथ अफ्रीका की ओर से असली भारत की खोज करने के लिये भेजा। दो साल की समुद्री यात्रा के बाद भी उन्हे व्यावसायिक सफलता नहीं मिली और वे अपने १७० जहाजियों में से ११६ को खो बैठे। भारतीयों को यूरोप की सस्ती वस्तुओं और कपड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह उनसे कई गुना अच्छा कपड़ा और वस्तुएँ बना सकते थे। १३ किन्तु वास्कोडिगामा अपने साथ कुछ और जरूरी चीजे ले गया था। उसने पुर्तगाल के किंग मैनुअल को बताया—बड़े शहर, बड़ी बिल्डिंगें, नदियाँ और विशाल जनसंख्या। उसने मसालों, जवाहरातो, कीमती पत्थरो और सोने की खानों के बारे में भी बताया। उसका सोचना था कि उसने भारत की पौराणिक सम्पदा को खोज लिया है। १४

अंग्रेज इस सम्पदा को सौ साल बाद तब पा सके जब स्पेन और पुर्तगाल राज्य के बीच वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुये। अंग्रेज इस भयानक साम्राज्य से युद्ध कर रहे थे और उन्होंने १५८८ में चमत्कारपूर्ण तरीके से स्पेन के अपराजित सशस्त्र सैन्य जलपोत समूह को मार भगाया। १५ अंग्रेज—इंडीज में पहले व्यापार की जगह लूट—पाट करने आये। वे पश्चिम में पुर्तगालियों को नजरअंदाज करते हुये पूर्व में कोरोमंडल तट पहुँचे, जहाँ वह मद्रास में स्थापित हुए। मद्रास को खोजने के बाद उन्हे लगा कि लूट की जगह व्यापार करना उचित है और वे मालाबार तट चले गये।

पुर्तगालियों से सावधानीपूर्वक बचते हुये मुगल साम्राज्य के समृद्ध सूरत बंदरगाह पर अपना व्यापार क्षेत्र स्थापित किया। इसके बाद वे डरते—डरते आगे बढ़े और उन्होंने एक खाली द्वीप को कब्जाया, जो आगे चलकर मुम्बई जैसा व्यावसायिक शहर की स्थापना की। अंग्रेजों ने पाया कि भारत विश्व में सूती धागा और वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी था। भारत का कपड़ा उद्योग अपनी बेहतरीन किस्म और गुण के लिये अद्वितीय है। यह उद्योग न सिर्फ बड़ी मात्रा में

घरेलू मांग की ही पूर्ति करता था, बल्कि लगभग इसका आधा भाग हिंद महासागर के रास्ते दक्षिण एशिया और चीन पहुँचता था। सत्रहवीं शताब्दी की शुरूआत में उन्होंने पाया कि यह विशाल बाजार यूरोप की बड़ी मांग को पूरी कर सकता है। इस प्रकार सत्रहवीं शताब्दी के अंत तक विश्व कपड़ा उद्योग पर ईस्ट इंडिया कम्पनी का एक चौथाई अधिकार हो गया था। १६ भारत का सूत यूरोप के कपड़ों में तब्दील हो गया था जो ऊन की अपेक्षा सस्ता और हल्का था, अधिक सजावटी (रंगाई और छपाई के लिये) धोने और बदलने में आसान सूती कपड़ा एक नए विश्व के लिये बनने लगा था।

यहां यह उल्लेखनीय है कि बढ़ते व्यापार के बावजूद भी भारतीय व्यापारी अपने उत्पाद में सुधार के तरीको को न बदलकर बाजार ढाँचे में परिवर्तन नहीं कर सके। १७

अधिशेष और व्यापार के होने पर भी किसान बहुत गरीब थे। फ्रांस के एक चिकित्सक फ्रैकोइस बर्नियर ने भारत में बारह साल बिताए और उसने आम लोगो की गरीबी के बारे में लिखा। उसने उनके जर्जर मकानो अपमानित जिंदगी और कुछ थोड़े से अमीरों और कंगालो के बीच नाटकीय अंतर का उल्लेख किया था क्योंकि मुगलो की प्रवृत्ति उदासीन थी। वे भूमि की दशा सुधारने के लिये बहुत कम सहायता करते थे। अच्छा व्यापार होने के बावजूद भी व्यापारी करो के डर से अपनी सम्पत्ति को छुपाये रखते थे। १८ इसका कोई आसान उत्तर नहीं है कि देश समृद्ध होते हुए भी उसके लोग गरीब थे। इसके लिये हम यह सफाई दे सकते है कि अधिक जनसंख्या होने के कारण सस्ते मजदूर मिल जाते थे। जब मजदूरों की पूर्ति लचीली हो तब यह सस्ता पड़ता है कि मशीन में खर्च करने की बजाए लोगो से काम लिया जाये। यह अठारहवीं शताब्दी में भी सच था और आज भी सच है। एक अंग्रेजी समीक्षक ने १८०७ में लिखा, भारत में यह प्रयास कभी—कभार ही होता था कि जो काम आदमी कर सकते थे, उन्हें मशीनों से करवाया जाये। १९

भारत पर अंग्रेजों के अधिकार के साथ ही

भारत में शोषण की एक नई प्रक्रिया की शुरूआत हुयी। इस औपनिवेशिक व्यवस्था ने अकालों के क्षेत्रीय स्वरूप को अखिल भारतीय प्रकृति का बना दिया। भारत के आर्थिक शोषण की शुरूआत १७५७ में ब्रिटिश शासन के स्थापना के साथ होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर व्यापार एकाधिकार स्थापित करने के लिये राजनैतिक शक्ति का प्रयोग किया। इसने बुनकरो को अपने उत्पादो को सस्ते दामो पर बेचने के लिये मजबूर किया। तथा सस्ते दामो पर कच्चे माल की आपूर्ति कर इंग्लैण्ड के मशीनो से बने सामान को उच्च मूल्य पर विक्रय कर भारी लाभ कमाया। १८१३ में भारतीय व्यापार को मुक्त कर दिया गया जहाँ इंग्लैण्ड को भारत में आयात करने के लिये नाममात्र की अनुमति व शुल्क देना होता था वहीं भारतीय स्वदेशी उद्योग से बनाये गये सामान पर भारी आयात कर लगाकर उसे तबाह किया गया। २०

भारत में साम्राज्यवाद की स्थापना की बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद ब्रिटिश सरकार राजस्व बचत को अपने साथ अपने घर ले गई। भारत उन्नीसवीं शताब्दी के दूसरे भाग और बीसवीं शताब्दी की शुरूआत में काफी बड़े स्तर पर आयात की अपेक्षा निर्यात ज्यादा करता था। ब्रिटेन भारत के व्यापारिक अधिशेष का इस्तेमाल अन्य मित्र के साथ अपने वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिये करता था। २१ इन्द्रजीत राय के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का आठ प्रतिशत भाग ब्रिटेन को जाता था जो हमारी धनसंपत्ति का महाकाय खर्च प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ब्रिटेन इसे कंगाल करता रहा और धन उसकी औद्योगिक क्रांति में लगता रहा। उपनिवेशवाद के दौरान भारत की गरीबी का श्रेष्ठ मामला प्रस्तुत किया था। २२

१९वीं शताब्दी में उत्तरार्द्ध में भारत में अकाल की लगातार घटनायें उपनिवेशवाद और अकाल के बीच अन्तर्द्वन्द्व सम्बन्ध बताती है कि कैसे संचार के साधनो जैसे—रेलवे, सड़कों के विकास के बाद भी कैसे संचार के साधनो जैसे—रेलवे, सड़कों के विकास के बाद भी भारत कच्चे माल, खाद्यान्न उत्पादक, माल निर्यातक और निवेश करने की जगह केवल एक ऐसा निर्यातक बन गया जहाँ से कच्चा माल भेजा जाता था

और मशीनरी से माल बनाने और बेचने के लिये एक अच्छा बाजार बन गया। २३ इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की औपनिवेशिक शोषण की बदलती जरूरतो के अनुसार बदला गया। भारत में अपने उपनिवेश को बचाये रखने के लिये युद्ध लड़े गये तथा उन खर्चों को पूरा करने के लिये भूमि राजस्व व्यवस्था की शुरूआत की गयी। भूमि जिसे कि भारतीय परम्परा में उसे माँ के समान माना गया उसे एक बिक्री योग्य वस्तु बना दिया गया। नगद राजस्व की माँग ने नगदी फसलो के उत्पादन के लिये किसानो को बाध्य किया गया।

कृषि के बलात व्यवसायीकरण का परिणाम ये रहा कि भारत के किसानो को जबरदस्ती अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिया गया और किसानो बाजार के भरोसे ही छोड़ दिया गया जब किसानो की फसल विफल होने लगी तो किसानो को भू राजस्व के भुगतान के लिये साहूकारो से ऋण लेना पड़ा। २४ इस प्रकार किसान एक दुष्कचक्र में फँस गया। एक तरफ साहूकारो ने उनकी जमीन हड़प ली जिसमें ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली ने उनकी सहायता की। किसान अपने ही खेतो पर खेतीहर मजदूर हो गया और जब मानसून की विफलता के कारण अकाल पड़ते थे किसानो के कष्ट दुगुने हो जाते थे मुक्त व्यापार की नीति ने ब्रिटिश हितो के अनुरूप ही काम किया। इस नीति ने अकाल के संकट के दौरान खाद्यान्न की कमी के वजह से किसानो की स्थितियाँ बहुत दुष्कर बना दिया २५ भारत में औपनिवेशिक शासन इस राजनीतिक विचार पर दृढ विश्वास करता था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्ण मुक्त व्यापार के हवाले कर दिया जाये। १८६० तक भारत केवल कच्चे माल के निर्यातक के तौर पर ब्रिटिश व्यापारिक हितो के लिये आदर्श बाजार के रूप में स्थापित भी हो गया था। इस निर्यात का प्रमुख घटक खाद्यान्न था जिसका निर्यात तब भी नहीं रूका जब लगातार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अकाल पड़ते थे। १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अकालो की लगातार हुयी घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारण कम ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषणवादी नीति का परिणाम अधिक थी। १८९५ में बुन्देलखण्ड, उत्तर— पश्चिम

प्रान्तो और अवध में पड़े अकाल सदी का सबसे बड़ा अकाल था जिसका असर बहुत बड़े व व्यापक क्षेत्र में था। इस अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में बंगाल, बाम्बे, मद्रास, मध्य प्रान्त, पंजाब, बरार और बर्मा प्रान्त थे। इस अकाल ने कुल ५,०४,९४० स्वक्यार मील और ९६.९३ मिलियन पड़ोसी राज्यों के लोगों को प्रभावित किया। २६ इस अकाल का मुख्य कारण मानसून की विफलता थी। मानसून की विफलता के कारण बुन्देलखण्ड, संयुक्त प्रान्त, अवध की ४५ और ८० प्रतिशत तक फसले बर्बाद हो गयी। सम्पूर्ण तौर पर देखे तो ३३ प्रतिशत फसले प्रतिवर्ष औसत नष्ट हुयी। बाजारों में अनाज की भारी कमी हो गयी। यह अपने देश के इतिहास में अकाल की वजह अनाज की कमी का एक अद्वितीय उदाहरण था। भूख से बेहाल जनता ने दिल्ली, आगरा, मुजफ्फरनगर, अल्मोड़ा, हरिद्वार, मऊ, गोरखपुर, पिथौराग—सजय, देवरिया, —हजयॉसी, बलिया, कानपुर, लखनऊ इत्यादि में दंगे भड़क गये। अनाज की दुकानों को लूटा गया उनमें आग लगा दी गयी। लोगों की हत्यायें की गयी परन्तु इतनी अशान्ति के बावजूद भी जब प्रान्त खाद्यान्न की कमी से जूझ रहे थे। २७

ब्रिटिश राष्ट्रवादियों ने ब्रिटेन को भारत के आर्थिक महत्व को बढ़ा—चढ़ाकर बताया। उनका सोचना था कि भारतीय साम्राज्य बहुत लाभदायक है।

उन्हें सिसिल रोड्स से विचार जो कि उन्नीसवीं शताब्दी का एक साम्राज्यवादी था।

वह कहता था कि साम्राज्य एक डबल रोटी है और मक्खन एक प्रश्न..... (हमें) देश की बची हुई जनसंख्या को बसाने के लिए नई जगहें खोजनी चाहिए जो फैक्टरियों और खानों में उत्पन्न सामान को नए बाजार प्रदान करें। २८

१९१४ तक भारत विश्व में जूट उत्पादन का सबसे बड़ा उद्योग था, चौथा सबसे बड़ा कपास उद्योग। सबसे बड़ा नहरो का जाल, तीसरा रेलवे का सबसे बड़ा जाल और विश्व व्यापार में ढाई प्रतिशत का हिस्सा। पचास (५०) साल पहले कार्ल मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में रेलवे और आधुनिक फैक्टरियों का प्रवेश उपमहाद्वीप को बदल देगा। भारत

आजादी के समय उद्योगविहीन और बहुत गरीब बनकर ठहर गया था। २९

वाणिज्यिकरण का भारत के पारंपरिक अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

भारत के औद्योगिक संस्थायें अभी भी इस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से अछूती थी। इस आधुनिकीकरण का प्रभाव ना ही समाज पर पड़ा क्योंकि जब आधुनिकीकरण किसी समाज का होता है तो उस समाज में धीरे—धीरे उस समाज के विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य पारंपरिक सम्बन्धों में बदलाव आने लगा। भारत में शताब्दियों से ग्रामीण समाज जिसके अपने अधिकार व नियम थे। अंग्रेजों की नीति ने उसको तोड़ डाला। अब बाजार के दबाव में उत्पादक व उपभोक्ता, ऋणदाता और उधारकर्ता, भू—स्वामी और किरायेदार, सम्पत्ति के मालिक व भूमिहीन मजदूरों के सम्बन्धों में बदलाव आ गया। इसने पूर्व—ब्रिटिश भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की प्रणाली में निर्मित सामाजिक सुरक्षा के ताने—बाने की नींव को हिला दिया। ३०

इस तथा कथित वाणिज्यिक क्रान्ति का ग्रामीण जनसंख्या के गरीब वर्गों पर भयंकर प्रभाव पड़ा जिसमें पूरी समय एक बाद एक संकटों की श्रृंखला आती चली गयी। १८६० से १९०९ तक ५० वर्षों की संक्षिप्त अवधि में देश २० प्रमुख और छोटे अकालों व कमियों से गुजरा, जो अभूतपूर्व था। इन अकालों में सबसे ज्यादा कष्ट उठाने वाला वर्ग था ग्रामीण समाज का सर्वहारा वर्ग जो ना केवल आर्थिक रूप से साधनहीन, भूमिहीन था तथा समाज में भी एक वंचित व उपेक्षित वर्ग था। इन अकालों से पीड़ित वर्गों में प्रमुख भूमिहीन कृषक मजदूर और ग्रामीण कारीगर थे। जब इन बेरोजगार कृषकों, मजदूरों व बुनकरों में अकाल जैसी प्राकृतिक व ब्रिटिश आर्थिक नीति से जूझना पड़ा तो असीमित कष्टों का सामना करना पड़ा।

कम्पनियों केवल अपनी निचली रेखा को ही देखती थी और अपनी उदगम कम्पनियों का झण्डा नहीं फहराती थी। तब भारत में ब्रिटिश शासन पर क्या अभिनिर्णय है ब्रिटिश ने भारत को निर्धन किया इसमें कोई सदेह नहीं की अठारहवीं शताब्दी में ब्रिटिशों ने

भारत में लूटमार मचाई और इसकी धन सम्पदा को लूट लिया जैसा कि इतिहास में किसी विजेताओं ने ऐसा नहीं किया था।

अत्यधिक महत्वपूर्ण पक्ष है कि अंग्रेजों ने नियमित रूप से अपने उपनिवेश का शोषण किया लगातार चलती संस्थाओं के द्वारा जो भारत के अहित के लिये थी और यही उपनिवेशवाद की प्रकृति और सिद्धान्त के अन्तर्गत था। अंग्रेजो ने भारत को विचारपूर्वक उद्योगरहित किया और यही इंग्लैंड की भारत में औद्योगिक क्रांति थी जिसने कि लाखों बुनकरों को काम से निकाल दिया था और जब इन बेरोजगार बुनकरों को अकाल जैसी प्राकृतिक आपदा व ब्रिटिश आर्थिक नीति से जूझना पड़ा तो उन्हें असीमित कष्टों का सामना करना पड़ा। जब नई तकनीक भारत पहुँची यह तो किसी भी प्रकार होना ही था। ब्रिटिश सरकारी नीति व्यापार व्यवधान को खड़ा करके इस प्रतिघात को लचीला बना सकती थी। हथकरघों की रक्षा करना ज्यादा से ज्यादा स्थाई समाधान होता लेकिन अंग्रेजो ने भारत का पर्याप्त शोषण किया यदि इसने भारत में निवेश किया होता जैसा कि इसने अमेरिका में किया था तो भारत बहुत खुशहाल और बहुत बड़ा बाजार हो गया होता। ब्रिटिश वस्तुओं के लिये गरीब भारत निश्चित रूप से ब्रिटेन के आर्थिक हित में था कि भारत को विकसित करने में ब्रिटिश सरकार को कोई रुचि नहीं थी।

यहां उल्लेख किया जा सकता है कि बचत को भारत में दोबारा से निवेश करने की बाजार उन्होंने हमारे निर्यात की कमाई व हमारी धन सम्पत्ति को ब्रिटेन स्थानान्तरित किया। यह भी सच था कि भारत प्रगतिशीलता के कच्चे माल का निर्यातक उत्पाद का आयातक बनता जा रहा था। भारतीय नेता इसका यह मतलब लेते थे कि विदेशी व्यापार और विदेशी मुद्रा हमारी गरीबी और हमारी अर्थव्यवस्था को बन्द करने और आत्मनिर्भर बनाने की नीति को अपनाने के लिये जिम्मेदार है। वे यह भूल गए थे कि अंग्रेजो के आने से सदियों पहले भारत की व्यापार करने की अपनी पुरानी परंपरायी और जिसने कि एक बार आयात और निर्यात की समृद्धि का उपभोग विशाल रूप से किया

था। इन और अन्य कारणों से हमारी विश्व अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिये अपनी योग्यता के प्रति निराशावादी थे। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगे किसान, मजदूर, एवं शहरी व्यापारी, मजदूर इत्यादि पूंजी के अभाव में एक विकसित अर्थव्यवस्था खड़ा नहीं कर सकें, जिसका दुष्परिणाम तब आया जब भारत में अकाल पड़ते थे क्योंकि उनके पास आय का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं था इस कारण भारतीय जनता असीमित कष्टों का सामना करना पड़ता था।

सन्दर्भ

१ प्रो० श्रीधर पाण्डे —आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, पेज नं०—०२, पायनियर प्रकाशन, नई दिल्ली, २००७

२ पर्सी लुईस आन्स्टे— द इकानामिक डेवलपमेंट ऑफ इण्डिया, पेज नं०—१७, बाम्बे प्रेस, १९४६

३ एम०एल०डार्लिंग — द पंजाब पीजेंट इन प्रोस्पेक्टि एण्ड डेब्ट, पेज नं०—७३, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, कलकत्ता, १९२८

४ प्रो० श्रीधर पाण्डे — आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, पेज नं०—०३, पायनियर प्रकाशन, नई दिल्ली, २००७

५ रमेश चन्द्र दत्त — इकानामिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पेज नं०—४१, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, कलकत्ता, १९८३।

६ के०ए० निजामी — सम आस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन एण्ड पालिटिक्स इन इण्डिया ड्यूरिंग द १३ सेन्चुरी, पेज नं०—४७, आक्सफोर्ड प्रेस, न्यू एडिशन, नई दिल्ली, २००७

७ वही

८ रियाजुल इस्लाम — दिल्ली सल्तनत, पेज नं०—१९, राजकमल प्रकाशन, आगरा, २०१०।

९ डेनवर्स — हिस्टोरिकल एण्ड रिसेंट फेमिन्स इन इण्डिया वाल्यूम—४, पेज नं०—१०७, सोसायटी आफ आर्ट, १९९७।

१० वही।

११ एस.आर. लवडे — हिस्ट्री एण्ड इकोनामिक्स ऑफ इण्डियन फेमिन, पेज नं०—२५, जी. बेक एण्ड संस लिमिटेड, लंदन, १९१४।

१२ विलियम डिग्वी — प्रोसपेरेस ब्रिटिश इंडिया, पेज नं०—१२३, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन प्रेस, लंदन, १९०१

१३ वही

१४ जार्ज केम्पबेल—जे०मुरे—मार्डन इंडिया, पेज नं०—१७, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, १८५२

१५ जे.पी. थामस—मरकेंटलिज्म एण्ड ईस्ट इंडिया ट्रेड, पेज नं०—८३, करेंट बुक हाउस, नई दिल्ली, १९२६।

१६ बी.एम. भाटिया—फेमिन्स इन इण्डिया, पेज नं०—८, कोनार्क प्रकाशन, नई दिल्ली, १९९१

१७ सी०ए० इलियट—द इण्डियन प्रॉब्लम एण्ड इण्डियन फेमिन्स वाल्यूम—४, पेज नं०—१६१, ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन, १९०७।

१८ बी०एम० भाटिया—फेमिन्स इन इण्डिया १८६०—१९९०, पेज नं०—१६, कोनार्क पब्लिकेशन, नई दिल्ली, १९९१

१९ पीटर रोब— ए हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पेज नं०—७७, मैकमिलन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, २०११

२० सुगाथा बोस—क्रेडिट मार्केट एण्ड द एग्ग्रेरियन इकॉनामी ऑफ कालोनियन इण्डिया, पेज नं०—४७, ओ०यू०पी० प्रेस, नई दिल्ली, १९९४।

२१ आर०आर० भंडारी—इंडियन रेलवे : ए ग्लोरियस १५० ईयर्स, मिनिस्ट्री आफ इन्फारमेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग, गर्वनमेन्ट ऑफ इण्डिया, पेज नं०—१७९, नई दिल्ली, २०११

२२ प्रो. श्रीधर पाण्डे—आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, पेज नं०—१७, पायनियर प्रकाशन, नई दिल्ली, २००३

२३ अमर्स सेन—गरीबी और अकाल, पेज० ११३, राजपाल एण्ड सन्स, इलाहाबाद, २०१३

२४ के०डी० गंगार्डे और सिद्धराज डड्डा—चैलेंज एण्ड रिसपॉस—ए केस स्टडी ऑफ फेमिन इन इण्डिया, पेज० १७, रचना पब्लिकेशन, बंगलोर, १९७३

२५ के०एन० चौधरी—द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कम्पनी, पेज० १७३, राजकमल प्रकाशन, आगरा, १९६५

२६ बी०एम० भाटिया—फेमिन्स इन इण्डिया १८६०—१९००, पेज० ५३, कोनार्क पब्लिकेशन, नई दिल्ली, १९९१

२७ रामा देव—सम आस्पेक्ट्स आफ द इकानामिक ट्रेन फ्राम इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, पेज० २४१, सोशल साइंसेज जनरल, १९८७

२८ रामचन्द्र गुहा—ए रूल आफ प्रोपर्टी फार बंगाल : एन ऐस्से आन द आईडिया आफ द परमानेन्ट सैटलमेन्ट, पेज० ३५३, ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस, डरहम, १९९५।

२९ पार्थ सारथी, प्रसन्नन—व्हाई यूरोप ग्रयू रिच एण्ड एशिया डिड नॉट : ग्लोबल इकानामिक डायवर्जन (१६००—१८५०), पेज० ३८, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कलकत्ता, २०११

३० बी०एम० भाटिया—फेमिन्स इन इण्डिया, पेज० १०, कोनार्क पब्लिकेशन, नई दिल्ली, १९६७



वैश्विक परिप्रेक्ष्य में गुरु नानक देव जी की वाणी की प्रासंगिकता एवं महत्व

डॉ. पवन कुमार शर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी—विभाग,

हिन्दू कन्या महाविद्यालय धारीवाल

गुरु नानक सत्य के अनन्य उपासक थे। इनमें श्रेष्ठ दार्शनिक की बुद्धिवादिता और चिन्तन, महान क्रान्तिकारी की क्रान्ति और एक निष्ठा, अनन्य भक्त की विनम्रता और प्रेमानुभूति निष्पक्ष आलोचक की स्पष्टता और दृढ़ता, महान गुरु की आचरण—प्रियता, महामानव की कर्तव्य परायणता तथा युग प्रवर्तक की साधना और पथ प्रदर्शन की अपूर्व क्षमता थी।

गुरु नानक देव जी की वाणी जो 'गुरु ग्रन्थ साहिब' में संकलित है का सन्देश समसामयिक सन्दर्भों में अत्यन्त सार्थक एवं महत्वपूर्ण है। उनकी प्रासंगिकता अक्षुण्ण है। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो भारत विविध धर्मों एवं सम्प्रदायों का देश है जिसमें अपने ईश्ट देव या ईश्ट देवालयों को लेकर निरन्तर झगड़ा—फसाद होता रहता है। यह राष्ट्र और मानवता दोनों के विकास के लिए हानिकारक है। इसमें समस्त परिवेश में कटुता और अशांति बढ़ती है। इस परिप्रेक्ष्य में गुरुवाणी के विचार समन्वयवाद के परिचायक हैं। गुरुवाणी में परम सत्ता के लिए विभिन्न धर्मों के उपास्यों के नामों को प्रयुक्त किया गया है। हिन्दू मत में ब्रह्म, विष्णु महेश एक ही परम सत्ता के अवतरित रूप हैं। इस्लाम में भी एक ही खुदा की बन्दगी की चर्चा है। गुरु वाणी में परम सत्ता को मात्र एक कहा गया है।

एक कारु अवरु नहीं दूजा नानक एक समाई।

(रागु रामकली)

साहिब मेरा एक है "एको है भाई एको है"

(रागु आसा)

सच्चा साहिब एको तु जिनि सच्चो सच बरताइआ।।

गुरु नानक जी ने सन्देश दिया है कि एक ईश्वर का स्मरण करने से ही आनन्द की प्राप्ति होती है और उसकी शरण प्राप्त होती है।

जिनी एको सेविआ पूरी मति भाई।।

आदि जुगादि निरंजना जन हरि सरणाई।।

(रागु आसा)

वाणी में जो भक्ति पद्धति वर्णित हैं उसमें एकत्व और भ्रातृत्व को प्राथमिकता दी है। गुरबाणी में संकेत हैं— संगत में रहकर 'सरवत का भला' की अरदास करे

गुरु नानक देव जी ने कर्म काण्डों जो व्यक्ति और समाज के लिए निरर्थक ही है। गुरु साहब ने कर्म काण्डा की आलोचना करते हुए कहा था—

सूचे एहि न आखी अरि बहनि जि पिंडा धोई ॥

सूचे सेई नानक जिन मनि वसिआ साई ॥

(रागु आसा वार)

इसी प्रकार तीर्थ स्थानों का विरोध करते हुए लिखा है—

तीरथि नावणा जाउ तीरथु नामु है।

तीरथि शबद वीचार अन्तरि गिआन है ॥

(राग धनासरी)

वाणी में धार्मिक परिप्रेक्ष्य के सन्दर्भ में प्रचलित धार्मिक अन्धविश्वासों तथा कुप्रथाओंका बड़े आवेग के साथ खण्डन किया गया है। अपितु उन्होंने इनके बदले लोगों को बहुमूल्य उपदेश भी दिए। वे एक नवीन समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें जाति-प्रथा, साम्प्रदायिकता, मूर्ति पूजा, कठोर रीति रिवाज, अन्धविश्वास तथा शोषण रहित, सत्य, प्रेम, सन्तोष, क्षमा, दया, नम्रता, सहानुभूति, निर्भयता और नैतिक सिद्धान्तों का बोलबाला हो।

गुरु नानक साहिब ने हिन्दुओं और मुस्लिमानों को सन्देश दिया कि वे धार्मिक वैमनस्य, भेदभाव और कट्टरता को छोड़कर धर्म के मूल को जाने। इससे जो भेद-भाव, मत-मतान्तर है वे समाप्त हो जाएंगे और समाज में भ्रातृत्व की भावना विकसित होगी। नानक जी ने सर्वधर्म मेल मिलाप और भ्रातृत्व के बीजारोपण हेतु उद्घोष किया था।

सभना जीआ का इक दाता।

सो मैं विसर न जाई ॥

(जपुजी)

महात्मा गाँधी जी ने नानक जी के सर्वधर्म समभाव से प्रभावित होकर कहा था—
"अगर हिन्दू अपना घर सहेज ले तो मुझे सन्देह नहीं है कि इस्लाम भी उदार आचरण करेगा।"¹

नानक जी का दृष्टिकोण मानवतावादी था। इस सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द अपने लाहौर (पाकिस्तान) के भाषण में कहते हैं कि "यही पंजाब में गुरु नानक ने अपने

अप्रतिम मानव प्रेम का सन्देश विश्व को दिया था। यहीं पर उन्होंने अपने निश्चल और विशाल हृदय से समस्त मानवता को गले लगाया था। उन्होंने हिन्दूओं को ही नहीं बल्कि मुस्लिमों को भी अपने प्रेम से अभिभूत किया था।²

गुरु नानक देव जी उत्तम कोटि के समाज सुधारक थे। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों का खण्डन किया और लोगों को व्यर्थ के रीति-रिवाज त्याग देने का सन्देश दिया। उन्होंने बहुत सी निम्न जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया और पंगत अथवा लंगर की संस्था स्थापित की। इस प्रकार उन्होंने जात-पात रहित समाज की नींव रखी। नानक जी ने समाज में प्रत्येक प्रकार के शोषण की निन्दा की उन्होंने नाम जपना, किरत करना और वंड छकना का धार्मिक नुस्खा लोगों को सन्देश स्वरूप दिया।

In the context of social conditions prevailing in his days this was a revolutionary concept of the duties of man. (Dr. A.A. Banarji)

नानक देव जी ने विश्व भ्रातृत्व का प्रचार किया। अनेक स्थानों पर भ्रमण किया और अपने ज्ञान की ज्योति से समाज में व्याप्त अन्धकार को समाप्त करने के लिए मशाल जलाई और समाज को उजाला प्रदान किया। हिन्दू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया और कहा कि हिन्दू-मुस्लिम में कोई भेद नहीं है जैसा कबीर दास ने कहा है—

एक चाम एक मलमूत्र ते उत्पनो कौन ब्राह्मण को सूदा ॥

नानक ने आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा लोगों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। जिससे प्रेरित होकर सिक्खों ने अन्याय और अत्याचार का विरोध करने के लिए शस्त्र उठाए और धर्म युद्ध किए। गुरवाणी में शासन व्यवस्था में तत्कालीन शासकों के विषय में कहा है—

राजे सीह मुकदम कुते। जाइ जगाइन बैठे सुते।

चाकर नहदा पाईन्हि छाउ। रतु पिनु कुति हो चटि जाहु ॥

जिये जीआ होसी सार। नकी बड़ी लाइतबार ॥³

अर्थात् राजे सिंह के समान हिंसक और चौधरी कुत्तों के समान लालची हो गये हैं। वे शांत प्रजा को दुःख देते हैं और उनके नौकर अपने नाखूनों से लोगों को जख्मी करते हैं और उनका रक्त कुत्तों की तरह चाट जाते हैं। जहाँ इनके कर्मों की परख की जाएगी वहाँ इन अविश्वसनीय लोगों की नाक काट ली जाएगी।

नानक जी ने अन्यत्र कहा है—

खुरासान खसमाना कीआ हिन्दूसतानु डराइया।
आपु दोसु न देई करता जमु करि मुगल चडाइआ
ऐति मार पई करलाणै तै की दरदु न आइआ।⁴

गुरु नानक देव जी ने समाज में भ्रष्ट और दूषित न्यायाधिकरण की आलोचना की और राजा को न्यायशील बनने का सन्देश दिया।

काजी होइ के वरै निआई। फेरे तसवी खुदाई।
बड़ी लेके हक गवाए। जे को पूछे ता पडि सुजाए।।

नानक जी ने समाज कल्याण के लिए लोकतन्त्र का समर्थन किया—

राजा तख्त टिकै, गुणी मैं पचाइण रतु।

गुरु नानक के राजनीतिक चिन्तन के विषय में डॉ. रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है— “गुरुनानक अपने युग के एकमात्र ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने राजनीतिक चेतना युक्त वाणी का प्रणयन किया था। इनके समकालीन और बाद में आने वाले किसी धार्मिक नेता ने राजनीतिक चैतन्य को लेकर काव्य की रचना नहीं की।⁵

मध्यकालीन युग में अनेक बुराइया पनप रही थी जिनके कारण स्त्री को स्थान मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया था। आज भी दहेज प्रथा और सती प्रथा आदि कुप्रथाओं के कारण स्त्री जाति को न केवल अपमानित किया जाता है। अपितु उसे कई बार अपनी जान से हाथ धोने पड़ते हैं। नानकजी के समय स्त्री के साथ दोगम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। उसे पुरुष के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। स्त्री जाति पर अनेक अत्याचार किए जाते थे।

तुलसीदास, कबीरदास आदि अन्य भक्त कवियों ने स्त्री जाति की घोर निंदा एवं भर्त्सना की है। उसे पापिन, नागिन, बाघिन, नरक का द्वार आदि सब कुछ कहा गया है। इन भक्तों का मत था कि नारी पुरुष की मुक्ति के पथ में एक बाधा है और वह सब प्रकार के विकारों की जननी है, अतएव उससे जितना भी दूर रहा जाय उतना ही उत्तम है। कबीर ने कही है—

नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग
कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग।

तुलसी का वाक्य जगत् प्रसिद्ध है—

ढोल गवार शुद्र पशु नारि, सकल ताड़न के अधिकारी।

गुरु नानक देव जी ने स्त्री की प्रशंसा की है उन्होंने नारी निंदा करने वालों को फटकारा है। उन्होंने स्त्री को महान राजाओं तथा महापुरुषों को जन्म देने वाली कहकर सम्मानित किया है।

भंडि जमिए भंडि निमीए भंड मगजु जीअहु।
भंडहु होवै दोसती भंडहु चले राहु।
भंडु मुआ भंडु भालिए भंडि होवे बंधानु।
सो किड मंदा आखीए जितु जमहि राजानु।

(रागु आसा वार)

अर्थात् स्त्री से मनुष्य जन्म लेता है स्त्री के उदर से ही प्राणी का शरीर निर्मित होता है। स्त्री से विवाह होता है। स्त्री के द्वारा अन्य लोगों से सम्बन्ध जुड़ता है उसी से मानव उत्पत्ति का क्रम चलता है। उसी के द्वारा समाज का निर्माण होता है। फिर उस स्त्री को बुरा क्यों कहा जाए जो महान पुरुषों को जन्म देती है।

तत्कालीन समाज में स्त्रियों पर अनेक अत्याचार किए जाते थे। नानक जी ने इस सन्दर्भ में स्वयं कहा है कि शासकों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों और अमानवीय व्यवहार के कारण मुसलमानियां दुःखी होकर कुरान पढ़ती है और कष्ट के फलस्वरूप 'खुदा-खुदा' कहती है

मुसलमानिआ पड़हि फतबा कसट में कराटे खुदाई वे लालो।।
जाति सनाती होरी हिन्दवाणीया एहि भी लेखे लाई वे लालो।।

(राग तिलग)

इसके अतिरिक्त हिन्दू जाति की स्त्रियों की भी इसी प्रकार की दुर्दशा होती है। सम्पूर्ण जीवन गुरुनानक देव जी जातीय भेद-भाव, वैर भाव और राग-द्वेष को मिटाने का भरसक प्रयत्न करते रहे। वे सबको परमात्मा की सन्तान मानते थे। दूसरों की सेवा करना ही उनका आदर्शमन्त्र था। भारतीय समाज युगो-युगो से वर्ण और जातियों में विभक्त रहा है। परिणाम स्वरूप समाज में असमानता एवं विषमता का विष फैला है। प्राचीन समय में चार वर्ण माने गए— ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्तमान में अनेक जातिगत त्रासदिया समाज में देखने को मिलती है। समाज में धर्म के आड़म्बरों के पीछे छूआ-छूत, असमानता, वर्ग भेद का बोल बाला था। दलितों का मन्दिरों में प्रवेश वर्जित था। नानक देव जी ने जातीय भेद-भाव एवं वैमनस्य को मिटाने के लिए प्रयास किया जो कि प्रासंगिक है—

नानक जी के अनेक शिष्य निम्न जाति के थे जिनमें मरदाना सर्वचर्चित है।

जाणहु जोति न पूछहु जाति॥

आगै जाति न है॥

(रागु आसा)

जाति जन्म न प्छीए सचु करु लेहु बताई।

सा जाति है सा पाति है जेहे करम कमाई॥

(रागु मारु)

भारतीय जनमानस के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए नानक जी कहा है—

जाति जन्म न पूछीए सचु करु लेहु बताई।

सा जाति है सा पति है जेहे करम कमाई॥

(रागु सिरी)

जैसा कि सन्त कबीर दास न कहा है

जाति-पाति पूछे न कोई।

हरि को भजे सो हरि को होई॥

नानक देव जी का सन्देश था समाज में मानवता फलीफूल होती रहे। सभी मनुष्य समभाव से जीवन यापन करे। इसलिए कभी भी दूसरों के अधिकारों का हनन करना चाहिए—

हक पराइआ नानका उसु सूअर उसु गाई।

गुरु पीर हामा ता भरे जा मूरदास न खाई।

गलि भिसति न आइए घुटे सचु कमाई।

मारण पाहि हराम महे होई हलालु न जाई।

(राग-मारु)

गुरु नानक देव की वाणी में आधुनिकता पर्याप्त मात्रा में मिलती है। आधुनिक विविध सन्दर्भों में नानक जी की वाणी अत्याधिक प्रासंगिक है। डॉ नगेन्द्र के अनुसार : गुरु नानक के कृतित्व का मूल्यांकन तीन रूपों में किया जा सकता है—लोक नायक के रूप में, आध्यात्मिक गुरु के रूप में और कवि रूप में। लोकनायक के रूप में उन्होंने समस्त उत्तर भारत में सामाजिक चेतना जगाकर जन जागृति का मंत्र फूँका और अन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध जनता को संगठित किया आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्होंने निराश जनता की चेतना में आत्मविश्वास की भावना की पुनः प्रतिष्ठा की और कवि रूप में उन्होंने एक सशक्त काव्य परम्परा का प्रवर्तन किया। गुरु नानक व्यक्ति नहीं थे,

संस्था शब्द भी उनके सम्पूर्ण कृतित्व का अर्थ वहन नहीं कर सकता—वे एक समग्र देशकाल की चेतना के प्रतीक थे।⁷

गुरु नानक की वाणी की वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता और महता के सन्दर्भ में डॉ. महीप सिंह लिखते हैं— "उन्होंने (गुरु नानक) श्रुति मार्ग को ग्रहण न कर ज्योति मार्ग का ही अवलम्बन किया। श्रुतिमार्ग वेद शास्त्र प्रतिपादित ज्ञान कर्म समन्वित साधना का मार्ग था उन्होंने ज्ञान और कर्म के समन्वय के स्थान पर ज्ञान और भक्ति (प्रेम) का समन्वय कर परम तत्त्व के साक्षात्कार का ज्योतिमार्ग स्वीकार किया।" इस आध्यात्मिक साधना के फलस्वरूप गुरु नानक की वाणी में अनायास ही दो ऐसे तत्त्वों का समावेश हो गया जिन्होंने मध्ययुगीन समाज और संस्कृति को ही समृद्ध नहीं किया वरन् जो आधुनिक जीवन दर्शन के भी अभिन्न अंग है। ये दो तत्त्व है— मानववाद और सर्वधर्म समभाव शास्त्र निष्ठ धार्मिक कल्पनाओं द्वारा प्रतिष्ठित अतिमानववाद के स्थान पर जन जीवन से सहज संयुक्त संत मत न वर्ग, वर्ण, धर्म, जाति, पाण्डित्य और ऐश्वर्य से मुक्त शुद्ध मानव के प्रेम आत्मीय भाव का प्रचार किया। इनका तर्क सीधा था—जो ईश्वर का बन्दा है वह संत का प्यारा है। सर्वधर्म समभाव की धारणा भी गुरु नानक देव की प्रगतिशील एवं आधुनिक विचार पद्धति का महत्वपूर्ण अंग है। अद्धत कल्पना के भीतर से ऐकेश्वर सिद्धान्त का विकास कर निर्गुण ब्रह्म के स्तर पर ईश्वर की एकता की प्रतिष्ठा कर, उन्होंने हिन्दू मुस्लिम धर्मों में समन्वय किया और उधर कर्म और ज्ञान के विरोध का भक्ति के धरातल पर निराकरण किया। इस प्रकार धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में एकता और साम्य का प्रचार कर गुरु नानक देव ने वर्ण जाति के महासंगम इस विशाल देश की सबसे प्रमुख और जटिल समस्या का स्थायी समाधान प्रस्तुत किया जिसका महत्व आज भी अक्षुण्ण है।⁸

निष्कर्ष : गुरु नानक देव जी एक युग लोह पुरुष थे जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन जनकल्याण हेतु समर्पित किया। मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने जो शिक्षाएं दी वे निश्चित रूप से तत्कालीन समाज सुधार हेतु अनिवाय थी। गुरु नानक जी न केवल भारत देश में अपितु विश्व के सभी देशों के लिए उनके द्वारा किए गये कार्यों के लिए सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। गुरु नानक देव जी सच्चे अर्थों में धर्म गुरु, समाज सुधारक युग चेता महापुरुष थे। इनके चिन्तन का मलाधार इनकी स्वानुभूति थी। वस्तुतः इनकी चेतना धर्म, जाति, मजहब न होकर मानवीय कर्तव्य और जीवन मूल्यों का पर्याय थी। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में गुरु नानक देव जी की वाणी का सन्देश सृष्टि में सदैव प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं मानवता कल्याण के लिए मील का पत्थर प्रमाणित होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. धर्मयुग (जनवरी-1984) से उद्धृत, पृ. 10.
2. स्वामी विवेकानन्द-द स्पोकसमैन वीकली- (1988- नई दिल्ली), पृ. 21.
3. गुरु ग्रन्थ साहिब महला, राग मलार वार, पृ. 1288.
4. गुरु ग्रन्थ साहिब-महला-1, राग आसा, पृ. 360.
5. रामधारी सिंह दिनकर-संस्कृति के चार अध्याय, (1956) पृ. 137.
6. युग प्रवर्तक गुरु नानक और उनकी वाणी, डॉ. गुरचरण सिंह, पृ. 128.
7. गुरु नानक और उनका काव्य : सम्पादक, डॉ. महीप सिंह व डॉ. नगेन्द्र (1971) की भूमिका से उद्धृत
8. गुरु नानक और उनका काव्य-सम्पादक डॉ. महीप सिंह व डॉ. नगेन्द्र की भूमिका से उद्धृत



संत सोहिरोबानाथांच्या साहित्यातील सामाजिक संदर्भ

भक्ती गोविंद महाजन

संशोधक विद्यार्थिनी, मराठी विभाग,

गोवा विद्यापीठ

श्री. संत दामाजी महाविद्यालय, मंगळवेढा आणि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्रात मी संत साहित्यातील सामाजिक संदर्भ या विषयावर बोलणार आहे. त्यासाठी मी संत सोहिरोबानाथांच्या समग्र साहित्यातील सामाजिक संदर्भ या उपविषयाची निवड केली आहे.

आपला भारत हा ऋषीमुनी, समाजसुधारक, क्रांतिकारक यांचा देश आहे. भक्ती व अध्यात्माचा प्रसार करत, सामाजिक उद्बोधन करताना अनेक संतांनी समाजाला नवी वाट दाखवण्याचा तसेच समाजाची वैचारिक प्रगती घडून आणण्यासाठी प्रयत्न केला. वैचारिक स्तरावर समाजात परिवर्तन करण्यासाठी भक्तिमार्ग अवलंबिणे यासाठी संत महात्म्यांची गरज असते. सर्व संतांनी परमार्थ घराघरात पोहोचविला. आत्म्याचा साक्षात्कार ही संतांची भूमिका होती. संतांनी या साधनेला सामाजिक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले.

संतांविषयी अधिक माहिती जाणून घेताना भारतातील सर्वसंतांची आठवण करणे जरूरीचे ठरेल. गोरक्षनाथ, मुकुंदराज, चक्रधर, म्हाइंभट, निवृत्तीनाथ, ज्ञानदेव, नामदेव, गोरा कुंभार, सावतामाळी, नरहरी सोनार, चोखामेळा, सेना महाराज, परिसा भागवत, मुक्ताबाई, जनाबाई, विसोबा खेचर, कान्होपात्रा, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, वेणाबाई, सोहिरोबानाथ आंबिये अशी कितीतरी नावे घेता येतील. अशा या विविध संप्रदायातील विविध संतांपैकी नाथ संप्रदायातील गोव्यातील संतकवी सोहिरोबानाथ आंबिये यांचा जन्म गोव्यातील पालये गावी इ.स.१७१४ मध्ये झाला. महान संत, कवी, तत्त्वज्ञ, योगी आणि आत्मज्ञानी म्हणून ज्यांची ओळख आहेत संतसोहिरोबानाथ आंबिये.

संत सोहिरोबानाथ आंबिये यांच्या साहित्यातील सामाजिक

संदर्भ अभ्यासताना तत्पूर्वी त्यांची ग्रंथसंपदा पाहणे क्रमप्राप्त ठरेल. संत सोहिरोबानाथांनी सिद्धांत संहिता नावाचा १८ अध्यायांचा पहिला ग्रंथ इ.स. १७४८ साली लिहिला. इ.स. १७४९ साली अद्वयानंद हा ८ अध्यायांचा ग्रंथ तसेच पूर्णाक्षरी नावाचा ९ अध्यायांचा ग्रंथ निर्मिला. इ.स. १७४९ साली अक्षयबोध या ८ अध्यायांच्या ग्रंथाची रचना झाली तर त्यांचा शेवटचा ग्रंथ म्हणजे महदुनुभवेश्वरी. त्यांनी हा ग्रंथ इ.स. १७३० साली लिहिला. याशिवाय अनेक प्रकारची मराठी व हिंदी पदरचना त्यांच्या नावावर आहे. ते देहदुर्ग या बखरीचे निर्माता आहेत.

संत सोहिरोबानाथांनी भक्तिमार्गाचा प्रसार केला. समाजातील दुष्ट, स्वार्थी, अश्लील वृत्तींना आळा घालून समाजाला भक्तिमार्गावर आणण्यासाठी समाजाचे प्रबोधन केले. त्यांनी त्या काळी केलेला उपदेश आजच्या काळालाही लागू पडतो. सोहिरोबानाथांनी सामाजिक विकासाला प्राधान्य दिले. सज्जनांना उपदेश करताना घिसड्यांतसंहितेड्या ग्रंथात ते म्हणतात-

सतां तु संगतिं सेवां नित्यं च प्रार्थनां खलु |

कृत्वा ज्ञानं च तेभ्यस्तु श्रुत्वा मनसि चिंतयेत् ||

याचाच अर्थ सज्जनांनी नेहमी संगती, सेवा व प्रार्थना करावी व त्यांच्याकडून ज्ञान मिळवून, त्याचे मनमध्ये चिंतन करावे. आज समाजाला अशा सज्जनांची नितांत आवश्यकता आहे. सदाचार हा मनुष्याचा हा एक सद्गुण मानला जातो. या सदाचाराचे मनुष्याला महत्त्व सांगताना ते म्हणतात-

शिष्टधर्मरतो धन्यः सद्गुणी च विराजते |

बाह्यशुद्धश्च पाखंडी दुर्गुणी नैव शोभते ||

आज पैशाच्या मागे लागून माणुसकी हरवून बसलेल्या माणसांना हा सल्ला अत्यंत उपयुक्त आहे. सद्धर्मामध्ये मग्न असलेला सद्गुणी माणूस हाच धन्य होय. त्यालाच या जगात यश मिळते. बाहेरून सदाचारी परंतु मनातून पाखंडी व दुर्गुणी माणूस शोभून दिसत नाही. अशा ढोंगी माणसांपासून सावध राहावे, असा मोलाचा उपदेश साध्या, भोळ्या जनतेला करतात.

गृहस्थांच्या विकासावर समाजाची प्रगती अवलंबून असते. गृहस्थ किंवा व्यक्ती ही समाजाचा पाया ठरते. नाथसांप्रदायिक असतानादेखील गृहस्थाश्रमाबद्दल ते योग्य असे ज्ञान श्रोत्यांना देतात. गृहस्थांना योग्य मार्गदर्शन करताना ते म्हणतात-

श्रेष्ठधर्मो गृहस्थांना सत्यत्वं प्रियभाषणम् |

भूतेषु सदयत्वं च यथाशक्ति च दातृता ||

सत्य व गोड बोलणे, सर्व प्राण्यांवर दया करणे, शक्तीनुसार दान करणे, हा गृहस्थांचा श्रेष्ठ धर्म आहे. तर मित्राचा श्रेष्ठ धर्म

सांगताना ते म्हणतात -

मित्रांणा श्रेष्ठधर्मस्तु निष्कामप्रीतिवर्धनम् |

अत्यागसहनत्वं च समा चानुमतिः सदा ||

याचा अर्थ असा की मित्रावर निष्काम प्रीती करणे, केव्हाही त्याचा त्याग न करणे, सहनशीलता व सुखदुःखामध्ये समानता हा मित्राचा श्रेष्ठ धर्म असतो.

अद्वयानंद या ग्रंथामध्ये सोहिरोबानाथांनी शिवशक्तीरुपाचा महिमा वर्णन करताना स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व मान्य केले आहे.

ते सांगताना सोहिरोबानाथ म्हणतात-

ऐक जीवाचीया बीजाचें | अभिधान सांगतों साचें |

अर्धनारीनट नाचे | विश्वरंगी ||

याठिकाणी सोहिरोबानाथ गज म्हणजे हत्ती आणि मेंढा यांचे दाखले देतात तसेच व्याघ्र आणि गाय यांचाही दाखला देतात.

येथ मेंढा आणि गज | करिती समर्थाचे काज |

उभयां आवश्यक निज | एकचि माय |

पृथ्वी पृथ्वीला खाय | एवढें चोज |

मेंढयांचे काज | करु न शके तो गज |

गजाचेंहि सहज | मेंढयाचेंनि न होय |

मेंढा, गज, व्याघ्र व गाय आपापल्या परीने आपले कार्य करतात.परंतु पृथ्वी या सर्वांना आईच्या प्रेमाने सामावून घेते.मेंढ्याचे काम हत्तीला जमत नाही व हत्तीचे काम मेंढ्याला जमत नाही परंतु पृथ्वी मात्र सर्वांना समान न्यायाने वागवते.ती कोणताही दुजाभाव ठेवीत नाही.म्हणून सर्व माणसे समान आहेत.कोणीही कोणत्याही बाबतीत भेदाभेद करू नये.मनुष्याने राजाचे कर्तव्य लक्षात ठेवावे.राजाने कोणते कर्तव्य पाळावे याबाबत सोहिरोबानाथ म्हणतात-

म्हणोनिया राजयानें | लहान थोर पाळिले समानें |

उभयांचेनि निदानें | एकचि तो ||

याप्रमाणे राजाने लहान थोर सर्वांना समान न्यायाने वागवावे.यात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करू नये.या ठिकाणी सोहिरोबानाथ समाजासाठी एकतेचा संदेश देतात.देव काय किंवा ब्रम्हवेत्ता काय? दोघांची शरीरे भिन्न असली तरी आतील तत्त्व एकच असते. आपण सारी एकाच ईश्वराची लेकरे आहोत, हे सांगताना संत सोहिरोबानाथ म्हणतात-

तैसे ब्रम्हादिक सुरवर | की औटहात शरीर |

दोघीतही तत्त्वविचार | निज निर्मळे एकचि ||

म्हणजेच साडेतीन हात शरीर माणसाचे असो वा देवाचे त्या ठिकाणी आत्मरूप एकच असते.म्हणून आपणच आपल्यातील शिवतत्त्वाला जागृत करावे.म्हणजे आपला उगम आपणालाच दिसू

लागेल. जर सर्वांमध्ये एकच आत्मरूप पाहिले तर सर्वांना सारखाच आनंद होईल. हे सांगताना संत सोहिरोबानाथ म्हणतात-

जया उगवा पाहतां | पाहणेचिं निरसे तत्त्वता |

समदृष्टी आनंद तत्त्वता | पावें पै रोकडा ||

हाच अद्वयानंद सर्वांनी अनुभवावा.तेजाचे अलौकिक दर्शन यातून होईल. तेजातून तेजाचा उदय होईल. परमामृताचे सेवन करता येईल. समाजातील सर्वजण यातून संतुष्ट होतील, असा संत सोहिरोबानाथ विश्वास व्यक्त करतात.

संत सोहिरोबानाथांच्या अक्षयबोध ग्रंथातील सर्व प्रकरणांच्या शीर्षकांत स्वस्वरूप हा शब्द सामान्यपणे त्यांनी योजिला आहे.म्हणजेच स्वस्वरूपाच्या संदर्भातच हा अक्षय म्हणजे शाश्वत असा बोध असून समाजातील सर्व स्तरातील माणसांसाठी आहे. या ग्रंथातील मनुष्यरूपी शिष्य हा शबलांश म्हणजे संशय, माया यांनी बुरसटलेला, गढूलेला असा आहे, जो समाजात पावलापावलावर दिसतो. सहज समाधीच्या माध्यमातून हे वर्णन येते. सोहिरोबानाथ स्वतः नाथ परंपरेतील योगी असल्यामुळे हे वर्णन त्यांच्या आत्मप्रचितीतून येते. तरीही ते प्रपंचातील माणसाला यथोचित मार्ग दाखवतात.संसारात गुरफटलेल्या माणसाला विविध मोहाची भूल पडते.पण सहजसमाधीमुळे, सहजानंदामुळे त्याची चिंता निघून जाते व त्याला सुख प्राप्त होते.भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक, बोध यांच्यामुळे व्यक्तीला परमसुख प्राप्त होते.

ज्ञानापूर्वीचे अज्ञान, मोह, माया ही भक्तिने नाहीशी होते.म्हणून या ग्रंथात ते भक्तिचे वर्णन करतात.भक्तियोग म्हणजे ब्रम्हविषयाचे सुख अनुभवणे.ही आत्मसुखाची तळमळ लागल्यावर सर्वत्र ईश्वरच दिसतो.भक्तिला भूतदया आवश्यक आहे.संत सोहिरोबानाथ या ठिकाणी घृत म्हणजे तुपाचे उदाहरण देतात.ज्याप्रमाणे तुपाच्या पुतळ्याला वितळविण्यासाठी अग्नी म्हणजे आग पुरेशी असते त्याचप्रमाणे भक्ताचे हृदय संवेदनशील असावे.कारण संवेदनशीलतेमुळे समाजाला आधार मिळतो.या ठिकाणी माणसाने माणसाला माणुसकीने वागवणे अपेक्षित आहे.भक्तिला शरण गेल्यावर अहंकार वेगळा होतो.भक्ति प्रेमे अथिलेने | सकल नगी देखिले सोने | या उदाहरणातून सोहिरोबानाथ म्हणतात की दागिन्याचे आकार व नावे भिन्न असतील तरी त्याच्यात सोने हा एकच घटक असतो तरी शेवटी एकच नामतत्त्व आहे, हे जाणावे. जाति-धर्मावरून समाजात दुफळी माजविणा-या समाजकटकांनी ही गोष्ट ध्यानात घेण्यासारखी आहे, असे मला वाटते.

वैराग्याचे खरे स्वरूप कसे असते याचे वर्णन करताना प्रथम ढोंगी लोक, ब्रम्हचारी वैराग्याचा देखावा कसा करतात त्याचे वर्णन अनेक उदाहरणातून सोहिरोबानाथांनी केले आहे.खरे वैराग्य

कसे असावे आणि कसे असू नये याबाबत यात मोलाचा सल्ला दिला आहे.समाजातील भोंदू लोकांविषयी ते संताप व्यक्त करतात.ढोंगी लोक व साधू यांची खोटी लक्षणे सांगताना ते म्हणतात -

एक त्यागिती अन्न | एक सेविती महावन |

एक लटिकेंचि करितो ध्यान | डोळे झांकुनी ||

संत सोहिरोबानाथांनी श्रीमहदनुभवेश्वरी या ग्रंथातून दिलेल्या शिकवणुकीचा आजही उपयोग आहे.पुढे ही होत राहणार. मनुष्याने उत्कृष्ट जीवन कसे जगावे, जीवनात न आवडणाऱ्या अप्रिय गोष्टींस कर्तव्य म्हणून तोंड द्यावे लागते तेव्हा मोहग्रस्त होऊन कर्तव्यापासून पळून जाऊ नये.ते नेटाने पार पाडावे, असे ते या ग्रंथात म्हणतात.संत सोहिरोबानाथांना पळपुटेपणा मान्य नाही.त्यांनी त्यांचा धिक्कार केला आहे. ते या ग्रंथात म्हणतात की संसारी जीवांनी अपरिपक्व स्थितीत त्याग करून स्वतःचे हसे करून घेऊ नये. पांढ-या कपड्यातही संन्यस्तवृत्ती असू शकते.संन्यास हा वेषात नाही, ती वृत्ती मुरून सहज स्थिती झाली पाहिजे. त्याला स्वतःपुरते कर्तव्य उरले नसले, तो पूर्णकाम झाला, तृप्त झाला तरी त्याला लोकांपुरते कर्तव्य उरतेच. ते कोणते असेल ते त्या वेळच्या परिस्थितीवर आणि देवाला त्याच्याकडून काय कार्य करून घ्यायचे आहे त्यावर अवलंबून राहिल. त्याचे उत्तर माणसाला देता येणार नाही. कार्य झाल्यावर या सर्वांचा उलगडा होतो.

जगातील कोणत्याही काळातील अथवा देशातील माणसाला आनंद हवा आहे, सुख हवे आहे. ते सुख मनःशांतीवर अवलंबून आहे. ही मनःशांती प्रपंचाच्या रोजच्या प्रसंगात हरघडी बिघडते. शांती बिघडली की जवळ असलेले पुत्र, वित्त, कलह हे विषय नकोसे होतात. श्रीमहदनुभवेश्वरी याच्या उलट परिस्थितीत नेऊन ठेवते. आयुष्याचे सूत्र संपण्याची वेळ आली आहे. चित्ताची गडबड होऊन युगान्त होण्याचे भय उत्पन्न होत आहे, त्यावेळी श्रीमहदनुभवेश्वरी बोध देऊन जन्ममृत्यू शरीराचे धर्म आहेत, आपण शरीरात राहणारे शरीरधर्मापासून वेगळे आहोत हे शिकविते. प्रतिकूल परिस्थितीत प्रज्ञा स्थिर करून कर्म कसे करावे याचा उत्कृष्ट आदर्श श्रीमहदनुभवेश्वरीत आहे.कर्तव्यकर्म चुकतच नाही ते उच्च भूमिकेवरून अनासक्त रीतीने कसे करावे याची शिकवण या ग्रंथात आहे. आज विज्ञानाची प्रगती झपाट्याने होत आहे. सर्व जग फार जवळ येत आहे. आकुंचित होत आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रातील स्वैर भोगाचाराचे आक्रमण भारतीय संस्कृतीवर होत आहे.अशा वेळी विज्ञानातील त्याज्य भाग टाकून समाजाचे कल्याण करणारा उत्तम भाग पत्करून जीवनातील वाईट प्रसंगांना तोंड देत असताना स्वानंद कसा भोगावा, याची गुरुकिल्ली श्रीमहदनुभवेश्वरीत आहे.

कोणत्याही धार्मिक संप्रदायाचा सदाचार हा प्राण आहे. ज्ञान व भक्तीची उंची सदाचार अगर नीतिमतेवर अवलंबून आहे. यासाठी संत सोहिरोबानाथांनी सद्गुण विकासाची योजना केवळ सदुपदेशावर अवलंबून न ठेवता एका निराळ्याच पण अत्यंत प्रभावी मार्गाने केली. १८ व्या अध्यायात सद्गुणाने वागा असा उपदेश करण्याऐवजी एकेक सद्गुणांनी परिपूर्ण असा एकेक महापुरुष दृष्टीपुढे उभा करून त्यांच्या दर्शनात नीतिमतेच्या सदाचाराची स्फूर्ती वाचकांच्या हृदयात व्हावी अशी योजना केली आहे. कुकर्म, दुर्गुणाचे वर्णन करताना त्याविषयी घृणा निर्माण होईल असा प्रयत्न केला आहे.समाजात नीतिमतेलाहीएक प्रकारचे उच्च पातळीवरील सौंदर्य व रसिकता प्राप्त करून देऊन आपले जीवनही असेच सुंदर व रसिक व्हावे, अशी लालसा श्रोत्यांच्या मनात उत्पन्न करण्याची विलक्षण हातोटी साधली आहे. निरनिराळे सद्गुण हे भिन्न दिसले तरी ते एकाच महासद्गुणाचे भिन्न भिन्न आविष्कार होत.तो महासद्गुण म्हणजे ज्ञान होय. या ज्ञानाचीच बाहेर उमटणारी चिन्हे म्हणजे निरनिराळे सद्गुण, हे त्यांनी विविध ओव्यांद्वारे स्वानुभवाने स्पष्ट केले.ही खरी ज्ञानलालसा समाजातील प्रत्येक घटकात जेव्हा निर्माण होईल तेव्हा ख-या अर्थाने समाज सुधारेल.

संत सोहिरोबानाथांनी या ग्रंथरचनेबरोबर विविध विषयावरील अभंग रचले.त्यांचे अभंग नामसंकीर्तन माहात्म्य, करुणा, भेट, भक्तस्वरूप, प्रारब्धगती, परमार्थ जीवन, संतमहिमा यावर आहेत.संत सोहिरोबानाथांनी आपल्या अभंगातून सर्वसामान्य जनांना केलेला उपदेश साधा आणि सरळ आहे. अंतःकरणात एक भक्तिप्रेम ठेवले म्हणजे परमेश्वर प्रसन्न होतो.पण सामान्य लोकांना खरा मोक्ष कशात आहे, हे समजत नाही.या जगातील प्राणिमात्र लोभ, वासना यांच्या बळी पडून आत्मनाश करून घेतात.म्हणून कोणत्याही लोभाला बळी पडू नये असा उपदेश सोहिरोबानाथ समाजाला करतात.संसार कसा करावा याचे मर्म सांगताना ते म्हणतात की परमेश्वराला साक्षी ठेवून परमेश्वरार्पण करण्याच्या बुद्धीने संसार करावा.संसारात राहून त्यातील खरे सुख घ्यायचे असेल तर संतसंगाचा आश्रय करणे आवश्यक आहे.दया, क्षमा, शांती, हरिकीर्तन, संतसेवा, भूतदया हे गुण प्रत्येक भक्ताने अंगी बाणवण्याचा प्रयत्न करावा.म्हणजे परमार्थ सुलभ होईल. सर्वांना समान बुद्धीने पाहावे.भेदभाव करू नये, पृथ्वीची क्षमा उणी ठरेल,अशी क्षमा आचरावी. अंतःकरण शुध्द असावे. मन मूढ असावे.सतत नामस्मरणाचा ध्यास असावा.हे सर्व गुण केवळ संतसमागमाने प्राप्त होतात म्हणून संतसहवास करावा.त्यातून चारित्र्यसंपन्न समाजाची निर्मिती होईल.

तुम अच्छा हुक्का पीना,जन्मासि आलासि संसारी धालासि त्यांतचि झालासी गर्क किं गा, अवधूत नहीं गरज तेरी हम बेपर्वा फकीरी, तोचि पहा तूं देव, तूं निंदु नको सुजना, स्थान बरें जलवास, हकनाक आयुष्य जाय, अभ्यास मनाला लाव, संसार प्राण्या थोडा रे थोडा रे, वासना हे विषयांची बुडविल आम्हा यासारख्या उपदेशपर अभंगात समाजातील विविध प्रवृत्तींचा वेध संत सोहिरोबानाथ घेतात. सुखे ही वरवर पाहता हवीहवीशी वाटतात; पण ती सर्व या नश्वर जगातील नश्वर सुखे क्षणभंगुर आनंद देणारी असतात.एका सुखाच्या परिपूर्तीसाठी दहा सुखांच्या गरजा निर्माण होतात; आणि त्या सर्व सुखांच्या परिपूर्तीत सर्व आयुष्य निघून जाते.शेवटी मनुष्य भ्रांतचित्त होतो.हे सर्व जर टाळायचे असेल तर माणसाने शाश्वत असे आत्मसुख प्राप्त करून घेण्याकरिता भक्तिमार्गाला लागावे, असा सल्ला ते देतात.आजच्या बिघडत चाललेल्या तरुणांने यातून शाश्वत स्वरूपाचा बोध घ्यावा. सोहिरोबानाथांच्या उपदेशाचे सार सांगावयाचे झाले तर शुध्द आचार, शुध्द विचार, उत्कट भक्ती, दया, क्षमा, शांती, वैराग्य, विवेक, भूतदया, नामस्मरण, अहंकाराचा निरास, परमेश्वरार्पण बुध्दीने केलेले कर्म व आचरण, संतसेवा या सद्गुणांचा ठेवा आत्मसात केला, म्हणजे कोणताही भक्त देवत्व पावल्याशिवाय राहणार नाही.समाजाला आध्यात्मिक बैठकीतून वैचारिक परिपक्वता लाभेल.

निष्कर्षाकडे जाताना मी असे म्हणेन की संत सोहिरोबानाथांवर जरी नाथ संप्रदायाचा प्रभाव दिसत असला तरी प्रपंचातील व्यक्तिला त्यांनी केलेले मार्गदर्शन काळानुरूप ठरते.संत साहित्यातील सामाजिक संदर्भ तपासताना असे जाणवते की समाजाबद्दलची तळमळ जशी ग्रंथरचनेत दिसते तशीच अभंगाच्या साध्या सोप्या रचनेतही दिसते.योगसामर्थ्यावर समाजाची बैठक पक्की होऊ शकेल, हा विचार सोहिरोबानाथांच्या तत्त्वज्ञानातून अधिक प्रकर्षाने जाणवतो पण त्याच बरोबर गृहस्थाश्रमात राहूनही मोक्षापर्यंत जाता येते, हेही ते मान्य करतात दिसतात.सर्वसामान्य जनांसाठी सोप्या भक्तिमार्गाचा अवलंब करावा, यासाठी सोहिरोबानाथांची भूमिका आग्रही दिसते.सोहिरोबानाथांनी समानतेच्या तत्त्वाचा पुरस्कार केला आहे.कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव ते मान्य करीत नाहीत.समाजातील खोट्या अपप्रवृत्तींवर प्रहार करताना त्यांचा स्पष्टपणा, परखडपणा विशेष जाणवतो.त्यांची लेखणी आदर्श समाजाच्या कल्पना रंगविताना वास्तविकतेचे भान ठेवते.शब्दाशब्दातून परमेश्वरावरील नितांत श्रद्धा जाणवते.त्यांच्या साहित्याला तात्त्विक अधिष्ठान लाभले असले तरी समाजातील सर्व स्तरातील लोकांना समजेल, उमजेल अशी भाषाशैली आहे.

धन्यवाद

संदर्भ ग्रंथ-

- खरात शंकरराव, संतांची सामाजिक दृष्टी, कॉन्टिनेंटल प्रकाशन, पुणे, २००५.
 गोसावी रं. रा., पाच भक्तिसंप्रदाय, प्रतिमा प्रकाशन, पुणे, २००८.
 जोशी मधुकर रामदास, नाथसंप्रदाय, व्हीनस प्रकाशन, पुणे, १९८०,
 ढेरे रा. चिं., संत, लोक आणि अभिजन, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे, २००५.
 नसिराबादकर ल. रा., प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर, २००५.
 सरदार गं. बा., संत वाङ्मयाची सामाजिक फलश्रुती, लोकवाङ्मय गृह, मुंबई, १९८२.



महाराष्ट्रातील महिला नेतृत्वाचा विकास

डॉ. निता सोमनाथे (गभने)

राज्यशास्त्र विभागप्रमुख,

श्रीमती.गोपीकाबाई भुरे महिला महाविद्यालय तुमसर,
जि. भंडारा

प्रस्तावना :

आजच्या स्पर्धात्मक काळात, प्रत्येक वर्गात मग ते सरकारी असो किंवा व्यक्तीगत असो 'लीडरशीप' आणि 'टिमवर्क' चे महत्व दिवसेंदिवस वाढत जात असल्याचे आपल्याला दिसून येते त्यामुळे कणखर नेतृत्व असणे आवश्यक आहे. आज आपण या माहिती तंत्रज्ञानाच्या जगात एकमेकांना जोडले गेलेले आहोत. आणि वेळ ही सतत बदलत आहे. त्यामुळे महिलांमध्ये कुशल नेतृत्व असणाऱ्या व्यक्तिमत्वाची गरज आहे. तत्परता आणि कणखरपणा हाती घेतलेल्या कार्यावरील निष्ठा आणि त्यासाठी लागणारी कष्टवृत्ती त्यागवृत्ती आणि समर्पणशीलता, सर्वांना जोडणारी समावेशकता यासंदर्भात स्त्रियांचे स्थान अद्वितीय आहे होते आणि असणार, याचे समग्र भान महाराष्ट्र शासनाला आहे. राज्य, राष्ट्र, आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्त्रियांचे कर्तृत्व बहरत असतांना, त्यांना अत्युच्च सन्मान प्राप्त होत असतांना त्याचा लाभ किती स्त्रियांना होत आहे आणि त्यांच्या नेतृत्वाचा विकास कसा होतो आहे हे बघणे उद्बोधक ठरेल.^१ महाराष्ट्रातील महिला सर्वच क्षेत्रांत आघाडीवर आहेत. अर्थात राजकारणाचे क्षेत्र त्याला अपवाद नाही. राज्याच्या विधानमंडळात अनेक महिला सदस्य आपले कर्तृत्व गाजवत आहेत. पक्षभेद विसरून राज्याच्या प्रगतीत आपले योगदान देत आहेत. कारण सावित्रीबाई फुलेंच्या, पंडीता रमाबाईंच्या महाराष्ट्रात महिलांबाबतचे क्रांतीकारी निर्णय खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात

येणे तसे अपेक्षितच. संपूर्ण भारताला स्त्री स्वातंत्र्याची मुहूर्तमेढ घालून देणारे महिला धोरण सर्वप्रथम मांडले गेले ते महाराष्ट्रातच.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :

महाराष्ट्र विधिमंडळातील महिलांची कामगिरी अभ्यासतांना त्यांच्या पुर्वपरंपरांचे अध्ययन करणे आवश्यक ठरते. महाराष्ट्रातील महिलांचे नेतृत्व कशा प्रकारे विकसित झाले. हे लक्षात घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील परंपरेचा ऐतिहासिक मागोवा घेणे आवश्यक आहे. लोकशाहित राजकिय सहभाग अतिशय महत्वपूर्ण असतो. कारण लोकशाही रूजवणे व टिकवणे यासाठी ती आवश्यक प्रक्रिया असते. आणि हा सहभाग जितका प्रभावशाली तितकी लोकशाही कार्यक्षम असते. याहीपेक्षा महत्वाचे हे ठरते की, हा सहभाग सर्वसमावेशक असावा. त्यात संपूर्ण जनता सहभागी असावी व कोणत्याही व्यवस्थेत स्त्री ही एकूण समाजव्यवस्था लोकसंख्येचा व जनतेचा आवश्यक घटक असतो. हा सहभाग तो पर्यंत प्रभावशाली होत नाही जोपर्यंत स्त्रिया सक्षमपणे व्यवस्थेत सहभागी होत नाही. परंतु इतिहासकाळापासून तो आधुनिक काळापर्यंत स्त्रियांचा इतिहास अध्ययन केल्यास तो उपेक्षा व अन्यायाचाच दिसून येतो. विशेषाभासाने स्त्रीचे वर्णन सामाजिक व्यवस्थेत आढळते. एकीकडे तिला प्रकृति, शक्ती, काली असे म्हणायचे. कधी विदुषी रणरागीणी म्हणून संबोधायचे तर व्यवहारात मात्र तिला दुय्यम दर्जा घायचा. जसा इतिहास तिच्या विदारक स्थितीचे वर्णन करतो. समाज सुधारकांच्या कार्यापासून तो शासनाच्या विविध धोरणापर्यंत स्त्रियांना सक्षम बनविण्यासाठी भारतीय इतिहासात वेळोवेळी प्रयत्न झालेले दिसतात. कधी कायदे करून, कधी योजना तर कधी अभिकरणाची निर्मिती करून हे प्रयत्न झालेले दिसतात.

● पेशवाईच्या अंतानंतर १८१८ साली महाराष्ट्राला पाश्चात्य उदारमतवादी शिक्षणाची ओळख झाली त्यातून लोकशाही विचारांची मूल्ये रूजविण्यास प्रारंभ झाला.

● स्त्री-पुरुष समानता, अभिरूची स्वतंत्र्य, सामाजिक व आर्थिक न्याय या मानवी मूल्यांची ओळख झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील महिला वर्गामध्ये अभूतपूर्व

जागृती घडून आली त्यातून नवनवीन संघटनात्मक चळवळी व उपक्रमांची भर पडत गेली.

● स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये हक्क व कार्याकर्त्यांची जाणीव होऊन संविधानातील तरतुदी नुसार महिलांना पुरुषाप्रमाणे समान मानवाधिकार प्राप्त झाला व राजकिय जागृती वाढत गेली.

अशाप्रकारे १९ व्या शतकाच्या मध्यंतरानंतर आणि २० व्या शतकाच्या अर्धशतकामध्ये महिलांमधील जागृती वाढीस लागल्याची दिसून आले.

नेतृत्वाचा परिचय :

महाराष्ट्रातील किंवा एखाद्या प्रदेशातील महिलांच्या नेतृत्वाचा विकास हा तेथील सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक प्रक्रियेचा एक भाग असतो. त्या काळातील सभोवतीच्या पार्श्वभूमीतून नेतृत्व विकसित होत असते. नेतृत्व हे ज्ञानामुळे प्राप्त होत नाही. हजारो पुस्तकांचे ज्ञान आत्मसात केले असले तरी नेतृत्वगुण तुम्ही विकसित करू शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला योग्य मनोवृत्ती बनवावी लागते.

‘नेतृत्व’ हा संवाद उच्चारला की ताबडतोब वेगवेगळ्या व्यक्ती डोळ्यासमोर उभ्या राहतात जसे की, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, मार्गरेट थॅचर, मॅडम कामा, सावीत्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, मेधा पाटकर, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी यापैकी प्रत्येकाची नेतृत्व करण्याची पद्धत वेगळी होती. काही जण नेतृत्वाला एक वलय किंवा किमया समजतात. तर काही जण त्या व्यक्तीला अधिकारामुळे मिळणारे महत्व मानतात. थोडक्यात नेतृत्व म्हणजे ठरावीक वेळेत एखादे काम इतरांकडून कौशल्याने करून घेणे. नेतृत्वगुण तुमच्याकडे नसतील तर यशाची उंची गाठणे अशक्य असते.

Warren Bennis’ definition of leadership says –

“Leadership is a function of knowing yourself, having a vision that is well communicated, building trust among colleagues, and taking effective action to realize your own leadership potential”.

वॉरन बेनिस च्या मतानुसार लीडरशीपची व्याख्या:

‘नेतृत्व म्हणजे स्वतःला ओळखण्याचे एक

कार्य आहे. एक स्वप्न जे तुम्हाला सत्य करायचे आहे, सहकाऱ्यामध्ये विश्वास निर्माण करणे प्रभावी कार्य करण्यासाठी स्वतःच्या नेतृत्वाची जाणीव होणे.’”

जॉन मॅक्सवेल “लीडरशीप म्हणजे एक प्रभाव आहे. नाही जास्त नाही कमी”

पिटर ड्रकर ने आपल्या पुस्तक ‘द लीडर ऑफ फ्युचर मध्ये लीडरची व्याख्या अशी दिली आहे “The only definition of a leader is someone who has follows.”²

“एक लीडर ची व्याख्या अशी आहे की, ज्याचे कोणी अनुयायी आहेत.” तसेच “प्रतिकुलतेवर मात करून आपल्या व्यक्तीमत्वाचा प्रभाव सिद्ध करून राजकिय व सामाजिक तसेच संस्थात्मक जीवनावर प्रभाव टाकणाऱ्या प्रक्रियेस नेतृत्व असे म्हणतात.”³

“महाराष्ट्रातील महिलांनी अशा प्रतिकुल परिस्थितीवर मात करून राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण अशा विविध क्षेत्रात आपला ठसा उमटविला आहे. या संदर्भात ते म्हणतात, “कोणत्याही समाजात व्यक्ती किंवा संस्था यांना जे काही चांगले काम करावे लागते त्याचा अभ्यास केला असता त्यामागे नेतृत्वाची प्रेरणा लक्षात येते ”⁴

महाराष्ट्रातील महिला नेतृत्वाचा विकास यावर प्रकाश टाकतांना लक्षात येते की, महाराष्ट्रामध्ये स्त्रियांच्या संघटना १९७० नंतर वेगाने स्थापन झाल्या. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद येथे स्त्री मुक्ती संघटनेचे कार्य वेगाने सुरू झालेले दिसून येते.

महिलांची सामाजिक जागृती :

‘राजकिय पक्ष आणी त्यांच्या महिला आघाड्यांचा उदय ही बाब महिलांच्या विकासासाठी पूरक व पोषक ठरली. राजकारणाच्या आघाडीवर महिलांनी पुढे दमदार वाटचाल सुरू केली. उजव्या डाव्या मध्यममार्ग अशा सर्वच पक्षांमध्ये महिला उतरल्या आणी त्यांनी नवनवीन जबाबदारीची कामे देऊन पक्ष संघटनांत झेप घेतली. महिलांचे राजकारण हे क्षेत्र त्यांना नव्या संधी घेऊन आले. सभा, सम्मेलने, धरणे, मोर्चे अशा अनेक प्रयोगातून महिलांनी धाडसाने जबाबदारीची कामे स्वीकारली व ती पारही पाडली. महिलांचे

राजकारणातील सहभागीत्व नव्या क्षमतांचे संवर्धन करणारे ठरले.

राजकिय पक्ष व महिला जागृती. :

महाराष्ट्र विधिमंडळातील महिलांचा सहभाग हा प्रारंभीच्या काळात फारसा उत्साहवर्धक नव्हता पण पुढे चालून हा सहभाग वाढत गेला. निर्णय प्रक्रियांमध्ये आणी ध्येय धोरणांची निश्चिती करण्यामध्ये महिला वर्ग अग्रेसर होता. संख्येने त्या विधिमंडळामध्ये कमी होत्या पण समकालीन राजकारणावर त्यांचा गुणात्मक प्रभाव हा निश्चितच महत्वाचा होता. राजकारणाला सकारात्मक वळण देऊन त्याचा दर्जा सुधारावा या हेतूने महिलांनी बजावलेले कार्य हे इतिहासाला कलाटणी देणारे ठरले हेही येथे नमुद केले पाहिजे. राजकारणातील निर्णय प्रक्रिया ही पारदर्शक करावयाची असेल तर नव्या आव्हानांना सामोरे जाताना महिलांना प्राधान्यक्रम ठरविता आले पाहिजेत. तसे झाले तर चित्र निश्चितच बदलतील.

संवैधानिक अभिकरण पंचायत राज व्यवस्था :

१९९३ मध्ये शासन अधिक प्रभावी व विकेंद्रित होण्यासाठी ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्ती नुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थेचा स्विकार करण्यात आला. यात पंचायत व्यवस्थेत महिलांसाठी ३० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची तरतूद महिला सक्षमीकरणासाठी मोलाची ठरली आहे. महाराष्ट्र सरकारने आज हे आरक्षण ५० टक्के ठरवून आणखी भर घातली आहे. या दोन्ही तरतूदी स्त्री सक्षमीकरणाच्या विविध प्रयत्नातील मैलाचे दगड ठरले आहे. असे म्हटल्यास खोटे ठरणार नाही. राजकीय सक्षमीकरण झाले की बाकीच्या सक्षमीकरणाला क्रियान्वित होणे सोपे जाते. आज संपूर्ण राजकिय व्यवस्थेत पंचायत राज्यव्यवस्थेतील स्त्रियांच्या प्रवेशामुळे एक उज्वल भविष्य प्रकाशमान होत आहे. निर्णयक्षमता, नेतृत्व इत्यादी क्षेत्रात स्त्री धडाडीने कार्य करत आहे.

महाराष्ट्र विधिमंडळातील महिलांची कामगिरी :

महाराष्ट्र हे जागरूक, पुरोगामी आणी नेतृत्व देणाऱ्या महिलांचे राज्य मानले जाते. प्रतिभाताई पाटील, मृणाल गोरे, सुर्यकांता पाटिल, प्रभा राव, निर्मलाताई भोसले, कांता नलवडे, निवेदिता माने, विमल मुंदडा, जयवंतीबेन पटेल, सरोजीनी बाबर, अशा अनेक

महिलांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपली छाप पाडली आहे. अलिकडच्या काळात पंकजा मुंडे, यशोमती ठाकूर, निर्मला गावीत, प्रणिती शिंदे, वर्षा गायकवाड अशा अनेक महिला आमदार विधानसभेत चांगली कामगिरी करित आहेत. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत २४ महिला आमदार निवडून आल्या आहेत. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत महिला आमदारांची संख्या चारने वाढली आहे.

प्रतिभाताई पाटिल यांच्या एक वर्षे आधी म्हणजे १९७८ ते ७९ मध्ये प्रभाराव विरोधी पक्ष नेत्या होत्या १९८९ ते १९९० या काळात मृणालताई गोरे यांनी विरोधी पक्षनेतेपद भूषवितांना विधिमंडळात जन सामान्यांच्या प्रश्नावर तत्कालीन सरकारला धारेवर धरले होते. अनेक महिला आमदारांनी मंत्रीपदे भूषविली आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेतील महिला आमदार असलेल्या प्रतिभाताई पाटील यांनी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद, मंत्री आणि देशातील सर्वोच्च असलेल्या राष्ट्रपती पदापर्यंत यशाची मजल मारली आहे. महाराष्ट्रातील महिला राज या ग्रंथात सोपान गाडे यांनी एकूण ४४ महिलांच्या मुलाखती दिल्या आहेत. प्रस्तावनेत ते म्हणतात, 'देशात आज ग्रामपंचायतीपासून ते जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांपर्यंत आणि राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंत ते देशाच्या सर्वोच्च अशा राष्ट्रपती पदापर्यंत महिलांनी गरूडझेप घेतली आहे'.

समारोप :

महाराष्ट्रातील महिलां नेतृत्वाच्या विकासाचा आढावा घेत असतांना असे लक्षात आले की, पत्नी, माता, गृहिणी, अशा सर्व भूमिका पार पाडत महिला अग्रभागी आहेत. इतिहासातून प्रेरणा व शक्ती घेऊन महिला आपले कर्तृत्व गाजवित आहेत. त्यांचा अष्टपैलु गुणांच्या विकास हा प्रतिकूल परिस्थितीतून झाला आहे. द्वंद, प्रतिद्वंद, व विकास अशा तीनही प्रक्रियेतून महिला नेतृत्व सोन्यासारखे चमकून निघाले आहे. महाराष्ट्रातील महिलांच्या विधिमंडळातील राजकिय सहभाग हा पूर्व परंपरेच्या तेजाची प्रवाहातून विकसित झाला आहे.

देशाच्या सर्वोच्च राष्ट्रपती, पंतप्रधानापर्यंत महिला पोहचल्याच नाही तर त्यांनी जागतिक स्तरावर कामगिरीचा ठसा उमटविला. सद्यास्थितीतही राजकारणात काही

महिलांची कामगिरी उत्तम आहे. २०१९ विधानसभेतील महिला आमदारांच्या संख्येत ज्याप्रमाणे वाढ झाली. त्याचप्रमाणे महिलांची कामगिरी आणि नेतृत्व लक्षात घेता भविष्यात देखील महिलांचे नेतृत्व विकसित होतच राहील हे अपेक्षितच आहे.

Literature and Culture

Miss Patil Vidya Dattatraya

संदर्भसूची :

- १) लोकराज्य, महिला दिन विशेष, सक्षम महिला प्रगत महाराष्ट्र (मुंबई, माहिती व जनसंपर्क महासंचनालय, मार्च २०१०)
- 2)Drucker Peter “The leader of future.”
- 3) Drucker peter, (2006), The Practice of Management, Butterworth- Heinemann, oxford, p-16
- 4) Ibid, Pg -17
- ५) गर्गे स. मा. सामाजिक इतिहास (पुणे : मान सन्मान प्रकाशन)
- ६) व्होरा. राजेंद्र पळशीकर सुहास (१९९६), महाराष्ट्रातील सत्तांतर, (मुंबई : ग्रंथाली प्रकाशन)
- ७) सकाळ : महाराष्ट्र विधानसभा (नागपूर :दि. २ ऑक्टोबर २०१९)
- ८) लोकमत : महाराष्ट्र विधानसभा २०१९ (मुंबई : दि. १७.१०.२०१९)
- ९) विनायक डावरूंग. टीव्ही ९ मराठी (मुंबई — दि. २६.१०.२०१९)



While thinking about Literature and culture we need to search what the interconnection is between literary trends or culture or what is the impact depicted through the literature. What is the nature of that literature or how they connect to each other that is the important Part of this research paper tries to search what is the exact concept of literature and culture or how they developed that is the Key point of this paper.

First we will see what the literature is. Literature is a term used to describe written and sometimes spoken material. Derived from the Latin word literature most commonly refers to work of the creative imagination, including poetry, drama, fiction, nonfiction and in some instances, journalism and song. in history of English literature a lot of author wrote about literature and culture. Literature enhances element such as authentic material, language in use and aesthetic representation of the spoken language as well as language and cultural enrichment. It is with this last element that literature opens the door that leads to a wider and closer look on the culture being on inter disciplinary core, offers several perspectives that also approach such as artistic discourses social conventions and reflexive impacts. It is important to mention that I integrate literature and culture within instances including pop music mainly. Thus literature is not dealt with but a way more integrated to an inter cultural experience.

We will see the what is the general

characteristics of Indian culture. Indians have called their culture by the name of human culture. It has tried to be so comprehensive as to suit the needs of every humans being, irrespective of age, sex, color or race. As such it has a universal appeal without any attempt at conversion, people are converted to it. Without any state support for the last several hundred years and in spite of incessant attempts of barbarous foreign invaders to root it out from the soil of India. It has Flourished or endured. Although born and development in India, it spread over almost all parts of the earth. History has not been able to trace its beginning, hence it is taken in India as beginning less. It has always existed in time and it shows no sign of decay or death; hence it is spoken of as eternal. It is called vaidic because the earliest literature in which it found expression is the Veda, the oldest books known to the world. It is called Hindu culture or Indian culture, because it flourished in its earliest stages on this (eastern) side of the river Indus, which is the same as Sindhus or Hindus in various languages.

As people interpret the world through language there is a strong relationship between culture and language and they cannot be considered as separate entities. Culture has a significant part in teaching and learning Foreign Languages due to the fact that cultural aspects attached to language are embedded in the study of a language. Since language learning is not simply acquiring the forms, cultural context is a prerequisite for not only cultural but also linguistic competence.

The significance of integrating culture into language learning is noted by stern (1993) who assert that learners should be speakers of a language in the process of language learning. He argues that linguistic competence is not culture hence culture in language teaching cannot be added to the language teaching program such as skill as speaking, listening, reading and writing. As kramsh (1993) states

“it is always in the background, right from day one, ready to unsettle the good language learners when they expect it least, making evident the limitations of their hard won communicative competence, challenging their ability to make sense of the world around them. We will see the some authors wrote about literature and culture first we will see the Marxism and culture.

Marx's was the contemporary of Ruskin and George Eliot, but the Marxist interpretation of culture did not become widely effective in England until the thirties of our own century. William Morris had linked the cause of art with the cause of socialism and his socialism was of the revolutionary Marxist kind. But the kind of Morris position were older an inheritance from the general tradition which came down to him Ruskin.

Marx himself outlined, but never fully developed, a cultural theory. it is casual comments on literature, for example are those of a learned, intelligent man of his period rather than what we now know as Marxist literary criticism.

Many theoretical approaches to literary studies assume that the relationship between literature and culture is an important one, in the sense that literature both reflects and is a means of reflecting on the culture in which it is produced, that is to say, culture is a broad concept that embraces all the aspects of the human life. It includes everything humans do or learn to do as members of society and it shapes our thoughts and actions and often does so with a “heavy hand” Furthermore literature can be lied through different oral and so on. It is an expression of culture because it conveys human knowledge beliefs and behaviors.

Moreover literature is seen as a reflection of culture and society portraying people ideas and dreams set in certain time and space frameworks in the most creative and imaginary way. It both depicts and inspires

social changes and is often treated as a credible source of culture representation.

Literature and culture are deeply interrelated and both have a strong connection with each other, because during years and from the oldest of time, literature embodied culture; the first literary work in English language that conveys cultural context about life is written in old English which appeared in the early middle age and here we near "Beowulf" from Anglo-saxon literature, which is heroic epic poem. Usually many writers would like to write about heroine epic poem or stories in the old English.

In conclusion literature stands as a voice that expresses values and beliefs and shows now people live as individual or as group with this perspective and how their cultural life was and how their culture and how their culture and tradition used to be.

Reference:

- 1) Atreya Bhikonlal – "Indian culture", A universal publication, Delhi.
- 2) Williams Raymond – 'Culture and Society' (1780-1950) penguin books publication, Australia.



DIRECT TAX CODE: TIME TO GIVE SALARY EARNERS A NEW DEAL

Dr. Rajeev Shukla

HOD, Dept. of Commerce,
Vidyant Hindu P. G. College Lucknow

Mr. Raju Kashyap

Research Scholar, Dept. of Commerce,
University of Lucknow Lucknow

ABSTRACT

The Government is intending to implement Direct Tax Code any time in the coming months. There are many issues which need to be tackled before the code sees the light of the day. The first thing is that the salary earners have been facing lot of grievances the present Income Tax Act is full of ambiguities. In the first place is touching the line of absurdity. Salary earners are one whether they are in the government sector or in the private sector but this act offers so many concession and exemptions to government employees which goes against the spirit of equality as enshrined in our constitution. Then the employees are further divided into specific and non-specific employees which is totally irrelevant ridiculous. Implementation of seventh pay commissions' recommendations has caused a massive north ward trend in salary and allowances.

Similarly, multiple definitions for salary for different purposes are also ridiculous.

Therefore, Direct Tax Code should take effective steps to address four issues:-

Raising the exemption limit.

Doing away with the division of employees in different categories.

Uniform definition of salary.

All the perquisites and allowances should be exempted on a rational basis.

This paper aims to address above issues.

Direct taxes are a major source of government revenues of the major contributors to direct tax revenues salary earners form a formidable segment. Not only they contribute in handsome number the chances of tax evasion are minimal as tax is deducted at source.

However a study of income tax management reveals startling fact salary earners are not only handed a rough deal they are the most harried harangued and harassed lot. Nobody doubts his honestly as a tax payer but he has to pass through a labyrinth of confusing provisions in the Income Tax Act, 1961. Although this act has been amended many times in the last six decades, but there is no improvement in the position of salary earners. One of the earners corner stones of tax administration is simplicity. But if we have a else perusal of this act, we will conclude that this tenet is missing.

The salary earners are confronted with three contentious issues-division or distinction of employees, definition of salary for various purposes and treatment of allowances. A close study of this Act would confirm that confusion and complications have compounded for the salary earners.

The basic issues for which the salary earners are anguished are out lined below:

Exemption limit:

The union budget for 2019-20 exempted incomes upto Rs. 5 lac from income tax, this resulted in a saving of just Rs. 12,500 because tax rates on income exceeding Rs. 5,00,000 were not altered at all. It was an exercise to entice the unwary tax payers in election year. It was a master stroke in the eyes of Government. We have to make two points in this connection.

1. The implementation of seventh pay commission has raised the basic sic salary and allowances of those who are in the lowest wrung of echelons thus bulk of employees fall in the

tax net payment of taxes by this new section of employees result in a depletion of purchasing power which renders the basic intent of pay commission recommendations totally worth less

2. The government defines economically weaker section of society as persons comprising who have an income upto Rs. 8,00,000. Now, if the tax exemption limit is Rs. 5,00,000 mean that members of EWS are subjected to rigors of taxation which will indeed be a mockery of welfare state as enunciated by late Frederick Benham.

Division of Employees:

The income tax act has always been pro-government employees. A cursory look at the provisions would come to the conclusion that whether it is allowances or perquisites or retirement benefits the government employees enjoy an upper hand vis-à-vis-their counterpart in private sector. The calculations are simplified and exemption limits are very high. Now the moot question is why this sort of discrimination? This discrimination violates the very basic spirit of equality as enshrined in our constitution. Several studies reveal that private sector employees are more hardworking, talented and almost free from corruption as compared to government servant then why a private sector employee is forced to shell out more tax. The discriminatory treatment in given below in Table A:-

Table – A

	<i>Government Employee</i>	<i>Non –Government Employee</i>
Valuation of Accommodation facility	Value is determined as per Govt. rules which are generally lower.	15%, 10% and 7.5% of salary depending upon population of city which is generally higher
Gratuity at the time of retirement	Fully exempt from tax	Exempt to certain extent only
Encashment of earned lave at the time of retirement	Fully exempt from tax	Exempt to certain extent only
Computation of pension on retirement	Exempt to certain extent only	Exempt to certain extent only
Deduction for Entrainment allowances	Application on Govt. employees	Not application on Non Govt. employees

Then there is another classification of employees into specific and non-specific

category certain amenities are taxable in the hands of specified employees only according to sec.17(2)(3) of the Income Tax Act an specified employees is one who fulfills one of following conditions:-

An employee who is also a director in the employees company.

An employee having substantial interest in the employees company. Such employees hold 20% or more voting power in the employees' company.

An employee is specified one if his income from salary exceeds Rs. 50,000 per annum.

In the present day scenario, such classification is of no consequence. It only evokes ridicule. It is irrelevant, outdated and obsolete.

The government must ponder over this aspect in all seriousness. The impending direct-tax code (here to after referred to as DTC) can address this issue.

Definition of Salary:

This is the most problematic area in the entire income tax exercise. Salary is simply receipt of emoluments in only any form by an employee from his current and former employees, the shine of this simplicity of definition is monetary, once we delve deeper into the matter we find different definitions. This is shown in Table B given below:

Table – B



S. No.	Purpose	Definition of Salary
1.	Exemption regarding House rent allowances	Basic salary + dearness allowances (if payable under terms of employment) + commissions based on turnover.
2.	Valuation of accommodation facility	Basic salary + dearness allowances (if payable under terms of employees) + bonus + commission + fees + all taxable allowances + taxable part of any allowances.
3.	Provident fund	Basic salary + dearness allowances (if payable under terms of employees) + commission based on turnover.
4.	Deduction regarding entertainment allowances	Basic salary only
5.	Exemption regarding gratuity for an employee covered under the payment of gratuity act, 1972	Basic salary + dearness allowances
6.	Exemption regarding gratuity for an employee not covered under the payment of gratuity act, 1972	Basic salary + dearness allowances (if payable under terms of employment) + commissions based on turnover.
7.	Exemption regarding encashment of earned leave	Basic salary + dearness allowances (if payable under terms of employment) + commissions based on turnover.
8.	Exemption regarding compensation on retrenchment	All remuneration capable of being expressed in terms of money and include : ? ? allowances including dearness allowances ? the value of any house accommodation or supply of light, water, medical facilities or other amenity or service or any concessional supply of food grains or articles. ? Any bonus travel concession Excluding bonus, contribution to words Provident fund any gratuity payable to him
9.	Exemption regarding compensation on voluntary retirement	Basic salary + dearness allowances (if payable under terms of employment) + commissions based on turnover.

The plethora of definition is more than enough to add to confusion.

Treatment of allowances:

The Income Tax Act 1961 classifies the allowances into two category fully taxable allowances and partially taxable allowances the partially exempted allowances are again divided in to two parts. In the first category we have such allowances in whose case only savings in spending of allowances is taxable where as some allowances are taxable to a certain extent.

Then, there is case of entertainment allowance the strict conditions for exemption from entertainment allowances taxable, redness in to a sheer throated exercise. In the ensuing paragraphs we have out time treatment of certain allowances specially entainment allowances.

Treatment of certain allowances:

According to section 10(14)(1) special allowances which is granted to meet expenses wholly, necessarily and exclusively incurred in the performance of the duties of an office will be exempt from tax, to the extent to which such expenses are actually incurred for that purpose.

In other words, as per legislative intent if any saving is there in hands of employees, it is subject to tax. In this category the Government of India has notified the following allowances.

- a) Travelling allowance
- b) Daily allowance
- c) Conveyance allowance
- d) Helper allowance
- e) Academic allowance
- f) Uniform allowance

As per legislative intent these allowance are partially taxable, because if any saving exists with reference to these allowances, it is subject to tax. But practically these allowances are fully exempt from tax because neither we do have such a system where savings can take place nor we have such a high degree of morality.

For example: if an employee goes out of station for discharging his official obligations, he is paid travelling allowance and daily allowances. After completion of journey, employee submits his T.A bill to the employer. If any saving is revealed by T.A bill, employee is supposed to refund that amount to the employer. T.A and D.A is not the part and parcel of salary. These are given to the employees to meet the cost of travel, employee have no right on savings. Practically speaking savings can take place, due to our system prevalent. Ground reality is this that taking place by adopting illegal measures, but such things are not being reported on paper. Same phenomenon is existing with reference to conveyance, helper, academic and uniform allowances.

No real benefit is accruing to Govt. exchequer by keeping these allowances partially taxable. In more than 99% Income Tax returns there is no taxable amount on account of these allowances.

These allowances should be declared fully exempt from tax. This step will also be helpful in bringing simplicity in the tax structure. If these allowances are continued to be treated as partially taxable. It will make tax structure unnecessarily complicated without any significant gain.

An attempt should also be made to bring the tax rules nearer to ground realities. Education allowance is exempt upto Rs.100 per month per child to the maximum of two children. Similarly hostel allowance is exempt up to Rs. 300 per month

per child to the maximum two children. Tribal area allowance is exempt up to Rs. 200 per month. These exemptions are available in Act, on these rates for last 40 years.

A radical transformation has taken place in Indian economy during last 40 years. These exemptions have become totally irrelevant in year 2019. Therefore it is suggested either to grant at least significant exemption on account of these allowances or to make them fully taxable.

Treatment of Entertainment Allowances:

As per existing provisions of Income Tax Law, Entertainment allowances is treated as partially taxable allowances because firstly it is included in the gross salary of the employee after that a deduction is allowed to the Government employee only under section 16(ii).

Least of the following amounts are allowed as deduction:

1. 1/5 of basic salary
2. Actual amount of E.A received
3. Rs 5,000

More than 99% Government employee all over the country are not getting the entainment allowance.

A natural question arises for whose benefits this provision is existing in the tax law. If Government is of the opinion that this provision should continue in the tax law than what is sense of 1/5 of the basic salary when pay scales of Government employee have already been revised in pursuance of the recommendations & the 7th pay commission, provided the maximum limit of exemption is Rs 5,000. This deduction should be scrapped from tax law.

CNCLUSION

It is high time the salary earners must be given a new deal. This new deal is possible only when issues mentioned above are addressed cautiously in the upcoming direct tax code. This segment of tax payers needs a compassionate treatment.

REFERENCES:

- Students guide to Income Tax -
By V.K. Singhania.
- Income Tax Laws & Accounts -
By Mehrotra & Goyal.
- Direct Tax Ready Reckoner-
By V.K. Singhania.